झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

परिपत्र संग्रह

खण्ड 3


झारखण्ड सरकार
सत्यमेव जयते
GOVERNMENT OF JHARKHAND

हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री

संदेश

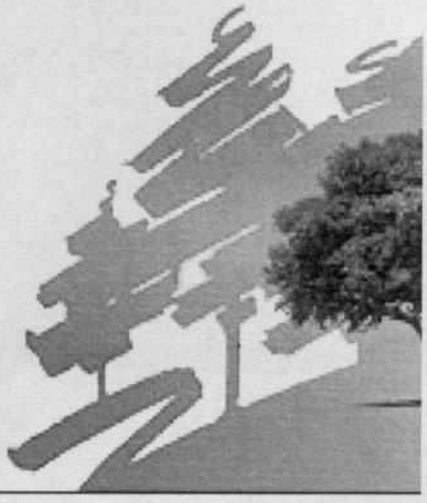
लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अक्षुण्ण रखने एवं सुशासन की सुदृढ़ व्यवस्था हेतु नियमों/परिनियमों का संग्रहण करने की परम्परा रही है। यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि झारखण्ड गठन के पश्चात् पहली बार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा कार्मिक प्रबंधन संबंधी झारखण्ड राज्य में अद्यतन प्रभावी नियमों/आदेशों का विषयवार संकलन किया गया है।

उक्त संकलन में राजकीय कार्यों के लिए प्रतिदिन प्रयुक्त होने वाले विभिन्न नियमों/आदेशों का संकलन न केवल राज्यकर्मियों के लिए उपयोगी होगा वरन् यह सामान्य जनमानस के लिए भी उतना ही उपयोगी साबित होगा तथा ये आवश्यकतानुसार इसका लाभ उठा सकेंगे।

मैं विभाग के इस प्रयास के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के सभी पदाधिकारियों/कर्मियों की सराहना करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित।

(हेमन्त सोरेन)



कांके रोड, रांची - 834008 (झारखंड)
दूरभाष : 0651-2280886, 2280996, 2400233 फैक्स : 2280717, 2400232
ई-मेल : chiefminister.jharkhand19@gmail.com

सुखदेव सिंह, भा.प्र.से.
Sukhdev Singh, I.A.S.

सरकार के मुख्य सचिव
झारखण्ड सरकार
Chief Secretary to Government
Government of Jharkhand

संदेश

मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि झारखंड राज्य के गठन के पश्चात् पहली बार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा विभागीय नियमों/परिपत्रों/संकल्पों का एक विषयवार संकलन तैयार कर चार खण्डों में प्रकाशित किया जा रहा है। इस संकलन से विभागीय नियमों/परिपत्रों/संकल्पों की उपलब्धता सुलभ हो सकेगी तथा विभागीय निर्णय लेने में सुविधा होगी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा अन्य विभागों को भी परामर्श दिया जाता है, इसलिए इस विभाग के द्वारा इस तरह का संकलन करना और भी जरूरी हो जाता है, ताकि परामर्श देने में कोई त्रुटि नहीं हो। इस कार्य के लिए मैं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव, श्रीमती वंदना दादेल तथा अन्य सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को बधाई देना चाहूँगा।

मुझे आशा है कि इस संकलन को नियमित अंतराल के पश्चात् अद्यतन भी किया जाएगा। झारखंड राज्य के अन्य विभागों के द्वारा भी इस तरह का प्रकाशन कराया जाना श्रेयस्कर होगा।

13/11/2011

(सुखदेव सिंह)

1st Floor, Project Building, Dhurwa, Ranchi, Jharkhand (INDIA), Pin-834004
• Phone : +91-651-2400240/250 (O)/ 2361334(R) • Fax: +91-651-2400255 (O)/ 2361336 (R) • E-mail: cs-jharkhand@nic.in

वंदना दादेल, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव

VANDANA DADEL, IAS
Principal Secretary

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा
राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची
Personnel, Administrative Reforms
& Rajbhasha Department
Government of Jharkhand
Project Bhawan, Dhurwa, Ranchi-834004
Phone : 0651-2400221
Fax : 0651-2400253
e-mail : dopjharkhand@gmail.com

प्रस्तावना

मानव संसाधनों के प्रबंधन यथा, कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण, विभागीय कार्यवाही, अनुशासनात्मक कार्रवाई, आचार, सेवानिवृति आदि से संबंधित नीतियों के निर्माण एवं उसके कार्यान्वयन के संदर्भ में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। यह विभाग प्रखण्ड स्तरीय कार्यालयों से लेकर राज्यस्तरीय कार्यालयों के संदर्भ में प्रशासनिक सुधारों के साथ–साथ राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने तथा सरकारी कार्यों में इसके उपयोग के निमित्त भी महत्वपूर्ण कार्य करता है।

इस विभाग के द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के सुचारू रूप से संचालन एवं राज्य के सरकारी सेवकों के निमित्त सेवाशर्त, आचार, अनुशासन आदि से संबंधित नीति विषयक पत्र/परिपत्र निर्गत किये जाते हैं, जिनका कार्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

राज्य गठन के उपरांत से अबतक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा निर्गत पत्र/परिपत्रों का संग्रहण नहीं किया जा सका है, जिसके कारण निरंतर विभागों, कार्यालयों से परामर्श एवं मंतव्य हेतु बड़ी संख्या में पत्र प्राप्त होते रहते हैं। उक्त के मद्देनजर विभाग के द्वारा निर्गत नीति विषयक पत्र/परिपत्रों आदि के संग्रहण निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई ताकि राज्य के सभी विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों तथा जन मानस के लिए पत्र/परिपत्र सुलभ हो सके ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के द्वारा नीति विषयक पत्र/परिपत्रों को संग्रह कर परिपत्र संग्रह का रूप देने के लिए श्री मोती जॉर्ज लकड़ा, भा०प्र०से०, विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा राज्य गठन के बाद से वर्तमान समय तक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत नीति विषयक पत्र/परिपत्रों का संग्रह चार खंडों (खंड – 2 दो भागों में) कुल पाँच पुस्तिकाओं में तैयार किया गया है।

इस परिपत्र संग्रह के निर्माण में योगदान देने वाले कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी बधाई के पात्र है। आशा करती हूँ कि यह परिपत्र संग्रह राज्य के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

(वंदना दादेल)
प्रधान सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

परिपत्र–संग्रह

खण्ड–3

खण्डवार अध्यायों की सूची

खण्ड – 1

क्र0	अध्याय सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1	अध्याय – 1	सेवा नियमावली आदि	01–167
2	अध्याय – 2	प्रोन्नति/ कालावधि निर्धारण आदि	168–228
3	अध्याय – 3	अनुशासनिक मामले आदि	229–326
4	अध्याय – 4	कैडर विभाजन	327–359
5	अध्याय – 5	भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग	360–379
6	अध्याय – 6	चारित्री लेखन	380–417
7	अध्याय – 7	अन्यान्य	418–525

खण्ड – 2

(भाग–'क')

क्र0	अध्याय सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1	अध्याय – 1	पदों एवं सेवाओं में आरक्षण	01–206
2	अध्याय – 2	नियोजन एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सुविधा	207–257
3	अध्याय – 3	आरक्षण रोस्टर	258–379

खण्ड – 2

(भाग–'ख')

क्र0	अध्याय सं0	विषय	पृष्ठ सं0
4	अध्याय – 4	प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में	380–596
5	अध्याय – 5	क्रीमी लेयर	597–629
6	अध्याय – 6	बैकलॉग रिक्ति	630–639
7	अध्याय – 7	स्थानीयता	640–686
8	अध्याय – 8	अन्यान्य	687–700

खण्ड – 3

क्र0	अध्याय सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1	अध्याय – 1	भर्ती नियमावली आदि	1–152
2	अध्याय – 2	परीक्षा संचालन संबंधी मार्गदर्शन	153–183
3	अध्याय – 3	सीमित प्रतियोगिता परीक्षा	184–211
4	अध्याय – 4	नियुक्ति प्रक्रिया	212–218
5	अध्याय – 5	झारखण्ड लोक सेवा आयोग	219–262
6	अध्याय – 6	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग	263–404
7	अध्याय – 7	अनुकम्पा मामले	405–472
8	अध्याय – 8	राजभाषा	473–489

खण्ड – 4

क्र0	अध्याय सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1	अध्याय – 1	लोकायुक्त	1–43
2	अध्याय – 2	सूचना का अधिकार	44–122
3	अध्याय – 3	पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग	123–140
4	अध्याय – 4	राज्य/ जिला पुनर्गठन	141–178
5	अध्याय – 5	सेवा देने की गारंटी	179–275
6	अध्याय – 6	बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली	276–298
7	अध्याय – 7	कोविड–19	299–325
8	अध्याय – 8	अन्यान्य	326–378

खण्ड–3 – विषय सूची

अध्याय – 1

(भर्ती नियमावली आदि)

क्र0	विषय	ज्ञापांक/पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
1	राज्य के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से प्राप्त उपाधियों के आधार पर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करने के संबंध में।	415	28.01.2022	1
2	झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा (आशुलिपिक ग्रेड सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2021	7947	17.11.2021	2–7
3	The Jharkhand Combined Civil Services Examination (Ist Amendment) Rules, 2021	804	05.02.2021	8–9
4	The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021	162	08.01.2021	10–78
5	झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के नियम 3(ग) के परंतुक में प्रदत्त शक्तियों के अधीन उक्त नियमावली में संशोधन/अंतःस्थापन करने के संबंध में।	4871	20.06.2019	79–80
6	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015 की अनुसूची–I के क्रमांक 11 में प्रतिस्थापन	10767	18.12.2015	81
7	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रीक/10वीं स्तर) संचालन नियमावली, 2015	10506	11.12.2015	82–92
8	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015	10507	11.12.2015	93–103
9	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015	8565	28.09.2015	104–113
10	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015	8566	28.09.2015	114–124
11	सरकारी सेवा में नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दिये जानेवाले उपाधियों की स्थायी मान्यता समाप्त करने के निदेश के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।	4786	01.06.2015	125
12	झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के कार्यान्वयन हेतु स्पष्टीकरण।	4202	11.05.2015	126
13	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 के सम्बन्ध में।	4174	08.05.2015	127
14	झारखण्ड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड/ झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2014	3384	15.04.2015	128–130
15	सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दिये जानेवाले उपाधियों यथा प्रवेशिका, साहित्यभूषण एवं साहित्यालंकार को क्रमशः मैट्रीक, आई.ए. एवं बी.ए. के समकक्ष स्थायी मान्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में।	1863	26.02.2015	131
16	झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015	1348	13.02.2015	132–136
17	अभ्यर्थियों के उम्र की गणना हेतु संदर्भ तिथि का निर्धारण	8988	08.09.2014	137
18	झारखण्ड सचिवालय सेवा/झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।	12397	06.11.2012	138
19	राज्य की सेवाओं/संवर्गों में भर्ती नियमावली का गठन।	12199	01.11.2012	139–140
20	झारखण्ड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2012	400	16.01.2012	141–147
21	राज्य की सेवाओं/संवर्गों में भर्ती नियमावली का गठन।	4666	03.08.2010	148
22	राज्य की सेवाओं/संवर्गों में भर्त्ती नियमावली के गठन के संबंध में।	4037	03.07.2008	149–150
23	झारखण्ड लोक सेवा आयोग की असैनिक सेवा संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य क्रम में वैकल्पिक विषय के रूप में जनजातीय एवं स्थानीय भाषाओं को शामिल करने के सम्बन्ध में।	2719	24.05.2004	151–152

अध्याय – 2

(परीक्षा संचालन संबंधी मार्गदर्शन)

क्र0	विषय	ज्ञापांक/पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
24	झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट ऑफ तिथि के निर्धारण के संबंध में।	805	05.02.2021	153–154
25	सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा का निर्धारण	29	04.01.2021	155–156
26	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम अहर्ताक निर्धारित करने के संबंध में।	3928	11.08.2020	157–158
27	आदिम जनजातियों के लिए न्यूनतम अहर्ताक निर्धारित करने के संबंध में।	7358	12.09.2019	159
28	झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (प्रारंभिक), 2016 के परीक्षाफल में आवश्यक संशोधन के संबंध में।	1153	12.02.2018	160–161
29	झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के परीक्षाफल में आवश्यक संशोधन करने के संबंध में।	5562	19.04.2017	162–163
30	झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा पाठ्यक्रम एवं पद्धति में संशोधन तथा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (स्नातक स्तर/इंटरमीडिएट स्तर एवं मैट्रिक स्तर) मुख्य परीक्षा के पत्र 02 भाषा की परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्धारण के संबंध में।	7052	17.08.2016	164–167
31	चतुर्थ एवं पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो चुके दिव्यांग अभ्यर्थियों को आगामी षष्टम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करने के निमित्त परीक्षा हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा एवं परीक्षा में भाग लेने के अवसर को मात्र एक बार क्षांत किये जाने के संबंध में।	4655	02.06.2016	168–169
32	झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा पाठ्यक्रम एवं पद्धति में संशोधन किये जाने के संबंध में।	3143	13.04.2016	170–173
33	कनीय स्तर के पदों पर नियुक्ति में साक्षात्कार/अंतर्वीक्षा समाप्त करने के संबंध में।	1112	08.02.2016	174
34	झारखण्ड लोक सेवा आयोग और झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन।	2959	03.04.2013	175–176
35	झारखण्ड लोक सेवा आयोग और झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन।	13026	27.11.2012	177–180
36	झारखण्ड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2012 में निःशक्त व्यक्तियों को दी जानेवली सुविधाएँ।	10992	25.09.2012	181–182
37	सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु आयु–सीमा का निर्धारण।	2096	25.04.2011	183

अध्याय – 3
(सीमित प्रतियोगिता परीक्षा)

क्र0	विषय	ज्ञापांक / पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
38	झारखण्ड राज्य क्षेत्रिय लिपिक (समाहरणालय सहित) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (मूल कोटि) नियमावली, 2017 के गठन के संबंध में।	10536	12.10.2017	184–187
39	झारखण्ड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2013	3648	30.04.2013	188–192
40	सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में झारखंड लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 के आलोक में निम्नवर्गीय लिपिक की अनुमान्य रिक्तियों पर अपेक्षित योग्यता रखनेवाले चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में।	5534	16.09.2011	193–196
41	सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में वर्ग–3 की अनुमान्य रिक्तियों पर अपेक्षित योग्यता रखनेवाले चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन के संबंध में।	4699	10.08.2011	197–198
42	सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में झारखंड लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 के आलोक में निम्नवर्गीय लिपिक की अनुमान्य रिक्तियों पर अपेक्षित योग्यता रखनेवाले चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु आयोजित की जानेवाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में।	4602	06.08.2011	199–201
43	झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 के आलोक में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के अधीन निम्नवर्गीय लिपिक की अनुमान्य रिक्तियों पर अपेक्षित योग्यताधारी चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन।	2950	03.06.2011	202–204
44	सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रशाखा पदाधिकारी के 50% पदों पर भर्त्ती हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण।	2092	25.04.2011	205–207
45	सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में वर्ग–3 के उपलब्ध रिक्तियों में दिनचर्या लिपिक एवं टंकक के पदों पर अपेक्षित योग्यता रखनेवाले चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निमित्त सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के संबंध में।	4161	08.07.2008	208–211

अध्याय – 4
(नियुक्ति प्रक्रिया)

क्र0	विषय	ज्ञापांक / पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
46	संविदा आधारित नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक एवं 10+2 की उतीर्णता के शर्त्त को लागू करने के संबंध में।	3164	19.05.2022	212
47	झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित झारखण्ड संयुक्त असैनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में C-SAT प्रणाली को समाप्त करने, छठे संयुक्त असैनिक प्रवेश प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए उम्र गणना हेतु कट–ऑफ डेट का निर्धारण एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अवसरों की सीमा समाप्त करने के संबंध में।	8315	16.09.2015	213–214
48	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अन्तर्गत अवर निरीक्षक उत्पाद एवं सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में।	3794	23.04.2015	215
49	गृह विभाग के अन्तर्गत कारा निरीक्षणालय के अधीन कक्षपाल के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में।	3427	16.04.2015	216
50	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अन्तर्गत उत्पाद सिपाहियों के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में।	3371	15.04.2015	217
51	राज्य के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग–3 के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में।	6190	09.07.2013	218

अध्याय – 5
(झारखण्ड लोक सेवा आयोग)

क्र0	विषय	ज्ञापांक / पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
52	झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्त्तें) विनियम, 2000 (संशोधन)।	6215	01.08.2019	219
53	झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्य सीमन) विनियम, 2000 (संशोधन)।	73	02.01.2018	220
54	झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्त्तें) विनियम, 2000 (संशोधन)।	10526	09.12.2016	221
55	झारखण्ड लोक सेवा आयोग अतिरिक्त कार्य विस्तारण अधिनियम, 2015	136	12.11.2015	222–223
56	संविधान के अनुच्छेद–320(3) के तहत नियुक्ति नियमावली गठन के क्रम में झारखण्ड लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त करने के संबंध में।	4108	06.05.2015	224
57	झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्य सीमन) विनियम, 2000 में संशोधन।	10470	24.10.2014	225–226
58	झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवाशर्त्त) विनियम, 2000 के नियम–4 में संशोधन	10471	24.10.2014	227–228
59	झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्य सीमन) विनियम, 2000 में संशोधन।	789	27.01.2014	229–231
60	झारखण्ड लोक सेवा आयोग और झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन।	185	08.01.2014	232
61	झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के लिए राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के सृजन/प्रत्यर्पण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	11750	07.12.2013	233–235
62	झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्त्तें) विनियम 2000 में संशोधन।	5811	29.06.2013	236
63	झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्त्तें) विनियम, 2000 के नियम–4 में संशोधन।	9011	03.08.2012	237
64	झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्त्तें) विनियम, 2000 (संशोधन)।	4664	15.07.2009	238
65	झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्त्तें) विनियम, 2000 के विनियम 3 में संशोधन।	6818	15.12.2003	239
66	झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्त्तें) विनियम, 2000 के नियम–4 में संशोधन।	3240	10.06.2003	240
67	झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले राज्य सरकार के सेवकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट की स्वीकृति।	360	21.01.2003	241
68	झारखण्ड लोक सेवा आयोग का गठन	159	23.01.2001	242
69	Jharkhand Public Service Commission (Condition of Service) Regulation, 2000	117	16.01.2001	243–254
70	झारखण्ड लोक–सेवा–आयोग (कार्य–सीमन) विनियम {झारखण्ड पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन ऑफ फंक्शन्स) रेगुलेशन्स}, 2000	118	16.01.2001	255–262

अध्याय – 6
(झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग)

क्र0	विषय	ज्ञापांक / पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
71	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा / तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2022	6253	06.10.2022	263–265
72	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा / तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021	7942	17.11.2021	266–274
73	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी / विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021	3850	10.08.2021	275–279
74	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट / 10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021	3848	10.08.2021	280–284
75	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट / 10+2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021	3847	10.08.2021	285–290
76	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक / 10वीं स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021	3846	10.08.2021	291–295
77	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा / तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2019	8614	25.10.2019	296–298
78	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी / विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017	6474	24.05.2017	299–307
79	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट / 10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन नियमावली, 2017	2062	08.03.2017	308–315
80	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2016	3201	18.04.2016	316–318
81	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक / 10वीं स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2016	3200	18.04.2016	319–322
82	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट / 10+2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2016	3199	18.04.2016	323–325
83	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015	10507	11.12.2015	326–336
84	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक / 10वीं स्तर) संचालन नियमावली, 2015	10506	11.12.2015	337–347
85	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2015	138	12.11.2015	348–349
86	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट / 10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015	8566	28.09.2015	350–360
87	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015	8565	28.09.2015	361–370
88	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग(संशोधन) नियमावली, 2015	7267	12.08.2015	371
89	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) नियमावली, 2012	3841	21.04.2012	372–376
90	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2011	169	30.09.2011	377–384
91	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2011	4677	10.08.2011	385–398
92	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008	80	05.12.2008	399–404

अध्याय – 7
(अनुकम्पा मामले)

क्र0	विषय	ज्ञापांक / पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
93	सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नीति में संशोधन	3004	06.07.2021	405–406
94	सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नीति में संशोधन	963	12.02.2021	407–408
95	सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नीति में संशोधन	8723	30.10.2019	409
96	धीरेन्द्र प्रसाद सिंह दिनांक–15.06.1999 से लापता सहायक शिक्षक, राज्य सम्पोषित उच्च विद्यालय, ककरिया, लापुंग के आश्रित को अनुकम्पा आधारित नियुक्ति की अनुमान्यता के संदर्भ में महाधिवक्ता, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची द्वारा प्राप्त वैधिक परामर्श पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु दिशानिदेश उपलब्ध कराने के संबंध में	6546	19.08.2019	410
97	सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण	5064	09.07.2018	411–417
98	अनुकम्पा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन समर्पित करने के संदर्भ में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर वाद सं0–LPA No. 391/2016– अशोक गोप बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक–19.07.2017 को पारित आदेश के संबंध में	11328	13.11.2017	418–424
99	WP(S) No 954/2016– विनय कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित ओदश के सम्बन्ध में।	10213	03.10.2017	425–429
100	सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नीति में संशोधन	7988	12.07.2017	430–432
101	सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।	10167	01.12.2015	433–447
102	कार्यभारित स्थापना से नियमित हुए कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पा का लाभ स्वीकृत करने के संबंध में स्पष्टीकरण	8092	07.09.2015	448
103	सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।	5474	13.09.2011	449
104	सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में मार्गदर्शन।	4036	16.07.2011	450
105	सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध मे।	4379	16.07.2008	451
106	दत्तक पुत्र / दत्तक अविवाहित पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुमान्यता के संबंध में।	431	24.01.2008	452
107	सेवाकाल में लापता सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।	409	22.01.2008	453
108	दत्तक पुत्र / दत्तक अविवाहित पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुमान्यता के संबंध में।	4332	17.12.2005	454–455
109	सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया–अधिकतम उम्र की क्षान्ति	8093	25.07.1998	456
110	सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन	2822	27.04.1995	457–459
111	सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया–एक स्पष्टीकरण।	4735	19.05.1992	460

112	सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया।	13293	05.10.1991	461–469
113	सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया।	6817	25.05.1989	470
114	सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की असामयिक मृत्यु के चलते उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य सरकार के अधीन वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता।	12754	12.07.1977	471–472

अध्याय – 8

(राजभाषा)

क्र0	विषय	ज्ञापांक / पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
115	जिलों में पदस्थापित उपायुक्त एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के उप सचिव के अन्यून स्तर के पदाधिकारियों को कार्य निष्पादन हेतु शक्ति प्रत्यायोजित करने के संबंध में।	152	20.08.2018	473–474
116	राजभाषा विभाग के अधीन सरकारी सेवकों के स्थानांतरण / पदस्थापन के संबंध में नीति एवं प्रक्रिया के निर्धारण में संशोधन।	239	05.10.2012	475–476
117	अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2011	203	18.11.2011	477–479
118	उर्दू कर्मियों से लेखा / वित्त संबंधी कार्य नहीं लेने के संबंध में।	190	20.08.2008	480
119	विनिर्दिष्ट राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के अतिरिक्त उर्दू का द्वितीय राजभाषा के रूप में प्रयोग के संबंध में।	6807	16.10.2007	481–482
120	सरकारी कार्यालयों के काम–काज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग।	101	28.06.2003	483–484
121	राजभाषा हिन्दी के माध्यम से सभी सरकारी कामकाज करने के संबंध में।	99	27.06.2003	485–486
122	उर्दू कार्यक्रम के अधीन राजभाषा विभाग द्वारा पदस्थापित उर्दू अनुवादकों / स0 उर्दू अनुवादकों / हिन्दी–उर्दू टंककों से केवल उर्दू संबंधी कार्य लेने तथा उनका स्थानान्तरण / पदस्थापन प्रतिनियुक्ति आदि प्रमण्डल / जिला / अनुमंडल स्तर से नहीं करने के संबंध में।	21	08.02.2002	487
123	सरकारी कार्यालयों के कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग।	28	11.06.2001	488–489

खण्ड–3

अध्याय–1
(भर्ती नियमावली आदि)

पत्रांक–15/झा०वि०स०–15–36/2021 का०– 415

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड।
सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 28/01/2022

विषयः–राज्य के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से प्राप्त उपाधियों के आधार पर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित करते हुए विधि सम्मत् कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र संख्या–1863 दिनांक–26.02.2015 के द्वारा हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त किसी भी डिग्री/प्रमाण पत्र को दिनांक–26.06.2014 के प्रभाव से किसी भी नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए मान्यता नहीं दिये जाने का निर्णय संसूचित है।

साथ ही कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–4786 दिनांक–01.06.2015 के द्वारा यह स्पष्ट रूप से संसूचित किया गया है कि दिनांक–26.06.2014 के बाद किसी भी सरकारी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के लिए हिन्दी विद्यापीठ, देवघर के द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं है, चाहे उक्त प्रमाण पत्र दिनांक–26.06.2014 के पूर्व ही क्यों नहीं निर्गत किये गये हों।

2. श्री दीपक बिरूआ, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–18 से उद्भूत आश्वासन संख्या–02/2021, हिन्दी विद्यापीठ, देवघर के द्वारा प्रदत्त उपाधि के आधार पर राज्यान्तर्गत उक्त कार्मिक विभागीय पत्रों के प्रावधानों के इतर की गयी नियुक्ति एवं प्रोन्नति को रद्द करते हुए संलिप्त पदाधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई से संबंधित है।

अतः उक्त आश्वासन के अनुपालनार्थ अनुरोध है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1863 दिनांक–26.02.2015 एवं पत्रांक–4786 दिनांक–01.06.2015 के द्वारा संसूचित दिशा–निदेश की अवहेलना कर यदि आपके विभाग/कार्यालय में नियुक्ति/प्रोन्नति की कार्रवाई की गयी है तो, उनको रद्द करने एवं संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी पर विधिसम्मत् कार्रवाई कृपया सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,
28.1.22
(वंदना दादेल)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–36/2021 का०– 415 राँची, दिनांक– 28/01/2022

प्रतिलिपि–संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.1.22
सरकार के प्रधान सचिव।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-574 राँची, शुक्रवार, 26 नवम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

17 नवम्बर, 2021

संख्या-12/आशु०से०-13-03/2021-7947--भारतीय संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं,

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:-

(क) यह नियमावली झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आशुलिपिक ग्रेड सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2021 कहलाएगी ।

(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2. (I) **परिभाषा** :- जब तक कि संदर्भ में अन्यथा वर्णित न हो, -

(क) **"उपलब्ध रिक्तियाँ "** से झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड में ऐसी रिक्तियाँ अभिप्रेत है, जिन्हें खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरा जाना अपेक्षित है,

(ख) **"परीक्षा"** से झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड पर सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है,

(ग) **"अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति"** के वही अर्थ है, जो भारत के संविध के अनुच्छेद 366 के क्रमश: खण्ड 24 और खण्ड 25 में समनुदेशित है ।

(घ) **"पिछड़ा वर्ग-अनुसूची-2 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग-अनुसूची-1"** से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग-अनुसूची-2 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग-अनुसूची-1 के रूप में अधिसूचित जातियां।

(ङ) **"निःशक्त व्यक्ति"** से अभिप्रेत है निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग-जन) अधिकार अधिनियम, 2016 में यथा परिभाषित निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग-जन) ।

(च) **"आयोग"** से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ।

(छ) **राज्य सरकार** से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार ।

(ll) वे सभी अन्य शब्द, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और यहां परिभाषित नहीं है, किन्तु झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2011 में परिभाषित है, क्रमश: वही अर्थ होंगे, जो उन नियमों में प्रयुक्त है ।

3. **परीक्षा का आयोजन-**

(1) आयोग आशुलिपिक ग्रेड के पदों पर सीधी नियुक्ति के निमित्त गठित झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आशुलिपिक ग्रेड सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2021 के अनुसार परीक्षा का आयोजन करेगा ।

4. **पात्रता की शर्तें :-** परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तो का समाधान करना चाहिए, अर्थात् :-

(i) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए,

(ii) उम्र सीमा- आयोग के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र वही रहेगी, जो राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित होगा। अभ्यर्थियों की उम्र की गणना अधियाचना के वर्ष की पहली अगस्त को निर्दिष्ट तिथि मानकर की जायेगी ।

(iii) शैक्षणिक योग्यता- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री रखता हो ।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त सीधी भर्ती के लिए झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना एवं अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।"

(iv) शुल्क- परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क/परीक्षा शुल्क आयोग के द्वारा निर्धारित किया जायेगा, परंतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क में 50% छूट/रियायत दी जायेगी ।

5. **आरक्षण** :- राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिये चयन में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आरक्षण के विषय पर गठित नियम/अधिनियम एवं परिपत्र लागू होंगे ।

6. **पात्रता के बारे में विनिश्चय** - पात्रता या अर्हत्ता परीक्षा के प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसका प्रवेश-पत्र आयोग द्वारा नहीं जारी किया गया है, उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जायेगा ।

7. **परीक्षा का स्वरूप** :- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के अधीन आशुलिपिक कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु परीक्षा निम्न दो चरणों में आयोजित की जायेंगी :-

1. प्रथम चरणः- कौशल जाँच परीक्षा ।
2. द्वित्तीय चरणः- लिखित परीक्षा ।

प्रथम चरण के कौशल जाँच परीक्षा में मात्र उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा अर्थात यह परीक्षा मात्र अर्हक प्रकृति (**Qualifying Nature**) का होगा ।

कौशल जाँच परीक्षा में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-10992 दिनांक-25.09.2012 के प्रावधानानुसार दिव्यांगजनों को सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी ।

प्रथम चरण के कौशल जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को द्वित्तीय चरण के लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना होगा ।

प्रथम चरण-कौशल जाँच परीक्षण का पाठ्यक्रमः-

कौशल जाँच परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे। दोनों पत्रों की परीक्षा एक ही तिथि को आयोजित होगी ।

1. प्रथम पत्रः- इसके अन्तर्गत हिन्दी आशुलेखन की जाँच परीक्षा ली जायेगी जिसका मानदंड निम्नवत् होगाः-

हिन्दी आशुलेखन की जाँच :- इसमें हिन्दी आशुलेखन की जाँच हेतु 500 शब्दों को 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक हिन्दी श्रुतिलेख दिया जायेगा ।

श्रुतिलेख आशुलेखन के विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा उच्चारित किया जायेगा। श्रुतिलेख के पूर्व 01 (एक) मिनट का समय श्रुतिलेख का अभ्यास/तैयारी (Trial) हेतु दिया जायेगा। श्रुतिलेख को कम्प्यूटर पर टंकित करने हेतु 40 (चालीस) मिनट का समय दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को कम्प्यूटर पर टंकण आरम्भ करने के पूर्व 5(पाँच) मिनट का समय श्रुतिलेख को पढ़ने के लिए दिया जायेगा। श्रुतिलेख के टंकण की शुद्धि टंकण हेतु निर्धारित समय के अन्तर्गत ही करनी होगी। श्रुतिलेख

के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 5 (पाँच) प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथ उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा ।"

2. <u>द्वितीय पत्र</u> :- इसके अन्तर्गत कम्प्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा ली जायेगी। इसके अन्तर्गत एक तालिकावार आँकडा से संबंधित प्रश्न होगा। प्रश्न में दिये गये निर्देशों के अनुरूप निम्नांकित कार्य करने होंगेः-

(क) उक्त तालिकावार आँकडे को MS-Word पर टंकित करना ।

(ख) MS-Excel पर आंकड़ों की प्रविष्टि एवं औसत, जोड़, घटाव इत्यादि से सम्बन्धित गणना ।

(ग) MS-Excel पर तैयार आकड़ों के आधार पर Pie chart तथा Bar Chart तैयार करना ।

(घ) MS-Excel पर तैयार आंकड़ों के आधार पर MS- Power Point में Power Point Presentation हेतु एक Slide तैयार करना होगा ।

(ङ) उपर्युक्त कंडिका-(क) से (घ) तक के तैयार सभी दस्तावेज(**Document**) का एक फोल्डर तैयार कर इसे दिये गये पते (E-mail-id) पर भेजना होगा ।

(च) Internet Searching की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे ।

इस परीक्षा की कुल अवधि 1.5 (डेढ़) घंटा (90 मिनट) होगी तथा प्रत्येक खंड हेतु 25-25 अंक के हिसाब से कुल पूर्णांक 150 अंक का होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

कौशल जाँच परीक्षा के अन्तर्गत अभ्यर्थी को आशुलेखन जाँच परीक्षा एवं कम्प्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा में अलग-अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा ।

<u>द्वितीय चरण- लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रमः-</u>

लिखित परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी। परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम मैट्रिक स्तर का होगा ।

1. प्रथम पत्रः- इस परीक्षा की अवधि 03 (तीन) घंटे की होगी। इस पत्र में चार विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

(क) हिन्दी भाषा का ज्ञान	-	25 प्रश्न (75 अंक)
(ख) अंग्रेजी भाषा का ज्ञान	-	25 प्रश्न (75 अंक)
(ग) सामान्य अध्ययन	-	25 प्रश्न (75 अंक)
(घ) तर्क एवं मानसिक जाँच	-	25 प्रश्न (75 अंक)
कुल	-	100 प्रश्न (300 अंक)

प्रथम पत्र का पाठ्यक्रम

(क) हिन्दी भाषा का ज्ञानः- इसके अन्तर्गत हिन्दी अनुच्छेद एवं हिन्दी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे ।

(ख) अंग्रेजी भाषा का ज्ञानः- इसके अन्तर्गत अंग्रेजी अनुच्छेद एवं अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे ।

(ग) सामान्य अध्ययनः- इसके अन्तर्गत समसामयिक विषयों, भारत देश, झारखण्ड राज्य एवं सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे ।

(घ) तर्क एवं मानसिक क्षमता जाँचः- इसमें मैट्रीक स्तर के तर्क एवं मानसिक क्षमता जाँच हेतु शाब्दिक एवं गैर-शाब्दिक जिसमें सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारण, अंक गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे ।

2. **द्वितीय पत्रः-** इस पत्र में उर्दू/ संथाली/ बंगला/मुण्डारी(मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुड़ूख(उरांव) /कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/ पंचपरगनिया/ उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न (पूर्णांक-300 अंक) पूछे जायेंगे। इस परीक्षा की अवधि 02(दो) घंटा की होगी ।

8. मेधासूची-

(I) लिखित परीक्षा के आधार पर न्यूनतम अर्हतांक, जैसा कि सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर आरक्षण श्रेणीवार निर्धारित है, प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्राप्त होने वाले अंको के आधार पर आयोग मेधा सूची तैयार करेगा तथा संसूचित रिक्तियों के अनुरूप आयोग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को श्रेणीवार अनुशंसा भेजेगा। मेधासूची तैयार करने में आरक्षण/रोस्टर संबंधी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों/अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों का प्रमाण-पत्र इत्यादि की जांच किये जाने के फलस्वरूप नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सकेगा ।

(II) इस परीक्षा में चयन हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-13026 दिनांक-27.11.2012 एवं अधिसूचना संख्या-3849 दिनांक-10.08.2021 के द्वारा वर्त्तमान में आरक्षण श्रेणीवार निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत् हैः-

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला	32 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु०-I)	34 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग (अनु०-II)	36.5 प्रतिशत
आदिम जनजाति समूह	30 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

(III) प्रथम चरण (कौशल परीक्षा) का दोनों पत्र मात्र अर्हक (Qualifying) होगा। इस चरण के अन्तर्गत प्राप्त अंक मेधा सूची के निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा ।

(IV) द्वित्तीय चरण के प्रथम पत्र एवं द्वित्तीय पत्र में अलग-अलग न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

(V) द्वित्तीय चरण के प्रथम पत्र (पूर्णांक-300 अंक) एवं द्वित्तीय पत्र(पूर्णांक-300 अंक) में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर उपरोक्त नियम-8(II) के आलोक में मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा ।

(VI) मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान(Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत उपर स्थान मिलेगा ।

यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्मतिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात् स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधा सूची में उपर रखा जायेगा ।

9. झारखण्ड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) यथा संशोधित नियमावली, 2014 में झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) के सुसंगत प्रावधान झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आशुलिपिक ग्रेड सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2021 प्रवृत्त होने की तिथि से इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। आशुलिपिक श्रेणी में नियुक्ति के लिये पूर्व से निर्धारित प्रावधानों के इस नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभाषी अथवा प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान अध्यारोही प्रभाव (Overriding Effects) के साथ लागू होंगे ।

10. इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वचन अंतिम होगा।

11. राज्य सरकार आवश्यकतानुसार इस नियमावली के किसी उपबंध अथवा उपबंधों को शिथिल अथवा संशोधित कर सकेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 574 -- 50

सत्यमेव जयते

THE

JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

17 Maagh, 1941(S)

No. 94

Ranchi, Saturday, 6th February, 2021

Department of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha

Notification

5 February, 2021

THE JHARKHAND COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION (I[st] Amendment) RULES, 2021

No. -11/Lo.Se.Aa-01-03/2020 ka. 804 -- In exercise of the power conferred by the proviso to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Jharkhand hereby enacts the following rules -

The Jharkhand Combined Civil Services Examination (I[st] Amendment) Rules, 2021

1. **Short Title, Extent and Commencement :-**
   (a) These rules may be called the "Jharkhand Combined Civil Services Examination (I[st] Amendment) Rules, 2021".
   (b) These shall extend to the whole State of Jharkhand.
   (c) These rules shall come into force from the date of their publication in the State official Gazette.

2. In the "The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021" proviso to rule-17(ii) is as follows :-

" Provided further that if adequate number of candidates belonging to the Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Extremely Backward Classes (Annexure-I)/ Backward Classes (Annexure-II)/Economically Weaker Section are not available amongst the candidates to be declared qualified for admission to the Main Examination, the Commission may at their discretion keep the cut off marks

2

maximum up to 8 (eight) percent less than that kept for the last selected candidate, but it shall not be less than the minimum marks mentioned in sub-rule (i). "

shall be substituted as below :-

" Provided further that if adequate number of candidates belonging to the Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Extremely Backward Classes (Annexure-I)/ Backward Classes (Annexure-II)/Economically Weaker Section are not available amongst the candidates to be declared qualified for admission to the Main Examination, the Commission shall reduce the cut off marks for them till adequate number of candidates belonging to these categories are declared qualified for the Main Examination but the reduced cut off marks shall not be less than the minimum marks mentioned in sub-rule(i)."

3. In the "The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021" proviso to clause 3(iv) of Appendix-I, Section-I, Plan of Examination is as follows :-

" Provided further that if adequate number of candidates belonging to the Scheduled Caste/Scheduled tribes/Extremely Backward Classes (Annexure-I)/ Backward Class (Annexure-II)/Economically Weaker Section (EWS) are not available amongst the candidates to be declared qualified for admission to the Interview Test, the Commission may keep the cut off marks maximum up to 8 (eight) percent less than the last selected candidate, but it shall not be less than the minimum marks mentioned in rule 17(i)"

shall be substituted as below :-

" Provided further that if adequate number of candidates belonging to the Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Extremely Backward Classes (Annexure-I)/ Backward Classes (Annexure-II)/Economically Weaker Section (EWS) are not available amongst the candidates to be declared qualified for admission to the Interview Test, the Commission shall reduce the cut off marks for them till adequate number of candidates belonging to these categories are declared qualified for the Interview Test but the reduced cut off marks shall not be less than the minimum marks mentioned in rule 17(i)."

Approval has been granted on the proposal through Departmental Memorandum Memo. No. 11/Lo.Se.Aa-01-03/2020-741 dated 03.02.2021 in State Cabinet's Meeting dated 03.02.2021 vide Item no. 31.

By the order of the Governor of Jharkhand

Ajoy Kumar Singh,
Principal Secretary to the Government.

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 94 -- 50

सत्यमेव जयते

THE

JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

2 Magh, 1942(S)

No. 59

Ranchi, Friday, 22th January, 2021

DEPARTMENT OF PERSONNEL, ADMINISTRATIVE REFORMS & RAJBHASHA

NOTIFICATION N
8th January, 2021

THE JHARKHAND COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION RULES, 2021

No.-11/Lo.Se.Aa-01-03/2020 ka-162 --In exercise of the power conferred by the proviso to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Jharkhand hereby enacts the following rules -

The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021

GENERAL

1. **Short Title, Extent and Commencement :-**
   (a) These rules may be called the "Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021".
   (b) These shall extend to the whole State of Jharkhand.
   (c) These rules shall come into force from the date of their publication in the State official Gazette.
2. **Definitions** :- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-
   (a) "Appendix" means the Appendix appended to these rules;
   (b) "Commission" means the Jharkhand Public Service Commission;
   (c) "Department" means the Department of Personnel, Administrative Reforms and

Rajbhasha;

(d) "Direct Recruitment" means the recruitment made in accordance with these rules;

(e) "Examination" means the Jharkhand Combined Civil Services Examination conducted by the Jharkhand Public Service Commission;

(f) "Government" means the Government of Jharkhand;

(g) "Governor" means the Governor of Jharkhand;

(h) "Primitive Tribal Group" means the tribes identified among the 32 Scheduled Tribes listed in the State of Jharkhand under the Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950 (as amended). These tribes are Asur, Birhor, Birjia, Korwa, Savar (alongwith Hill Kharia), Mal Pahariya, Pahariya and Sauria Paharia as notified vide resolution No. 5555 dated 28.06.2016;

(i) "Scheduled Castes" means the castes specified in Part-VIA of the Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950 (as amended) and notified by the Central Government in respect of Jharkhand;

(j) "Scheduled Tribes" means the tribes specified in Part – XXII of the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 (as amended) and notified by the Central Government in respect of Jharkhand;

(k) "State" means the State of Jharkhand;

(l) "Person with Benchmark Disability" (PwBD) means a person with not less than forty percent of a specified disability where specified disability has not been defined in measurable terms and includes a person with disability where specified disability has been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority, as defined in the **RIGHT OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016;**

(m) "Economically Weaker Section" (EWS) means that Economically Weaker Section as may be notified by the Government from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage;

(n) Extremely Backward Classes (Annexure-I) and Backward Classes (Annexure-II)- Extremely Backward Classes (Annexure-I) and Backward Classes (Annexure-II) means and includes all the classes which have been specified in Annexure-I and II of the *Jharkhand Pado Evum Sewaon Ki Riktiyon Mein Arakshan (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Evum Pichehre Vargon Ke Liye) Adhinium, 2001*;

RECRUITMENT

3. **Method of recruitment :-**

(i) Candidates shall be selected for appointment to direct quota vacancies in the services listed below through the examination conducted in accordance with these

rules. :-

Sl. No.	Name of Service
1.	Jharkhand Administrative Service
2.	Jharkhand Police Service
3.	Jharkhand Prison Service
4.	Jharkhand Probation Service
5.	Jharkhand Finance Service
6.	Jharkhand Information Service
7.	Jharkhand Labour Service (General Cadre)
8.	Jharkhand Education Service Class – II
9.	Jharkhand Co-operative Service
10.	Jharkhand Social Security Service
11.	Jharkhand Employment Service
12.	Jharkhand Excise Service
13.	Jharkhand Registration Service
14.	Jharkhand Home Guard (Gazetted) Service
15.	Jharkhand Municipal Service/Cadre

(ii) Government may add to or delete from the services mentioned above or change their names,

(iii) These rules will not be applicable for appointment through the Limited Competitive Examination for state services,

(iv) The above-mentioned services shall be governed by the promotion and service condition rules framed by the concerned cadre controlling departments. The rules relating to the services, to which recruitment shall be made through Jharkhand Combined Civil Services Examination would be made available on the website of respective cadre controlling departments,

(v) The concerned cadre controlling department shall calculate the number of vacancies each year on the 1st January with respect to the service to be filled in that particular year by direct recruitment and shall provide requisition for appointment to the Commission after roster clearance through the Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha.

4. (i) The Commission shall announce vacancies in accordance with the requisitions received from the concerned cadre controlling departments each year in such manner as it may deem fit to be filled by direct recruitment and shall invite applications from the eligible candidates.

(ii) The Jharkhand Combined Civil Services Examination conducted by the Commission shall be known after the year of publication of advertisement of examination under these rules.

Provided that, in case due to unforeseen reasons, the Jharkhand Combined Civil Services Examination is not held in a particular year(s), then the Commission will hold the Examination for two (or more) years together by clubbing the vacancies.

5. (i) The Commission, as notified from time to time, will conduct the Jharkhand Combined Civil Services Examination in the manner prescribed in these rules and appendices.

(ii) The dates on which and the places at which the Preliminary and Main Examination will be held shall be fixed by the Commission.

6. **Age :-**

(i) A candidate should have completed the minimum age of 21 years and must not have attained the age of 35 years on the 1st day of the following month from the date of publication of the advertisement for the examination under these rules.

(ii) (a) The upper age limit prescribed above will be relaxable as below or as amended by the Government from time to time-

Sl. No.	Category	Upper Age Limit
1.	Extremely Backward Classes (Annexure-I)/ Backward Classes (Annexure-II)	37 years
2.	Female (Unreserved / Extremely Backward Classes (Annexure-I)/ Backward Classes (Annexure-II))	38 years
3.	Scheduled Tribes/ Scheduled Castes (Male and Female)	40 years
4.	Economically Weaker Section (EWS)	35 years
5.	Persons with Benchmark Disability(PwBD)	A relaxation of 10 years in their respective category.
6.	Ex-Servicemen	A relaxation of 5 years in their respective category.

(b) A candidate who has rendered at least 03 (three) years of regular service under the Government, shall be granted 5 years relaxation in the upper age limit.

(iii) A candidate belonging to the Extremely Backward Classes (Annexure-I)/ Backward Classes (Annexure-II), Female, Scheduled Castes /Scheduled Tribes/ Economically Weaker Section (EWS) category and also covered under any other clause such as Persons with Benchmark Disability, Ex-Servicemen or clause 6 (ii)(b) will be eligible for grant of cumulative age relaxation under both the categories.

(iv) Notwithstanding the provision of age-relaxation under Rule 6 (ii) above, Candidates of Persons with Benchmark Disability (PwBD) will be considered to be eligible for appointment only if he/she (after such physical examination as the Government or appointing authority, as the case may be, may prescribe) is found to satisfy the requirements of physical and medical standards for the concerned Services/Posts to be allocated to the Candidates of Persons with Benchmark Disability by the Government.

7. The date of birth, accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a Certificate Recognized by an Indian University as equivalent to Matriculation Certificate. These certificates are required to be submitted only at the time of applying for the Main Examination. No other document relating to age shall be accepted.

8. **Number of Attempts:-**

There shall be no limitation on number of attempts, if a candidate is eligible otherwise.

9. **Nationality :-**

A candidate must be a citizen of India.

10. **Minimum Academic Qualification :-**

A candidate must hold a degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or a Foreign University approved by the Central Government from time to time or possess an equivalent qualification.

11. Candidates must pay the fees prescribed by the Commission in it's advertisement with regard to the examination.

12. All candidates in government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work charge employees, or those serving under public enterprises other than casual or daily rated employees will be required to submit an undertaking that they have informed in writing to their Head of Office/Department that they have applied for the examination. Candidates should note that in case communication is received from their employer to the Commission regarding withholding permission to the candidates applying for the examination, their applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

13. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final. The candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility conditions for admission to the

examination. Their admission at all the stages of examination for which they are admitted by the Commission viz. Preliminary Examination, Main (Written) Examination and Interview Test will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the Preliminary Examination, Main (Written) Examination or Interview Test, it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

14. No candidate will be admitted to the Preliminary/Main Examination unless he holds a certificate of admission for the examination.

15. No request for withdrawal of candidature received from a candidate after he has submitted his application will be entertained by the Commission under any circumstances.

16. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) Obtaining support for his candidature by the following means, namely :—

(a) offering illegal gratification to; or

(b) applying pressure on; or

(c) blackmailing or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination; or

(ii) impersonation; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) uploading irrelevant photos in the application form in place of actual photo/signature; or

(vi) making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or

(vii) resorting to the following means in connection with his candidature for the examination, namely :—

(a) obtaining copy of question paper through improper means; or

(b) finding out the particulars of the persons connected with work relating to the examination; or

(c) influencing the examiners; or

(viii) being in possession of or using unfair means during the examination; or

(ix) writing obscene matter or drawing obscene sketches or irrelevant matter in the scripts; or

(x) misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts, provoking fellow examinees to boycott examination, creating a disorderly scene and the like; or

(xi) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or

(xii) being in possession of or using any mobile phone (even in switched off mode), pager or any electronic equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or bluetooth devices or any other equipment or related accessories either in working or switched off mode capable of being used as a communication device during the examination; or

(xiii) violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificates permitting them to take the examination; or

(xiv) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;

may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :-

(a) to be disqualified by the Commission from the Examination for which he is a candidate; and/or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Government from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules :

Provided that no penalty, under this rule shall be imposed except after:—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing to the Commission as he may wish to make in this behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period of one month allowed to him into consideration.

17. (i) Candidates who obtain minimum qualifying marks of 40% in aggregate shall only be considered by the Commission while preparing the selection list for Main Examination and for preparing the merit list for the purpose of Interview Test. However the minimum qualifying marks shall be relaxable as per following criteria:-

8

Sl.No	Category	Minimum Qualifying Marks
1.	Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Females	32%
2.	Extremely Backward Classes (Annexure – I)	34%
3.	Backward Classes (Annexure – II)	36.5%
4.	Primitive Tribal Group	30%
5	Economically Weaker Section (EWS)	40%

Marks obtained in Main (Written) Examination Paper 'I' Language (General Hindi and General English) which is only qualifying in nature will not be added to the aggregate marks for calculation of percentage of marks, or for preparation of merit list for Interview Test or for preparation of final merit list.

(ii) The adequate number of candidates to be admitted to the Main Examination will be approximately 15 (fifteen) times the total number of advertised vacancies to be filled in the year of the various Services and posts provided they are otherwise eligible but in the said range all those candidates irrespective of category who secure the same percentage of marks as may be fixed by the Commission for any lowest range will be admitted to the Main Examination.

Provided further that if adequate number of candidates belonging to the Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Extremely Backward Classes (Annexure-I)/ Backward Classes (Annexure-II)/Economically Weaker Section are not available amongst the candidates to be declared qualified for admission to the Main Examination, the commission may at their discretion keep the cut off marks maximum up to 8 (eight) percent less than that kept for the last selected candidate, but it shall not be less than the minimum marks mentioned in sub-rule (i).

18. (i) Candidates belonging to any of the reserved category and selected on the standards fixed for unreserved candidates shall not be adjusted against the reserved category vacancies.

(ii) Whenever candidates belonging to reserved category avail the benefits of relaxation of age, minimum qualifying marks fixed for reserved candidates appearing in examination at any stage then such candidates would be adjusted against the vacancies of a reserved category.

19. (i) After interview, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as determined by the aggregate marks finally awarded to each candidate in the Main (Written) Examination and Interview test.

Thereafter, the Commission shall, for the purpose of recommending candidates against unreserved vacancies, fix a qualifying mark (hereinafter referred to as general qualifying standard) with reference to the number of unreserved vacancies to be filled up on the basis of the Main Examination.

For the purpose of recommending reserved category candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Extremely Backward Classes (Annexure-I), Backward Classes (Annexure-II), Economically Weaker Section and candidates belonging to Persons with Benchmark Disability against reserved vacancies, the Commission may relax the general qualifying standard with reference to number of reserved vacancies to be filled up in each of these categories on the basis of the Main Examination.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Extremely Backward Classes (Annexure-I), Backward Classes (Annexure-II) and Economically Weaker Section who have not availed themselves of any of the concessions or relaxations in the eligibility or the selection criteria, at any stage of the examination and who after taking into account the general qualifying standards are found fit for recommendation by the Commission shall not be recommended against the vacancies reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Extremely Backward Classes (Annexure-I), Backward Classes(Annexure-II) and Economically Weaker Section.

(ii) **Service allocation will be made by the Commission.**

While making service allocation, the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Extremely Backward Classes (Annexure-I), Backward Classes (Annexure-II) and Economically Weaker Section recommended against unreserved vacancies may be adjusted against reserved vacancies by the Commission, if by this process they get a service of higher choice in the order of their preference. The Commission may lower the general qualifying standard if vacancy arises under un-reserved category by following this rule.

(iii) Commission shall allocate service to the candidates as per their choice and the merit list prepared under rule 19(i). Service and Category wise vacancies & a model merit list of 200 candidates are shown in Table-1 and Table-2 of the Appendix-II, respectively.

If a candidate belonging to a reserved category and selected under unreserved

10

category without availing any relaxed standard is allocated service of her/his choice under the unreserved category then she/he shall be adjusted against vacancy of unreserved category. However, if a candidate belonging to reserved category and selected under unreserved category without availing any relaxed standard cannot be allocated service of her/his choice under unreserved category and she/he may be allocated service of her/his choice under her/his reserved category then she/he shall be allocated service of her/his choice under reserved category as per rule 19(ii). A model selection list against 50 vacancies of different services is enclosed as Table-3 of the Appendix-II.

20. The Commission shall recommend such number of candidates for each service as decided by the Commission. The Commission shall arrange the name of the recommended candidates in order of their merit from the list of finally selected candidates. The Commission shall for each service also indicate the category of the candidate under which he/she has been selected.

21. The form and manner of communication of the results of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the results.

22. (i) Candidates will be recommended to the various services keeping in view their ranks in the examination and the preferences expressed by them in respect of services in their Detailed Application Form for the Main (Written) Examination. The appointment to various services will also be governed by the rules/regulations in force as applicable to the respective services at the time of appointment.

(ii) The candidate shall be considered for allocation to only one of those services for which he has indicated his preference in the prescribed manner subject to fulfilment of other conditions. The candidate shall not be allocated service for which he/she has not given choice.

23. Success in the examination confers no right to appointment unless Government is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate, having regard to his character and antecedents and certificates produced by him during the course of examination for the purpose of eligibility as well as claiming any kind of benefit for reservation is suitable in all respects for appointment to the Service. The decision of the Government in this regard shall be final.

24. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe, is found not to satisfy these requirements will not be appointed.

Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected to before appointment and of the standards required shall be as per the Recruitment Rules of the concerned cadre controlling department.

25. The eligibility for availing reservation against the vacancies reserved for the Persons with Benchmark Disabilities shall be the same as prescribed in " The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act, 2016)".

Provided further that the Persons with Benchmark Disability shall also be required to meet special eligibility criteria in terms of Functional Classification and Physical Requirements (abilities/disabilities) consistent with requirements of the identified service/post as may be prescribed by its cadre controlling authority.

26. Candidates seeking reservation/relaxation benefits available for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Extremely Backward Classes(Annexure-I)/Backward Classes (Annexure-II)/ Economically Weaker Section(EWS) /PwBD/Ex-servicemen must ensure that they are entitled to such reservation/relaxation as per eligibility prescribed in the rules. They should also be in possession of all the requisite certificates in the prescribed format in support of their claim as stipulated in the rules for such benefits, and these certificates should be dated not later than the closing date of the application of the examination.

Provided further that Economically Weaker Section (EWS) candidates shall submit their 'Income and Asset Certificate' (certificate of eligibility) at the time of submission of Detailed Application Form of the Main (written) Examination. 'The Income and Asset Certificate' of the applicant will be applicable as per the Circular issued by the Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha.

27. (i) Reservation shall be provided as per the existing State Government Policy. A candidate will be eligible to get the benefit of reservation only in case of particular caste to which the candidate belongs, is included in the list of reserved categories notified by the State/Central Government from time to time. Once a candidate has chosen a particular reserved category, no request shall be entertained for change to any other reserved category.

(ii) While the above principle will be followed in general, there may be a few cases where there was a gap not more than 3 months between the issuance of a Government Notification enlisting a particular community in the list of any of the reserved communities and the date of submission of the application by the candidate. In such cases the request of change of category from general to reserved may be considered by the Commission on merit.

(iii) No candidate with Benchmark Disabilities (PwBD) of any sub category shall be allowed to change his/her sub-category of disability.

(iv) While the above principle will be followed in general, in case of a candidate unfortunately becoming a candidate belonging to Person with Benchmark Disability during the course of the examination process, the candidate should produce valid document showing him acquiring a disability to the extent of 40% or more as defined under the RPwD Act, 2016 to enable him to get the benefits of reservation as available to the persons with benchmark disability (PwBD).

28. The closing date fixed for the receipt of the application will be treated as the date for determining the Extremely Backward Classes (Annexure-I) and Backward Classes (Annexure-II) status of the candidates.

29. A candidate who has more than one living spouse or a candidate who has married a person already having a living spouse shall not be eligible for appointment.

Provided that the Governor may if satisfied that there exists a special ground for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

30. The Commission shall make endeavour to upload the OMR answer sheet of the candidate of the Preliminary Examination on the website of the Commission.

31. The Commission shall take necessary care that the answer sheet of such candidates, who have appeared in the Main Examination, shall not be cancelled/rejected due to technical reasons. However, the same may be cancelled on other grounds such as adoption of unfair practices or under provision of Rule 16 of these rules.

32. The candidate selected for the Main (Written) Examination or the Interview Test, will present themselves at their own expense, at a time and place as specified by the Commission.

33. (i) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the service.

(ii) Any candidate called for the Interview Test by the Commission may be required to undergo medical examination. It shall be arranged in a Government hospital as per the direction of the Commission. No fees shall be payable to the Medical Board by the candidate for the medical examination.

In case of appeal or on its own motion the Commission may constitute an Appellate Medical Board including the experts in the area for conducting the Medical Examination for the aggrieved Person(s) with Benchmark Disability (PwBD).

34. The Commission reserves the final right to recommend the successful candidates to the services for which he/she is deemed fit.

35. If two or more candidates have obtained equal marks in the aggregate, then the candidate obtaining higher marks in the Main (written) Examination shall be given preference. In case of tie, the candidate higher in age shall be given preference.

36. (i) Recommendation once made by the Commission to the Government (Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha) shall not be altered except for special reasons such as withdrawal of requisition by the department or as per the direction of Court.

(ii) The State Government through the Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha shall take decision on the recommendation of the Commission preferably within a month's time.

The aforesaid decision of the Government shall be communicated to the respective Cadre Controlling Department, which shall take necessary action for issuing appointment letters to the recommended candidates after proper verification and medical examinations as per their respective service rules.

37. A candidate shall be given maximum three month's time to present himself for joining. If for any reason a candidate does not join the service or does not obtain leave for delayed joining then his/her recommendation shall be cancelled and the respective vacancy shall be added to the next year's requisition.

38. **Interpretation :-**
If any doubt arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha whose decision thereon shall be final.

39. **Safeguards :-**
Nothing in these rules or in any order issued under them shall have the effect of depriving any person of any right or privilege to which he is entitled to, by or under, any law in force.

40. **Amendment of the Parts/Appendices :-**
The State Government may amend any or all of the parts/appendices to these rules.

41. **Repeal and Savings :-**
The Bihar Civil Services (Executive Branch) and the Bihar Junior Civil Services Recruitment Rules, 1951, rules, circulars, notifications and instructions, resolutions issued by the various Cadre Controlling Authorities with respect to the Jharkhand Combined Civil Services Examination in the past and related to the appointment on the basis of direct examination are hereby superseded by these rules.

Provided that any order made or action taken under the rules superseded shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

Principal Secretary to Government,
Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha

Appendix-I
Section – I
Plan of Examination

1. The Jharkhand Combined Civil Services Examination comprises of two successive stages:-
   (a) **Combined Civil Services (Preliminary) Examination** (Objective Type) for the selection of candidates for the Main (Written) Examination; and
   (b) **Combined Civil Services (Main) Examination** (Written and Interview) for the selection of candidates for the various services and posts.

2. **Preliminary Examination**
   The examination shall comprise of two compulsory papers of 200 marks each, namely, General Studies – I and General Studies – II.
   (i) All questions of compulsory papers will be of objective type (Multiple Choice Question) and each paper will be of 2 hours duration,
   (ii) The question papers will be set both in Hindi and English,
   (iii) Selection list for the Main (Written) Examination shall be prepared on the basis of total marks obtained in both the papers. However, the minimum qualifying marks will be as prescribed under Rule 17.

3. **Main Examination :-** The Main Examination will consist of a Written Examination and an Interview Test.
   (i) The Written Examination will consist of 6 papers as detailed in Section - III.
   (ii) Selection list for the Interview Test shall be prepared on the basis of the total marks obtained in Papers – II to VI (5 papers in all) subject to scoring minimum qualifying marks i.e. 30 in Paper – I and minimum qualifying marks in aggregate as prescribed under Rule – 17 in the remaining 5 Papers.
   (iii) The number of candidates to be summoned for interview will be approximately two and half times (2.5) of the total number of advertisted vacancies.
   (iv) The Commission shall summon the candidates for the interview, who have obtained such qualifying marks in the written part of the Main Examination as may be fixed by the Commission. However, this qualifying marks will not be less than the minimum qualifying marks prescribed under rule 17(i).

   Provided further that if adequate number of candidates belonging to the Scheduled Caste/Scheduled tribes/Extremely Backward Classes (Annexure-I)/ Backward Class (Annexure-II)/Economically Weaker Section (EWS) are not available amongst the candidates to be declared qualified for admission to the Interview Test, the commission may keep the cut off marks maximum up to 8 (eight) percent less than the last selected candidate, but it shall not be less than the minimum marks mentioned in rule 17(i).

(v) The total marks for Interview Test would be 100 and there shall be no minimum qualifying marks therein.

(vi) The final merit list will be prepared on the basis of overall marks obtained in Main (Written) Examination and Interview Test except marks obtained in Paper – I, as already mentioned in Rule – 19.

Section – II

How to apply

1. The Commission shall invite application to appear in the Preliminary Examination through online mode only.
2. The Commission shall, at its discretion decide the consolidated examination fee. In case of candidates belonging to any reserved category, the Commission may remit or reduce the examination fees. Ordinarily, this fee will be non-refundable.
3. For the Main Examination, a candidate shall be required to submit Detailed Application Form along with scanned document/certificates in support of date of birth, category (viz. Scheduled Tribes/Scheduled Castes/Extremely Backward Classes (Annexure-I)/Backward Classes (Annexure-II)/Economically Weaker Section (EWS)/Percentage of Disability) and educational qualification in online mode only with the required examination fee.
4. Candidates are required to indicate the language medium (Hindi/English) in which they would like to write the Main (Written) Examination and to be interviewed in the relevant column of the Main Examination Detailed Application Form.

Section - III

Scheme and subjects for the Preliminary and Main Examination

A. **Preliminary Examination:-**

(i) The Preliminary Examination will consist of two papers of objective type (Multiple Choice Questions) and carry a maximum of 400 marks.

(ii) This examination is meant to serve as a screening test only. The marks obtained in the Preliminary Examination by the candidate who are declared qualified for admission to the Main Examination will not be counted for determining their final merit.

(iii) There will be no negative marking for incorrect answers in the Preliminary Examination.

(iv) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happens to be correct and no marks will be awarded.

(v) If a question is left blank i.e. no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.

(vi) Details of the syllabi are indicated in Appendix – III.

B. **Main Examination :**

(a) The written examination will consist of the following papers –

Sl. No.	Subject	Duration	Maximum Marks	Remarks
Paper – I	General Hindi & General English, having two separate sections on (i) General Hindi, and (ii) General English, each of 50 marks having separate answer sheets.	3 hours	100	This paper will only be qualifying in nature in which out of 100 (combined both Hindi & English) every candidate will have to secure minimum 30 marks.
Note: The marks obtained in this paper will not be counted for the preparation of the merit list either for the Interview Test or for the final merit list.				
Paper – II	Language and Literature: Under this paper, every candidate will have to opt for one Language and Literature out of fifteen listed below - (i) Oriya/Odia Language & Literature (ii) Bangali Language & Literature (iii) Urdu Language & Literature	3 hours	150	Descriptive type

	(iv) Sanskrit Language & Literature (v) English Language & Literature (vi) Hindi Language & Literature (vii) Santhali Language & Literature (viii) Panchpargania Language & Literature (ix) Nagpuri Language & Literature (x) Mundari Language & Literature (xi) Kurux Language & Literature (xii) Kurmali Language & Literature (xiii) Khortha Language & Literature (xiv) Khadia Language & Literature (xv) Ho Language & Literature			
Paper – III	Social Science, having two distinct sections on (i) History &(ii) Geography, each of equal weightage.	3 hours	200	Descriptive type
Paper – IV	Indian Constitution & Polity, Public Administration & Good Governance	3 hours	200	Descriptive type
Paper – V	Indian Economy, Globalization and Sustainable Development	3 hours	200	Descriptive type
Paper – VI	General Sciences, Environment & Technology Development	3 hours	200	Descriptive type
Total Marks			**950**	

(b) Interview Test : 100 marks.

(c) Main Examination : Written (950 marks) + Interview Test (100 marks)

Grand Total = 1050 marks.

The details of the syllabi are indicated in Appendix-III.

General Instructions for Preliminary and Main Examination : -

(i) Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them except for the conditions given below.

(ii) The Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) in the categories of blindness, locomotor disability (both arm affected – BA) and cerebral palsy will be provided the facility of scribe, if desired by the candidate. In case of other category of Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) as defined under section 2 (r) of the RPWD Act, 2016, the facility of scribe will be allowed to such candidates on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write and scribe is essential to write examination on behalf from the Civil Surgeon.

(iii) The candidates have discretion of opting for his/her own scribe or request the Commission for the same. The details of scribe i.e. whether own or the Commission's will be sought at the time of filling up the application form.

(iv) The qualification of the Commission's scribe as well as own scribe will not be more

than the minimum qualification criteria of the examination. However, the qualification of the scribe should always be matriculate or above.

(v) The Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) in the category of blindness, locomotor disability (both arms affected-BA) and cerebral palsy will be allowed Compensatory Time of twenty minutes per hour of the examination. In case of other categories of Persons with Benchmark Disabilities (PwBD), this facility will be provided on production of a certificate from the Civil Surgeon to the effect that the person concerned has physical limitation to write.

Note (1) : The eligibility conditions of a scribe, his/her conduct inside the examination hall and the manner in which and extent to which he/she can help the Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) candidate in writing the Combined Civil Services Examination shall be governed by the instructions issued by the Commission in this regard. Violation of all or any of the said instructions shall entail the cancellation of the candidature of the Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) candidate in addition to any other action that the Commission may take against the scribe.

C. **Interview Test :-**

The candidate will be interviewed by a Board who will have before them a record of his career. He will be asked questions on matters of general interest. The objective of the interview is to assess the suitability of the candidate for a career in public service by a Board of competent and unbiased observers. The test is intended to judge the mental caliber of a candidate. In broad terms this is really an assessment of not only his intellectual qualities but also social traits and his interest in current affairs. Some of the qualities to be judged are mental alertness, critical powers of assimilation, clear and logical exposition, balance of judgement, variety and depth of interest, ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral integrity.

(i) The technique of the interview is not that of a strict cross-examination but of a natural, though directed and purposive conversation which is intended to reveal the mental qualities of the candidate.

(ii) The interview test is not intended to be a test either of the specialized or general knowledge of the candidates which has been already tested through their written papers. Candidates are expected to have taken an intelligent interest not only in their special subjects of academic study but also in the events which are happening around them both within and outside the State or Country as well as in modern currents of thought and in new discoveries which should rouse the curiosity of well educated youth.

****

Appendix-II

Table-1.

Service and Category wise vacancies

Service Name	UNR	EWS	BC-I	BC-II	SC	ST	Total
Jharkhand Administrative Service	5	1	2	1	1	5	15
Jharkhand Police Service	4	1	1	1	1	3	11
Jharkhand Finance Service	3	1	1	1	1	2	9
Jharkhand Information Service	4	1	-	-	1	1	7
Jharkhand Social Security Service	2	1	-	-	1	1	5
Jharkhand Probation Service	2	-	-	-	-	1	3
Total	20	5	4	3	5	13	50

Table-2.

Merit list of 200 qualified candidates under Rule-19 (i)

Sl. No.	Roll No.	Category	Marks	P1	P2	P3	P4	P5	P6
1	10506876	UNR	200	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
2	10506885	UNR	199	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
3	10506929	BC-I	198	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
4	10506970	UNR	197	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
5	10506989	SC	196	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
6	10505069	BC-II	195	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
7	10505838	ST	194	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
8	10505153	EWS	193	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
9	10507157	UNR	192	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
10	10507166	BC-II	191	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
11	10507228	BC-II	190	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
12	10500108	BC-I	189	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
13	10505841	ST	188	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
14	10505906	ST	187	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
15	10507244	UNR	186	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
16	10507361	UNR	185	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
17	10507363	UNR	184	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
18	10500196	BC-I	183	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
19	10505076	BC-II	182	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
20	10505254	SC	181	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
21	10506057	ST	180	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
22	10505184	EWS	179	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
23	10506065	ST	178	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
24	10500276	BC-I	177	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
25	10507407	BC-I	176	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
26	10505271	SC	174	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
27	10506127	ST	173	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
28	10506162	ST	172	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
29	10506245	St	171	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
30	10505202	EWS	170	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
31	10507449	UNR	169	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
32	10507509	UNR	167	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
33	10507526	BC-I	166	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
34	10505405	SC	165	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
35	10506302	ST	164	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
36	10507631	BC-II	163	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
37	10505211	EWS	162	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
38	10505431	SC	161	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
39	10506328	ST	160	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
40	10507674	UNR	159	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
41	10507684	UNR	158	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
42	10507810	UNR	157	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
43	10507851	UNR	156	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS

44	10505088	BC-II	155	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
45	10507866	UNR	154	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
46	10507916	UNR	153	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
47	10500447	BC-I	152	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
48	10507928	UNR	152	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
49	10506437	ST	152	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
50	10500549	UNR	151	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
51	10507969	UNR	151	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
52	10500557	UNR	150	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
53	10507986	BC-II	150	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
54	10500563	UNR	149	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
55	10508079	BC-II	149	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
56	10500592	UNR	148	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
57	10508130	UNR	148	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
58	10500849	UNR	147	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
59	10508338	UNR	147	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
60	10500893	UNR	146	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
61	10508531	UNR	146	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
62	10505687	SC	146	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
63	10501200	UNR	145	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
64	10508830	UNR	145	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
65	10515016	SC	145	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
66	10501217	UNR	144	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
67	10508847	UNR	144	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
68	10515087	SC	144	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
69	10506535	ST	144	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
70	10501286	UNR	143	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
71	10508912	UNR	143	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
72	10505236	EWS	143	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
73	10515192	SC	143	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
74	10501365	UNR	142	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
75	10509086	UNR	142	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
76	10511527	UNR	142	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
77	10515195	SC	142	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
78	10501413	UNR	141	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
79	10509176	BC-II	141	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
80	10511540	UNR	141	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
81	10515275	SC	141	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
82	10501424	UNR	140	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
83	10509439	BC-II	140	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
84	10511544	UNR	140	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
85	10515295	SC	140	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
86	10501471	UNR	139	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
87	10509443	UNR	139	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
88	10511644	UNR	139	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
89	10515307	SC	139	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
90	10501743	UNR	138	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
91	10509450	UNR	138	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS

92	10511692	UNR	138	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
93	10515403	SC	138	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
94	10506605	ST	138	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
95	10501744	ST	137	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
96	10509471	BC-I	137	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
97	10511771	EWS	137	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
98	10515707	UNR	137	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
99	10501899	UNR	136	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
100	10509506	BC-I	136	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
101	10512117	UNR	136	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
102	10515775	BC-I	136	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
103	10501975	UNR	135	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
104	10509531	SC	135	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
105	10512201	UNR	135	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
106	10515840	SC	135	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
107	10501991	UNR	134	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
108	10509702	UNR	134	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
109	10512392	ST	134	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
110	10515996	EWS	134	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
111	10502048	UNR	133	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
112	10509737	UNR	133	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
113	10512429	BC-II	133	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
114	10516012	UNR	133	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
115	10502094	BC-II	132	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
116	10509934	UNR	132	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
117	10512455	UNR	132	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
118	10516242	SC	132	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
119	10502213	UNR	131	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
120	10509987	EWS	131	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
121	10512571	UNR	131	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
122	10516260	UNR	131	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
123	10502226	ST	130	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
124	10510023	UNR	130	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
125	10512590	ST	130	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
126	10516279	UNR	130	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
127	10502229	UNR	129	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
128	10510133	UNR	129	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
129	10512604	UNR	129	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
130	10516341	EWS	129	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
131	10502252	UNR	128	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
132	10510284	UNR	128	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
133	10512737	EWS	128	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
134	10516349	UNR	128	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
135	10502412	BC-I	127	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
136	10510326	UNR	127	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
137	10512785	UNR	127	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
138	10516449	UNR	127	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
139	10502673	BC-I	126	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
140	10510425	UNR	126	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS

141	10512810	UNR	126	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
142	10516593	BC-II	126	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
143	10502705	UNR	125	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
144	10510461	UNR	125	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
145	10513056	SC	125	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
146	10516667	UNR	125	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
147	10502714	BC-II	124	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
148	10510484	UNR	124	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
149	10513190	EWS	124	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
150	10516696	UNR	124	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
151	10502810	SC	123	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
152	10510510	UNR	123	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
153	10513351	UNR	123	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
154	10516721	SC	123	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
155	10503369	UNR	122	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
156	10510576	UNR	122	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
157	10513374	UNR	122	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
158	10516724	UNR	122	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
159	10503681	UNR	121	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
160	10510751	BC-II	121	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
161	10513489	UNR	121	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
162	10516855	EWS	121	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
163	10503696	UNR	120	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
164	10510915	BC-I	120	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
165	10513564	BC-II	120	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
166	10516867	SC	120	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
167	10504072	UNR	119	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
168	10511146	UNR	119	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
169	10513773	UNR	119	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
170	10517024	ST	119	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
171	10504486	UNR	118	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
172	10511172	SC	118	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
173	10513806	EWS	118	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
174	10517045	UNR	118	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
175	10504499	UNR	117	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
176	10511291	BC-I	117	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
177	10513817	UNR	117	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
178	10517135	UNR	117	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
179	10504504	BC-I	116	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
180	10511422	UNR	116	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
181	10513871	ST	116	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
182	10517141	EWS	116	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
183	10504568	UNR	115	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
184	10511500	UNR	115	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
185	10513915	BC-I	115	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
186	10504570	UNR	114	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
187	10514015	UNR	114	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
188	10504616	BC-I	113	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS

.89	10514023	UNR	113	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
190	10504621	SC	112	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
191	10514077	UNR	112	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
192	10514148	BC-II	111	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
193	10514167	SC	110	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
194	10514220	SC	109	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
195	10514323	UNR	108	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
196	10514355	EWS	107	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
197	10514453	ST	106	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
198	10514606	UNR	105	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
199	10514915	ST	104	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS
200	10514916	ST	103	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS

Table-3

Model selection list [under Rule-19 (ii)]

Sl. No.	Roll No.	Category	Marks	P1	P2	P3	P4	P5	P6	SERVICE ALLOTTED	SELECTED UNDER CATEGORY
1	10506876	UNR	200	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JAS	UNR
2	10506885	UNR	199	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JAS	UNR
3	10506929	BC-I	198	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JAS	UNR
4	10506970	UNR	197	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JAS	UNR
5	10506989	SC	196	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JAS	UNR
6	10505069	BC-II	195	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JAS	BC-II
7	10505838	ST	194	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JAS	ST
8	10505153	EWS	193	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JAS	EWS
9	10507157	UNR	192	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JPS	UNR
10	10507166	BC-II	191	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JPS	UNR
11	10507228	BC-II	190	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JPS	UNR
12	10500108	BC-I	189	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JAS	BC-I
13	10505841	ST	188	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JAS	ST
14	10505906	ST	187	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JAS	ST
15	10507244	UNR	186	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JPS	UNR
16	10507361	UNR	185	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JFS	UNR
17	10507363	UNR	184	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JFS	UNR
18	10500196	BC-I	183	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JAS	BC-I
19	10505076	BC-II	182	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JPS	BC-II
20	10505254	SC	181	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JAS	SC
21	10506057	ST	180	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JAS	ST
22	10505184	EWS	179	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JPS	EWS
23	10506065	ST	178	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JAS	ST
24	10500276	BC-I	177	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JPS	BC-I
25	10507407	BC-I	176	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JFS	UNR
26	10505271	SC	174	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JPS	SC
27	10506127	ST	173	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JPS	ST

23

28	10506162	ST	172	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JPS	ST
29	10506245	ST	171	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JPS	ST
30	10505202	EWS	170	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JFS	EWS
31	10507449	UNR	169	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JIS	UNR
32	10507509	UNR	167	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JIS	UNR
33	10507526	BC-I	166	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JFS	BC-I
34	10505405	SC	165	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JFS	SC
35	10506302	ST	164	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JFS	ST
36	10507631	BC-II	163	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JFS	BC-II
37	10505211	EWS	162	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JIS	UNR
38	10505431	SC	161	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JIS	UNR
39	10506328	ST	160	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JFS	ST
40	10507674	UNR	159	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JSSS	UNR
41	10507684	UNR	158	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JSSS	UNR
42	10507810	UNR	157	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JPbS	UNR
43	10507851	UNR	156	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JPbS	UNR
44	10506437	ST	152	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JIS	ST
45	10505687	SC	146	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JIS	SC
46	10515016	SC	145	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JSSS	SC
47	10506535	ST	144	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JSSS	ST
48	10505236	EWS	143	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JIS	EWS
49	10506605	ST	138	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JPbS	ST
50	10511771	EWS	137	JAS	JPS	JFS	JIS	JSS	JPbS	JSSS	EWS

****

Appendix – III

Syllabi for Examination

SYLLABUS FOR THE PRELIMINARY EXAMINATION

Paper – I General Studies-I **Total Marks : 200**

The paper will consist of 100 objective type questions, each of 2 marks, drawn from the subjects – History of India, Geography of India, Indian Polity and Governance, Economic and Sustainable Development, Science and Technology, Jharkhand Specific Questions, National and International Current Events, General Question of Miscellaneous Nature. Candidates will have to answer all the questions.

(A) History of India **15 Questions**

(1) Ancient India (5 questions)

(2) Medieval India (5 questions)

(3) Modern India (5 questions)

(B) Geography of India **10 Questions**

(1) General Geography (3 questions)
(2) Physical Geography (3 questions)
(3) Economical Geography (2 questions)
(4) Social & Demographic Geography (2 questions)

(C) Indian Polity and Governance **10 Questions**

(1) Constitution of India (4 questions)
(2) Public Administration and Good Governance (4 questions)
(3) Decentralization: Panchayats & Municipalities (2questions)

(D) Economic and Sustainable Development **10 Questions**

(1) Basic features of Indian Economy (4 questions)
(2) Sustainable Development and Economic issues (4 questions)
(3) Economic Reforms and Globalization (2 questions)

(E) Science & Technology **15 Questions**

(1) General Science (6 questions)
(2) Agriculture & Technology Development (6 questions)
(3) Information & Communication Technology (3 questions)

(F) Jharkhand Specific Questions (General Awareness of its History, Society, Culture & Heritage) **10 Questions**

(G) National & International Current Events **15 Questions**

(H) General Questions of Miscellaneous Nature not requiring subject specialization, such as **15 Questions**

(1) Human Rights
(2) Environmental Protection, Bio-diversity & Climate Change
(3) Urbanization
(4) Sports
(5) Disaster Management
(6) Poverty and Un-employment
(7) Awards
(8) United Nations and other International Agencies

Paper – II General Studies-II (Jharkhand Specific Questions) Total Marks : 200

इस पत्र में 100 बहुवैकल्पिक/वस्तुपूरक (Objective types) प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। सभी प्रश्नो का उत्तर देना अनिवार्य होगा।

(A) झारखण्ड का इतिहास (8 प्रश्न) 8 × 2 = 16

(क) मुण्डा शासन व्यवस्था - (1 प्रश्न)
(ख) नागवंशी शासन व्यवस्था - (1 प्रश्न)
(ग) पड़हा पंचायत शासन व्यवस्था - (1 प्रश्न)
(घ) मांझी परगना शासन व्यवस्था - (1 प्रश्न)
(ङ) मुण्डा मानकी शासन व्यवस्था - (1 प्रश्न)
(च) ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था - (1 प्रश्न)
(छ) जातीय पंचायत शासन व्यवस्था - (2 प्रश्न)

(B) झारखण्ड अन्दोलन (7 प्रश्न) 7 × 2 = 14

(क) झारखण्ड के सदान - (1 प्रश्न)
(ख) झारखण्ड के आदिवासी - (1 प्रश्न)
(ग) झारखण्ड के स्वतंत्रता सेनानी - (1 प्रश्न)
(घ) झारखण्ड के विभूति - (2 प्रश्न)
(ङ) झारखण्ड आन्दोलन एवं राज्य गठन - (2 प्रश्न)

(C) झारखण्ड की विशिष्ट पहचान (5 प्रश्न) 5 × 2 = 10

(क) झारखण्ड की सामाजिक स्थिति - (1 प्रश्न)
(ख) झारखण्ड की सांस्कृतिक स्थिति - (1 प्रश्न)
(ग) झारखण्ड की राजनीतिक स्थिति - (1 प्रश्न)
(घ) झारखण्ड की आर्थिक स्थिति - (1 प्रश्न)
(ङ) झारखण्ड की धार्मिक विशिष्टताएँ एवं पहचान - (1 प्रश्न)

(D) झारखण्ड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति (5 प्रश्न) 5 × 2 = 10

(क) लोक साहित्य - (1 प्रश्न)
(ख) पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य - (1 प्रश्न)
(ग) लोक संगीत एवं वाद्य - (1 प्रश्न)
(घ) दर्शनीय स्थल-प्राकृतिक, पुरातात्विक,ऐतिहासिक धार्मिक एवं आधुनिक स्थल - (1 प्रश्न)
(ङ) आदिवासी-जाति-प्रजाति एवं विशेषताएँ - (1 प्रश्न)

(E) झारखण्डी साहित्य और साहित्यकार (5 प्रश्न) 5 × 2 = 10

झारखण्डी साहित्य एवं साहित्यकार

(F) झारखण्ड के प्रमुख शिक्षण संस्थान 3 x 2 = 6

प्रमुख शिक्षण संस्थान - (3 प्रश्न)

(G)	**झारखण्ड के खेल-कूद**	**(5 प्रश्न)**	**5 x 2 = 10**
(H)	**झारखण्ड के भूमि सम्बन्धी कानून/अधिनियम**		**12 x 2 = 24**
	(क) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (C.N.T.)	- (5 प्रश्न)	
	(ख) संताल परगना काश्तकारी अधिनियम (S.P.T.)	- (5 प्रश्न)	
	(ग) अन्य राज्य परक अधिनियम	- (2 प्रश्न)	
(I)	1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास झारखण्ड का भूगोल-जंगल, नदी, पहाड़-पर्वत, खान-खनिज आदि	- (10 प्रश्न)	10 x 2= 20
(J)	झारखण्ड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ	- (6 प्रश्न)	6 x 2= 12
(K)	झारखण्ड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास	- (5 प्रश्न)	5 x 2 = 10
(L)	झारखण्ड की प्रमुख योजनाएँ एवं उपयोजनाएँ	- (5 प्रश्न)	5 x 2 = 10
(M)	झारखण्ड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य	- (5 प्रश्न)	5 x 2 = 10
(N)	झारखण्ड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन (Mitigation) एवं अनुकूलन (Adaptation) संबंधी विषय	- (7 प्रश्न)	7 x 2 = 14
(O)	झारखण्ड में आपदा प्रबंधन	- (5 प्रश्न)	5 x 2 = 10
(P)	झारखण्ड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएँ	- (7 प्रश्न)	7 x 2 = 14

SYLLABUS FOR THE MAIN EXAMINATION

PAPER – I

Total Marks : 100

General Hindi and General English

The General Hindi and General English paper shall be composite paper, consisting of two segments, namely (i) Hindi and (ii) English. Both the segments shall be of equal weightage i.e. each of 50 marks. The purpose of the paper is to test the working knowledge of the candidates in the above two languages. As such the questions to be asked in both the segments of this paper shall be of matric standard only and shall be confined to the following areas :-

(A) General Hindi: **50 marks**

(क) निबंध (400 शब्दों का) - 15 अंक

(ख) व्याकरण - 15 अंक

(ग) वाक्य विन्यास - 10 अंक

(घ) संक्षेपण - 10 अंक

(B) General English: **50 marks**

1. Essay (400 words) – 15 marks
2. Grammar – 15 marks
3. Comprehension – 10 marks
4. Précis – 10 marks

It will be only a qualifying paper in which out of 100 (combined both Hindi & English) every candidate will have to secure only 30 marks.

The marks obtained in this paper will not be counted for the preparation of merit list.

PAPER – II

Language & Literature **Total Marks : 150**

The candidate will have the choice to opt for one of the following language and literatures :-

a. Oriyya Language & Literature

b. Bangali Language & Literature

c. Urdu Language & Literature

d. Sanskrit Language & Literature

e. English Language & Literature

f. Hindi Language & Literature

g. Santhali Language & Literature

h. Panchpargania Language & Literature

i. Nagpuri Language & Literature

j. Mundari Language & Literature

k. Kurux Language & Literature

l. Kurmali Language & Literature

m. Khortha Language & Literature

n. Khadia Language & Literature

o. Ho Language & Literature

This paper will be set for a maximum of 150 marks and marks obtained in this paper shall be counted for preparation of the Merit List of the Main Examination.

The detailed syllabi of the above 15 Languages & Literatures shall be as follows :-

पूर्णांक : 150

ओड़िया पाठ्यक्रम

खण्ड - क (75 अंक)

1. भाषा

(i) ओड़िया भाषा की उत्पत्ति और क्रम विकास।

(ii) ओड़िया अभिलेख का ऐतिहासिक और भाषा तात्विक अध्ययन।

(iii) ओड़िया भाषा का मानकीकरण एवं व्याकरणिक संरचना।

(iv) ओड़िया लिपिर उत्पत्ति और क्रम विकास।

(v) ओड़िया भाषा के उपर अन्य भाषाओं का प्रभाव।

2. व्याकरण

विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, लिंग, वचन, पुरूष, कारक, विभक्ति, अव्यय, क्रिया, संधि, समास, रूढि प्रयोग, विपरीतार्थक शब्द।
अलंकार-अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्तप्रक्षा, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति।

3. ओड़िया साहित्य का इतिहास

(i) विभिन्न युग में ओड़िया पद्य साहित्य की प्रमुख प्रवृतियाँ।

(ii) ओड़िया गद्य साहित्य का क्रमविकास - शिलालेख के मद्य से आधुनिक गद्य साहित्य तक।

(iii) ओड़िया उपन्यास साहित्य का उद्भव और क्रम विकास।

(iv) ओड़िया नाट्य साहित्य का उद्भव और क्रम विकास।

खण्ड - ख (75 Marks)

4. पद्य साहित्य

(i) जगन्नाथ दास - "श्रीमद् भागवत्" एकादश स्कन्द (प्रथम पाँच सर्ग)

(ii) दिनकृष्ण दास - "रसकल्लोल" (छन्द संख्या 1, 2, 5, 33 और 34)

(iii) गंगाधर मेहेर - तपस्विनी

(iv) गोपबंधु दास - कारा कविता

(v) सच्चिदानन्द राउतराय - बाजिराउत

5. गद्य साहित्य:

(i) फकिर मोहन सेनापति - छमाण आठगुणु

(ii) गोपिनाथ महान्ति - परजा

(iii) कालिन्दी चरण पाणिग्राही - माटिर मणिष

(iv) फकिर मोहन सेनापति - गल्प स्वल्प (प्रथम भाग)

6. निबंध:

समसामयिक समस्या विषय पर ओड़िया भाषा (देवनागरी लिपि) में निबंध लेखन

7. नाट्य साहित्य:

(i) अश्विनी कुमार घोष - कोणार्क

(ii) रामचन्द्र मिश्र - घर संसार

(iii) गोपाल छोटराय - भरसा

8. आलोचना:

(i) सारला साहित्यमे समाजचित्र

(ii) रीतिकवि अभिमन्यु सामन्त सिंहार

(iii) रोमांटिक कवि राधानाथ राय

(iv) फकीर मोहन सेनापति

(v) जातिय कवि गोपबंधु

9. संक्षेपण

Total Marks : 150

Bengali Language & Literature

Part-I

(a) **History of Bengali Language**

(i) Origin and development of Bengali Language

(ii) Origin and development of Bengali Script

(iii) Origin and development of old Aryan, Middle Indo Aryan, Modern Indo Bengali Language

(iv) The chronological track from Proto Indo-European to Bangla (Family tree with branches and approximate dates.)

(b) **Bengali Upa-Bhasha Shabda Bhandar, Dwani Paribartaner sutra.**

(c) **History of Bengali Literature**

(i) Charyapada

(ii) Andhakar yug

(iii) Krittibas

(iv) Maladhar Basu

(v) SriKrishna kirtan o chandidas

(vi) Bidyapati

Part-II

(d) **Prose, Poetry, Drama**

(i) Meghnad Vada Kabya- Madhusudan Dutta

(ii) Muchiram gurer Jibancharit- Bankimchandra

(iii) Achalayatam- Rabindranath

(iv) Srikanta (vol-I)- Saratchandra

(v) Vaishnava padavali (Calcutta University), poems of Vidyapati, Chandidas, Jnanadas, Govinddas and Balramdas.

(e) **Grammar**

(i) Bhabsamprasaran

(ii) Sarangsha

(iii) Pratibedan

(f) Development of Prose, Poetry, Drama, Critic and Novel in Bangla Literature.

(g) Fiction major author (Bankimchandra, Tagore, Saratchandra, Bibhutibusan, Tarashanar, Manik)

Urdu Literature **Total Marks : 150**

Part-I

(a) Different theories about the origin of Urdu language.

(b) Origin and development of Urdu script.

(c) Benefits of Linguistic.

(d) Urdu literature (prose fiction)

(i) Nirmala (Novel) - Premchand

(ii) Short stories

- Kaloo Bhangi - Krishna Chandra
- Laj Wanti - Rajinder Singh Bedi
- Khol Do - Saadat Hassan Munto
- Parinda Pakarnewali Gadi - Ghayas Ahamed Gaddi
- Mrs. John - Sheen Akhtar

Part-II

(e) **Urdu Poetry**

Ghalib : - Ghazal

(i) Hazaron Khawahisen Aaisi ke.

(ii) Ye Na Thi hamari Qismat.

Meer Taqi Meer :-

(i) Ulti hogai sab tadbeeren.

(ii) Shaam se kuch bujha sa Rahta.

Hasrat Mohani :-

Chupke Chupke rat din Asnsoo bahana yaad hai.

(f) **Following five Poems :-**

(i) Lenin khuda ke huzoor mein - Iqbal
(ii) Saqui Nama - Iqbal
(iii) Naseehat Akhlaque - Akbar Allahabadi
(iv) Balai Zamini - Wahab danish
(v) Ertaqua - Jameel Muzhari

(g) **Urdu Language (Grammar)**

(i) Opposite
(ii) Gender
(iii) Letter
(iv) Application
(v) Meanings
(vi) Singular-Plural
(vii) Summary.

26

पूर्णांक: 150

संस्कृत भाषा एवं साहित्य

खण्ड - I

(क) भाषा विज्ञान - संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास (भारोपीय से लेकर मध्य आर्य भाषाओं तक), भाषा की उत्पत्ति के सिद्धान्त, ध्वनि-विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान, अर्थ-परिवर्तन और उनके कारण।

(ख) वैदिक संस्कृत साहित्य का इतिहास - वैदिक संहिताएँ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद्।

(ग) लौकिक संस्कृत साहित्य का इतिहास - पुराण साहित्य, रामायण, महाभारत तथा परवर्ती संस्कृत साहित्य (महाकाव्य, नाटक, गद्य साहित्य, चम्पू)

(घ) संस्कृत व्याकरण - संस्कृत ध्वनियाँ, स्वर एवं व्यंजन, संधि, समास, कारक, उपपद विभक्ति, नामधातु कृत् प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय।

खण्ड - II

(ङ) संस्कृत में निबन्ध लेखन।

(च) भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय - आस्तिक एवं नास्तिक दर्शन, वेदान्त दर्शन, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन।

(छ) भारतीय संस्कृति एवं इसकी विशेषताएँ, वर्णाश्रम व्यवस्था, संस्कार।

(ज) वाल्मीकि रामायण (किष्किन्धा काण्ड), रघुवंश (सर्ग-6, श्लोक-1-20), श्री मद्भवद्गीता (द्वितीय अध्याय), किरातार्जुनीयम (सर्ग-1), कादम्बरी (शुकनाशोपदेश), मृच्छ कटिक (प्रथम अंक), उत्तर रामचरितम् (तृतीय अंक) ।

English Language and Literature **Total Marks : 150**

Part-I

(a) **History of English Language :**

i. Indo-European Family of Language
ii. Teutonic Verbal system, Teutonic Accent
iii The First Sound Shifting or Grimm's Law
iv. Old English (Dialects of Old English, Characteristics of Old English, Old English Vocabulary)
v. Middle English (Dialects of Modern English; Characteristics of Middle English; Rise of Standard English)

(b) **The Definition of Poetry :** its characteristics, purpose, forms of poetry--lyric, sonnet, ode, balled, free verse, blank verse, rhymed verse, poetic terms -- alliteration, resonance, rhyme scheme, meter--its types.)

(c) **Comprehension** (A passage containing approximately 1000 words to be set).

(d) **Grammar :**

(i) Noun, Verb, Adjective, Adverb, Article, Preposition, Subject- Verb-Agreement, Narration, Voice, Transformation, Clause.
(ii) Single-word substitution
(iii) Correction of errors
(iv) Pairs of words
(v) Idioms and Phrases

Part-II

English Literature:

(e) **History of English Literature (British, American, Colonial and Post-Colonial Writing) from the 14th century up to the 21st century:**

Poetry, Drama, Prose, Novel, Criticism, Biography, Autobiography, Short-Stories (General introduction of eminent poets, dramatists, novelists, prose-writers, short-story writers, autobiographers, biographers, popular writers)

(f) **Fiction and Drama (Critical Study and Explanation):**

(i) Kanthapura : Raja Rao

(ii) A Passage to India: E.M. Forster

(iii) Macbeth : William Shakespeare

(iv) Arms and the Man : G.B. Shaw

(g) **Poetry (Critical Study and Explanation):**

(i) The Quality of Mercy :William Shakespeare

(ii) The Little Black Boy : William Blake

(iii) The Solitary Reaper : William Wordsworth

(iv) Mutability : P.B. Shelley

(v) I Think Continually of Those Who were Truly Great

(vi) Heaven of Freedom : Rabindranath Tagore

(vii) A Soul's Prayer : Sarojini Naidu

(h) **Prose (Critical Study and Explanation):**

(i) On Habits : A.G. Gardiner

(ii) India Again : E.M. Forster

(iii) Playing the English Gentleman : Mahatma Gandhi

(iv) Of Studies : Francis Bacon

(v) Mr. Know All : Somerset Maugham

(vi) The Homecoming : Rabindranath Tagore

(vii) The Cherry Tree : Ruskin Bond

(i) **Essay : On socio-economic or current topic.**

Note :- The paper shall also comprise of questions related to English Grammar

हिन्दी भाषा एवं साहित्य **पूर्णांक : 150**

खण्ड - I

क. हिन्दी भाषा का इतिहास :

हिन्दी का उद्भव और विकास, अपभ्रंश अवहट्ट, पुरानी हिन्दी, भाषा परिवार, भाषा परिवार का वर्गीकरण, ध्वनि विज्ञान देवनागरी तिथि का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि के गुण एवं दोष, शब्द-शक्ति, शब्द भण्डार, बोलचाल की भाषा, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी।

ख. काव्य शास्त्रः

काव्य की परिभाषा, काव्य के लक्षण, काव्य-हेतु, काव्य प्रयोजन, साधारणीकरण, रक्ष, छंद अलंकार।

ग. प्रयोजनमूलक हिन्दीः

प्रयोजनमूलक हिन्दी, कार्यालयी हिन्दी, जनसंचार भाषा के रूप में हिन्दी, व्यावसायिक हिन्दी।

घ. व्याकरणः

संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, मुहावरे, उक्तियां, संधि विच्छेद, अनेकार्थक शब्द।

खण्ड - II

क. हिन्दी साहित्य का इतिहास :

हिन्दी साहित्येतिहास लेखन की समस्या एवं परम्परा, साहित्येतिहास दर्शन, काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, गद्य का उद्भव और विकास, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टज, आत्मकला, जीवनी का उद्भव एवं विकास, प्रमुख कवियों, कहानिकारों, उपन्यासकारों, नाटककारों, आलोचकों की रचनाओं का सामान्य परिचय।

ख. आलोचनात्मक और व्याख्यात्मकः

कबीर	-	कबीर ग्रंथावली सं० श्यामसुन्दर दास- प्रारंभिक 50 साखी
सूरदास	-	भ्रमरगीत-सं० रामचन्द्र शुक्ल - प्रारंभिक 50 पद
तुलसीदास	-	रामचरितमानस-अयोध्याकाण्ड
बिहारी	-	बिहारी रत्नाकर
संपादक	-	जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा संख्या- 1, 38, 67, 70, 112, 121, 154, 191, 192, 201
जयशंकर प्रसाद	-	कामायनी-श्रद्धा सर्ग
निराला	-	राम की शक्तिपूजा
अज्ञेय	-	कितनी नावों में कितनी बार

दिनकर	-	कुरूक्षेत्र (पहला सर्ग)
मुक्तिबोध	-	अंधेरे में (आग एक)

ग. आलोचनात्मक और व्याख्यात्मकः

नाटक:

भारतेन्दु हरिशचन्द्र	-	भारत दुर्दशा
जयशंकर प्रसाद	-	चन्द्रगुप्त
मोहन राकेश	-	आधे-अधूरे

उपन्यास:

प्रेमचन्द	-	गोदान
फणीश्वरनाथ रेणु	-	मैला आंचल
श्री लाल शुक्ल	-	राग दरबारी

कहानी:

प्रेमचन्द	-	कफन, ईदगाह, बुढ़ी काकी एवं नमक का दारोगा
जैनेन्द्र कुमार	-	पाजेब
जयशंकर प्रसाद	-	गुंडा
यशपाल	-	अभिशप्त
भीष्म साहनी	-	चीफ की दावत
उषा प्रियवंदा	-	वापसी
ज्ञान रंजन	-	पिता
ओम प्रकाश बाल्मीकि	-	यह अन्त नही
चन्द्रधर शर्मा, गुलेरी	-	उसने कहा था

घ. निबंधः सम-सामयिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक विषय पर निबन्ध लेखन

SANTALI LANGUAGE-LITERATURE

पूर्णांक: 150

संताली भाषा- साहित्य

खण्ड – I

भाग- (क)

(I) संताली भाषा का उद्भव और विकास।

(II) संताली भाषा की विशेषताएँ।

(III) संताली भाषा का व्याकरण - संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरूष, लिंग, काल, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग एवं प्रत्यय, कारक, जीव अव्यय।

(IV) शब्द गठन, वाक्य संरचना एवं क्षेत्रीय रूप।

(V) लिपि का उद्भव, विशेषताएँ, विकास।

(VI) संताली भाषा के सहोदर भाषाएँ एवं सम्बन्ध।

भाग- (ख) संताली लोक साहित्य

(I) संताली लोक साहित्य का सामान्य परिचय।

(II) लोक साहित्य का भेद-उपभेद, ऐतिहासिक तथ्य, प्रकृति चित्रण, जीवन दर्शन, छंद विधान, शिल्प विम्बविधान एवं महत्व।

(III) संताली लोकगीत- डाहार, बाहा, काराम, दाँसाय, सोहराय, लाँगड़े, डाप्ठा, रिंजा, गोलवारी, बाप्ला।

(IV) लोक कथा- सृष्टि कथाएँ, देव कथाएँ, गोत्र कथाएँ, भाई बहन की कथाएँ एवं जीव-जगत कथाएँ।

(V) लोक गाथा।

(VI) प्रकीर्ण साहित्य- (क) लोकोकित, (ख) मुहावरा, (ग) पहेली, (घ) बालगीत, (इ) मंत्र आदि।

भाग - (ग) संताली शिष्ट साहित्य

(i) संताली साहित्य का काल विभाजन -

(1) आदिकाल - 1854 ई० के पूर्व का साहित्य।

(2) मध्यकाल - 1854 ई० से 1946 ई० तक का साहित्य।

(3) आधुनिक काल - 1947 ई० से अब तक का साहित्य।

(ii) संताली पद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास।

(क) गीत, (ख) कविता।

(iii) संताली गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास।

(क) कहानी, (ख) उपन्यास, (ग) नाटक, (घ) आत्मकथा, (ड.) जीवनी (च) यात्रा वृतान्त, (छ) निबंध, (ज) विविध संताली साहित्य।

(iv) पद्य एवं गद्य से सप्रसंग व्याख्या।

खण्ड - II

भाग- (घ) संताली साहित्यकार एवं साहित्य

(I) संताली साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव।

(II) संताली साहित्य के कुछ प्रमुख कवि, लेखक, नाटककार तथा उनकी कृतियों का परिचय।

(1) माँझी रामदाम टुडू 'रेसका'।

(2) साधु रामचाँद मुरमू ।

(3) प0 रघुनाथ मुरमू ।

(4) गोरा चाँद टुडू ।

(5) नारयण सोरेन 'तोडेसुताम'।

(6) नाथनियल मुरमू ।

(7) डमन हाँसदा।

(8) ठाकुर प्रसाद मुरमू ।

(9) दिगम्बर हाँसदाः ।

(10) यशोदा हाँसदा मुरमू ।

(11) कृष्ण चन्द्र टुडू ।

भाग- (ड.) संताली निबंध

विभिन्न विषयों पर संताली भाषा (देवनागरी लिपि) में निबंध लेखन-

(I) सम - सामयिक विषय।

(II) सांस्कृतिक विषय।

(III) सामाजिक विषय।

(IV) आर्थिक विषय।

(V) भौगोलिक विषय।

भाग - (च) संताली संक्षेपण

किसी एक गद्यांश का संक्षेपण।

भाग - (छ) संताली भाषा अनुवाद

किसी एक हिन्दी गद्यांश को संताली में अनुवाद।

भाग - (ज) संताली अनुच्छेद

किसी एक अनुच्छेद या अवतरण पद् पर संताली भाषा मे तीन प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

पंचपरगनिया भाषा - साहित्य **पूर्णांक : 150**

खण्ड- I

भाग - (क)

(I) पंचपरगनिया भाषा का उद्भव और विकास।

(II) पंचपरगनिया भाषा की विशेषताएँ।

(III) पंचपरगनिया भाषा का व्याकरण - संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरूष, लिंग, काल, क्रिया, समास, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, अव्यय।

(IV) पंचपरगनिया शब्द गठन, वाक्य संरचना एवं क्षेत्रीय रूप।

(V) देवनागरी लिपि का उद्भव, विशेषताएँ तथा विकास।

(VI) पंचपरगनिया भाषा के सहोदर भाषाएँ एवं सम्बन्ध।

भाग- (ख) पंचपरगनिया लोक साहित्य

(I) पंचपरगनिया लोक साहित्य का सामान्य परिचय - भेद-उपभेद, ऐतिहासिक तथ्य, प्रकृति चित्रण आदि।

(Ii) पंचपरगनिया लोकगीतः- जीवन दर्शन, रस छंद, अंलकार, शिल्प, विम्ब विधान, (बिहा गित, सहंरइ गित, करम गित, पुस गित) आदि।

(III) पंचपरगनिया लोक कथाओं का उद्भव और विकास - सृष्टि कथाएँ, देव - देवी कथाएँ, गोत्र कथाएँ, भाई बहन की कथाएँ, पेड़ पौधे एवं जीव जन्तु आदि की कथाएँ।

(IV) पंचपरगनिया लोक - गाथा।

(V) पंचपरगनिया प्रकीर्ण साहित्य।

भाग - (ग) पंचपरगनिया शिष्ट साहित्य

(I) पंचपरगनिया साहित्य का काल विभाजन

(1) आदिकाल (2) मध्यकाल (3) आधुनिक काल (4) अत्याधुनिक काल।

(II) पंचपरगनिया पद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास।

(1) गीत (2) कविता (3) खण्ड काव्य (4) महाकाव्य।

(III) पंचपरगनिया गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास।

(1) कहानी, (2) उपन्यास, (3) नाटक, (4) आत्मकथा, (5) जीवनी, (6) यात्रा वृतान्त, (7) निबंध, (8) संस्मरण, (9) रेखा चित्र (10) आलोचना।

(IV) पंचपरगनिया पद्य एवं गद्य से सप्रसंग व्याख्या

(1) पद्य अंश - 10 अंक

(2) गद्य अंश - 10 अंक

खण्ड - II

भाग - (घ) पंचपरगनिया साहित्यकार एवं साहित्य

(I) पंचपरगनिया साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव।

(II) पंचपरगनिया साहित्य के प्रमुख कवि, लेखक, नाटककार, के कृतियों का परिचय बरजुराम, भवप्रीतानन्द ओझा, रामकृष्ण गांगुली, विनन्द सिंह, ज्योतिलाल माहादानी, परमानन्द महतो, राज किशोर सिंह, सृष्टिधर महतो, दीनबन्धु महतो, संतोष साहु प्रीतम।

खण्ड - (ड.) पंचपरगनिया निबंध

निम्नलिखित विषयों में से देवनागरी लिपि में निबंध लेखन

(I) सम - सामयिक विषय,

(II) सांस्कृतिक विषय,

(III) सामाजिक विषय,

(IV) पारंपरिक कलाएँ,

(V) आर्थिक विषय,

(VI) भौगोलिक विषय।

भाग - (च) पंचपरगनिया संक्षेपण

इस खण्ड में गद्यांश का शीर्षक एवं संक्षेपण करना होगा।

भाग - (छ) पंचपरगनिया भाषा अनुवाद

इस खण्ड में गद्यांश का पंचपरगनिया में अनुवाद करना होगा।

भाग - (ज) अवतरण/अनुच्छेद

इस खण्ड में दिये गये अनुच्छेद/अवतरण को पढ़ कर पंचपरगनिया भाषा में तीन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।

नागपुरी भाषा - साहित्य

पूर्णांक : 150

खण्ड - I

भाग - (क)

(I) नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास।

(II) नागपुरी भाषा की विशेषताएँ।

(III) नागपुरी भाषा का व्याकरण-वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरूष, लिंग, काल, क्रिया विशेषण, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, अव्यय।

(IV) वाक्य संरचना एवं भेद।

(V) देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास तथा विशेषताएँ।

भाग - (ख) नागपुरी लोक साहित्य

(I) नागपुरी लोक साहित्य का सामान्य परिचय।

(II) नागपुरी लोक साहित्य के भेद-उपभेद, ऐतिहासिक तथ्य, प्रकृति चित्रण, जीवन दर्शन, राग-छंद, शिल्प- शैली, विम्ब एवं प्रतीक विधान।

(III) नागपुरी लोकगीत - झुमइर, मरदानी झुमइर, जनी झुमइर, बंगला झुमइर, पावस, उदासी, फगुआ, पंचरंगी पुछारी, झुमटा, लहसुआ आदि।

(IV) नागपुरी लोक कथाओं का उद्भव और विकास - सृष्टि कथाएँ, पशु-पक्षी की कथाएँ, भाई-बहन की कथाएँ, प्रेम कथाएँ, मिथ, लिजेंड एवं अन्य कथाएँ।

(V) नागपुरी का प्रकीर्ण साहित्य - (1) लोकोक्ति, (2) मुहावरा, (3) बुझौवल (पहेली), (4) बालगीत, (5) खेल गीत एवं मंत्र।

भाग - (ग) नागपुरी शिष्ट साहित्य

(I) नागपुरी साहित्य का काल विभाजन-

(1) आदिकाल (2) मध्यकाल (3) आधुनिक काल।

(II) नागपुरी पद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास -

(1) गीत, (2) कविता, (3) खण्ड काव्य, (4) महाकाव्य।

(III) नागपुरी गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास -

(1) कहानी, (2) उपन्यास, (3) नाटक, (4) आत्मकथा, (5) जीवनी, (6) यात्रा वृतान्त, (7) निबंध, (8) समीक्षा (आलोचना), (9) हास्य-काव्य एवं विविध गद्य साहित्य।

(IV) पद्य एवं गद्य से सप्रसंग व्याख्या - (वन केंवरा - भाग-2 शंकुतला मिश्र एवं डॉ0 उमेश नन्द तिवारी द्वारा संपादिक पुस्तक से।)

खण्ड - II

भाग - (घ) नागपुरी साहित्यकार एवं साहित्य

(I) नागपुरी साहित्य के कुछ प्रमुख कवि, लेखक, नाटककार, समीक्षक तथा उनकी कृत्तियों का परिचय:- हनुमान सिंह, सोबरन साय, महंत घासी, घासी राम, कंचन, धनी राम बक्शी, पीटर शांति नवरंगी, योगेन्द्र नाथ तिवारी, प्रफुल्ल कुमार राय, शारदा प्रसाद शर्मा, सहनी उपेन्द्र पाल नहन, विसेश्वर प्रसाद केशरी, नईमउद्दीन मिरदाहा, लाल रण विजय नाथ शाहदेव, मधु मंसुरी हंसमुख, मुकुन्द नायक, प्रमोद कुमार राय, सी0डी0 सिंह, कृष्ण प्रसाद साहू, कलाधर, गिरिधारी राम गौंझू।

(II) नागपुरी साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव।

भाग - (ङ) नागपुरी निबंध

निम्नलिखित विषयों में से देवनागरी लिपि में निबंध लेखन

(I) सम-सामयिक विषय,

(II) सांस्कृतिक विषय,

(III) सामाजिक विषय,

(IV) पारंपरिक कलाएँ,

(V) अखरा कला - गीत, वाद्य एवं नृत्य,

(VI) झारखण्ड से संबंधित इतिहास एवं भूगोल।

भाग - (च) नागपुरी में संक्षेपण

दिये गए गद्यांश का शीर्षक एवं संक्षेपण करना होगा।

भाग - (छ) नागपुरी भाषा में अनुवाद

दिये गए गद्यांश का नागपुरी में अनुवाद करना होगा।

भाग - (ज) नागपुरी अनुच्छेद से प्रश्न

दिये गये अनुच्छेद को पढ़ कर नागपुरी भाषा में दिए गए पांच प्रश्नों से तीन प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

मुण्डारी भाषा-साहित्य **पूर्णांक: 150**

खण्ड-I

भाग - (क)

(I) मुण्डारी भाषा का उद्भव और विकास।

(II) मुण्डारी भाषा की विशेषताएँ।

(III) मुण्डारी भाषा का व्याकरण- संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरूष, लिंग, काल, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, अव्यय।

(IV) शब्द गठन, वाक्य संरचना एवं क्षेत्रीय रूप।

(V) देवनागरी लिपि एवं मुण्डारी लिपि का उद्भव, विशेषताएँ तथा विकास।

भाग - (ख) मुण्डारी लोक साहित्य

(I) मुण्डारी लोक साहित्य का सामान्य परिचय, भेद-उपभेद, ऐतिहासिक तथ्य, प्रकृति चित्रण।

(II) मुण्डारी लोकगीत-जीवन दर्शन, रस, अलंकार, लोकगीत - जदुर, करम, विवाह गीत।

(III) मुण्डारी लोक कथाओं का उद्भव और विकास सृष्टि कथाएँ, देव-देवी कथाएँ, गोत्र कथाएँ, भाई-बहन की कथाएँ, पेड़-पौधे की कथाएँ एवं जीव-जन्तु कथाएँ आदि।

(IV) मुण्डारी प्रकीर्ण साहित्य- (1) लोकोक्ति, (2) मुहावरा, (3) पहेली, (4) बालगीत, (5) खेल गीत।

भाग - (ग) मुण्डारी शिष्ट साहित्य

(I) मुण्डारी साहित्य का काल विभाजन-
(1) आदिकाल (2) मध्यकाल (3) आधुनिक काल

(II) मुण्डारी पद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास।
(1) गीत, (2)कविता।

(III) मुण्डारी गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास।
(1) कहानी, (2) उपन्यास, (3) नाटक, (4) आत्मकथा, (5) जीवनी, (6) यात्रा वृतान्त, (7) निबंध, (8) विविध मुण्डारी साहित्य।

(IV) पद्य एवं गद्य से सप्रसंग व्याख्या।

खण्ड - II

भाग - (घ) मुण्डारी साहित्यकार एवं साहित्य

(I) मुण्डारी साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव।

(II) मुण्डारी साहित्य के कुछ प्रमुख कवि, लेखक, नाटककार, समीक्षक तथा उनकी कृतियों का परिचय।

(1) डॉ0 रामदयाल मुण्डा।

(2) प्रो0 दुलय चन्द्र मुण्डा।

(3) काण्डे मुण्डा।

(4) बुदू बाबु - प्रीतपाला, रामायण पाला।

भाग - (इ) मुण्डारी निबंध

निम्नलिखित विषयों पर मुण्डारी (देवनागरी लिपि) में निबंध लेखन

(I) सम-सामयिक विषय,

(II) सांस्कृतिक विषय,

(III) सामाजिक विषय,

(IV) आर्थिक विषय,

(V) भौगोलिक विषय।

भाग - (च) मुण्डारी भाषा संक्षेपण

किसी एक गद्यांश का संक्षेपण।

भाग - (छ) मुण्डारी भाषा अनुवाद

किसी एक हिन्दी गद्यांश का मुण्डारी में अनुवाद।

भाग - (ज) मुण्डारी अनुच्छेद से प्रश्न

किसी एक अनुच्छेद या अवतरण पढ़कर मुण्डारी भाषा में तीन प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

पूर्णांक: 150

कुँड़ुख़ भाषा-साहित्य

खण्ड- I

भाग - (क)

(I) कुँड़ुख़ भाषा का उद्भव और विकास।

(II) कुँड़ुख़ भाषा की विशेषताएँ।

(III) कुँड़ुख़ भाषा का व्याकरण- संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरूष, लिंग, काल, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग एवं प्रत्यय, कारक, जीव, अव्यय।

(IV) शब्द गठन, वाक्य संरचना एवं क्षेत्रीय रूप।

(V) देवनागरी लिपि एवं तोलोंगसिकी लिपि का उद्भव, विकास, विशेषताएँ।

(VI) कुँड़ुख़ भाषा की सहोदर भाषाएँ एवं संबंध।

भाग - (ख) कुँड़ुख़ लोक साहित्य

(I) कुँड़ुख़ लोक साहित्य का सामान्य परिचय।

(II) लोक साहित्य का भेद-उपभेद, ऐतिहासिक तथ्य, प्रकृति चित्रण आदि जीवन दर्शन, छंद।

(III) कुँड़ुख़ लोकगीत-खद्दी, राजी करम, धुड़िया करम जेठ जतरा, कार्तिक जतरा, जदुरा, असारी, सवनिया, माठा, बरोया, बेंजा आदि तथा आधुनिक कविताएँ।

(IV) लोक कथा - सृष्टि कथाएँ - डण्डा कट्टना की कथा, गोत्र कथाएँ, भाई-बहन की कथाएँ एवं जीव-जगत की कथाएँ।

(V) प्रकीर्ण साहित्य - (1) लोकोक्ति (2) मुहावरा, (3) पहेली, (4) बालगीत (5) मंत्र आदि।

भाग - ग कुँड़ुख़ शिष्ट साहित्य

(I) कुँड़ुख़ साहित्य का काल विभाजन -

(1) आदिकाल - 1868-1900

(2) मध्यकाल - 1901-1951

(3) आधुनिक काल - 1952 - अबतक

(II) कुँड़ुख़ पद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास-

(1) गीत (2) कविता।

(III) कुँड़ुख़ गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास-

कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृतान्त, निबंध एवं विविध कुँड़ुख़ साहित्य।

(IV) गद्य एवं पद्य से सप्रसंग व्याख्या।

खण्ड - II

भाग - (घ) कुँड़ुख़ साहित्यकार एवं साहित्य

(I) कुँड़ुख़ साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्य का प्रभाव।

(II) कुँड़ुख़ साहित्य के कुछ प्रमुख कवि, लेखक, नाटककार तथा उनकी कृतियों का परिचय-

(1) दवले कुजूर
(2) इग्नेस कुजूर
(3) अहलाद तिर्की
(4) बिहारी लकड़ा
(5) पी०सी० बेक
(6) डॉ० निर्मल मिंज
(7) अलबिनुस मिंज
(8) शांति प्रकाश प्रबल बाखला
(9) इंद्रजीत उराँव
(10) भिखराम भगत

भाग - (ङ) कुँड़ुख़ निबंध

विभिन्न विषयों पर कुँड़ुख़ भाषा (देवनागरी लिपि) में निबंध लेखन

(I) सम-सामयिक विषय
(II) सांस्कृतिक विषय
(III) सामाजिक विषय
(IV) आर्थिक विषय
(V) भौगोलिक विषय
(VI) राजनैतिक विषय

भाग - (च) कुँड़ुख़ संक्षेपण

1. किसी एक गद्यांश का संक्षेपण

भाग - (छ) कुँड़ुख़ भाषा का अनुवाद

किसी एक हिन्दी गद्यांश को कुँड़ुख़ में अनुवाद

भाग - (ज) कुँड़ुख़ अनुच्छेद

किसी एक अनुच्छेद या अवतरण पढ़ कर कुँड़ुख़ भाषा में तीन प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

कुरमाली भाषा-साहित्य

पूर्णांक : 150

खण्ड- I

भाग - (क)

(I) कुरमाली भाषा का उद्भव और विकास।

(II) कुरमाली भाषा की प्रकृति एवं विशेषताएँ।

(III) कुरमाली भाषा की स्थानीय विभिन्न्ताएँ।

(IV) देवनागरी लिपि का उद्भव, विशेषताएँ तथा विकास।

(V) कुरमाली भाषा का व्याकरण एवं वाक्य संरचना।

भाग - (ख) कुरमाली लोक साहित्य

(I) कुरमाली लोकसाहित्य : कुरमाली के लोकगीत, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ।

(II) कुरमाली लोककथा : वर्गीकरण एवं महत्व।

(III) कुरमाली लोकनाट्य।

भाग - (ग) कुरमाली शिष्ट साहित्य

(I) कुरमाली साहित्य का काल-विभाजन विशेषताएँ एवं प्रवृत्तियाँ

(1) आदिकाल (2) मध्यकाल (3) आधुनिक काल।

(II) कुरमाली पद्य साहित्य का विकास : कालक्रमानुसार काव्य की विशेषताएँ, आधुनिक गीत, आधुनिक काव्य/कविता की प्रवृत्तियाँ।

(III) कुरमाली गद्य साहित्य का विकास –

(1) कहानी, (2) उपन्यास, (3) नाटक, (4) निबंध, (5) संस्मरण एवं (6) आलोचना।

(IV) सप्रसंग व्याख्या

(1) पद्य भाग

(2) गद्य भाग

खण्ड - II

भाग - (घ) कुरमाली साहित्य एवं साहित्यकार

(I) कुरमाली साहित्य के प्रमुख कवि, लेखक, नाटककार की कृतियों का परिचय: डॉ० नन्द किशोर सिंह, वसन्त कुमार मेहता, लखीकान्त मुतरूवार, केशव चन्द्र महतो, कालिपदो महतो, खुदि राम महतो, सुरेन्द्र नाथ महतो, अनन्त महतो, डॉ० मानसिंह महतो, डॉ० हरदेव नारायण सिंह।

(II) कुरमाली साहित्य के विकास पर अन्य साहित्यों का प्रभाव।

भाग - (ङ) कुरमाली निबंध लेखन

निम्नलिखित विषयों पर कुरमाली भाषा (देवनागरी लिपि) में निबंध लेखन

(I) सम-सामयिक विषय

(II) सांस्कृतिक विषय

(III) सामाजिक विषय

(IV) आर्थिक

भाग - (च) कुरमाली भाषा संक्षेपण

संक्षेपण।

भाग - (छ) कुरमाली भाषा अनुवाद

अनुवाद : हिन्दी से कुरमाली में या कुरमाली से हिन्दी में।

भाग - (ज) कुरमाली अनुच्छेद से प्रश्न

अलक्षित अवतरण से प्रश्न।

खोरठा भाषा एवं साहित्य

पूर्णांक: 150

खण्ड- I

भाग - (क) खोरठा भाषा :

(I) खोरठा भाषा का उद्भव और विकास।

(II) खोरठा भाषा की विशेषताएँ।

(III) खोरठा भाषा का व्याकरण-संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरूष, लिंग-निर्णय, काल, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक।

(IV) शब्द गठन एवं वाक्य संरचना एवं क्षेत्रीय रूप, मानकीकरण।

(V) लिपि समस्या, विशेषताएँ तथा विकास।

(VI) खोरठा भाषा का झारखण्ड की अन्य भाषाओं से संबंध एवं विभिन्न्ता।

भाग - (ख) खोरठा लोक साहित्य

(I) खोरठा लोक साहित्य का सामान्य परिचय, विशेषताएँ एवं महत्व।

(II) खोरठा लोकगीत की परिभाषा, विशेषताएँ एवं महत्व, खोरठा लोकगीतों का वर्गीकरण, लोकगीतों में विविध-चित्रण।

(III) खोरठा लोक कथाओं का उद्भव और विकास, वर्गीकरण एवं महत्व।

(IV) लोकगाथा।

(V) खोरठा प्रकीर्ण साहित्य- (क) लोकोक्ति, (ख) मुहावरा, (ग) पहेली, (घ) मंत्र।

भाग - (ग) खोरठा शिष्ट साहित्य

(I) खोरठा साहित्य का काल विभाजन-

(1) आदिकाल (2) मध्यकाल (3) आधुनिक काल।

(II) खोरठा पद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास।

(1) गीत , (2) कविता।

(III) खोरठा गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास

(1) कहानी, (2) उपन्यास, (3) नाटक, (4) आत्मकथा, (5) जीवनी, (6) यात्रा वृतान्त,

(7) निबंध, (8) शब्द चित्र (9) संस्मरण।

खण्ड - II

भाग - (घ) खोरठा साहित्यकार एवं साहित्य

(I) खोरठा साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव।

(II) खोरठा भाषा साहित्य के प्रमुख कवि, लेखकों, कलाकारों की कृतियों का परिचय - श्री निवास पानुरी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा "व्याकुल", ए०के० झा, श्याम सुन्दर महतो, विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, कुमारी शशि, डॉ० विनोद कुमार, डॉ० वी०एन० ओहदार।

भाग - (ङ) खोरठा निबंध

निम्नलिखित विषयों में से देवनागरी लिपि में निबंध लेखन

(I) सम-सामयिक विषय पर निबंध

(II) सांस्कृतिक विषय

(III) सामाजिक विषय

(IV) आर्थिक विषय

(V) भौगोलिक विषय।

भाग - (च) खोरठा संक्षेपण

दिये गए गद्यांश का शीर्षक एवं संक्षेपण करना होगा।

भाग - (छ) खोरठा गद्यांश

इस भाग में परीक्षार्थियों को दिये गए हिन्दी गद्यांश को खोरठा भाषा (देवनागरी लिपि) में अनुवाद।

भाग - (ज) खोरठा अनुच्छेद से प्रश्न

इस भाग में परीक्षार्थियों को दिये गये अनुच्छेद/अवतरण पढ़ कर खोरठा भाषा में तीन प्रश्नों का उत्तर देना है।

खड़िया भाषा-साहित्य **पूर्णांक: 150**

खण्ड - I

भाग - (क) खड़िया भाषा

(I) खड़िया भाषा का उद्भव और विकास।

(II) खड़िया भाषा की विशेषताएँ।

(III) खड़िया भाषा का व्याकरण-संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरूष, लिंग, काल, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, अव्यय।

(IV) शब्द गठन, वाक्य संरचना एवं क्षेत्रीय रूप।

(V) देवनागरी लिपि एवं खड़िया लिपि का उदभव, विशेषताएँ एवं विकास।

(VI) खड़िया भाषा के सहोदर भाषाएँ एवं सम्बन्ध।

भाग - (ख) खड़िया लोक साहित्य

(I) खड़िया लोक साहित्य का सामान्य परिचय, भेद-उपभेद, ऐतिहासिक तथ्य, प्रकृति चित्रण।

(II) खड़िया लोकगीत- जीवन दर्शन, रस, अलंकार, लोकगीत-जडकोर, बन्दोई, करम परब, जनम परब।

(III) खड़िया लोक कथाओ का उद्भव और विकास-सृष्टि कथाएँ, पशु-पक्षी की कथाएँ, मूर्ख-कथाएँ, गोत्र-कथाएँ, भाई-बहन की कथाएँ।

(IV) लोकगाथा।

(V) खड़िया प्रकीर्ण साहित्य– (1) लोकोक्ति (2) मुहावरे (3) पहेली (4) बालगीत (5) खेल गीत (6) मंत्र।

भाग - (ग) खड़िया शिष्ट साहित्य

(I) खड़िया साहित्य का काल विभाजन-

(1) आदिकाल – आरम्भ से 1934 ई0 तक

(2) मध्यकाल – 1935 से 1979 तक

(3) आधुनिक काल – 1979 से आज तक।

(II) खड़िया पद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास।

(1) कविता (2) गीत।

(III) खड़िया गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास-

(1) कहानी, (2) उपन्यास, (3) नाटक, (4) आत्मकथा, (5) जीवनी, (6) यात्रा वृतान्त, (7) निबंध (8) विविध खड़िया साहित्य।

(IV) पद्य एवं गद्य से सप्रसंग व्याख्या।

खण्ड - II

भाग - (घ) खड़िया साहित्कार एवं साहित्य

(I) खड़िया साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव।

(II) खड़िया साहित्य के कुछ प्रमुख कवि, लेखक, नाटककार तथा उनकी कृतियों का परिचय।

(1) खीस्त प्यारा केरकेट्टा
(2) जुलियुस बा'
(3) डॉ० रोज केरकेट्टा
(4) डॉ० आर०पी० साहू
(5) फा० पौलुस कुल्लू
(6) सामुएल बागे
(7) डॉ० इग्नासिया टोप्पो
(8) फा० जोवाकिम डुँगडुँग
(9) नुअस केरकेट्टा
(10) मेरी एस० सोरेंग

भाग - (ङ) खड़िया निबंध

विभिन्न विषयों पर खडिया भाषा देवनागरी लिपि में निबंध लेखन

(I) सम-सामयिक विषय
(II) सांस्कृतिक विषय
(III) सामाजिक विषय
(IV) आर्थिक विषय
(V) भौगोलिक विषय

भाग - (च) खड़िया संक्षेपण

किसी एक गद्यांश का संक्षेपण।

भाग - (छ) खड़िया भाषा अनुवाद

किसी एक हिन्दी गद्यांश का खड़िया भाषा में अनुवाद।

भाग - (ज) खड़िया अनुच्छेद से प्रश्न

किसी एक अनुच्छेद या अवतरण पढ़कर खड़िया भाषा में तीन प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

हो भाषा-साहित्य **पूर्णांक : 150**

खण्ड- I

भाग - (क)

(I) हो भाषा का उद्भव और विकास।

(II) हो भाषा की विशेषताएँ।

(III) हो भाषा का व्याकरण - संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरूष, लिंग, काल, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, पर्यायवाची शब्द।

(IV) शब्द गठन एवं वाक्य संरचना एवं क्षेत्रीय रूप।

(V) देवनागरी लिपि एवं वारङ, चिति लिपि का उद्भव, विकास एवं विशेषताएँ।

(VI) हो भाषा के सहोदर भाषाएँ एवं संबंध।

भाग - (ख) हो लोक साहित्य

(I) हो लोक साहित्य का सामान्य परिचय भेद-उपभेद, ऐतिहासिक तथ्य, प्रकृति चित्रण।

(II) हो लोकगीत- जीवन दर्शन, रस, अलंकार। लोकगीत: बा, मागे, हेरोः जोमनमा अणादि।

(III) लोक कथाओ का उद्भव और विकास-सृष्टि कथाएँ, पशु-पक्षी की कथाएँ, मूर्ख कथाएँ, गोत्र कथाएँ, भाई-बहन की कथाएँ, गोत्र कथाएँ।

(IV) लोकगाथा।

(V) हो प्रकीर्ण साहित्य– (1) लोकोक्ति. (2) मुहावरा. (3) पहेली (4) बालगीत. (5) मंत्र।

भाग - (ग) हो शिष्ट साहित्य

(I) हो साहित्य का काल विभाजन :–

(1) आदि काल,

(2) मध्य काल,

(3) आधुनिक काल ।

(II) हो पद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास

(1) कविता, (2) गीत

(III) हो गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास

(1) कहानी, (2) उपन्यास (3) नाटक, (4) आत्मकथा, (5) जीवनी, (6) यात्रा वृत्तांत (7) निबंध, (8) विविध हो साहित्य।

(IV) पद्य एवं गद्य से सप्रसंग व्याख्या।

खण्ड - II

भाग - (घ) हो साहित्यकार एवं साहित्य

(I) हो साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव।

(II) हो साहित्य के कुछ प्रमुख कवि, लेखक, नाटककार, समीक्षक तथा उनकी कृतियों का परिचय।

(1) लको बोदरा।
(2) बलराम पाट पिंगुआ,
(2) कमल लोचन कोडाह,
(4) डॉ0 आदित्य प्रसाद सिन्हा,
(5) धनुर सिंह पुरती,
(6) दुर्गा पुरती,
(7) विश्वनाथ बोदरा,
(8) कान्हुराम देवगम,
(9) सतीश कुमार कोडाह,
(10) शंकर लाल गागराई,
(11) कृष्ण कुंकल,
(12) हरिहर सिंह सिरका।

भाग - (ङ) हो निबंध

निम्नलिखित विषयों में से देवनागरी लिपि में निबंध लेखन

(i) सम-सामयिक,
(ii) सांस्कृतिक,
(iii) सामाजिक,
(iv) आर्थिक,
(v) साहित्यिक,
(vi) धार्मिक,
(vii) शहीद से सबंधित,
(viii) ऐतिहासिक

भाग - (च) हो संक्षेपण

किसी एक गद्यांश का संक्षेपण।

भाग - (छ) हो भाषा अनुवाद

किसी एक हिन्दी गद्यांश को हो में अनुवाद।

भाग - (ज) हो अनुच्छेद से प्रश्न

किसी एक अनुच्छेद या अवतरण पढ़कर हो भाषा में तीन प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

PAPER - III

SOCIAL SCIENCES (History and Geography) **Total Marks : 200**

The question paper of Social Sciences shall have two distinct sections; one of History and the other one of Geography; each of 100 marks. The candidates will be required to answer one compulsory and two optional questions from each section i.e. six questions in all. The compulsory question of each section, covering the entire syllabus of the concerned section, shall have ten objective type questions, each of two marks (10×2 = 20 marks). In addition, there shall be four optional questions in each section of History and Geography. Since there are four distinct sub-sections, both in History and Geography, one question will be drawn from each sub-section as to make a total of four optional questions in each of the two distinct sections of History and Geography; of which candidates will be required to answer only two questions; each of 40 marks. The optional questions shall be answered in the traditional, descriptive style, requiring long-answers.

Section (A) - History: 100 Marks

(A) Ancient Period:

(i) The Indus Valley Civilization : Origin, antiquity, extent, authorship and main features,

(ii) Origin of the Aryans.

(iii) Antiquity and stratification of the Vedic Literature; Society, economy and religion during Early (Rig - Vedic) period.

(iv) The Lichchavis and their republican constitution.

(v) The Rise of the Magadhan empire.

(vi) The Mauryas : Extent of empire, Kalinga War and its impact; Asoka's Dhamma, Foreign Policy, Development of Art & Architecture during the Mauryan period,

(vii) The Kushanas : Kanishka : Extent of empire, His religious policy: Development of Art, Architecture and Letters during the Kushana period.

(viii) The Guptas : Extent of empire; development of language and literature, art & architecture during the Gupta period.

(ix) Harsha-Vardhan : The last great Hindu ruler of Northern India; cultural achievements during his period.

(x) The Cholas : Maritime activities in South-east Asian countries, Chola administration, art & architecture.

(xi) Cultural Achievements of the Pallavas.

(B) Medieval Period:

(xii) The Arab Invasion of India.

(xiii) The Ghaznavid Invasion of India.

(xiv) The Delhi Sultanate : Market and Military Reforms of Allauddin Khilji; Utopian policies of Muhammad-bin-Tughlaq.

(xv) The Mongol invasion of India.

(xvi) Religious Movements : (a) Sufism. (b) Bhakti Movement

(xvii) Dawn of a New-Islamic culture : Indo - Islamic architecture; Development of Urdu and Hindi languages.

(xviii) The Mughals : First Battle of Panipat; Achievements of Sher Shah Suri, Consolidation of Mughal empire; Establishment of Jagirdari and Mansabdari systems under Akbar, Akbar's Religious and Rajput policies, Aurangzeb's Religious and Rajput policies, Mughal Architecture and Painting, Economic Condition during Mughal period.

(xix) The Rise of the Marathas : Achievements of Shivaji, Northward expansion of the Maratha's and their downfall.

(C) Modern Period:

(xx) Beginning of European settlements : Formation and growth of East India Company; Consolidation of British power in India : Battles of Plassey and Buxar; Control over Mysore; Subsidiary Alliance; Doctrine of Lapse; Doctrine of Escheat.

(xxi) Resistance to Colonial Rule: Peasant; Tribal and Cultural Renaissance; Revolt of 1857.

(xxii) Social Reforms Movements in Hindu Community : Brahma Samaj, Arya Samaj, Ram Krishna Mission, Prarthana Samaj and Theosophical Society of India.

(xxiii) Social Reforms Movements in Muslim Community : Wahabi Movement & Aligarh Movement.

(xxiv) Struggle for Raising Women's status : Abolition of Sati System, Widow Marriage Act, Consent Bill, Stress on Female Education.

(xxv) Land Revenue Administration under the British rule : Permanent Settlement; Ryotwari & Mahalwari Systems.

(xxvi) Rise of Nationalism in India in the 19th century : Formation of Indian National Congress :Moderates and Extremists: Swadeshi Movement, Home Rule League Movement: Khilafat Movement.

(xxvii) Mahatma Gandhi and Mass politics : Non-Co-operation Movement, Civil Disobedience Movement, Quit India Movement.

(xxxii) The partition of India and its consequences.

(xxix) India After Independence: Integration of Princely states in Indian Union; Linguistic Reorganization of States; Non-alligned policy under Nehru and Indira Gandhi, Libration of Bangladesh.

(D) History of Jharkhand :

(xxx) Adi-dharma i.e. Sarana cult of Jharkhand tribals,

(xxxi) Concept of Sadan and emergence of Nagpuria language,

(xxxii) Tribal Revolts in Jharkhand and Nationalist struggle,

(xxxiii) Birsa Movement,

(xxxiv) Tana Bhagat Movement, and

(xxxv) Freedom Movement in Jharkhand.

Section (B) - Geography : 100 Marks

(A) Physical Geography (General Principles):

(i) Origin and evolution of earth, interior of earth, Wegner's Continental Drift Theory: Plate tectonics, Volcanoes, Earthquakes and Tsunamis.

(ii) Major types of rocks and their characteristics, evolution and characteristics of landforms in the Fluvial, Glacial, Arid and Karst regions.

(iii) Geomorphic processes; Weathering, mass wasting, erosion and deposition, soil formation, Landscape cycles, ideas of Davis and Penck.

(iv) Composition, Structure and Stratification of the atmosphere.

(v) Insolation, heat budget of the earth.

(vi) Horizontal and vertical distribution of temperature, inversion of temperature.

(vii) Air masses and fronts, Tropical and temperate cyclones.

(viii) Evaporation and Condensation: dew, frost, fog, mist and cloud, rainfall types.

(ix) Classification of climates, (Koppen and Thornthwaite), Greenhouse effect, global warming and climatic changes.

(x) Hydrological cycle, distribution of temperature and solicits in the oceans and seas, waves, tides and Currents, ocean floor relief features.

(B) Physical and Human Geography of India :

(xi) Structure, relief and physiographic divisions, Drainage Systems : Himalayan and the Peninsular.

(xii) Indian monsoon, mechanism, onset and retreat, climatic types (Koppen and Trewartha). Green Revolution and its impact on major crops of India. Food scarcity.

(xiii) Natural Vegetation-Forest types and distribution, wild life, conservation, biosphere reserves.

(xiv) Major types of Soils. (ICAR classification) and their distribution. Soil degradation and conservation.

(xv) Natural Hazards : Floods, Droughts, Cyclones, Landslides.

(xvi) Population growth, distribution and density.

(xvii) Age : Sex, ratio, rural-urban composition.

(xviii) Population, environment and development.

(xix) Types of Settlements: rural and urban, Urban morphology : functional classification of Urban settlements, Problems of human settlement in India.

(C) Natural Resources of India : Development and Utilization

(xx) **Land Resources :** General land use, agricultural land use, geographical condition and distribution of major crops, like, Rice, Wheat, Cotton, Jute, Sugarcane, Rubber, Tea and Coffee.

(xxi) **Water Resources :** Availability and utilization for industrial and other purposes, irrigation, scarcity of water, methods of conservation-rain water harvesting and watershed management, ground water management.

(xxii) **Minerals and Energy Resources :** Distribution and utility of (a) metallic minerals (iron ore, copper, bauxite, magnese) (b) non metallic and conventional minerals (coal, petroleum and natural gas) (c) hydro electricity and non conventional sources of energy (Solar, Wind, bio-gas) (d) energy sources, their distribution and conservation.

(xxiii) **Development of Industries :** Types of Industries; factors of industrial location, distribution and changing pattern of selected industries (Iron and steel, cotton textile, sugar and petrochemicals); Weber's theory of industrial location-its relevance in the modern world.

(xxiv) **Transport, Communication and International Trade :**

(a) Roads, railways and water ways.

(b) Bases of International trade, changing pattern of India's foreign trade.

(D) Geography of Jharkhand and Utilization of its Resources :

(xxv) Geological history, landforms, drainage, climate, soil types and forests; agriculture and irrigation, Damodar & Suberna rekha valley projects: mineral resources of Jharkhand, their extraction and utilization.

(xxvi) **Population :** Growth, distribution, density; Tribal population and their distribution, Problems of Tribes and Tribal development Plans; their customs, rituals, festivals etc.

(xxvii) Industrial and urban development, Major Industries-Iron, Steel and Cement; Cottage Industries.

(xxviii) Pattern of urban settlement and Pollution Problems.

Note :- The paper would comprise of 40% questions related to the State of Jharkhand.

PAPER-IV

INDIAN CONSTITUTION & POLITY, PUBLIC ADMINISTRATION & GOOD GOVERNANCE

Total Marks : 200

The question paper of the Indian Constitution, Polity and Public Administration shall consist of two distinct sections i.e. one on Indian Constitution and Polity, and the other one on Public Administration & Good Governance, each of 100 marks. The Candidates will be required to answer one compulsory and two optional questions from each section. The compulsory question of each section, covering the entire syllabus of the concerned section shall have ten objective type of questions, each of two marks (10x2=20). In addition, there shall be four optional questions in each section, of which candidates will be required to answer only two questions, each of 40 marks. The optional questions shall be answered in the traditional, descriptive form; requiring long answers.

Section (A) - Indian Constitution and Polity

(i) Preamble of the Indian Constitution (Secular, Democratic and Socialist)-Philosophy behind it.

(ii) Salient features of the Indian Constitution; Concept of Public Interest Litigation; Basic structure of the Indian Constitution.

(iii) Fundamental Rights & Duties.

(iv) Directive Principles of the State Policy.

(v) **Union Government** :

(a) **Union Executive :** Powers and functions of President, Vice President, Prime Minister and the Council of Ministers; Functioning under a Coalition Government.

(b) **Union Legislature :** Lok Sabha and Rajya Sabha : Organization and Functions; Law making process; Parliamentary Committees; Parliament's control over Executive; Privileges and immunities of Parliament and its Members.

(c) **Union Judiciary** : The Supreme Court: Its role and powers; Principles of Natural Justice & Rule of Law; Judicial Review and Judicial Activism.

(vi) **State Government:**

(a) **State Executive :** Powers and functions of Governor, Chief Minister and the Council of Ministers.

(b) **State Legislature :** Organization, Powers and functions, with special reference to Jharkhand.

(c) **State Judiciary:** High Court: Organization, Powers and functions ; Subordinate Judiciary.

(d) **The Panchayats and the Municipalities :** Constitution, powers, functions and responsibilities with special reference to 73rd and 74th Constitutional amendments.

(vii) **Centre-State Relationship:** Administrative, Legislative and Financial.

(viii) Provisions relating to Administration of Scheduled Areas and Scheduled Tribal Areas.

(ix) Special provisions relating to reservation of seats for S.C. and S.T. in Legislature, Services etc.

(x) Emergency Provisions of the Constitution.

(xi) Comptroller & Auditor-General of India (CAG).

(xii) Election Commission of India.

(xiii) Political Parties and Pressure Groups.

Section (B) - Public Administration & Good Governance

(xiv) Public Administration : Introduction, meaning, scope and significance.

(xv) Public and Private Administration.

(xvi) Union Administration : Central Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Planning Commission, Finance Commission.

(xvii) State Administration : State Secretariat, Chief Secretary, Chief Minister's Office.

(xvii) District Administration : Origin and development of the office of the District Magistrate and Collector; Changing Role of the District Collector; Impact of the separation of Judiciary on District Administration.

(xix) Personnel Administration : Recruitment of Civil Services : Union Public Service Commission and the State Public Service Commission; Training of Civil Servants; Leadership and its qualities; Employee's morale and productivity.

(xx) Delegation, Centralization and de-centralization of authority.

(xxi) Bureaucracy: Origin; its merits and demerits; Role of Bureaucracy in Policy formulation and its implementation. Nexus between Bureaucracy and Political Executive; Generalist versus Specialist.

(xxii) Development Administration.

(xxiii) Disaster Management : Causes, Meaning and Classification of Disaster; Disaster Mitigation : Immediate and long-term measures.

(xxiv) Good Governance : Meaning and concept of Good and Responsive Governance; Main features of Good Governance : Accountability, Transparency, Honesty and Quick Delivery; Role of Civil Society and Peoples Participation in Good Governance. Grievance Redressal Mechanism : Lokpal, Lokayukta, Central Vigilance Commissioner: Citizens Charter : Object, Machinery and Measures provided in) (i) Right to Service Act; (ii) Right to Information Act; (iii) Right to Education Act; (iv) The Consumer Protection Act: (v) Domestic Violence Against Women (Prevention) Act: (vi) Old Age Act.

(xxv) Human Rights : Concept and Meaning: Universal Declaration of Human Rights; National Human Rights Commission; State Human Rights Commission; Human Rights and Socialissues : Human Rights and Terrorism.

PAPER-V

INDIAN ECONOMY, GLOBALIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Total Marks : 200

The question paper on Indian Economy, Globalization and Sustainable Development shall consist of five sections Section - I shall be compulsory. This section shall contain twenty objective questions each of two marks (20x2=40 marks). The twenty objective questions of this section shall be drawn from the entire syllabus of the paper, of which 6 questions will be drawn from Group A, 6 from Group B,4 from Group C and 4 from Group D of the syllabus. Section II, III, IV & V of the question paper shall have two optional questions each; drawn respectively from Groups A, B, C & D of the syllabus, of which the candidates will be required to answer one question from each group, each question carrying 40 marks. Thus, altogether the candidates will be required to answer one objective type compulsory question, carrying 40 marks, and 4 optional questions, each carrying 40 marks. The optional questions shall be answered in the traditional, descriptive form; requiring long answers.

Group (A) - Basic Features of Indian Economy

(i) National Income : Elementary concepts of national income and methods of its calculation e.g. GDP, GNP, NDP, NNP, GSDP, NSDP, DDP at constant and current prices, at factor cost etc.

(ii) Inflation : Concept, control of Inflation : monetary, fiscal and direct measures.

(iii) Demographic features: Work force composition, demographic dividend with special reference to census of 2011; National Population Policy.

(iv) Agriculture and Rural Economy: Importance of agriculture in national economy: agricultural growth in India-production & productivity: causes of low productivity and measures taken by government to improve agricultural production; Green Revolution, and Rainbow revolution; WTO and agriculture, Marketing and pricing of agricultural inputs and outputs.

(v) Industrial Economy: Policy Initiative & charges.

(vi) Public Finance : Nature, importance and scope of public finance; Public Revenue- Principles and types of taxation; direct, indirect, progressive and proportional, concept of VAT.

(vii) Public Expenditure : Theories of public expenditure: causes of growth of public expenditure and its impact on economy; internal and external borrowings.

(viii) Budget: Principles of budgeting; types of budgeting – Performance based, Zero-based; FRMD.

(ix) Fiscal Policy : Concept and role of fiscal policy in achieving employment, stability and economic development.

(x) Centre-State fiscal relationship, role of Finance Commission; Financial aspects of 73rd and 74th Constitutional amendments.

(xi) Structure of Indian monetary and banking system in India.

(A) Composition and direction of India's trade; Balance of payment problem.

Group (B) - Sustainable Development, Economic Issues and Indian Development Strategy

(xii) Meaning and Measurement of Economic Development: Characteristics of Under Development.

(xiii) Indicators of development: HDI, GDI, GEM; India's HDI progress.

(xiv) Role of Foreign capital & technology in growth of economy.

(xv) Sustainable development : concept and indicators of sustainable development; economic, social and environmental sustainability; concept of Green GDP; Strategy and policy for sustainable development in India.

(xvi) Meaning of inclusive growth and development policy and strategy during 11th and 12th Five Year Plans.

(xvii) Development status and issues pertaining to socially and economically marginalised sections, like STs, SCs, religious minorities, backward castes and women; schemes launched for their development by Central/State Governments, including TSP, SCSP and minorities.

(xviii) Poverty and Un-employment : Measurements and trends; identification of BPL families, HPI, Multi Dimensional Indian poverty index.

(xix) Food and Nutritional Security: Trends in Food production and consumption in India; Problem of Food Security : Problems and issues of storage, procurement, distribution, import and export: Government policies, schemes and programmes such as, PDS, ICDS and Mid-day Meal etc.

(xx) Governmental policies for food and nutritional security.

(xxi) Planning Strategy : Objectives and strategy of Indian Five Year Plans: Functions and Role of NDC, Planning Commission.

(xxii) Decentralized Planning : Meaning and importance; PRIS and decentralised planning: major initiatives in India.

Group (C) - Economic Reforms, Nature and Impact on Indian Economy

(xxiii) New economic Reforms-Liberalization, Privatization and Globalization, rationale and need for reforms, International financial institutions IMF, World Bank, WTO, their role and impact on Indian economy.

(xxiv) Financial and Banking sector reforms, economic reforms and rural banking impact on rural credit : sources and problems of rural credit, institutional credit, SHG, micro finance, NABARD, RRBs, Scheduled Commercial Banks, rural co-operatives, financial inclusion.

(xxv) Globalization of Indian economy: its positive and negative impacts on different sectors, issues of FDI and FII in India.

(xxvi) Agricultural sector reforms and its impact on growth; issues of subsidies and public investment on agriculture, reforms and agrarian crisis.

(xxvii) Industrial development and Economic reforms in India : Major changes in Industrial policy, its impact on Industrial growth and problems of SMEs; role of Public Sector enterprises in India's Industrialization in post reforms period; Disinvestinent and Privatisation of Public Enterprises.

Group (D) - Economy of Jharkhand: Features, Issues, Challenges and Strategies

(xxviii) Economic growth and structure of Jharkhand's economy, sectoral composition, growth in SDP and per capita NSDP in last decade, Agricultural and Industrial growth in Jharkhand.

(xxix) Demographic features of Jharkhand : population growth, sex ratio, density, literacy, composition of work force, rural-urban composition etc. with special reference to Census of 2001 and 2011, inter district variations.

(xxx) Status of poverty, unemployment, food security, malnutrition, education and health indicators in Jharkhand, major initiatives, Issues of agricultural and rural development, major programs and schemes; poverty alleviation programs; PURA, Bharat Nirman, MGNREGA, PMGSY, SGSY, IAY, NRLM etc., Food security schemes.

(xxxi) Land, forest and environmental issues in Jharkhand : land reforms and agrarian relations, tribal land allenation, development induced displacement of people; its impacts and policy initiatives. Forest issues and implementation of FRA. Environmental degradation and State policy to deal with to it.

(xxxii) Five year plans in Jharkhand strategy and achievement in X and XIth plan, TSP and SCSP, Public finance trends in Jharkhand, Industrial policy in Jharkhand and industrial development.

PAPER-VI
GENERAL SCIENCE, ENVIRONMENT & TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Total Marks : 200

The question paper of General Science, Environment & Technology Development shall have six sections. Section – I, shall have 20 objective type of questions, each of 2 marks (20 × 2 = 40 marks). Questions for this section will be drawn at the rate of four questions from each of the five Groups of the syllabus. Sections II, III, IV, V and VI of the question paper shall have two optional questions each, drawn respectively from Groups A, B, C, D and E of the syllabus; of which candidates will be required to answer only one question from each group, each question carrying 32 marks. Optional questions shall be answered in the traditional manner, requiring descriptive answers, not exceeding 500 to 600 words. Thus, altogether candidates will be required to answer one objective type compulsory question (40 marks) and five descriptive type optional questions (5 × 32 = 160 marks).

Group (A) - Physical Science

(I) System of Units : MKS, CGS and SI.

(II) Definition of speed, velocity, gravity, mass, weight, force, impact, work, power and energy.

(III) Solar system, relative position of Earth with respect to Sun and other planets, movement of earth and moon in solar system, lunar and solar eclipses.

(IV) Concept and Nature of sound, Wave length and frequency, Infrasonic and Ultrasonic sounds. Sources of Infrasonic sound in nature, Ultrasonic sound characteristics and some applications.

Group (B) - Life Science

(i) The living world, Cell-Structure and its functions, Diversity of organism.

(ii) Bio molecules - structure and function of carbohydrates, proteins and fats, Vitamins and deficiency diseases, Enzymes, Hormones - Plant hormones and growth regulation, Animal hormones and their functions.

(iii) Cell reproduction - Cell cycle, Mitosis and Melosis.

(iv) Medallion Inheritance - Monohybrid and Dihybrid cross, Sex linked Inheritance, Sex Determination, DNA Structure & Function, DNA Replication, Protein Synthesis, Gene Regulation, Molecular basis of differentiation.

(v) Theories of Evolution of Life on earth, including Human Evolution.

Group (C) - Agriculture Science

(i) Different agro-climatic zones of Jharkhand, rain fall pattern and known abiotic stresses in each zone.

(ii) Rain fed agriculture: Conventional food and horticultural crops of the state, Need for diversification of crops for food as well as nutritional security in the wake of climate change; Rain water harvesting and its role in improving agriculture output in Jharkhand; Fish farming.

(iii) Soil fertility status of Jharkhand. Application of Vermi compost and Farm Yard Manure (FYM) for improving soil health. Nitrogen fixing bacteria; their applications and Concept of Organic farming.

(iv) Concept of Agro-forestry. Waste lands and means to reclaim them.

(v) Government schemes for the benefit of the farmers of the state.

Group (D) - Environmental Science

Concept of Ecosystem, Structure and Function of Ecosystem, Natural resources-Renewable and Non renewable resources, Environmental Conservation in-situ and ex-situ conservation, Pollution-Air, Water, Sound and Soil, Solid Waste Management; Biodiversity: concept, hotspots, threats to biodiversity: Global Environmental Issues: Climate change, Global warming, Ozone layer depletion, Acid rain, Desertification, Environmental Laws-The Environment (Protection) Act, The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, The Water (Prevention & Control of Pollution) Act, Forest Conservation Act.

Group (E) - Science & Technology Development

National Policy on Science and Technology: Energy demand of the country: Conventional and Non-conventional sources of energy: Nuclear Energy: its merits and demerits: Trends in Nuclear Policy, NPT and CTBT. Space Technology-Indian space programmes, Application of Satellites for different purposes; Indian missile programme; Remote sensing : GIS and its application in weather forecasting disaster warning mapping of water, soil, and mineral Resources etc; Use of Biotechnology in agriculture, animal breeding, pharmaceuticals, food technology, and environmental conservation: Possible adverse effects of biotechnological interventions; Information technology: Computers and its application in data processing, data programmes, Cybercrime and cyber laws.

National Health Policy: national programmes for prevention and control of Malaria, Leprosy, T.B., Cancer, Aids, Blindness etc.

Note :- The Government may facilitate the Commission with specific instructions for setting up the question papers from time to time.

Approval has been granted on the proposal through Departmental Memorandum Memo No. 11/Lo.Se.Aa-01-03/2020-95 dated 06.01.2021 on State Cabinet's Meeting dated 06.01.2021 vide Item no. 2.

By the order of the Governor of Jharkhand

Ajoy Kumar Singh,
Principal Secretary to the Government.

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 59 -- 50

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 20.6.19

संख्या–15/नीति नि०–07–04/2014 का०–4871/माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Civil Appeal No.-7423-7429/2018[Arising out of SLP(Civil) No.-19832-19838] नरेन्द्र कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–01.08.2018 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–1348 दिनांक–13.02.2015 द्वारा अधिसूचित 'झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015' के नियम–3(ग) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों के अधीन उक्त नियमावली में निम्नवत् संशोधन/अन्तःस्थापन किया जाता है:–

(1) **नियम 3(क)(i)–**

पूर्व में अंकित प्रावधान	संशोधित प्रावधान
कर्नाटक सरकार एवं अन्य बनाम उमादेवी एवं अन्य (सिविल अपील संख्या–3595–3612/99, 1861–2063, 3849/2001, 3520–24/2002 तथा 1968/2006) में दिनांक–10.04.2006 को पारित न्यायादेश की तिथि को आधार तिथि मानते हुए उक्त तिथि के पूर्व न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों के द्वारा पारित आदेश से आच्छादित मामलों को छोड़कर सृजित पदों के विरूद्ध कार्यरत एवं कम–से–कम 10 वर्षों की लगातार सेवा करने वाले अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमितीकरण पर विचार किया जा सकेगा।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Civil Appeal No.-7423-7429/2018 [Arising out of SLP(Civil) No.-19832-19838] नरेन्द्र कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–01.08.2018 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में **प्रस्तुत संशोधन संबंधी अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि को आधार तिथि मानते** हुए उक्त तिथि के पूर्व न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों के द्वारा पारित आदेश से आच्छादित मामलों को छोड़कर सृजित पदों के विरूद्ध कार्यरत एवं कम–से–कम 10 वर्षों की लगातार सेवा करने वाले अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमितीकरण पर विचार किया जा सकेगा।

(2) **नियम 3(ख)(viii)–**

पूर्व में अंकित प्रावधान	संशोधित प्रावधान
नियुक्ति प्राधिकार प्राप्त सूची के आधार पर उम्मीदवारों की सेवा नियमितीकरण के मामले पर इस नियमावली के लागू होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर निर्णय लेगा।	मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित सूची के आधार पर उम्मीदवारों की सेवा नियमितीकरण की कार्रवाई नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जायेगी। **प्रस्तुत संशोधन संबंधी अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि को 10 वर्षों की लगातार सेवा पूरी करने वाले** वैसे सभी अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों, जो 'झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015' में निर्धारित अन्य सभी शर्त्तों को पूरा करते हों, के सेवा के नियमितीकरण पर विचार कर लिये जाने तक यह नियमावली प्रभावी मानी जायेगी।

(3) **नियम 3(ग) 'अन्यान्य' के अन्तर्गत अंतिम उपकंडिका का अन्तःस्थापन –**

सेवा नियमितीकरण की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों से आवेदन प्राप्त करने की अधिकतम अवधि 06 (छः) माह होगी।

(4) यह संशोधन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

(5) "झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015" के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

20/6/19

(के० के० खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–15 / नीति नि०–07–04 / 2014 का०–4871 / राँची, दिनांकः– 20.6.19

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र०सुं० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

20/6/19

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–15 / नीति नि०–07–04 / 2014 का०–4871 / राँची, दिनांकः– 20.6.19.

प्रतिलिपि– सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त / महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड, उच्च न्यायालय, राँची / झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/6/19

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

अध्याय–1

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

संख्या–11 / क0च0आ0–16–06 / 2013 का0..... / राँची, दिनांक– दिसम्बर, 2015

विभागीय अधिसूचना सं0–11 / क0च0आ0–06 / 2013 का0–8566, दिनांक–28.09. 2015 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट / 10+2 स्तर) संचालन नियमावली–2015 के अनुसूची–1 में क्रमांक–11 के रूप में निम्नांकित अंश को शामिल करते हुए प्रतिस्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है:–

क्र0 सं0	विभाग का नाम	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त करना अनिवार्य)
11.	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक / लिपिक–सह–टंकक / टंकक / अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग	इंटरमीडिएट / 10+2 एवं हिन्दी टाईपिंग में यथा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम गति।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
(दिलीप तिर्की)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–11 / क0च0आ0–16–06 / 2013 का0 10767 / राँची, दिनांक– 18 दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि:– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सॉफ्ट प्रति (सी0डी0) में झारखण्ड ई–गजट के असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18.12.15
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 11/12/2015

संख्या–11/क0च0आ0–16–7/2013 का.–1056/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2008) की धारा– 12 की उप – धारा (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा मैट्रिक/10वीं स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ** :–
   - (i) यह नियमावली **"झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) संचालन नियमावली, 2015"** कही जाएगी।
   - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   - (iii) यह तुरन्त प्रवृत होगी।
2. **परिभाषाएँ** :– जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्व न हो, इस नियमावली में :–
   - (i) **राज्य सरकार** से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार,
   - (ii) **विभाग** से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,
   - (iii) **सम्बन्धित विभाग** से अभिप्रेत है अधियाचना और नियुक्ति करने वाले विभाग/प्राधिकार,
   - (iv) **आयोग** से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,
   - (v) **अनुसूची** से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची।
   - (vi) **परीक्षा** से अभिप्रेत है आयोग द्वारा आयोजित मैट्रिक/10वीं स्तरीय परीक्षाएँ,
   - (vii) **पदों/सेवाओं** से अभिप्रेत है अनुसूची में अंकित पद/सेवा

3. सम्बन्धित विभागों के द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी को संदर्भ तिथि मानते हुए आरक्षण वर्गवार रिक्तियों की अधियाचना विहित प्रपत्र में आयोग को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से 28/29 फरवरी तक संसूचित की जायेगी। उक्त निर्धारित समय–सीमा वर्ष 2015 की अधियाचना के संदर्भ में शिथिल रहेगी। आयोग को अधियाचना के माध्यम से भेजी गयी रिक्तियों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा और विभाग द्वारा अग्रसारित रिक्ति अंतिम मानी जायेगी।

4. उम्र सीमा :–

आयोग के द्वारा ली जाने वाली विभिन्न मैट्रिक/10वीं स्तर की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र वही रहेगी जो राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायगी।

5. पात्रता/अर्हता का निर्धारण :–

(i) अभ्यर्थियों की उम्र की गणना के लिए अधियाचना के वर्ष की पहली अगस्त संदर्भ तिथि होगी।

(ii) अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. आरक्षण :–

राज्य सरकार के अधीन पदों/ सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आरक्षण के विषय पर गठित नियम/अधिनियम एवं परिपत्र लागू होंगे।

7 परीक्षाएँ :–

(i) आयोग को प्राप्त अधियाचना के आलोक में **मैट्रिक/10वीं** स्तर की परीक्षाएँ आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएँगी।

(ii) **मैट्रिक/10वीं** स्तर परीक्षा के लिए पदों की सूची अनुसूची (1) पर संलग्न है। इस अनुसूची में निहित पदों/सेवाओं को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) कुछ विशिष्ट पदों के लिए विशिष्ट अर्हताएँ हैं, जिसमें अभिप्रेत होगा कि सम्बन्धित विशिष्ट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी ही उक्त विनिर्दिष्ट पदों के लिए अर्हता प्राप्त माने जायेंगे।

(iv) राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक लागू होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पानेवाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

(v) प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा सूची (Common merit list) तैयार की जायेगी । अनारक्षित और आरक्षित अभ्यर्थियों के कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के 15 गुणा अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा।

(vi) मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हे अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके मैट्रिक समकक्ष अथवा अन्य अर्हत्ता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात मैट्रिक समकक्ष अथवा अन्य अर्हत्ता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

(vii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरूद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी अंकित होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के अद्यतन निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया जायेगा।

(viii) आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता /अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकेगा।

(ix) आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करेगा कि अभ्यर्थी विज्ञापित पदों

के नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता/अर्हता पूरी करते हैं जब तक कि अभ्यर्थियों की पात्रता/अर्हता का सत्यापन अंतिम रूप से न हो जाय।

(x) एक से अधिक पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में यथा समय अभ्यर्थियों से पदों/सेवाओं के लिए विकल्प लिया जायेगा और मेधा–सह–विकल्प के अनुसार चयन सूची गठित होगी।

(xi) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा/(प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों लिए जाने की स्थिति में) मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर मेधा सूची गठित की जायेगी और मेधा क्रम से आरक्षण कोटिवार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अधियाचना के आलोक में सम्बन्धित विभाग को अनुशंसा के साथ सूची भेजी जायेगी।

8. परीक्षा का स्वरूप

(i) सामान्यतः परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी :–

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परंतु किसी परीक्षा के लिए 15,000 (पंद्रह हजार) से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जायेगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा ली जायेगी जिसमें मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल रहेंगे।

(ii) सभी परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

(iii) परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी।

(iv) परीक्षा के लिए प्रश्नों का स्तर सामान्यतः जिस स्तर की परीक्षा होगी, उसी स्तर का होगा।

9. <u>प्रारम्भिक परीक्षा</u>

प्रारम्भिक परीक्षा में एक पत्र 'सामान्य ज्ञान' होगा

पत्र – सामान्य ज्ञान

(क) सामान्य अध्ययन	–	60 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	–	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	–	20 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जाँच	–	10 प्रश्न
(ङ०) कम्प्यूटर का मूल भूत ज्ञान	–	10 प्रश्न
(च) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	–	30 प्रश्न
	कुल –	150 प्रश्न

परीक्षा अवधि – 2 घंटा

प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र – सामान्य ज्ञान

(क) **सामान्य अध्ययन** :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसी कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें भारत देश एवं झारखण्ड राज्य के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामायिक विषय – राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास। झारखण्ड राज्य की सामान्य जानकारी।

(ख) **सामान्य विज्ञान** :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से सम्बन्धित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग) **सामान्य गणित** :– इस विषय में सामान्यतः अंक गणित से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) **मानसिक क्षमता जाँच** :– इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं – सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ) **कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान** (Basic knowledge of Computer) :– इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(च) झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता–संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, खेल–खिलाड़ी इत्यादि।

10. मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे। यह परीक्षा दो पाली में ली जायेगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे :–

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान	–	100 प्रश्न
(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान	–	50 प्रश्न
	कुल –	150 प्रश्न

परीक्षा अवधि – दो घंटा

पत्र – 2 (सामान्य ज्ञान)

(क) सामान्य अध्ययन	–	60 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	–	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	–	20 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जाँच	–	10 प्रश्न
(ङ०) कम्प्यूटर का ज्ञान	–	10 प्रश्न
(च) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान–		30 प्रश्न
	कुल –	150 प्रश्न

परीक्षा अवधि – 2 घंटा

टिप्पणी – (1) पत्र–1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हत्तांक 30% (तीस प्रतिशत) होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे।

(2) पत्र–2 (सामान्य ज्ञान) की परीक्षा में कोई न्यूनतम अर्हतांक नहीं होगा।

(3) पत्र–1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30 (तीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर पत्र–1 एवं पत्र–2 में प्राप्त अंकों को जोड़ कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान :–

(i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 25 प्रश्न

(ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 75 प्रश्न

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान :–

(i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 20 प्रश्न

(ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 30 प्रश्न

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

पत्र – 2 (सामान्य ज्ञान)

(क) सामान्य अध्ययन :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसी कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें भारत देश एवं झारखण्ड राज्य के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामायिक विषय – राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक,

लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास। झारखण्ड राज्य की सामान्य जानकारी।

(ख) सामान्य विज्ञान :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से सम्बन्धित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग) सामान्य गणित :– इस विषय में सामान्यतः अंक गणित से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) मानसिक क्षमता जाँच :– इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं – सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूल लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान (Basic knowledge of Computer) :– इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(च) झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता–संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, खेल–खिलाड़ी इत्यादि।

11. नियम –7(ii) के प्रावधान के अन्तर्गत गठित अनुसूची में उल्लेखित पदों/सेवाओं से सम्बन्धित सेवा/संवर्ग नियमावली में नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया/ परीक्षा संचालन प्रावधानों के इस नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभाषी अथवा प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान **अध्यारोही प्रभाव (overriding effects)** के साथ लागू होंगे।

12. अधियाचना और मेधा सूची तैयार करने में आरक्षण/रोस्टर सम्बन्धी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत नियमों/अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

13. इस नियम को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार किसी परीक्षा विशेष के मानक, स्वरूप एवं प्रक्रिया इत्यादि के विषय पर निर्णय लेने के लिए आयोग सक्षम होगा।

14. इस **नियमावली** के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वचन अंतिम होगा।

15. राज्य सरकार आवश्यकतानुसार इस नियमावली के किसी उपबंध अथवा उपबंधों को शिथिल अथवा संशोधित कर सकेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

11/12/15
(रतन कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11 / क0च0आ0–16–7 / 2013 का0 10506 / राँची, दिनांक– 11/12/2015

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची को सॉफ्ट प्रति (सी0डी0) में झारखण्ड ई–गजट के असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

11/12/15
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11 / क0च0आ0–16–06 / 2013 का0 10506 / राँची, दिनांक– 11/12/2015

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / झारखण्ड लोक सेवा आयोग / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/12/15
सरकार के सचिव।

मैट्रिक (दसवीं कक्षा) शैक्षणिक योग्यता वाले पदों की अनुसूची –1

(नियम – 7)

क्रं० सं०	विभाग का नाम	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त करना अनिवार्य)
1	2	3	4
1	वाणिज्य –कर विभाग	पदचर ग्रेड–3	मैट्रिक एवं साईकिल चालन
2	स्वास्थ्य चि0शि0एवं प0क0 विभाग	1. परिधापक 2. स्वास्थ्य कार्यकर्ता 3. बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता	प्रवेशिका उत्तीर्ण एवं परिधापक (एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स)। झारखण्ड राज्य पारामेडिकल काउंसिल से निबंधन।
		बहुद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	10 वीं या माध्यमिक उत्तीर्ण
		मोटर मैकेनिक	मैट्रिक एवं आई0टी0आई0 (फिटर) प्रमाण पत्र
		ए0एन0एम0	मैट्रिक या 10वीं पास, 18 माह का ए0एन0एम0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण तथा झारखण्ड नर्सिंग काउंसिल में निबंधित।
		क्षेत्रीय कार्यकर्ता	मैट्रिक (विज्ञान) या समकक्ष
		लेबोरेट्री/आफिस अटेन्डेन्ट	प्रवेशिकोत्तीर्ण
3	खान एवं भूतत्व विभाग	यांत्रिक	मैट्रिकुलेशन–सह– मशीनिस्ट अथवा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में दो वर्षों का आई0टी0आई0 सर्टिफिकेट
		सेक्शन कटर	मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण एवं स्लाईड निर्माण आदि में सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का कार्य अनुभव
		सर्वेक्षक	मैट्रिकुलेशन एवं सर्वेयर ट्रेड में दो वर्षों का सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट
		प्रारूपक	मैट्रिकुलेशन एवं ड्राफ्ट्समैन (सिविल ट्रेड में दो वर्षों का सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट)
		वैधी सहायक	मैट्रिकुलेशन–सह–फिटर/मशीनिस्ट /टर्नर/ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में से किसी एक ट्रेड में दो वर्षों का आई0टी0आई0 सर्टिफिकेट में उत्तीर्णता या समकक्ष

4	उद्योग विभाग	कीटपालक एवं समकक्ष	मैट्रिक एवं झारखण्ड रेशम तकनीकी विकास संस्थान, चाईबासा से एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन (सेरीकल्चर/वीविंग/डाइंग प्रिंटिंग) उत्तीर्ण अथवा दो वर्षीय 10+2 इंटर व्यावसायिक कोर्स (सेरीकल्चर/टेक्सटाइल्स उत्तीर्ण)
		ब्यॉलर अटेण्डेंट	मैट्रिक एवं आई0टी0आई0 (फीटर) में उत्तीर्ण
		कुशल शिल्पी एवं समकक्ष	मैट्रिक तथा हस्तशिल्प में एक वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स
		सहायक–सह–उत्पादक एवं समकक्ष	मैट्रिक एवं बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों से एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स उत्तीर्ण
5.	ग्रामीण विकास विभाग (मुख्यालय)	मोटर चालक	मैट्रिक तथा वाहन चलाने का वैध लाईसेन्स
		आदेशपाल	मैट्रिक तथा कार्यालय कार्य का अनुभव
		स्वीपर	मैट्रिक
	ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड) हेहल	रसोईया	मैट्रिक तथा खाना बनाने का कार्यानुभव
		चालक	मैट्रिक तथा वाहन चलाने का वैध लाईसेन्स
		अनुसेवक	मैट्रिक तथा कार्यालय कार्य का अनुभव
		मोटर चालक	मैट्रिक तथा वाहन चलाने का वैध लाईसेन्स
		प्रधान माली	मैट्रिक तथा बागवानी का कार्यानुभव
		माली	मैट्रिक तथा बागवानी का कार्यानुभव
		जमादार	मैट्रिक तथा सुरक्षा संबंधी कार्यो का अनुभव
		चौकीदार	मैट्रिक तथा सुरक्षा संबंधी कार्यो का अनुभव
		मैसेन्जर	मैट्रिक तथा कार्यालय कार्य का अनुभव
		चपरासी	मैट्रिक तथा कार्यालय कार्य का अनुभव
		स्वीपर	मैट्रिक
6.	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	आदेशपाल/अनुसेवक/चपरासी	मैट्रिक एवं साईकिल चलाने का ज्ञान
		रसोईया	मैट्रिक एवं भोजन बनाने (तैयार) तथा परोसने का ज्ञान
		झारदार	मैट्रिक एवं श्रमसाध्य कार्य में सक्षम
		हेल्पर	मैट्रिक एवं श्रमसाध्य कार्य में सक्षम
		रात्रि प्रहरी/दरवान	मैट्रिक एवं शारीरिक रूप से सक्षम। (होमगार्ड) प्रशिक्षित को प्राथमिकता।
7.	सूचना एवं जन संपर्क विभाग	इकाई लिपिक	मैट्रिक तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण एवं कम्प्यूर ज्ञान
		भंडारपाल	मैट्रिक तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण

सचिव,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक– 11/12/2015

संख्या–11/क0च0आ0–16–05/2013 का0 10503 / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2008) की धारा– 12 की उप – धारा (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ :–**
   - (i) यह नियमावली "**झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015**" कही जाएगी।
   - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   - (iii) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ :–** जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्व न हो, इस नियमावली में :–
   - (i) **राज्य सरकार** से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार,
   - (ii) **विभाग** से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,
   - (iii) **संबंधित विभाग** से अभिप्रेत है अधियाचना और नियुक्ति करने वाले विभाग/प्राधिकार,
   - (iv) **आयोग** से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,
   - (v) **अनुसूची** से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची।
   - (vi) **परीक्षा** से अभिप्रेत है आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षाएँ,
   - (vii) **पदों/सेवाओं** से अभिप्रेत है अनुसूची में अंकित पद/सेवा

3. सम्बन्धित विभागों के द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी को संदर्भ तिथि मानते हुए आरक्षण वर्गवार रिक्तियों की अधियाचना विहित प्रपत्र में आयोग को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से फरवरी तक संसूचित की जायेगी। परन्तु वर्ष 2015 की अधियाचना हेतु उपर्युक्त निर्धारित कालक्रम शिथिल रहेगा।

आयोग को अधियाचना के माध्यम से भेजी गयी रिक्तियों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा और विभाग द्वारा अग्रसारित रिक्ति अंतिम मानी जायेगी।

4. **उम्र सीमा :–**

आयोग के द्वारा ली जानेवाली विभिन्न स्नातक स्तर परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु वही रहेगी जो राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग) के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय।

5. पात्रता/अर्हता का निर्धारण :–

(i) अभ्यर्थियों की उम्र की गणना के लिए अधियाचना के वर्ष की पहली अगस्त संदर्भ तिथि होगी।

(ii) अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. आरक्षण :–

राज्य सरकार के अधीन पदों/ सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आरक्षण के विषय पर गठित नियम/अधिनियम एवं परिपत्र लागू होगें।

7 परीक्षाएँ :–

(i) आयोग को प्राप्त अधियाचना के आलोक में स्नातक स्तर की परीक्षाएँ आयोजित की जाएँगी।

(ii) स्नातक स्तर परीक्षा के लिए पदों की सूची अनुसूची (1) पर संलग्न है। इस अनुसूची में निहित पदों/सेवाओं को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) कुछ विशिष्ट पदों के लिए विशिष्ट अर्हतायें है, जिसमें अभिप्रेत होगा कि सम्बन्धित विशिष्ट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी हीं उक्त विनिर्दिष्ट पदों के लिए अर्हता प्राप्त माने जायेगें।

(iv) राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिये चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अर्हत्तांक लागू माने जाएंगे। न्यूनतम अर्हत्तांक से कम अंक पानेवाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

(v) प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा सूची (Common merit list) तैयार की जायेगी। अनारक्षित और आरक्षित अभ्यर्थियों के कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के 15 गुणा अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा।

परन्तु किसी स्तर के परीक्षा के लिये 100 से कम रिक्ति रहने की स्थिति में रिक्त पदों की संख्या के 15 गुणा अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के लिए आयोग अपने विवेक से निर्णय ले सकेगा।

(vi) आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकेगा।

(vii) आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करेगा कि अभ्यर्थी विज्ञापित पदों की नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं जब तक की अभ्यर्थियों की पात्रता का सत्यापन अंतिम रूप से न हो जाय।

(viii) एक से अधिक पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में यथा समय अभ्यर्थियों से पदों/सेवाओं के लिये विकल्प लिया जायेगा और मेधा सह विकल्प के अनुसार चयन सूची गठित होगी।

(ix) आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर मेधा सूची गठित की जायेगी और मेधा क्रम से आरक्षण कोटिवार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अधियाचना के आलोक में संबंधित विभाग को अनुशंसा के साथ सूची भेजी जायेगी। अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरूद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी अंकित होगा। इस संबंध में राज्य सरकार के अद्यतन निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया जायेगा।

(x) मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हे अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक समकक्ष अथवा अन्य अर्हत्ता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् स्नातक समकक्ष एवं अन्य अर्हत्ता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

8. **परीक्षा का स्वरूप**

(i) सामान्यतः परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी :–

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परंतु किसी परीक्षा के लिए 15,000 (पंद्रह हजार) से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जायेगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा ली जायेगी जिसमें मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल रहेगें।

(ii) सभी परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होगें। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिए जायेगें तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

(iii) परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी।

9. **<u>प्रारम्भिक परीक्षा</u>**

प्रारम्भिक परीक्षा में एक पत्र 'सामान्य ज्ञान' का होगा

<u>पत्र – सामान्य ज्ञान</u>

(क) सामान्य अध्ययन	–	40 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	–	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	–	20 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जाँच	–	20 प्रश्न
(ङ) कम्प्यूटर का मूल भूत ज्ञान	–	20 प्रश्न
(च) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	–	30 प्रश्न
कुल	–	150 प्रश्न

परीक्षा अवधि – 2 घंटा

प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र – सामान्य ज्ञान

(क) **सामान्य अध्ययन** :– इसमें प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसी कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विषय रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते है। सम–सामयिक विषय– वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना।

झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

(ख) **सामान्य विज्ञान**:– सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेगें, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नही किया हो, अपेक्षित है।

(ग) **सामान्य गणित** :– इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेगें। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं0 कक्षा स्तर के प्रश्न रहेगें।

(घ) **मानसिक क्षमता जाँच** :– इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनो प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते है– सादृष्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृखंला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ०) **कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान (Fundamental knowledge of Computer)** :– इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों, एम. एस. विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम, एम. एस. ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते है।

(च) झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाऐं, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

10. मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र में कुल 150 प्रश्न होगें। एक पाली की परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। यह परीक्षा दो पाली में ली जायेगी। इसमें निम्न विषय रहेगें :–

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान	–	75 प्रश्न
(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान	–	75 प्रश्न
कुल	–	150 प्रश्न

परीक्षा अवधि – दो घंटा

पत्र – 2 (सामान्य ज्ञान)

(क) सामान्य अध्ययन	–	40 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	–	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	–	20 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जाँच	–	20 प्रश्न
(ङ०) कम्प्यूटर का ज्ञान	–	20 प्रश्न
(च) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	–	30 प्रश्न
कुल	–	150 प्रश्न

परीक्षा अवधि – 2 घंटा

टिप्पणी – (1) पत्र–1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हत्तांक 40% (चालिस प्रतिशत) होगा। न्यूनतम अर्हत्तांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेगें।

(2) पत्र–2 (सामान्य ज्ञान) की परीक्षा में कोई न्यूनतम अर्हत्तांक नहीं होगा।

(3) पत्र–1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अहत्तांक 40 (चालिस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर पत्र–1 एवं पत्र–2 में प्राप्त अंको को जोड़ कर कुल अंको के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान :–

(i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 25 प्रश्न

(ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 50 प्रश्न

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेगें।

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान:–

(i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 25 प्रश्न

(ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 50 प्रश्न

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेगें।

पत्र – 2 (सामान्य ज्ञान)

(क) सामान्य अध्ययन :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में

विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते है। सम–सामायिक विषय– वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, मंत्रवर्षीय योजना।

झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

(ख) **सामान्य विज्ञानः–** सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेगें, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नही किया हो, अपेक्षित है।

(ग) **सामान्य गणित :–** इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेगें। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं0 कक्षा स्तर के प्रश्न रहेगें।

(घ) **मानसिक क्षमता जाँच :–** इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनो प्रकार के प्रश्न रहेगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते है– सादृष्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृखंला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ०) **कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान (Fundamental knowledge of Computer) :–** इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों, एम. एस. विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम, एम. एस. ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते है।

(च) झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाऐं, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

11. नियम –7(ii) के प्रावधान के अन्तर्गत गठित अनुसूची में उल्लेखित पदो/सेवाओं से संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया/ परीक्षा संचालन प्रावधानों के इस नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभाषी अथवा प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान **अध्यारोही प्रभाव (overriding effects)** के साथ लागू होंगे।

12. अधियाचना और मेधा सूची तैयार करने में आरक्षण/रोस्टर संबंधी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत नियमों/अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

13. इस नियम को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार किसी परीक्षा विशेष के मानक एवं प्रकिया पर निर्णय लेने के लिए आयोग सक्षम होगा।

14. इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वचन अंतिम होगा।

15. राज्य सरकार आवश्यकतानुसार इस नियमावली के किसी उपबंध अथवा उपबंधों को शिथिल अथवा संशोधित कर सकेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(रतन कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11/क0च0आ0–16–05/2013 का0 10507 /राँची,दिनांक–

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची को सॉफ्ट प्रति (सी0डी0) में झारखण्ड ई–गजट के असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11/क0च0आ0–16–05/2013 का0 10507 /राँची,दिनांक– 11/12/2013

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

247

स्नातक शैक्षणिक योग्यता वाले पदों की अनुसूची –1
(देखें नियम – 7)

क्र० सं०	विभाग का नाम	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त करना अनिवार्य)
1	2	3	4
1	स्वास्थ्य चि०शि०एवं प०क० विभाग	बी०सी०जी० क्षेत्रीय पदाधिकारी	विज्ञान स्नातक, राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान से प्रशिक्षित
		चिकित्सा संगठनकर्ता	विज्ञान स्नातक, राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान से प्रशिक्षित
		निरीक्षक (वैक्टर जनित रोग नियंत्रण)	विज्ञान स्नातक
		1. स्वच्छता निरीक्षक 2. खाद्य निरीक्षक	स्नातक तथा फूड एण्ड न्यूट्रेशन में डिप्लोमा
		स्वास्थ्य प्रशिक्षक	स्नातक या समकक्ष
		साइंटिफिक असिस्टेन्ट	विज्ञान स्नातक / रसायनशास्त्र / माइक्रोबायोलोजी / बायोटक्नोलोजी
		अचिकित्सा सहायक	स्नातक या समकक्ष
2	खान एवं भूतत्व विभाग	सहायक भूतात्विक विश्लेषक	विज्ञान स्नातक रसायनशास्त्र में (प्रतिष्ठा के साथ)
		विज्ञान सहायक	भू- विज्ञान (प्रतिष्ठा) / रसायनशास्त्र में विज्ञान स्नातक (प्रतिष्ठा)
3	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	श्रम कल्याण पदाधिकारी	स्नातक या समकक्ष
		श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	स्नातक
		कनिय सांख्यिकी सहायक / सांख्यिकी निरीक्षक / अनुसंधाता / संगणक	विज्ञान / गणित / अर्थशास्त्र / वाणिज्य अथवा सांख्यिकी स्नातक।
		महिला समाज आयोजिका	स्नातक या समकक्ष
		समाज आयोजक	स्नातक या समकक्ष

		कनीय सांख्यिकी सहायक (कनीय नियोजन पदाधिकारी / तकनीकी सहायक / शोध सहायक)	गणित / अर्थशास्त्र / वाणिज्य अथवा संख्यिकी मे किसी एक विषय के साथ स्नातक
4	कार्मिक प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग	सहायक	स्नातक या समकक्ष
5	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	अंचल निरीक्षक–सह–कानूनगो	स्नातक या समकक्ष
6	वित्त विभाग	वरीय अंकेक्षक	गणित / वाणिज्य / सांख्यिकी अथवा अर्थशास्त्र विषय के साथ स्नातक।
7	कल्याण विभाग	प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी	स्नातक या समकक्ष
8	समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	सांख्यिकी सहायक	गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक
		महिला पर्यवेक्षिका	समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या गृह विज्ञान या बाल विकास विषयों के साथ महिला स्नातक
9	मानव संसाधन विकास विभाग	सांख्यिकी पर्यवेक्षक	सांख्यिकी / गणित / अर्थशास्त्र के साथ स्नातक
10	सहकारिता विभाग	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	स्नातक या समकक्ष
		वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी	स्नातक (गणित / अर्थशास्त्र / वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय के साथ)
		कनीय सांख्यिकी सहायक	सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित एवं अर्थशास्त्र से किसी एक विषय के साथ स्नातक
11	जल संसाधन विभाग	शोध सहायक	विज्ञान स्नातक रसायनशास्त्र विषय के साथ
12	उद्योग विभाग	सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष पद	बी0एस0सी0 सिल्क टेक (चार वर्षीय डिग्री कोर्स) (सेरीकल्चर / वीविंग / डाइंग– प्रिंटिंग) की डिग्री अथवा बी0एस0सी0 रेशम / कृषि / वाणिकी / वनस्पति विज्ञान / जंतु विज्ञान के साथ केन्द्रीय रेशम बोर्ड से मलवरी / नन–मलवरी में 15 माह की पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा
		तकनीकी पर्यवेक्षक	बी0एस0सी0 सिल्क टेक0 की डिग्री / बी0टेक0 (टेक्सटाईल) / पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हैण्डलूम टेक्नोलॉजी।

		उद्योग विस्तार पदाधिकारी	बी0सी0ए0 / बी0बी0ए0 / फूड टेक्नोलॉजी / बी0एस0सी0, पर्यावरण / बायोटेक्नोलॉजी / वाणिज्य / अर्थशास्त्र / गणित / सांख्यिकी में स्नातक
13	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पद	कृषि स्नातक
		सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष पद	कृषि स्नातक
		पौधा संरक्षण, निरीक्षक एवं समकक्ष पद	कृषि स्नातक
		अनुमण्डल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष पद	कृषि स्नातक / उद्यान स्नातक / वानिकी स्नातक
		निरीक्षक माप एवं तौल	विज्ञान (भौतिकी), कृषि या अभियंत्रण में स्नातक या अभियंत्रण में डिप्लोमा के साथ तीन वर्षीय व्यवसायिक अनुभव
		सांख्यिकी सहायक एवं सकमक्ष पद	स्नातक (गणित / अर्थशास्त्र / सांख्यिकी / कृषि)
14	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	गव्य तकनिकी पदा0 एवं समकक्ष	डेयरी टेक्नोलॉजी / डेयरी (गव्य) विज्ञान में स्नातक अथवा समकक्ष
		मत्स्य प्रसार पदाधिकारी / कनीय मत्स्य अनुसंधान पदाधिकारी / कनीय व्याख्याता	बी0एससी0 जन्तु विज्ञान के साथ / केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुम्बई से दो वर्षों का डिप्लोमा इन फिसरिज सांइन्स उत्तीर्ण / मत्स्य विज्ञान में स्नातक बी0एफ0एस0सी0 की डिग्री / जंतु विज्ञान (मत्स्यकी) में स्नातकोत्तर
		मत्स्य निरीक्षक	मत्स्य विज्ञान में स्नातक अथवा स्नातक विज्ञान (जन्तु विज्ञान) की डिग्री
		मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक	विज्ञान स्नातक (जन्तु विज्ञान)
		प्रावैधिक निरीक्षक	स्नातक जन्तु विज्ञान
		पशुधन निरीक्षक	स्नातक जन्तु विज्ञान
		सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद	वाणिज्य / सांख्यिकी / गणित / अर्थशास्त्र में स्नातक
15	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	रसायनज्ञ	बी0एससी0 (रसायनशास्त्र एवं जन्तु विज्ञान)

16	योजना एवं विकास विभाग	प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष	स्नातक (गणित/सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/वाणिज्य)
17	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी	स्नातक या समकक्ष
		सहायक लेखापाल	B.Com
		निम्न वर्गीय लिपिक	स्नातक
18	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	परीक्षण सहायक	स्नातक विज्ञान
19	कार्मिक, प्र0 सु0 तथा राजभाषा विभाग	निम्नवर्गीय लिपिक झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा	स्नातक
20	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग	फायर स्टेशन आफिसर	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक
		सहायक कारापाल	झारखण्ड राज्य स्थित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक उपाधि

सरकार के सचिव 11/10/15
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक– 28.09.2015

संख्या 1/ क0च03।10 -16–08 / 2013 का0 8565/ झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2008) की धारा– 12 की उप – धारा (i) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा डिप्लोमा स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ :–**

(i) यह नियमावली **"झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015"** कही जाएगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ :–** जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्व न हो, इस नियमावली में :–

(i) राज्य सरकार से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार,

(ii) विभाग से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

(iii) सम्बन्धित विभाग से अभिप्रेत है अधियाचना और नियुक्ति करने वाले विभाग/प्राधिकार,

(iv) आयोग से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,

(v) अनुसूची से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची।

(vi) परीक्षा से अभिप्रेत है आयोग द्वारा आयोजित डिप्लोमा स्तरीय परीक्षाएँ,

(vii) पदों/सेवाओं से अभिप्रेत है अनुसूची में अंकित पद/सेवा

2v

3. सम्बन्धित विभागों के द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी को संदर्भ तिथि मानते हुए आरक्षण वर्गवार रिक्तियों की अधियाचना विहित प्रपत्र में आयोग को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से फरवरी तक संसूचित की जायेगी। परन्तु वर्ष 2015 की अधियाचना हेतु उपर्युक्त निर्धारित कालक्रम शिथिल रहेगा। आयोग को अधियाचना के माध्यम से भेजी गयी रिक्तियों में कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा और विभाग द्वारा अग्रसारित रिक्ति अंतिम मानी जायेगी।

4. उम्र सीमा :–

(i) आयोग के द्वारा ली जाने वाली विभिन्न डिप्लोमा स्तरीय परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र वही रहेगी जो राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय।

(ii) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उम्र सीमा में छूट का लाभ सिर्फ झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही अनुमान्य होगा।

5. पात्रता/अर्हता का निर्धारण :–

(i) अभ्यर्थियों की उम्र की गणना के लिए अधियाचना के वर्ष की पहली अगस्त संदर्भ तिथि होगी।

(ii) अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन पत्र जमा होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता अर्थात सम्बन्धित विषय में डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. आरक्षण :–

(i) राज्य सरकार के अधीन पदों/ सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर गठित आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान यथावत होंगे।

(ii) झारखण्ड राज्य के आरक्षित वर्ग के स्थानीय निवासी को ही आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा। अन्य सभी अभ्यर्थी सामान्य/अनारक्षित श्रेणी में माने जायेंगे।

7 परीक्षाएँ :–

(i) आयोग को प्राप्त अधियाचना के आलोक में डिप्लोमा स्तर की परीक्षाएँ आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएँगी।

(ii) डिप्लोमा स्तर परीक्षा के लिए पदों की सूची अनुसूची (1) एवं अनुसूची (2) पर संलग्न है। इस अनुसूची में निहित पदों/सेवाओं को राज्य

22

सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) कुछ विशिष्ट पदों के लिए विशिष्ट अर्हताएँ हैं, जिसमें अभिप्रेत होगा कि सम्बन्धित विशिष्ट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी ही उक्त विनिर्दिष्ट पदों के लिए अर्हता प्राप्त माने जायेंगे।

(iv) राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिये चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक लागू होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पानेवाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

(v) प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा सूची (Common merit list) तैयार की जायेगी और आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के 15 (पन्द्रह) गुणा अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जायेगा।

परन्तु किसी स्तर के परीक्षा के लिए 15 (पन्द्रह) गुणा से कम अभ्यर्थियों के रहने की स्थिति में सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जायेगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ मुख्य परीक्षा आयोजित करने पर आयोग अपने विवेक से निर्णय ले सकेगा।

(vi) मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों का प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम की अंग्रेजी वर्त्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिये आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा, अर्थात समान जन्म तिथि एवं प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों में से जिनके नाम का प्रारम्भिक अक्षर

अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार पहले आयेगा, उन्हें मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

(vii) अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरूद्ध की जायेगी परन्तु इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के अद्यतन निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया जायेगा।

(viii) आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता /अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकेगा।

(ix) आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करेगा कि अभ्यर्थी विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिये चयन हेतु निर्धारित पात्रता/अर्हता पूरी करते हैं जब तक कि अभ्यर्थियों की पात्रता/अर्हता का सत्यापन अंतिम रूप से न हो जाय।

(x) एक से अधिक पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिये चयन हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में यथा समय अभ्यर्थियों से पदों/सेवाओं के लिये विकल्प लिया जायेगा और मेधा–सह–विकल्प के अनुसार चयन सूची गठित होगी।

(xi) आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर मेधा सूची गठित की जायेगी और मेधा क्रम से आरक्षण कोटिवार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अधियाचना के आलोक में सम्बन्धित विभाग को अनुशंसा के साथ सूची भेजी जायेगी।

8. परीक्षा का स्वरूप

(i) सामान्यतः परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी :–

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परंतु किसी स्तर की परीक्षा में कुल रिक्ति 15 गुणा से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जायेगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ

एक परीक्षा ली जायेगी जिसमें प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल रहेंगे। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे। इस विषय पर आयोग अपने विवेक से अंतिम निर्णय ले सकेगा।

(ii) सभी परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

(iii) परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी।

(iv) परीक्षा के लिए प्रश्नों का स्तर सामान्यतः जिस स्तर की परीक्षा होगी, उसी स्तर का होगा।

9. **प्रारम्भिक परीक्षा**

प्रारम्भिक परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे। यह परीक्षा दो पाली में ली जायेगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे:–

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान) (पहली पाली)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान	–	60 प्रश्न
(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान	–	60 प्रश्न
कुल–		120 प्रश्न

परीक्षा अवधि – दो घंटा

पत्र – 2 (सामान्य ज्ञान) (दूसरी पाली)

(क) सामान्य अध्ययन	–	40 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	–	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	–	20 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जाँच	–	20 प्रश्न
(ङ०) कम्प्यूटर का मूल भूत ज्ञान	–	20 प्रश्न
कुल	–	120 प्रश्न

परीक्षा अवधि – 2 घंटा

टिप्पणी – (1) पत्र–1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हत्तांक 30% (तीस प्रतिशत) होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे।

(2) पत्र–2(सामान्य ज्ञान) की परीक्षा में कोई न्यूनतम अर्हत्तांक नहीं होगा।

२२

(3) पत्र–1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30 (तीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर पत्र–1 एवं पत्र–2 में प्राप्त अंकों को जोड़ कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा।

परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान)

(क) **हिन्दी भाषा ज्ञान :–**

(i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 20 प्रश्न

(ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 40 प्रश्न

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) **तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।**

(ख) **अंग्रेजी भाषा ज्ञान :–**

(i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 20 प्रश्न

(ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 40 प्रश्न

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) **तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।**

पत्र– 2 (सामान्य ज्ञान)

(क) **सामान्य अध्ययन :–** इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसी कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामायिक विषय – वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। झारखण्ड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान–खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य,

विकास योजनाएँ, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

(ख) **सामान्य विज्ञान** :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से सम्बन्धित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग) **सामान्य गणित** :– इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) **मानसिक क्षमता जाँच** :– इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं – सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ) **कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान** (Basic knowledge of Computer) :– इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

10. **मुख्य परीक्षा (अनुसूची 1 के पदो के लिए)**

इस परीक्षा में दो पत्र होगें।

पत्र– 1

सामान्य अभियंत्रिकी – 120 प्रश्न

परीक्षा अवधि– 2 घंटा

पत्र– 2

विषय : अभियंत्रिकी – 120 प्रश्न

परीक्षा अवधि – 2 घंटा

पद/सेवा के लिए परीक्षा के विषय

क्रम सं0	पद/सेवा का नाम	परीक्षा के विषय
1	कनीय अभियंता सिविल	सिविल अभियंत्रण
2	कनीय अभियंता यांत्रिकी	यांत्रिकी अभियंत्रण
3	कनीय अभियंता विद्युत	विद्युत अभियंत्रण

4	कनीय अभियंता (कृषि अभियंत्रण)	कृषि अभियंत्रण
5	मोटरयान निरीक्षक	यांत्रिकी अभियंत्रण अथवा ऑटो मोबाईल अभियंत्रण
6	खान निरीक्षक	खनन अभियंत्रण

प्रश्न का स्तर डिप्लोमा स्तर होगा।

टिप्पणी :–

1. जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा नियमावली में परीक्षा से संबंधित विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित है, वही पाठ्यक्रम लागू होगा।
2. जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा नियमावली में परीक्षा के विषय का पाठक्रम निर्धारित नहीं है उन विषय/विषयों की परीक्षा का पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा।

<u>मुख्य परीक्षा (अनुसूची 2 के पदों के लिए)</u>

इस परीक्षा में पद/सेवा वार एक पत्र होगा। प्रश्नों की कुल संख्या 180 होगी तथा परीक्षा अवधि 3 घंटा की होगी।

पद/सेवा के लिए परीक्षा के विषय

क्रम सं0	पद/सेवा का नाम	परीक्षा के विषय
1	लेबोरेट्री असिस्टेन्ट/लेबोरेट्री अटैन्डेंट/फार्मासिस्ट	फार्मेसी
2	एक्स–रे तकनिशियन	एक्स–रे प्रावैधिकी
3	आथ्रेल्मिक सहायक	आथ्रेल्मिक
4	प्रयोगशाला तकनिशियन	प्रयोगशाला प्रावैधिकी

टिप्पणी :–

(1) जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा/संवर्ग नियमावली मे परीक्षा से संबंधित विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित है, वही पाठ्यक्रम लागू होगा।

(2) जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा नियमावली के परीक्षा के विषय का पाठ्क्रम निर्धारित नहीं है, उन विषयों की परीक्षा का पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा।

11. नियम –7(ii) के प्रावधान के अन्तर्गत गठित अनुसूची में उल्लेखित पदों/सेवाओं से सम्बन्धित सेवा/संवर्ग नियमावली में नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया/ परीक्षा संचालन प्रावधानों के इस नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभाषी अथवा

२२

प्रतिकूल होने की स्थिति में **इस नियमावली** के प्रावधान **अध्यारोही प्रभाव** (overriding effects) के साथ लागू होंगे।

12. अधियाचना और मेधा सूची तैयार करने में आरक्षण/रोस्टर सम्बन्धी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत नियमों/अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

13. इस नियम को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार किसी परीक्षा विशेष के मानक, स्वरूप एवं प्रकिया इत्यादि के विषय पर निर्णय लेने के लिए आयोग सक्षम होगा।

14. इस **नियमावली** के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वचन अंतिम होगा।

15. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति :–

यदि इस नियम के प्रावधानों को लागू करने में तथा इसके उद्देश्य की प्रतिपूर्ति में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसा आदेश निर्गत कर सकेगी, जो इस नियम के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं होगा तथा जो उत्पन्न अथवा उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के निवारणार्थ आवश्यक हो। ऐसे आदेश को राज्य सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित कराया जायेगा।

16. राज्य सरकार आवश्यकतानुसार इस नियमावली के किसी उपबंध अथवा उपबंधों को शिथिल अथवा संशोधित कर सकेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(रतन कुमार) 28/09/15

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–11/क0च0आ0–16–08/2013 का0 8565 /राँची, दिनांक– 28/09/2015

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची को सॉफ्ट प्रति (सी0डी0) में झारखण्ड ई–गजट के असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28/09/15

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11/क0च0आ0–16–08/2013 का0 8565 /राँची, दिनांक– 28/09/2015

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/09/15

सरकार के सचिव।

डिप्लोमा योग्यता वाले पदों की अनुसूची –1
(नियम – 7)

क्र0सं0	विभाग का नाम	पद/सेवा का नाम
1	लोक निर्माण विभाग [झारखण्ड अवर अभियंत्रण संवर्ग (कनीय अभियंता, सिविल/विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली 2013 के पद]	(i) कनीय अभियंता (सिविल) (ii) कनीय अभियंता (यांत्रिकी) (iii) कनीय अभियंता (विद्युत)
2	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	कनीय अभियंता (कृषि अभियंत्रण)
3	परिवहन विभाग	मोटरयान निरीक्षक
4	खान एवं भूतत्व विभाग	खान निरीक्षक

डिप्लोमा योग्याता वाले पदों की अनुसूची–2
(नियम–7)

क्र0सं0	विभाग का नाम	पद/सेवा का नाम
1	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	(i) लेबोरेट्री असिस्टेन्ट (ii) लेबोरेट्री अटैन्डेंट (iii) फार्मासिस्ट (iv) एक्स–रे तकनीशियन (v) आप्थेल्मिक सहायक (vi) प्रयोगशाला तकनीशियन

28/9/15
सचिव,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक–28.09.2015

संख्या-11/ क0च0आ0–16–06/2013 का.–1566/ झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2008) की धारा– 12 की उप – धारा (i) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटरमीडिएट/10+2 स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ** :–

(i) यह नियमावली **"झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015"** कही जाएगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ** :– जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्व न हो, इस नियमावली में :–

(i) **राज्य सरकार** से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार,

(ii) **विभाग** से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

(iii) **सम्बन्धित विभाग** से अभिप्रेत है अधियाचना और नियुक्ति करने वाले विभाग/प्राधिकार,

(iv) **आयोग** से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,

(v) **अनुसूची** से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची।

(vi) **परीक्षा** से अभिप्रेत है आयोग द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट/10+2 स्तर की परीक्षाएँ,

(vii) पदों/सेवाओं से अभिप्रेत है अनुसूची में अंकित पद/सेवा

3. सम्बन्धित विभागों के द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी को संदर्भ तिथि मानते हुए आरक्षण वर्गवार रिक्तियों की अधियाचना विहित प्रपत्र में आयोग को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से फरवरी तक संसूचित की जायेगी। परन्तु वर्ष 2014 की अधियाचना हेतु उपर्युक्त निर्धारित कालक्रम शिथिल रहेगा। आयोग को अधियाचना के माध्यम से भेजी गयी रिक्तियों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा और विभाग द्वारा अग्रसारित रिक्ति अंतिम मानी जायेगी।

4. उम्र सीमा :–

(i) आयोग के द्वारा ली जाने वाली विभिन्न इंटरमीडिएट/10+2 स्तर की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र वही रहेगी जो राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय।

(ii) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित उम्र सीमा में छूट का लाभ सिर्फ झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही अनुमान्य होगा।

5. पात्रता/अर्हता का निर्धारण :–

(i) अभ्यर्थियों की उम्र की गणना के लिए अधियाचना के वर्ष की पहली अगस्त संदर्भ तिथि होगी।

(ii) अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. आरक्षण :–

(i) राज्य सरकार के अधीन पदों/ सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर गठित आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान यथावत होंगे।

(ii) झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को छोड़कर अन्य सभी अभ्यर्थी सामान्य/अनारक्षित श्रेणी में माने जायेंगे।

7 परीक्षाएँ :–

(i) आयोग को प्राप्त अधियाचना के आलोक में **इंटरमीडिएट/10+2** स्तर की परीक्षाएँ आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएँगी।

(ii) इंटरमीडिएट/10+2 स्तर परीक्षा के लिए पदों की सूची अनुसूची (1) पर संलग्न है। इस अनुसूची में निहित पदों/सेवाओं को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) कुछ विशिष्ट पदों के लिए विशिष्ट अर्हताएँ हैं, जिसमें अभिप्रेत होगा कि सम्बन्धित विशिष्ट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी ही उक्त विनिर्दिष्ट पदों के लिए अर्हता प्राप्त माने जायेंगे।

(iv) राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिये चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक लागू होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पानेवाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

(v) प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा सूची (Common merit list) तैयार की जायेगी और आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के 15 (पन्द्रह) गुणा अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिये किया जायेगा।

(vi) मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हे अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम की अंग्रेजी वर्त्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिये आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा, अर्थात समान जन्म तिथि एवं प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों में से जिनके नाम का प्रारम्भिक अक्षर अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार पहले आयेगा, उन्हें मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

(vii) अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य

२२

पदों के विरूद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी अंकित होगा। इस सम्बन्ध मे राज्य सरकार के अद्यतन निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया जायेगा।

(viii) आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता /अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकेगा।

(ix) आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करेगा कि अभ्यर्थी विज्ञापित पदों के नियुक्ति के लिये चयन हेतु निर्धारित पात्रता/अर्हता पूरी करते हैं जब तक कि अभ्यर्थियों की पात्रता/अर्हता का सत्यापन अंतिम रूप से न हो जाय।

(x) एक से अधिक पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिये चयन हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में यथा समय अभ्यर्थियों से पदों/सेवाओं के लिये विकल्प लिया जायेगा और मेधा–सह–विकल्प के अनुसार चयन सूची गठित होगी।

(xi) आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर मेधा सूची गठित की जायेगी और मेधा क्रम से आरक्षण कोटिवार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अधियाचना के आलोक में सम्बन्धित विभाग को अनुशंसा के साथ सूची भेजी जायेगी।

8. परीक्षा का स्वरूप

(i) सामान्यतः परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी :–

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परंतु किसी स्तर की परीक्षा में 15,000 (पंद्रह हजार) से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जायेगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा ली जायेगी जिसमें प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल रहेंगे। सिर्फ एक परीक्षा लेने की स्थिति में भी भाषा का ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 40 (चालीस) प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे। इस विषय पर आयोग अपने विवेक से अंतिम निर्णय ले सकेगा।

(ii) सभी परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

(iii) परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी।

(iv) परीक्षा के लिए प्रश्नों का स्तर सामान्यतः जिस स्तर की परीक्षा होगी, उसी स्तर का होगा।

9. **प्रारम्भिक परीक्षा**

प्रारम्भिक परीक्षा में एक पत्र 'सामान्य ज्ञान' होगा

पत्र – सामान्य ज्ञान

(क) सामान्य अध्ययन	–	40 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	–	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	–	20 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जाँच	–	20 प्रश्न
(ङ०) कम्प्यूटर का मूल भूत ज्ञान	–	20 प्रश्न
कुल		120 प्रश्न

परीक्षा अवधि – 2 घंटा

प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र – सामान्य ज्ञान

(क) **सामान्य अध्ययन** :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जॉच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसी कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामायिक विषय – वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास,

पंचवर्षीय योजना। झारखण्ड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान–खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएँ, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

(ख) **सामान्य विज्ञान** :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से सम्बन्धित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग) **सामान्य गणित** :– इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) **मानसिक क्षमता जाँच** :– इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं – सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ) **कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान** (Basic knowledge of Computer) :– इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

10. मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे। यह परीक्षा दो पाली में ली जायेगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे :–

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान) (पहली पाली)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान	–	80 प्रश्न
(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान	–	40 प्रश्न
कुल	–	120 प्रश्न

परीक्षा अवधि – दो घंटा

पत्र – 2 (सामान्य ज्ञान) (दूसरी पाली)

(क) सामान्य अध्ययन	–	40 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	–	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	–	20 प्रश्न

(घ) मानसिक क्षमता जॉच — 20 प्रश्न

(ड०) कम्प्यूटर का ज्ञान — 20 प्रश्न

कुल 120 प्रश्न

परीक्षा अवधि – 2 घंटा

टिप्पणी – (1) पत्र–1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हत्तांक 40% (चालीस प्रतिशत) होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे।

(2) पत्र–2 (सामान्य ज्ञान) की परीक्षा में कोई न्यूनतम अर्हतांक नहीं होगा।

(3) पत्र–1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 40 (चालीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर पत्र–1 एवं पत्र–2 में प्राप्त अंकों को जोड़ कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान :–

(i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न — 20 प्रश्न

(ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न — 40 प्रश्न

इसं विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान :–

(i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न — 20 प्रश्न

(ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न — 40 प्रश्न

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

पत्र – 2 (सामान्य ज्ञान)

(क) सामान्य अध्ययन :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं

के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसी कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामायिक विषय – वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। झारखण्ड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान–खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएँ, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

(ख) **सामान्य विज्ञान** :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से सम्बन्धित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग) **सामान्य गणित** :– इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रगिति से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) **मानसिक क्षमता जाँच** :– इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं – सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ) **कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान** (Basic knowledge of Computer) :– इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

11. नियम –7(ii) के प्रावधान के अन्तर्गत गठित अनुसूची में उल्लेखित पदों/सेवाओं से सम्बन्धित सेवा/संवर्ग नियमावली में नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया/ परीक्षा

संचालन प्रावधानों के इस नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभाषी अथवा प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान **अध्यारोही प्रभाव** (overriding effects) के साथ लागू होंगे।

12. अधियाचना और मेधा सूची तैयार करने में आरक्षण/रोस्टर सम्बन्धी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत नियमों/अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।
13. इस नियम को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार किसी परीक्षा विशेष के मानक, स्वरूप एवं प्रकिया इत्यादि के विषय पर निर्णय लेने के लिए आयोग सक्षम होगा।
14. इस **नियमावली** के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वचन अंतिम होगा।
15. राज्य सरकार आवश्यकतानुसार इस नियमावली के किसी उपबंध अथवा उपबंधों को शिथिल अथवा संशोधित कर सकेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

र. कुमार 28/07/15

(रतन कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11/क0च0आ0–16–06/2013 का0 8566 /राँची, दिनांक– 28/07/2015

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची को सॉफ्ट प्रति (सी0डी0) में झारखण्ड ई–गजट के असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

र. कुमार 28/07/15

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11/क0च0आ0–16–06/2013 का0 8566 /राँची, दिनांक– 28/07/2015

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

र. कुमार 28/07/15

सरकार के सचिव।

इंटरमीडिएट/10+2 शैक्षणिक योग्यता वाले पदों की अनुसूची –1

(नियम – 7)

क्रं० सं०	विभाग का नाम	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त करना अनिवार्य)
1	2	3	4
1	पर्यटन विभाग	स्वागतक	इंटरमीडिएट/10+2 एवं कम्प्यूटर की सामान्य योग्यता।
2	स्वास्थ्य, चि0शि0 एवं प0क0 विभाग	बी0सी0जी0 दलनायक	इंटरमीडिएट विज्ञान, राज्य क्षय रोग प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षित।
		स्वास्थ्य परिदर्शक	इंटरमीडिएट विज्ञान, राज्य क्षय रोग प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षित।
		स्टाफ नर्स ग्रेड–ए	10+2 या आई0एस0सी0 (पी0सी0बी0) के साथ तथा 3 वर्ष 6 माह का जी0एन0एम0 (जेनरल नर्सिंग मिडवाईफरी) प्रशिक्षण उत्तीर्ण एवं झारखण्ड नर्सिंग काउंसिल में निबंधित।
		संगणक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/इंडरमीडिएट काउंसिल या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंडरमीडिएट (विज्ञान) कक्षा उत्तीर्ण, 2. कम्प्यूटर चलाने के सम्बन्ध में व्यावहारिक ज्ञान वांछनीय योग्यता होगी।
		बहुद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	10+2 विज्ञान या समकक्ष
		कीट संग्रहकर्ता	10+2 विज्ञान या समकक्ष
		लेबोरेटरी असिस्टेंट	रसायन शास्त्र के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष/कम्प्यूटर का ज्ञान।
3	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	सहायक परिचारिका (ए0एन0एम0)	मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से कला, विज्ञान या वाणिज्य में इंटरमीडिएट स्टाफ नर्सिंग ग्रेड ए का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य।

4	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	अमीन	इंटरमीडिएट / 10+2 तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सर्वेयर का प्रमाण पत्र
		राजस्व कर्मचारी	इंटरमीडिएट / 10+2
5	पंचायती राज, एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग	पंचायत सचिव	इंटरमीडिएट / 10+2 एवं कम्प्यूटर संचालन योग्यता।
6	वन एवं पर्यावरण विभाग	वनरक्षी	इंटरमीडिएट / 10+2 एवं शारीरिक जाँच
7	जल संसाधन विभाग	परिश्रमक / संग्राहक	इंटरमीडिएट / 10+2
8	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	गणक	गणित / अर्थशास्त्र में किसी एक विषय में 10+2 / इंटरमीडिएट
		प्रयोगशाला सहायक	इंटरमीडिएट (जीव विज्ञान के साथ)
		पशुधन सहायक	इंटरमीडिएट (जीव विज्ञान के साथ)
		प्रवैधिक सहायक	इंटरमीडिएट (जीव विज्ञान के साथ)
9	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	इकाई लिपिक एवं समकक्ष पद	इंटरमीडिएट / 10+2 उत्तीर्ण तथा हिन्दी टाईपिंग में यथा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम गति।
10	योजना एवं विकास विभाग	कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक	इंटरमीडिएट (गणित के साथ)

28/7/15

सचिव,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

पत्रांक–15 / नीति–07–14 / 2013 का०–

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

4786

प्रेषक,

राहुल कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष / प्रमण्डलीय आयुक्त / उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 01/6/15

विषयः– **सरकारी सेवा में नियुक्ति / प्रोन्नति हेतु हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दिये जानेवाले उपाधियों की स्थायी मान्यता समाप्त करने के निदेश के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–1863 दिनांक–26.02.2015 के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दी जानेवाली उपाधियाँ की मान्यता दिनांक–26.06.2014 के प्रभाव से समाप्त की जाती है एवं संदर्भित किसी भी डिग्री / प्रमाण पत्र को अब से किसी भी नियुक्ति / प्रोन्नति के लिए मान्यता नहीं दी जायेगी।

इस संदर्भ में विभिन्न स्रोत से इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जा रही है कि दिनांक–26.06.2014 के पूर्व हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा निर्गत किसी भी डिग्री / प्रमाण पत्र की मान्यता नियुक्ति / प्रोन्नति के लिए दी जायेगी अथवा नहीं।

2. कार्मिक विभाग के द्वारा निर्गत उक्त संकल्प के द्वारा निम्नांकित निर्णय संसूचित हैं:–
   (क) हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दी जानेवाली उपाधियाँ की मान्यता दिनांक–26.06.2014 के प्रभाव से समाप्त की जाती है।
   (ख) हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त किसी भी डिग्री / प्रमाण पत्र की अब से किसी भी नियुक्ति / प्रोन्नति के लिए मान्यता नहीं दी जायेगी।

निदेशानुसार, इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक–26.06.2014 के बाद किसी भी सरकारी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के लिए हिन्दी विद्यापीठ, देवघर के द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं है, चाहे उक्त प्रमाण पत्र दिनांक–26.06.2014 के पूर्व ही क्यों नहीं निर्गत किये गये हों।

विश्वासभाजन,

1/06/15

(राहुल कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

पत्रांक–15 / नीति नि०–07–04 / 2014 का० 4101

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सदस्य, राजस्व पर्षद / सभी अपर मुख्य सचिव /
सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष /
झारखण्ड लोक सेवा आयोग / झारखंण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 11/3/2015

विषयः 'झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015' के कार्यान्वयन हेतु स्पष्टीकरण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या–1348 दिनांक–13.02.2015 के द्वारा अधिसूचित 'झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015' के नियम–3(ख)(vi) में निम्न प्रावधान निरूपित हैं:–

"समिति द्वारा उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु तैयार किये गये पैनल को संबंधित प्राधिकार अर्थात् विभाग के मामले में संबंधित विभागीय प्रधान सचिव / सचिव एवं जिले से संबंधित मामलों में उनके प्रशासी विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) को भेजेगा।"

चूँकि प्रमंडल / जिला स्तर पर भिन्न–भिन्न विभागों के कर्मी कार्यरत होते हैं एवं उनका प्रशासी विभाग भी भिन्न–भिन्न होता है, अतः जिले से संबंधित मामलों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को प्रशासी विभाग मानने के संदर्भ में विभिन्न स्तरों पर संशय की स्थिति प्रतिवेदित की जा रही है।

इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना है कि संदर्भाधीन नियमावली के प्रावधानानुसार नियमितीकरण के वैसे मामले, जो किसी विभाग से संबंधित हों एवं उक्त विभाग के कर्मी क्षेत्रीय स्तर पर अर्थात जिले में पदस्थापित हों, तो उनके नियमितीकरण हेतु तैयार किये गये पैनल को समिति के द्वारा संबंधित प्रशासी विभाग को भेजा जायेगा।

परन्तु वैसे कर्मी, जो जिला के अन्तर्गत समाहरणालय से संबद्ध हो, से संबंधित पैनल को समिति के द्वारा उनके प्रशासी विभाग अर्थात् राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा जायेगा।

अनुरोध है कि उक्त के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(एस० के० शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

पत्र संख्या–11/क0च0आ0–16–05/2013 का0 4124

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

एस0 के0 शतपथी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग/स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग/श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/वित्त विभाग/कल्याण विभाग/समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग/मानव संसाधन विकास विभाग/सहकारिता विभाग/ जल संसाधन विभाग/उद्योग विभाग/कृषि एवं गन्ना विकास विभाग/पशुपालन एवं मत्स्य विभाग/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/योजना एवं विकास विभाग/पर्यटन विभाग/खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक–08 मई, 2015

विषयः– झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 गठित की जा रही है। उक्त नियमावली के द्वारा आपके विभाग के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई संचालित होनी है इस परिप्रेक्ष्य में संलग्न नियमावली प्रारूप में सेवा/सेवा सम्वर्ग के लिए निर्धारित विभिन्न प्रावधानों/शर्तों के आलोक में अपना मन्तव्य एक सप्ताह के भीतर विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराया जाय।

यदि कोई विभाग या इसके अधीन बोर्ड/निगम/संस्थाओं को इस नियमावली में शामिल किया जाना है तो तदनुसार प्रस्ताव दिया जाय।

विश्वासभाजन,

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 15/04/2015

संख्या :– 12/लि०से०–22–18/2014 का० 3384 / भारत के संविधान के अनुच्छेद – 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड/ झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2012 में निम्नांकित संशोधन करते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :–

(क) यह नियमावली 'झारखण्ड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड/ झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2014 कहलाएगी।

(ख) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2012 के नियम 2(i)(ख) में वर्णित परीक्षा की परिभाषा को विलोपित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"परीक्षा" से अभिप्रेत है संबंधित सेवा के संदर्भ में झारखण्ड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड/ झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती के निमित्त आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा।

3. उक्त नियमावली, 2012 के नियम 3(1) में वर्णित प्रावधान को विलोपित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड से प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग सहायक ग्रेड/निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/आशुलिपिक ग्रेड के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए गठित परीक्षा नियमावली के अनुसार तीनों सेवाओं के लिए अलग–अलग परीक्षा का आयोजन करेगा।

4. उक्त नियमावली, 2012 के नियम 6 में वर्णित प्रावधान को विलोपित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

6 (क) सहायक ग्रेड/निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/आशुलिपिक ग्रेड के लिए परीक्षा का स्वरूप अलग–अलग होगा।

6 (ख) अधोलिखित नियम 8, 9, 11 एवं 13 सहायक ग्रेड के संबंध में, नियम 14 (i) निम्नवर्गीय लिपिक के संबंध में तथा नियम 14 (ii) आशुलिपिक ग्रेड के संबंध में लागू होंगे।

6 (ग) परीक्षा की प्रक्रिया का निर्धारण, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा

6 (घ) यदि आयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया जाता है तो प्रारम्भिक परीक्षा के माध्यम से कुल रिक्तियों के 5 (पाँच) गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा में सम्मिलित कराने के उद्देश्य से किया जायेगा और मुख्य परीक्षा के आधार पर ही सामान्य मेधासूची का प्रारूप तैयार किया जायेगा।

5. उक्त नियमावली, 2012 के नियम 14 में वर्णित प्रावधान को विलोपित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

14. (i) निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड में सीधी भर्त्ती हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम –

(क) लिखित परीक्षा तीन विषयों, यथा हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं गणित में ली जायेगी। प्रत्येक पत्र 3 (तीन) घंटे का होगा तथा प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 100 (एक सौ) का होगा। हिन्दी विषय में कम–से–कम 30 (तीस) प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा यह विषय मात्र योग्यता प्रदायी विषय रहेगा। शेष दो विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जाएगी। प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम मैट्रिक स्तर का होगा।

(ख) लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची के अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवारों को टंकण जाँच में सम्मिलित होना होगा। कम्प्यूटर पर उम्मीदवारों को हिन्दी में 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 (तीन सौ) शब्दों को 10 (दस) मिनट में टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए डेढ़ प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा। इस जाँच के आधार पर सफल उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी।

14. (ii) आशुलिपिक ग्रेड में सीधी भर्त्ती हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम –

(क) लिखित परीक्षा एक पत्र में तीन विषयों, यथा 1.हिन्दी भाषा एवं अनुच्छेद (100 अंक), 2.सामान्य अध्ययन (50 अंक) तथा 3.तर्क एवं मानसिक क्षमता जाँच (50 अंक) में ली जायेगी। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं 3 (तीन) घंटे की होगी। प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम मैट्रिक स्तर का होगा।

(ख) लिखित परीक्षा के आधार पर न्यूनतम अर्हतांक जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया गया हो, किन्तु सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर आरक्षण श्रेणीवार निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से अन्यून हो, प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को आशुलेखन एवं टंकण जाँच में सम्मिलित होना होगा। उम्मीदवारों की अर्हता की व्यावहारिक जाँच के आधार पर आयोग मेधा सूची (पैनल) तैयार कर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को अनुशंसा भेजेगा।

(ग) आशुलेखन जाँच हेतु 320 शब्दों को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक हिन्दी श्रुतिलेख दिया जायेगा। इसके पूर्व एक मिनट का समय श्रुतिलेख जाँच हेतु दिया जायेगा। श्रुतिलेख टंकित करने हेतु 20 मिनट का समय दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को कम्प्यूटर पर टंकण आरम्भ करने के पूर्व 2 मिनट का समय श्रुतिलेख को पढ़ने के लिए दिया जायेगा। श्रुतिलेख के टंकण की शुद्धि टंकण हेतु निर्धारित समय के अन्तर्गत ही करनी होगी। श्रुतिलेख के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर पर उम्मीदवारों को हिन्दी में 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 (तीन सौ) शब्दों को 10 (दस) मिनट में टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए डेढ़ प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा।

6. उक्त नियमावली, 2012 के नियम 15 में वर्णित प्रावधान को विलोपित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

15. सेवावार मेधा सूची प्रारूप तैयार करने के पश्चात् आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कराई जायेगी एवं तत्पश्चात् आयोग द्वारा अंतिम अनुशंसा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

15/4/15

(एस0के0 शतपथी)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12 / लि०से०–22–18 / 2014 का०– 3384 / राँची, दिनांक 15.04.2015

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/4/15

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12 / लि०से०–22–18 / 2014 का०– 3384 / राँची, दिनांक 15.4.2015

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, राँची / सचिव, झारखण्ड विधान सभा / राज्यपाल सचिवालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/4/15

सरकार के प्रधान सचिव।

पत्रांक–15/नीति–07–14/2013 का०1863
झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त,
झारखण्ड।

रॉची, दिनांक–26 फरवरी,2015

विषयः– सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दिये जानेवाले उपाधियों यथा प्रवेशिका, साहित्यभूषण एवं साहित्यालंकार को क्रमशः मैट्रीक, आई०ए० एवं बी०ए० के समकक्ष स्थायी मान्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–6063 दिनांक–03.11.2003 के द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पंटना के पत्र संख्या–8/आर0 303/84 का0 541 दिनांक–11.01.1991, जो हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त उपाधियों यथा प्रवेशिका, साहित्यभूशण एवं साहित्यालंकार को क्रमशः मैट्रिक, आई०ए० ,एवं बी०ए० के समकक्ष स्थायी मान्यता देने से सम्बन्धित है, को झारखण्ड राज्य में लागू रहने का निदेश संसूचित किया गया था।

राज्य सरकार के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दिये जानेवाली उपाधियों यथा प्रवेशिका, साहित्यभूशण एवं साहित्यालंकार की क्रमशः मैट्रिक, आई०ए० एवं बी०ए० के समकक्ष स्थायी मान्यता को दिनांक–26.06.2014 के प्रभाव से समाप्त करते हुए विभागीय पत्रांक–6063 दिनांक–03.11.2003 को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में स्पष्ट करना है कि हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त उक्त विषयक किसी भी डिग्री/प्रमाण–पत्र को अबसे किसी भी नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए मान्यता नहीं दी जायेगी।

विश्वासभाजन,

(एस० के० शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव ।



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 130 राँची, बुधवार

13 फाल्गुन, 1936 (श०)

4 मार्च, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

13 फरवरी, 2015

संख्या-15/नीति नि०-07-04/2014 का०- 1348 -- भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा याचिका संख्या-डब्ल्यू० पी० (एस०) - 5924/2003, रमेश महतो बनाम झारखण्ड राज्य. एवं अन्य में दिनांक 31 जुलाई, 2012 को पारित न्यायादेश के आलोक में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी एवं अन्य (2006), कर्नाटक राज्य बनाम एम० एल० केशरी एवं अन्य

(2010) तथा पंजाब वाटर सप्लाई एवं सिवरेज बोर्ड बनाम रणजोध सिंह एवं अन्य (2007) में दिए गए न्याय निर्णय में सन्निहित विन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

(i) संक्षिप्त नाम:- यह नियमावली 'झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015' कही जायेगी ।

(ii) विस्तार:- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) प्रभाव की तिथि:- राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से यह नियमावली प्रवृत होगी ।

2. परिभाषाएँ

(i) राज्य सरकार:- 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार ।

(ii) अनियमित नियुक्ति:- 'अनियमित नियुक्ति' से तात्पर्य है यथोचित प्रक्रिया अपनाये बिना प्राधिकार द्वारा की गई नियुक्ति, जिसमें अवैध नियुक्ति शामिल नहीं है अर्थात् उक्त नियुक्ति स्वीकृत पद के विरूद्ध की गयी हो एवं कर्मी उक्त पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों, किन्तु चयन में खुली प्रतिस्पर्धा का रास्ता नहीं अपनाया गया हो ।

(iii) आयोग/चयन प्राधिकार:-'आयोग/चयन प्राधिकार' से अभिप्रेत है सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु घोषित आयोग/सक्षम प्राधिकार ।

(iv) समिति:- 'समिति' से अभिप्रेत है सरकार द्वारा विभाग एवं प्रमंडल/जिला स्तर पर गठित समिति।

3. प्रावधान

इस नियमावली के निम्नलिखित प्रावधान होंगे:-

(क) सेवा नियमितीकरण:-

(i) कर्नाटक सरकार एवं अन्य बनाम उमादेवी एवं अन्य (सिविल अपील संख्या-3595-3612/99, 1861-2063, 3849/2001, 3520-24/2002 तथा 1968/2006) में दिनांक 10 अप्रैल, 2006 को पारित न्यायादेश की तिथि को आधार तिथि मानते हुए उक्त तिथि के पूर्व न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों के द्वारा पारित आदेश से आच्छादित मामलों को छोड़कर सृजित पदों के विरूद्ध कार्यरत एवं कम-से-कम 10 वर्षों की लगातार सेवा करने वाले अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमितीकरण पर विचार किया जा सकेगा ।

(ii) यदि किसी कर्मी द्वारा धारित पद स्वीकृत न हो तथा वह निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करता हो, तो कालान्तर में धारित पद स्वीकृत होने एवं पदधारक द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर लेने की स्थिति में भी उसकी सेवा नियमितीकरण पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(iii) उक्त नियुक्तियाँ सक्षम प्राधिकार के द्वारा की गई हों ।

(iv) संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए कर्मी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव धारित करते हों।

(v) इसके लिए पदों का सृजन नहीं किया जायेगा ।

(vi) नियमितीकरण में आरक्षण विषयक प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा ।

(vii) नियमितीकरण के लाभ नियमित नियुक्ति की तिथि से देय होंगे ।

(viii) इस नियुक्ति के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-16441 दिनांक 03 दिसम्बर, 1980 एवं समूह 'ग' के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया निरूपित करने वाले परिपत्र शिथिल समझे जायेंगे ।

(ix) यह नियम उन पदों पर नियुक्तियों के लिए लागू नहीं होगा, जिन पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग/चयन प्राधिकार नियुक्ति के समय कार्यरत थे ।

(x) उक्त कार्रवाई मात्र एक समव्यवहार (One time measure) के लिए की जायेगी एवं इसे पूर्वोद्धारण नहीं माना जायेगा ।

(ख) <u>प्रक्रिया का निर्धारण</u>:-

(i) उपर्युक्त रूप से योग्य कर्मियों की सेवा नियमितीकरण हेतु प्रत्येक विभाग में अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति गठित की जायेगी:-

1.	विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव	-	अध्यक्ष
2.	विभाग के प्रभारी विशेष/संयुक्त सचिव/उप सचिव	-	सदस्य सचिव
3.	विभागाध्यक्ष, यदि कोई हों	-	सदस्य
4.	स्थापना समिति में पूर्व से अनुसूचित जाति /जनजाति के मनोनीत प्रतिनिधि	-	सदस्य
5.	वित्त विभाग के प्रतिनिधि जो उप सचिव से अन्यून स्तर के हों	-	सदस्य

(ii) प्रमण्डल/जिला स्तर पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण हेतु समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा:-

1.	प्रमंडलीय आयुक्त	-	अध्यक्ष
2.	संबंधित उपायुक्त	-	सदस्य
3.	प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा मनोनीत उपविकास आयुक्त/अपर समाहर्ता	-	सदस्य

4. संबंधित जिले की स्थापना समिति में पूर्व से अनुसूचित जाति/जनजाति के मनोनीत प्रतिनिधि - सदस्य

5. प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव - सदस्य

6. संबंधित जिले के प्रभारी उप समाहर्ता (स्थापना) - सदस्य सचिव

(iii) राज्य के सरकारी उपक्रम, निकाय, निगम इत्यादि में संबंधित समिति का गठन संबद्ध प्रशासी विभाग के स्तर से की जायेगी, जिसमें कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जायेगी ।

(iv) सभी विभाग/प्रमंडल/जिला/क्षेत्रीय कार्यालयों एवं अधीनस्थ सरकारी उपक्रम, निकाय, इत्यादि कंडिका-3(क) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के संबंध में सभी कागजातों/अभिलेखों/साक्ष्यों सहित वांछित सूचनाओं के साथ सूची तैयार कर इसे संबंधित समिति को उपलब्ध करायेगा ।

(v) उम्मीदवारों के संबंध में सूचना प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित समिति तत्संबंधी मामले में एक बैठक आयोजित करेगा एवं उपर्युक्त सभी शर्तों के अनुपालन की जाँच एवं आकलन कर एक पैनल तैयार करेगा ।

(vi) समिति द्वारा उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु तैयार किये गये पैनल को संबंधित प्राधिकार अर्थात् विभाग के मामले में संबंधित विभागीय प्रधान सचिव/सचिव एवं जिले से संबंधित मामलों में उनके प्रशासी विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) को भेजेगा ।

(vii) समिति द्वारा भेजे गये अनुशंसित उम्मीदवारों के पैनल को संबंधित प्रशासी विभाग इन मामलों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग तथा वित्त विभाग की सहमति के उपरांत समेकित रूप से मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा ।

मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोपरांत संबंधित सूची प्रशासी विभाग के द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(viii) नियुक्ति प्राधिकार प्राप्त सूची के आधार पर उम्मीदवारों की सेवा नियमितीकरण के मामले पर इस नियमावली के लागू होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर निर्णय लेगा ।

इनसे अनाच्छादित अन्य कर्मियों की सेवा तत्क्षण प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

(ग) <u>अन्यान्यः</u>-

नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों तथा संबंधित न्यायादेशों में अगर कोई विरोधाभाष हो, तो न्यायादेश के प्रावधान ही प्रभावी होंगे ।

उक्त व्यवस्था के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो तो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग इस संबंध में दिशा-निदेश जारी करेगा ।

4. निरसन एवं व्यावृत्ति

(i) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व इस नियमावली के विषयों पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत कोई नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से निरसित समझे जायेंगे।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी यदि कोई नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों द्वारा कोई किया गया कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस० के० शतपथी,

सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 130--50 ।

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 8/9 /2014

संख्या :– 8/नीति–03/2014 का॰.....8988/ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची की अधिसूचना संख्या 400 दिनांक 16.01.2012 द्वारा गठित झारखंड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड/झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखंड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2012 के नियम 4 (ii) को उक्त नियमावली के नियम 18 तथा भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल निम्नलिखित रूप से संशोधित करते हैं :–

नियम 4 (ii) – आयु

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित। अभ्यर्थियों की उम्र की गणना अधियाचना के वर्ष की **पहली अगस्त** को संदर्भ तिथि मानकर की जायेगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

3/9/14

(एस0 के0 शतपथी)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 8/नीति–03/2014 का॰.....8988/ राँची, दिनांक.....8/9..... 2014

प्रतिलिपि :– ई.नोडल पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ और इस विभाग को 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ भेजने के लिए सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

3/9/14

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 8/नीति–03/2014 का॰.....8988/ राँची, दिनांक.....8/9..... 2014

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखंड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक, उच्चन्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

3/9/14

सरकार के प्रधान सचिव।

पत्रांक :– 3/नीति–704/2010 (खण्ड) का॰ 12397/
झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

एन0 एन0 सिन्हा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
झारखंड।

राँची, दिनांक 06 नवम्बर, 2012

विषय :– झारखंड सचिवालय सेवा/झारखंड प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।

महाशय/महाशया,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक 4569 दिनांक 05.07.2002 द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं तथा इस विभाग के पत्रांक 8009 दिनांक 09.12.2009 द्वारा उक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. वित्त विभाग के उक्त पत्र की कंडिका 1(ख) में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि संविदा पर नियुक्ति मात्र ऐसे पदों पर की जायगी, जिसमें प्रशासी पदवर्ग समिति ने विशिष्ट रूप से संविदा पर रखने की अनुशंसा की हो या जिसमें मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन ऐसी नियुक्ति करने में प्राप्त हो गया हो।

3. प्रायः देखा जा रहा है कि झारखंड सचिवालय सेवा/झारखंड प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पदों पर सेवानिवृत्त पदधारकों की नियुक्ति संवर्ग नियंत्री प्राधिकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना की जा रही है। इससे प्रशासनिक अनुशासन के साथ वित्तीय अनुशासन भी प्रभावित होता है। आप सहमत होंगे कि झारखंड सचिवालय सेवा/झारखंड प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति इस विभाग से सहमति प्राप्त करने के बाद ही की जा सकती है और ऐसी नियुक्ति करने की शक्तियाँ संबंधित प्रशासी विभाग को प्रत्यायोजित नहीं है।

4. अतः अनुरोध है कि झारखंड सचिवालय सेवा अथवा झारखंड प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पदों पर सेवानिवृत्त पदधारकों की नियुक्ति की सूची इस विभाग में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ऐसी नियुक्तियों की आवश्यकता होने पर इस विभाग से अनुरोध किया जाय।

5. इस पर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

5/11/2012

(एन0 एन0 सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव।

पत्रांक–7ए/नीति नि०–07–10/2010 का०– 12199
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

एस० के० चौधरी,
मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:– 1/11/2012

विषय:– राज्य की सेवाओं/संवर्गों में भर्त्ती नियमावली का गठन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–4037 दिनांक–03.07.2008, पत्रांक–3984, दिनांक–17.06.2009, पत्रांक–4308, दिनांक–03.07.2009 एवं पत्रांक–4666 दिनांक–03.08.2010 के द्वारा निदेश दिया गया है कि विभिन्न सेवाओं/संवर्गों/समूहों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त नियमावली के गठन का प्रस्ताव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा गठित मानक प्रपत्र में केन्द्रीय सेवाशर्त्त के अनुरूप दिये जायें।

इस संबंध में कतिपय विभागों से प्राप्त प्रस्ताव उक्त दिशा–निर्देश के आलोक में नहीं दिये जाते हैं एवं इसमें कार्मिक प्रबंधन के अनेक मौलिक तथ्यों का समावेश नहीं किया जाता है।

2. इन विन्दुओं पर विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं:–

(क) राज्य स्तरीय सेवा अथवा राज्य सेवा/संवर्ग के मूल पद (Basic Grade Post) पर Entry के मुख्यतः दो तरीके होते है :–

(i) झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के आलोक में तैयार की गई मेधा सूची के आधार पर स्वीकृत बल के 75 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्त्ती द्वारा।

(ii) शेष 25 प्रतिशत पदों पर वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि इस संबंध में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्ताव में एकरूपता का अभाव रहता है।

अतः विभागों के द्वारा राज्य स्तरीय सेवा अथवा राज्य सेवा/संवर्ग में मूल पद पर Entry के सन्दर्भ में Feeder Post/Cadre की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक संभव हो 75 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्त्ती एवं 25 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के प्रस्ताव दिये जायें। साथ ही जहाँ आवश्यक हो, प्रोन्नति हेतु योग्यता का निर्धारण सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाय।

(ख) वेतन पुनरीक्षण समिति के द्वारा अभियंत्रण विभाग के कतिपय पद यथा नील चित्रक, अनुरेखक तथा अन्य पदों को Dying Post घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

विभिन्न विभागों के द्वारा प्रस्तावित नियमावली में वैसे पदों को सम्मिलित किया जा रहा है, जो अनुपयोगी हैं एवं जिनकी वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं रह गई है।

अतः इन अनुपयोगी एवं Dying Posts की पहचान करते हुए सेवा शर्त्त नियमावली में उक्त पदों को सम्मिलित नहीं किया जाय।

(ग) नियुक्ति एवं प्रोन्नति की प्रक्रिया के निर्धारण की सुसंगत कंडिका में राज्य में विद्यमान आरक्षण के प्रावधान का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

(घ) सेवा सम्पुष्टि, वार्षिक वेतन वृद्धि, प्रोन्नति इत्यादि के लिए विहित विभागीय परीक्षा, हिन्दी प्रारूप्पण एवं टिप्पण परीक्षा, जन जातीय भाषा परीक्षा, कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा तथा केन्द्रीय परीक्षा नियमावली में प्रावधानित परीक्षा का स्पष्ट अंकण नियमावली में की जाय।

(ड.) विभिन्न विभागों के द्वारा उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन का प्रस्ताव झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन विनियम–2000) के नियम एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा निर्गत संकल्प ज्ञापांक–5161 दिनांक–25.09.2008 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में दिये जायें।

(च) सभी विभागों के द्वारा उनके अधीनस्थ सेवा/संवर्ग की सेवा शर्त्त नियमावलियाँ 31 मार्च, 2013 तक अवश्य ही गठित कर लिये जायें।

निर्धारित अवधि तक इस निदेश का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित विभागीय प्रधानों/नियंत्री पदाधिकारी/विभागाध्यक्षों की वर्ष 2012–13 की वार्षिक गोपनीय चारित्री में इस आशय की स्पष्ट टिप्पणी अंकित की जायेगी।

परिपत्र संख्या–4037 दिनांक–03.07.2008, जिसके द्वारा सेवाशर्त्त नियमावली के गठन हेतु मानक प्रपत्र निर्गत किये गये हैं, जिसे http://jharkhand.gov.in/DEPTDOCUPLOAD/ uploads/ 34 / D201234100.pdf पर देखा जा सकता है।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

30.10.2012

(एस० के० चौधरी)
मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–7ए/नीति नि०–07–10/2010 का०– 12199 राँची, दिनांकः– 1/11/2012

प्रतिलिपिः– विकास आयुक्त/सदस्य, राजस्व पर्षद/राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30/10/2012

सरकार के प्रधान सचिव

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 16/ 01 /2012

संख्या :– 3/नीति–701/2011 का. 408 /भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :–

1. *संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार*

(i) यह नियमावली झारखंड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड/झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखंड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2012 कहलाएगी।

(ii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. (I) *परिभाषा* :– जब तक कि संदर्भ में अन्यथा वर्णित न हो, –

(क) *"उपलब्ध रिक्तियाँ"* से झारखंड सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड/झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखंड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड में ऐसी रिक्तियाँ अभिप्रेत है, जिन्हें खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरा जाना अपेक्षित है;

(ख) *"परीक्षा"* से झारखंड सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड/झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखंड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड पर सीधी भर्त्ती के लिए आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है;

(ग) *"अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति"* के वही अर्थ है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खण्ड 24 और खण्ड 25 में समनुदेशित है।

(घ) *"पिछड़ा वर्ग – अनुसूची – 2 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग – अनुसूची – 1"* से झारखंड सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग – अनुसूची – 2 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग – अनुसूची – 1 के रूप में अधिसूचित जातियां अभिप्रेत है।

(ङ) *"निःशक्त व्यक्ति"* से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में यथा परिभाषित निःशक्त व्यक्ति अभिप्रेत है; और

(च) *"आयोग"* से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अभिप्रेत है।

(II) वे सभी अन्य शब्द, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और यहां परिभाषित नहीं है, किन्तु झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010/झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010/झारखंड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा नियमावली, 2011 में परिभाषित है, क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उन नियमों में हैं।

3. परीक्षा का आयोजन –

(1) आयोग सहायक ग्रेड/निम्न वर्गीय लिपिक ग्रेड/आशुलिपिक ग्रेड के पदों पर सीधी नियुक्ति के निमित्त गठित परीक्षा नियमावली के अनुसार परीक्षा का आयोजन करेगा।

(2) राज्य सरकार समय–समय पर परीक्षा के आयोजन के विषय पर संशोधन कर सकेगी।

4. **पात्रता की शर्त्तें** :– परीक्षा में सक्षमता की पात्रता के क्रम में अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्त्तों का समाधान करना चाहिए, अर्थात् :–

(i) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए,

(ii) आयु – कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित। अभ्यर्थियों की उम्र की गणना अधियाचना के वर्ष की पहली जनवरी को संदर्भ तिथि मानकर की जायेगी।

(iii) शैक्षणिक योग्यता – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री रखता हो।

(iv) शुल्क – परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क/परीक्षा शुल्क आयोग के द्वारा निर्धारित किया जायेगा, परंतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क में 50% छूट/रियायत दी जायेगी।

5. **पात्रता के बारे में विनिश्चय** – पात्रता या अर्हत्ता परीक्षा के प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसका प्रवेश–पत्र आयोग द्वारा नहीं जारी किया गया है, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

6. **अभ्यर्थियों का विकल्प** – परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को यह अधिकार होगा कि वे आयोग द्वारा मांगें जाने पर विहित प्रपत्र में सहायक ग्रेड/निम्न वर्गीय लिपिक ग्रेड/आशुलिपिक ग्रेड में भर्त्ती हेतु अपना विकल्प दें अर्थात् कोई भी अभ्यर्थी तीनों सेवाओं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के लिए विकल्प देने हेतु सक्षम होंगे। आशुलिपिक ग्रेड एवं निम्न वर्गीय लिपिक ग्रेड में भर्त्ती हेतु विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को नियम 10 एवं 11 में विहित परीक्षा के अतिरिक्त क्रमशः नियम 14 (i) एवं ii) एवं नियम 14 (ii) में विहित आशुलेखण/टंकण जांच परीक्षा एवं टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

7. **परिणाम** –

(1) अभ्यर्थियों के नाम, जिन पर आयोग द्वारा परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त होने के लिए विचार किया जाता है, उन्हें मेधा (Merit) के क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 16 के उपबंधों के अध्यधीन उनकी उतनी नियुक्तियों के लिए अनुशंसा की जायेगी, जितनी की जानी अपेक्षित हों।

(2) अभ्यर्थियों को परीक्षा के परिणामों की संसूचना का रूप और रीति का निर्णय आयोग के अपने विवेक पर होगा।

8. **परीक्षा का स्वरूप** – परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी –

(क) प्रारंभिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परंतु, प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं करने के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

9. प्रारंभिक परीक्षा –

(i) प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान (प्रारंभिक) का प्रश्न पत्र होगा । परीक्षा का विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी :–

(क) सामान्य अध्ययन–प्रश्नों की संख्या – 30 होगी ।

(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित–प्रश्नों की संख्या 30 होगी ।

(ग) मानसिक क्षमता जाँच–प्रश्नों की संख्या 30 होगी ।

(घ) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान – प्रश्नों की संख्या 30 होगी।

सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 03 (तीन) अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

(ii) परीक्षा की अवधि 2 घन्टे की होगी ।

(iii) प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा ।

(iv) प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम अधोलिखित होगा :–

खंड (क) :– सामान्य अध्ययन :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है । इसमें झारखंड, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते है ।

(i) सम–सामयिक विषयः– वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं ।

(ii) भारत देश :– भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखंड का योगदान ।

खंड – (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित :– निम्न विषय से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते है :–

(i) सामान्य विज्ञान :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र में दिनप्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ii) गणित :– इसमें सामान्यतः प्रवेशिका स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते है।

खंड:– (ग) मानसिक क्षमता जाँच :–

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं । इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:– सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृखंला एवं कुट लेखन एवं कूट व्याख्या।

खंड :– (घ) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान :–

Basic knowledge of Computer इसमें कम्प्यूटर में उपलब्ध उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते है।

10. मुख्य परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग – एनेक्सचर – 2 के लिए 36.5 (साढे छत्तीस) प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग – एनेक्सचर – 1 के लिए 34 (चौतीस) प्रतिशत तथा अनु0 जाति/अनु0 जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11. **मुख्य परीक्षा– मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे :–**

(क) **प्रश्न पत्र 1–विषय हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान :–**

(i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न बहुविकल्पीय एवं वस्तुनिष्ठ होंगे ।

(ii) इस विषय में अर्हतांक 30 प्रतिशत है जो अनिवार्य है, जो उम्मीदवार इस विषय में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नही करेंगे, उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय (सामान्य ज्ञान (मुख्य) (प्रश्न पत्र–2) का मूल्यांकन नही किया जायेगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नही समझे जायेंगे। प्राप्त अंक की गणना मेधा सूची के परियोजनार्थ की जायेगी।

(iii) इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी।

(iv) परीक्षा की अवधि 2 घन्टे की होगी।

(v) प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जायेगी ।

(ख) प्रश्न पत्र 2 – विषय सामान्य ज्ञान (मुख्य) :–

(i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे ।

(ii) प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान (मुख्य) में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी :–

(क) सामान्य अध्ययन, समसामयिक विषय, भारत देश एवं सामान्य विज्ञान – प्रश्नों की संख्या 30 होगी ।

(ख) अंकगणित – प्रश्नों की संख्या 30 होगी ।

(ग) मानसिक क्षमता जाँच – प्रश्नों की संख्या 30 होगी ।

(घ) कम्प्यूटर का मूल ज्ञान (Basic knowledge of computer) – प्रश्नों की संख्या – 30 होगी।

(iii) सामान्य ज्ञान मुख्य परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा ।

(iv) प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जायेगी ।

(v) कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी।

(vi) परीक्षा की अवधि 2 घन्टे की होगी ।

12. वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हे संघ लोक सेवा आयोग/झारखंड लोक सेवा आयोग/झारखंड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13. **मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम :–**

प्रश्न पत्र –1 : विषय हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान (मुख्य) :–

इस विषय के निम्नलिखित पाठयक्रम होंगे :–

(क)	हिन्दी अनुच्छेद आधारित प्रश्न	–	30 प्रश्न
(ख)	हिन्दी व्याकरण से संबंधित प्रश्न	–	30 प्रश्न
(ग)	अंग्रेजी अनुच्छेद (Comprehension) पर आधारित प्रश्न	–	30 प्रश्न
(घ)	अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित प्रश्न	–	30 प्रश्न

प्रश्न पत्र – 2 : विषय सामान्य ज्ञान (मुख्य) :–

खंड (क) :– सामान्य अध्ययन, समसामयिक विषय, भारत देश एवं सामान्य विज्ञान

(i) **सामान्य अध्ययनः–** सामान्य अध्ययन – इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करनी होगी। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते है।

(ii) **सम सामयिक विषय :–** वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनायें ।

(iii) **भारत देश :–** भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य एवं स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखंड का योगदान ।

(iv) **सामान्य विज्ञान :–** सामान्य विज्ञान के प्रश्न प्त्र में दिनप्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

खंड (ख) :–

(i) गणित :– (मुख्य परीक्षा) इसमें सामान्यतः प्रवेशिका स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते है।

खंड (ग) :– मानसिक क्षमता जाँच :– इसमें शाब्दिक और गैर–शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते है :– सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृखंला, गैर–शाब्दिक श्रृखंला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या।

खंड (घ) :– इसमे कम्प्यूटर के मूल ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते है।

14. आशुलेखन जांच – आशुलिपिक ग्रेड में भर्त्ती हेतु विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा निम्नलिखित रूप से आयोजित की जायेगी :–

अर्हत्ता की जांच :–

(i) आशुलेखन जांच हेतु 320 शब्दों को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक श्रुतिलेख दिया जायेगा। इसके पूर्व एक मिनट का समय डिक्टेशन जांच हेतु दिया जायेगा। श्रुतिलेख टंकित करने हेतु 20 मिनट का समय दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को टंकण आरंभ करने के पूर्व 2 मिनट का समय श्रुतिलेख को पढ़ने हेतु दिया जायेगा। श्रुतिलेख के टंकण की शुद्धि टंकण हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत ही करनी होगी। श्रुतिलेख के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 10% से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा।

(ii) उम्मीदवारों को हिन्दी में 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए डेढ़ प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा।

15. मेधासूची –

(i) सहायक ग्रेड/निम्न वर्गीय लिपिक ग्रेड/आशुलिपिक ग्रेड की मेधा सूची अभ्यथियों के विकल्प एवं आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेधा (Merit) के आलोक में संबंधित ग्रेड में अलग–अलग तैयार की जायेगी।

(ii) प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल रिक्तियों के 5 (पाँच) गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा में सम्मिलित कराने के उदेश्य से किया जायेगा और मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही सामान्य मेधासूची का प्रारूप तैयार किया जायेगा ।

(iii) मेधा सूची प्रारूप तैयार करने के पश्चात् आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से प्रमाण–पत्रों की प्रारंभिक जाँच कराई जाएगी एवं तत्पश्चात् आयोग द्वारा अंतिम अनुशंसा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजी जाएगी।

16. नियुक्ति –

(1) परीक्षा में सफलता सेवा में सहायक ग्रेड/निम्न वर्गीय लिपिक ग्रेड/आशुलिपिक ग्रेड की नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगी, जबतक झारखंड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाए, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए अपने चरित्र और पूर्ववृत्त के संबंध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(2) किसी अभ्यर्थी को सेवा के सहायक ग्रेड/निम्न वर्गीय लिपिक ग्रेड/आशुलिपिक ग्रेड में तबतक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जबतक वह ऐसी चिकित्सीय जांच, जिसे झारखंड सरकार विहित करे, के पश्चात् किसी मानसिक या शारीरिक त्रुटि से मुक्त पाया गया हो, जिससे सेवा के कर्त्तव्यों के निर्वहन में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना हो।

(3) सेवा में नियुक्तियाँ, समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग – अनुसूची – 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग – अनुसूची – 1, निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं एवं खिलाड़ियों के लिए सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के संबंध में आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. इस विनियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वचन अंतिम होगा।

18. जहां राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए इस नियमावली के किसी उपबंधों को शिथिल अथवा संशोधित कर सकेगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

16/1/2012

(आदित्य स्वरूप)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 3/नीति–701/2011 का– 400 /राँची, दिनांक 16/01/2012

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, रांची को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

2. कृपया इसकी 500 (पांच सौ) मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को तुरंत भेजें।

16/1/2012

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 3/नीति–701/2011 का– 400 /राँची, दिनांक 16/01/2012

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखंड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, रांची/सचिव, झारखंड विधान सभा/राज्यपाल सचिवालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

16/1/2012

सरकार के प्रधान सचिव।

पत्रांक–7ए/नीति नि0–07–10/2010 का०– 4666

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

आदित्य स्वरूप,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, रांची।

रांची, दिनांक 02 अगस्त, 2010

विषय : राज्य की सेवाओं/संवर्गों में भर्त्ती नियमावली का गठन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–4037, दिनांक 03.07.2008, पत्रांक–3984, दिनांक 17.06.2009 एवं पत्रांक–4308, दिनांक 03.07.2009 का कृपया निदेश किया जाय, जिसके द्वारा विभिन्न सेवा/संवर्गों/समूहों की भर्त्ती (नियुक्ति प्रोन्नति, सेवाशर्त्त) नियमावली में एकरूपता स्थापित करने के निमित्त एक मानक प्रारूप भेजते हुए तत्संबंधी प्रस्ताव पर इस विभाग से सहमति प्राप्त करने की अपेक्षा की गयी थी।

विषयगत् मामले में कतिपय विभागों से प्राप्त प्रस्ताव केन्द्रीय सेवा शर्त्त के अनुरूप नहीं है एवं ना ही पदों के वर्गीकरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख रहता है। इसके साथ–साथ अन्य कई त्रुटियाँ भी प्रस्तावित नियमावली में परिलक्षित होती है।

अतः अनुरोध है कि –

(i) प्रस्तावित नियमावली केन्द्रीय सेवा शर्त्त के अनुरूप हो।
(ii) नियमावली में उक्त सेवा/संवर्गों के संबंध में पूर्व में अंकित प्रावधान अथवा केन्द्रीय सेवा शर्त्त में किये गये प्रावधान के अतिरिक्त कोई नया प्रावधान अंकित नहीं किया जाय।
(iii) पदों का वर्गीकरण एवं प्रोन्नति का पद सोपान स्पष्ट रूप से अंकित किये जाये।
(iv) आरक्षण, अनुशासनिक कार्रवाई, नियुक्ति इत्यादि का प्रावधान स्पष्ट रूप से निरूपित किये जाये।

इसके साथ–साथ यह भी कहना है कि आपके विभाग/कार्यालय के नियंत्रणाधीन कितने सेवा/संवर्गों की नियमावली निर्गत की जा चुकी है एवं कितने नियमावली प्रक्रियाधीन है, इसकी सूचना से इस विभाग को शीघ्र अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन,

adity 3/8/2010

(आदित्य स्वरूप)
सरकार के प्रधान सचिव।

letter

पत्रांक–7 / विविध–24–05 / 2008 का॰– 4037

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

आर0एस0 शर्मा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष।

रांची, दिनांक 03 जुलाई, 2008

विषय : राज्य की सेवाओं / संवर्गों में भर्त्ती नियमावली के गठन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुख्य सचिव के अर्द्ध सरकारी पत्र दिनांक 25.01.2004 का कृपया निदेश किया जाय जिसके द्वारा विभिन्न सेवा / संवर्गों / समूहों की नियुक्ति / प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली गठित करने की कार्रवाई शीघ्र पूरा किये जाने की अपेक्षा की गई थी।

कतिपय विभागों से सेवा नियमावली गठन से संबंधी नियमावली का जो प्रारूप इस विभाग की सहमति के लिए प्राप्त होती है, उनमें कतिपय त्रुटियाँ रहती है जिससे कार्य निष्पादन में कठिनाई आती है।

विभिन्न सेवा / संवर्गों / समूहों की भर्त्ती (नियुक्ति / प्रोन्नति / सेवा शर्त्त) नियमावली में एकरूपता स्थापित करने के लिए विभाग द्वारा सरकारी सेवा नियमावली गठन का एक मानक प्रारूप **(प्रति संलग्न)** तैयार किया गया है जिसमें निम्न बिन्दुओं पर विभाग का सुविचारित निर्णय के आलोक में स्थिति का उल्लेख किया जाना वांछनीय है :–

(i) विभाग की सांगठनिक ढांचा

(ii) संवर्गीय संरचना (पद सोपान)

(iii) विभिन्न पदों पर भर्त्ती संबंधी प्रावधान

(iv) प्रोन्नति संबंधी प्रावधान (विभागीय प्रोन्नति समिति का स्वरूप तथा वैसे मामलों का उल्लेख जिनमें झा.लो.से. आयोग की अनुशंसा अपेक्षित हो)।

(v) अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित प्रावधान।

विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार मानक प्रारूप में अपने अधीन सेवा/ की स्थिति को देखते हुए इसमें अन्य प्रावधान भी उल्लेखित कर सकते हैं।

अनुरोध है कि सेवा नियमावली के गठन के संदर्भ में उपर्युक्त अपेक्षाओं के आलोक में प्रस्ताव गठित करने की कार्रवाई की जाय तथा पूरी स्थिति संचिका में उल्लेखित करते हुए प्रस्ताव पर कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग से परामर्श हेतु भेजी जाय।

(इस पत्र को विभाग के वेबसाईट **jharkhand.gov.in** के **Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha** के कॉलम में भी रख दिया गया है।)

विश्वासभाजन,

(आर0 एस0 शर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 141 — 4 ज्येष्ठ 1926 शकाब्द

रांची, मंगलवार, 25 मई, 2004

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

24 मई, 2004

विषय :- झारखण्ड लोक सेवा आयोग की असैनिक सेवा संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य क्रम में वैकल्पिक विषय के रूप में जनजातीय एवं स्थानीय भाषाओं को शामिल करने के सम्बन्ध में ।

संख्या-2719---कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 6525, दिनांक 30 नवम्बर, 2002 द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित होनेवाली परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदत्त है ।

झारखण्ड राज्य के सृजन के साथ ही विभिन्न स्तरों से यह माँग उठती रही है कि राज्य की जनजातीय एवं स्थानीय भाषाओं को झारखण्ड लोक सेवा आयोग की असैनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाय क्योंकि जनजातीय एवं स्थानीय भाषाएँ जनता की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम रही है ।

झारखण्ड की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान की प्रतीक बनी जनजातीय भाषाओं को राज्य लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम में शामिल करने के बिन्दु पर जन प्रतिनिधियों के सुझाव प्राप्त होते रहे एवं राज्य विधान-सभा में भी कई बार एतद् संबंधी माँग माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गई ।

जन प्रतिनिधियों की माँगों एवं स्थानीय भाषाओं के संबंध में सामाजिक मान्यताओं तथा उपलब्ध सांख्यिकी के समीक्षोपरान्त राज्य सरकार ने निम्नांकित नौ जनजातीय/स्थानीय भाषाओं को झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा असैनिक सेवा में नियुक्ति हेतु आयोजित, संयुक्त (मुख्य) परीक्षाओं में एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है :-

1. संथाली	2. मुण्डारी	3. हो
4. खड़िया	5. कुड़ुख (उराँव)	6. कुरमाली
7. खोरठा	8. नागपुरी	9. पंच परगनिया

Published on State Portal of Jharkhand (http://www.jharkhand.gov.in)

आदेश : आदेश है कि इसकी प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
मुखत्यार सिंह,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 141--300+100--शनि मुण्डा ।

Published on State Portal of Jharkhand (http://www.jharkhand.gov.in)

खण्ड–3

अध्याय–2
(परीक्षा संचालन संबंधी मार्गदर्शन)

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

संख्या– 805 राँची, दिनांक :– 5.2.2021

विषय– **झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट–ऑफ तिथि के निर्धारण के संबंध में।**

झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य गठन से अद्यावत कुल छह संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किया गया है।

2. विभागीय संकल्प सं0 7052 दिनांक 17.08.2016 के द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 (विज्ञापन सं0 23/2016) में अभ्यर्थियों की अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु क्रमशः 01.08.2010 एवं 01.08.2016 कट–ऑफ तिथि निर्धारित की गई थी। उक्त परीक्षा के विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम अनुशंसा में किन्हीं कारणों से लगभग 4 वर्षों से अधिक का समय लग गया है। आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम उम्र सीमा में छूट देने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

3. The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 के नियम 6 में निम्नांकित प्रावधान किया गया है–

6. Age:-

(i) A candidate should have completed the minimum age of 21 years and must not have attained the age of 35 years on the 1st day of the following month from the date of publication of the advertisment for the examination under these rules.

(ii)(a) The upper age limit prescribed above will be relaxable as below or as amended by the Government from time to time-

Sl. No.	Category	Upper Age Limit
1	Extremely Backward Classes (Annexure-I)/Backward Classes (Annexure-II)	37 years
2	Female (Unreserved/ Extremely Backward Classes (Annexure-I)/Backward Classes (Annexure-II))	38 years
3	Scheduled Tribes/Scheduled Castes (Male and Female)	40 years
4	Economically Weaker Section (EWS)	35 years

4. आयोग के द्वारा माह फरवरी, 2021 में आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन का प्रकाशन किया जाना सम्भावित है। **अतः राज्य सरकार के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु क्रमशः दिनांक 01.08.2016 एवं दिनांक 01.03.2021 कट–ऑफ तिथि सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए रखे जाने का निर्णय लिया गया है।**

5. चूँकि The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 के नियम 4(i) में यह प्रावधानित है कि आयोग प्रत्येक वर्ष इस नियमावली के तहत संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। अतः सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा का उपरोक्त कट ऑफ तिथि के छूट का प्रावधान मात्र आगामी परीक्षा के लिए मान्य होगा।

6. प्रस्ताव पर विभागीय संलेख संख्या 11/लो0से0आ0–01–19–2016 का0–742 दिनांक 03.02.2021 के द्वारा मंत्रिपरिषद की दिनांक 03.02.2021 की बैठक में मद संख्या–35 के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को भेजी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/लो0से0आ0–01–19/2016 का0 **805**/राँची, दिनांक– **5.2.2021**

प्रतिलिपिः– नोडल ऑफिसर, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/अधीक्षक, राजकीय प्रेस, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/लो0से0आ0–01–19/2016 का0 **805** /राँची, दिनांक– **5.2.2021**

प्रतिलिपिः– माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

29
04/01/2021

संकल्प

विषयः— सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु आयु–सीमा का निर्धारण।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक–609, दिनांक 25.01.2016 के द्वारा राज्य के सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की गई है :–

				विकलांगों के लिए
(क)	(i)	अनारक्षित	– 35 वर्ष	– 40 वर्ष
	(ii)	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	– 37 वर्ष	– 42 वर्ष
	(iii)	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	– 38 वर्ष	– 43 वर्ष
	(iv)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	– 40 वर्ष	– 45 वर्ष
(ख)	भूतपूर्व सैनिको (Ex-servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में 05 वर्षों की छूट।			

उक्त संकल्प दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2020 तक प्रभावी था।

2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–34(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग संकल्प संख्या–7636 दिनांक–12.10.2018 द्वारा राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु अधिकतम उम्रसीमा में कोटिवार 10 (दस) वर्षों की छूट निम्नवत् प्रदान की गयी है:–

क्रं०	कोटि	सामान्य अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
1.	अनारक्षित	35 वर्ष	45 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	48 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य में सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु पूर्व में निर्धारित अधिकतम आयुसीमा को यथावत रखते हुए राज्य के सरकारी सेवाओं में नियोजन हेतु अधिकतम उम्रसीमा को निम्नवत निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

				विकलांगों के लिए
(क)	(i)	अनारक्षित	– 35 वर्ष	– 45 वर्ष
	(ii)	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	– 37 वर्ष	– 47 वर्ष
	(iii)	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	– 38 वर्ष	– 48 वर्ष
	(iv)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	– 40 वर्ष	– 50 वर्ष
	(v)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	– 35 वर्ष	– 45 वर्ष
(ख)	भूतपूर्व सैनिको (Ex-servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में 05 वर्षों की छूट।			

सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु–सीमा अगले पाँच वर्षों तक अर्थात दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2025 तक प्रभावी रहेगा। दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु अधिकतम उम्रसीमा में कोटिवार 10 (दस) वर्षों की छूट यथावत रहेगी।

आदेशः आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)

ज्ञापांक–15/नीति नि०–07–04/2015 का०–29/राँची, दिनांक 04/01/2021

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

30/12/20
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–15/नीति नि०–07–04/2015 का०–29/राँची, दिनांक 04/01/2021

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/12/20
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषय : झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षाओं में झारखण्ड राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40 प्रतिशत निर्धारित करने संबंध में।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प संख्या–13026 दिनांक–27.11.2012 के द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग और झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन निरूपित किये गये हैं।

उक्त संकल्प की कंडिका–3(vi) में विभिन्न कोटियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक के अतिरिक्त विभागीय संकल्प संख्या–7358 दिनांक–12.09.2019 द्वारा आदिम जनजातियों हेतु न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत समाविष्ट किया गया है:–

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर–1	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत
आदिम जनजाति	30 प्रतिशत

2. कार्मिक विभागीय संकल्प संख्या–1433 दिनांक–15.02.2019 द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के आरक्षण से अनाच्छादित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ कतिपय शर्त्तों के अधीन अनुमान्य किया गया है।

3. अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40 प्रतिशत के निर्धारण हेतु कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या–13026 दिनांक–27.11.2012 (यथा संशोधित) की कंडिका 3-vi की तालिका में निम्नवत् संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:–

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर–1	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत
आदिम जनजाति	30 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	**40 प्रतिशत**

4. उक्त संकल्प की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

आदेशः आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(वंदना दादेल)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–15/विविध–01–01/2020 का०–...../राँची, दिनांक .....

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–15 / विविध–01–01 / 2020 का–3928 / राँची, दिनांक 11.08.2020

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

11.8.2020

सरकार के सचिव ।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
संकल्प

विषयः झारखण्ड लोक सेवा आयोग और झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षाओं में झारखण्ड राज्य के आदिम जनजातियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत निर्धारित करने संबंध में।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक–13026 दिनांक–27.11.2012 के द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग और झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन निर्गत हैं।

उक्त संकल्प की कंडिका–3(vi) में विभिन्न कोटियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के संदर्भ में न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत् निर्धारित हैः–

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर–1	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक–13026 दिनांक–27.11.2012 की कंडिका–3(vi) में अंकित तालिका में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के संदर्भ में आदिम जनजातियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक को निम्नवत् समाविष्ट करने का निर्णय लिया गया हैः–

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर–1	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत
आदिम जनजाति	**30 प्रतिशत**

3. उक्त संकल्प की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

आदेशः आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(ओम प्रकाश साह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7ए/नीति नि०–07–13/2011 का०–7358/राँची, दिनांक 12.9.19

प्रतिलिपि–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

12/09/19
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषयः–झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (प्रारंभिक), 2016 के परीक्षाफल में आवश्यक संशोधन के संबंध में।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (प्रारंभिक), 2016 का परीक्षाफल दिनांक–23.02.2017 को प्रकाशित किया गया था। परीक्षाफल के प्रकाशनोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या–5562 दिनांक–19.04.2017 के द्वारा उक्त परीक्षाफल में संशोधन करने संबंधी लिये गये निर्णय के आलोक में दिनांक–11.08.2017 को झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधित परीक्षाफल का प्रकाशन किया गया।

2. संशोधित परीक्षाफल के संदर्भ में कतिपय आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा यह सूचित किया गया है कि उन्हें अनारक्षित श्रेणी के समकक्ष या उससे अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद उन्हें सामान्य श्रेणी में नहीं रखा गया है। उनके द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ प्रदान करते हुए नये सिरे से संशोधित परीक्षाफल प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। साथ ही प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल में आरक्षण के प्रावधान लागू करने हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में कतिपय याचिकाएँ भी दायर की गयी हैं, जो सम्प्रति माननीय न्यायालय के विचाराधीन हैं।

3. उल्लेखनीय है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या–6525 दिनांक–30.11.2002 के द्वारा अधिसूचित परीक्षा प्रक्रिया (Plan of Examination) के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2312 दिनांक–19.06.2014 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा मात्र एक Screening परीक्षा है तथा इस परीक्षा में प्राप्त अंकों को उम्मीदवारों के मेधासूची निर्धारण करने में गणना नहीं की जाती है। साथ ही आयोग द्वारा बताया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा AP Public Service Commission Vs Baloji Badhavath & Ors (SLP Civil No.-18308/2009) एवं Chhatar Singh Vs State of Rajasthan (Civil Appeal No.-13118/1996) में पारित आदेश के आलोक में कुल रिक्तियों के 13 गुणा (सम्प्रति 15 गुणा) अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाता है। साथ ही आयोग के द्वारा उक्त पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षाओं में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा भी याचिका संख्या–एल०पी०ए० नं०–647/2015 लक्ष्मण टोप्पो व अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–23.09.2015 को पारित न्यायादेश में प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिये जाने को सम्यक् बताया गया है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर मेधासूची का निर्धारण नहीं किया जाता है।

4. संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 की प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आवेदन एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों से प्राप्त अनुरोध को दृष्टिपथ में रखते हुए कार्मिक विभागीय पत्र संख्या–731 दिनांक–24.01.2018 के द्वारा दिनांक–29.01.2018 से प्रारंभ होनेवाली मुख्य परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित रखने का झारखण्ड लोक सेवा आयोग से किये गये अनुरोध के आलोक में आयोग के द्वारा दिनांक–29.01.2018 से प्रारंभ होनेवाली मुख्य परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित रखा गया है।

5. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन और अनुशंसा के प्रयोजनार्थ विभागीय संकल्प संख्या–13026 दिनांक–27.11.2012 द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के लिए कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक निम्न प्रकार निर्धारित है:–

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर–1	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

6. वर्णित परिपेक्ष्य में सरकार द्वारा सम्यक् विचार करते हुए एवं विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड का मन्तव्य प्राप्त कर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (प्रारंभिक), 2016 के परीक्षाफल में तथाकथित विसंगतियों के निराकरण हेतु निम्न प्रकार निर्णय लिया गया है–

(i) झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (प्रारंभिक), 2016 में सम्मिलित वैसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा संकल्प संख्या–13026 दिनांक–27.11.2012 के अनुसार अपनी श्रेणी में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से अन्यून अंक प्राप्त किया गया है, को संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 की मुख्य परीक्षा के लिए चयनित (Selected) समझा जायेगा।

(ii) उपर्युक्त व्यवस्था मात्र झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के लिये प्रभावी होगी।

इस सम्बन्ध में पूर्व से निर्गत सभी संकल्पों/अधिसूचनाओं/आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

आदेशः **आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/लो०से०आ०–01–04/2017 का०–1153/राँची, दिनांक 12.2.18

प्रतिलिपि–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

12/2/18

सरकार के प्रधान सचिव।

357

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषयः— **झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के परीक्षाफल में आवश्यक संशोधन करने के संबंध में।**

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के परीक्षाफल के प्रकाशन के उपरांत कतिपय असफल अभ्यर्थियों द्वारा अनारक्षित श्रेणी के कट–ऑफ मार्क्स से उपर या समकक्ष अंक प्राप्त करने वाले पिछड़ा वर्ग अनु०-I एवं पिछड़ा वर्ग अनु०-II श्रेणी के सभी उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के समकक्ष अथवा अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद भी उनका चुनाव (shortlisting) मुख्य परीक्षा हेतु नहीं किया गया है।

2. संबंधित मामले में अग्रतर कार्रवाई करते हुए इस विषय पर विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता की राय प्राप्त की गयी, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत हैः—

".....Almost similar had been the facts and situation in the State of Rajasthan which had to a proceeding before Rajasthan High Court in the case of Bhawani Singh Kaviya & Ors. Vs. State of Rajasthan and Anr. in which the Hon'ble Rajasthan High Court took a view that the cut-off marks be re-determined for all the categories by first preparing a list of all the candidates as per merit irrespective of belonging to the categories for those vertical social reservation is prescribed. In that very decision the said Hon'ble Court also gave an alternative option to the commission that it may choose to permit all the candidates of reserve categories to appear at the mains examination who obtained more marks in general category. In the matter of civil Appeal No. 6084-6093 of 2016 Hanuman Jat and Anr. Vs. State of Rajasthan the Hon'ble Supreme Court gave the solution of permitting all the candidates who secured equal or more than a particular cut-off marks (irrespective of the categories to which candidates belong) to appear in the final examination as an ad-interim measure in similar circumstances of course subject to final decision.

In view of the above and in the interest of justice to all the candidates, the State Government may take a decision in the aforesaid line so that the candidates belonging to the reserved categories who have obtained more marks than the cut-off marks prescribed for the general candidates may also get a chance to participate in the mains examination."

3. विद्वान महाधिवक्ता के संदर्भाधीन राय के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित "झारखण्ड लोक सेवा आयोग संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता

परीक्षा, 2016" के परीक्षाफल में संशोधन करने पर विचार करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार निर्णय लिया गया है:–

(i) आरक्षित श्रेणी के वैसे उम्मीदवार या अभ्यर्थी, जिनका प्राप्तांक अनारक्षित श्रेणी के लिए चुनाव (shortlisting) किये गये 15 (पन्द्रह) गुणा अभ्यर्थियों (दिव्यांग श्रेणी को छोड़कर) में से सबसे अंतिम स्थान पर स्थित अभ्यर्थी के प्राप्तांक के समान अथवा उससे अधिक है, वैसे सभी उम्मीदवार/ अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफ़ल माने जायेंगे।

(ii) विभागीय संकल्प संख्या–3143 दिनांक–13.04.2016, जिसके द्वारा प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या संसूचित रिक्तियों का 15 गुणा रखे जाने का निर्णय संसूचित है, को उपर्युक्त उप कंडिका–(i) के निर्णय के आलोक में इस हद तक क्षान्त किया जाता है।

(iii) उक्त संशोधन का लाभ भविष्य में आयोजित होने वाली सभी प्रारंभिक परीक्षाओं के संदर्भ में अनुमान्य होगा।

4. इस सम्बन्ध में पूर्व से निर्गत सभी संकल्पों/अधिसूचनाओं/आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेशः आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(निधि खरे) 19/4/17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/लो०से०आ०–01–04/2017 का० 5562 /राँची, दिनांक– 19-04-2017

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

19/4/17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/लो०से०आ०–01–04/2017 का० 5562 /राँची, दिनांक– 19-04-2017

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/राज्यपाल सचिवालय/झारखण्ड राज्य के अधीन सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव/संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली/श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ प्रेषित।

19/4/17

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषयः– **झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा पाठ्यक्रम एवं पद्धति में संशोधन तथा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (स्नातक स्तर/इन्टरमीडिएट स्तर एवं मैट्रिक स्तर) मुख्य परीक्षा की पत्र–2 भाषा की परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्धारण के संबंध में।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–259 दिनांक–02.03.2016 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रणाली की समीक्षा कर सुझाव परामर्शित करने के उद्देश्य से श्री सरयू राय, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3143 दिनांक–13.04.2016 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं पद्धति में संशोधन किया गया है।

2. उक्त संकल्प द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा में नवसम्मिलित पत्र–2 'Jharkhand Specific Question' का पाठ्यक्रम एवं मुख्य परीक्षा के पत्र–2 'भाषा एवं साहित्य' के 100 अंकों के बदले 150 अंकों का संशोधित पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक स्तर/इन्टरमीडियट स्तर/ मैट्रिक स्तर की मुख्य परीक्षा में नवसम्मिलित पत्र–2 'भाषा' हेतु पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु विभागीय ज्ञापांक–4022 दिनांक–16.05.2016 एवं ज्ञापांक–4408 दिनांक– 26.05.2016 द्वारा सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।

3. सम्यक् विचारोपरांत उक्त समिति द्वारा तैयार पाठ्यक्रम को पूर्व से निर्धारित पाठ्यक्रम में समाहित करते हुए, संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के सम्बन्ध में के राज्य हित तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए समेकित रूप से राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं:–

(i) संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता (प्रारम्भिक) परीक्षा के पत्र–2 के लिए 200 अंकों का Jharkhand Specific Question (झारखण्ड राज्योन्मुखी प्रश्न) हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

(ii) संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता (मुख्य) परीक्षा के पत्र–2 से सम्बन्धित भाषाओं (जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा सहित) के लिए पूर्व से निर्धारित 100 अंकों के स्थान पर 150 अंकों का संशोधित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

(iii) झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा पत्र–2 के लिए प्रश्न निर्धारण हेतु सामान्य अनुदेश निर्धारित किया जाता है।

(iv) झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा अधियाचना वर्ष के अनुसार नामित की जाएगी।

(v) झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित छठी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन सं0–01/2015 को रद्द कर सभी संशोधनो को अंगीकृत करते हुए अभ्यर्थियों के Upper Age Limit की गणना हेतु 01.08.2010 (पूर्व निर्धारित) एवं Lower Age Limit की गणना हेतु 01.08.2015 के बदले 01.08.2016 को कट–ऑफ तिथि निर्धारित की जाती है एवं नये सिरे से छठी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के बदले झारखण्ड लोक सेवा आयोग संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के नाम से विज्ञापित की जाएगी।

(vi) छठी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित सं0–01/2015 में सम्मिलित हुए आवेदकों को पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी। नये अभ्यर्थियों को संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार आवेदन जमा करने के लिए झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पर्याप्त समय दिया जाएगा तथा वैसे आवेदक जो उक्त परीक्षा में शामिल होना नहीं चाहते हैं, तो उनके अनुरोध पर परीक्षा शुल्क झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा वापस करने की कार्रवाई की जा सकेगी।

(vii) संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारम्भिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या संसूचित रिक्तियों का 15 गुणा होगी।

(viii) संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी भाषा और साहित्य विषय में अंग्रेजी व्याकरण से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे।

(ix) परीक्षाफल प्रकाशन के बाद ओ0एम0आर0 शीट की फोटो इमेज आयोग के बेवसाईट पर अभ्यर्थियों के लिए सुलभ हो ऐसी व्यवस्था आयोग द्वारा की जाएगी।

(x) प्रारम्भिक परीक्षा में ओ0एम0आर0 शीट आधारित उत्तर पुस्तिका का मुल्यांकन पूर्व निर्धारित पद्धति (Norms) के अनुसार किया जाएगा।

(xi) झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सावधानी बरती जाएगी कि मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका शैक्षणिक कारणों को छोड़कर तकनीकी कारणों के आधार पर रद्द नहीं होगी।

(xii) उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित संशोधित पाठ्यक्रम झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 से लागू होगा।

4. सम्यक् विचारोपरांत उक्त समिति द्वारा तैयार पाठ्यक्रम को झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक स्तर/इन्टरमीडियट स्तर/मैट्रिक स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु पूर्व से निर्धारित पाठ्यक्रम में समाहित करते हुए, समेकित रूप से राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं:–

(i) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक स्तरीय, इंटरमीडियट स्तरीय एवं मैट्रिक स्तरीय मुख्य परीक्षा के पत्र–2 में अंकित सभी भाषाओं

(हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संताली/बंगला/मुण्डारी(मुण्डा)/हो/खड़िया/कुडूख(उराँव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़ीया एवं संस्कृत के लिए 100 बहुवैकल्पिक प्रश्नों का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

(ii) उक्त संशोधित पाठ्यक्रम के झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षाओं से लागू होगा।

5. इस सम्बन्ध में पूर्व से निर्गत सभी संकल्पों/अधिसूचनाओं/आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेशः आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

7052

ज्ञापांक–11 / लो0से0आ0–01–19 / 2016 का0...../ राँची, दिनांक– 17 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

17/8/16

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: संकल्प ::

विषयः– **चतुर्थ एवं पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो चुके दिव्यांग अभ्यर्थियों को आगामी षष्टम् संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करने के निमित्त परीक्षा हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा एवं परीक्षा में भाग लेने के अवसर को मात्र एक बार क्षांत किये जाने के सम्बन्ध में।**

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा आयोजित पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अंतिम परीक्षाफल एवं अन्य बिन्दूओं के सम्बन्ध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका डब्ल्यू0पी0(पी0आई0एल0) सं0–5764/2015 पी0 के0 सिद्धार्थ बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–04.05.2016 को पारित अंतिम न्यायादेश में आदेश दिया है कि–
"वैसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्होंने चतुर्थ एवं पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया था, उन्हें षष्टम् संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किये जाने के निमित्त मात्र एक बार निर्धारित आयु सीमा में छुट दिया जाय।"

2. माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित चतुर्थ एवं पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों की उम्र सीमा एवं परीक्षा में भाग लेने के अवसर को मात्र एक बार छठी सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु क्षांत किये जाने का निर्णय किया गया है।

3. इस सम्बन्ध में पूर्व से निर्गत सभी संकल्पों/अधिसूचनाओं/आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेशः **आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार,झारखण्ड,राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

कृ0पृ0उ0/–

ज्ञापांक–11 / लो0से0आ0–01–18 / 2015 का0 4655 / राँची, दिनांक– 07 जून, 2016

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

7/6/16

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

3143
13/4/16

संकल्प

विषयः— **झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा पाठ्यक्रम एवं पद्धति में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–259 दिनांक–02.03.2016 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रणाली की समीक्षा कर सुझाव परामर्शित करने के उद्देश्य से माननीय मंत्री श्री सरयू राय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था।

2. उक्त उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति आदि के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :–

(i) प्रारम्भिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या संसूचित रिक्तियों का 15 गुणा होगा।

(ii) संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन पत्र (प्रथम पत्र) में History of India, Geography of India, Indian Polity and Governance, Economic and Sustainable Development, General Science and its application, National and International Current Events, General Question of Misc. Nature से सम्बन्धित प्रश्न पूछा जाएगा।

(iii) संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारम्भिक परीक्षा में 200 अंक का सामान्य अध्ययन का द्वितीय पत्र सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें Jharkhand Specific Questions (its history, society, culture and heritage) आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।

(iv) संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मुख्य परीक्षा के पेपर–II Language and Literature (भाषा एवं साहित्य–क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा सहित) विषय की परीक्षा के अंक 100 से बढ़ाकर 150 किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार मुख्य परीक्षा के सभी पत्रों का योगफल 1000 से बढ़कर 1050 अंक हो जायेगा। (अनुलग्नक संलग्न)

(v) संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा का तृतीय पत्र सामाजिक विज्ञान (Social Science) में झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान विषयक 40% अंकों के प्रश्न पूछे जाने का निर्णय लिया गया है।

(vi) संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य विषय में अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

O/C

(vii) झारखण्ड लोक सेवा आयोग यह व्यवस्था सुनिश्चित करने की प्रणाली विकसित करेगा कि प्रारम्भिक परीक्षा के OMR Sheet की कार्बन कॉपी झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उपलब्ध हो।

(viii) मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन/उत्तर पुस्तिका तकनीकी कारणों (Technical Ground) के आधार पर रद्द नहीं किये जाने की व्यवस्था लोक सेवा आयोग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4. इस सम्बन्ध में पूर्व से निर्गत सभी संकल्पों/अधिसूचनाओं/आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेशः आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

12/4/16.

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/लो0से0आ0–23/2010 का0 3143 /राँची, दिनांक– 13/4/16

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

12/4/16.

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/लो0से0आ0–23/2010 का0 3143 /राँची, दिनांक– 13/4/16

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/राज्यपाल सचिवालय/झारखण्ड राज्य के अधीन सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव/संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली/श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ प्रेषित।

12/4/16.

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में संशोधन हेतु उच्च स्तरीय समिति द्वारा दिये गये सुझावों एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित निर्णय की तुलनात्मक विवरणी

वर्तमान प्रभावी पाठ्यक्रम		उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम		राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम	
विषय (Subjects)	Maximum Marks	विषय (Subjects)	Maximum Marks	विषय (Subjects)	Maximum Marks
(A) PRELIMINARY EXAMINATION (Screening Test)					
General Studies	200	General Studies (Paper - I)	200	General Studies (Paper - I)	200
		General Studies (Paper - II) Jharkhand Specific Question	200	General Studies (Paper - II) Jharkhand Specific Question	200
Total	**200**	**Total**	**400**	**Total**	**400**
(B) MAIN EXMIANATION (No optional subject. All are common compulsory papers)					
Paper - I : General Hindi & General English	100	Paper - I : General Hindi & General English	100	Paper - I : General Hindi & General English	100
Paper - II : Language and Literature	100	Paper - II : Language and Literature including regional and tribal languages	200	Paper - II : Language and Literature including regional and tribal languages	150
Paper - III : Social Sciences	200	Paper - III : Social Sciences 40% Jharkhand Specific questions	200	Paper - III : Social Sciences 40% Jharkhand Specific questions	200

Paper - IV : Indian Constitution & Polity, Public Administration & Good Governance	200	Same as previous syllabus	200	Same as previous syllabus	200
Paper - V : Indian Economy, Globalization and Sustainable Development	200	Same as previous syllabus	200	Same as previous syllabus	200
Paper - VI : General Sciences, Environment & Technology Development	200	Same as previous syllabus	200	Same as previous syllabus	200
Total Marks (Main Examination)	1000	Total Marks (Main Examination)	1100	Total Marks (Main Examination)	1050
Personality Test	100	Personality Test	100	Personality Test	100
Grand Total	1100	Grand Total	1200	Grand Total	1150

अन्य अनुशंसाएं

- संसूचित रिक्तियों का 15 गुणा अभ्यर्थियों का चयन संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारम्भिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा के लिए किया जाय। पहले रिक्तियों के 12 से 13 प्रतिशत तक अभ्यर्थी प्रारम्भिक से मुख्य परीक्षा के लिए चयनित होते थे।
- मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य विषय में अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी रखे जाएं।
- प्रारम्भिक परीक्षा के OMR Sheet की कार्बन कॉपी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विकसित की जाय।
- झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाने पर विचार किया जाय, जिससे मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन/उत्तर पुस्तिका तकनीकी कारणों (Technical Ground) पर रद्द नहीं हो।

पत्रांक–15 / नीति नि०–07–02 / 2016 का०

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

1112

प्रेषक,

रतन कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष / उपायुक्त,
झारखण्ड ।

राँची, दिनांक– 8/2/16

विषयः– **कनीय स्तर के पदों यथा समूह–'ख', समूह–'ग' एवं समूह–'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार / अन्तर्वीक्षा की व्यवस्था समाप्त करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के अधीन कनीय स्तर के पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार / अन्तर्वीक्षा की व्यवस्था समाप्त की जानी है। इस क्रम में राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न स्नातक स्तरीय / डिप्लोमा स्तरीय / मैट्रिक 10वीं स्तरीय पदों पर नियुक्ति के निमित्त कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचित विभिन्न परीक्षा संचालन नियमावलियों में साक्षात्कार का प्रावधान नहीं किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित दिशा–निदेश संसूचित किए जाते हैं:–

(क) दिनांक–01.01.2016 से कनीय स्तर के पदों यथा समूह–'ख' (अराजपत्रित), समूह–'ग' एवं समूह–'घ' तथा समकक्ष पदों पर होनेवाली नियुक्तियों में साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया जाय।

(ख) विषयाधीन पदों पर होनेवाली नियुक्तियों में दक्षता परीक्षा अथवा शारीरिक परीक्षा का आवश्यकतानुसार आयोजन किया जा सकता है, किन्तु यह मात्र Qualifying Nature का होगा।

(ग) उपर वर्णित पद–समूहों में से किसी पद विशेष पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जाना नितान्त ही आवश्यक हो, तो इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय।

अनुरोध है कि अपने विभागान्तर्गत कनीय स्तर के उपर वर्णित पदों पर नियुक्ति के क्रम में उपर्युक्त बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही एतदर्थ अपने विभागान्तर्गत नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावलियों में भी आवश्यकतानुसार अपेक्षित संशोधन करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(रतन कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–15 / नीति नि०–07–02 / 2016 का०– 1112 राँची, दिनांक– 8/2/16

प्रतिलिपि–सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्निक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अर्द्धसरकारी पत्र संख्या–39020/01/2013-Estt(B) दिनांक–04.09.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–15 / नीति नि०–07–02 / 2016 का०– 1112 राँची, दिनांक– 8/2/16

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके गै०स०प्रे० संख्या–360012 दिनांक–13.01.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

अध्याय–2

72

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प 2959 3/4/13

विषय : **झारखण्ड लोक सेवा आयोग और झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन।**

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक 13026 दिनांक–27.11.2012 के द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग और झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन निर्गत है। जिसकी कंडिका–3(vii) में निम्नवत प्रावधान अंकित हैं:–

किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए मात्र चार अवसर मिलेंगे।"

2. संकल्प ज्ञापांक–13026 दिनांक–27.11.2012 की कंडिका–3(vii) में अंकित उक्त प्रावधान को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर इसे निम्नवत रूप से संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:–

(क) अनारक्षित वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के लिए – चार अवसर।

(ख) पिछड़ी / अत्यन्त पिछड़ी जाति के पुरूष उम्मीदवारों के लिए – पाँच अवसर।

(ग) महिला (अनारक्षित पिछड़ी एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के लिए – छः अवसर।

(घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए – अवसरों की कोई सीमा नहीं।

3. उक्त संकल्प की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

आदेश: **आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(आदित्य स्वरूप)
सरकार के प्रधान सचिव।

आपाक–7ए / नीति नि०–07–06 / 2013 का०– 2959 / राँची, दिनांक 31/1/13

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन के लिए अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के प्रधान सचिव।

आपाक–7ए / नीति नि०–07–06 / 2013 का०– 2959 / राँची, दिनांक 31/1/13

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग / श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु अग्रसारित।

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखंड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषय : झारखण्ड लोक सेवा आयोग और झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन।

झारखण्ड राज्य में सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन और उनके आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा करने के क्रम में झारखण्ड लोक सेवा आयोग तथा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आये दिन कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छायें की जाती हैं और परामर्श माँगा जाता है।

2. यद्यपि इन मामलों पर समय–समय पर सरकार द्वारा परिपत्र / संकल्प / अनुदेश निर्गत होते रहे हैं, जैसे अधियाचना, विज्ञापन, पूर्ववृत का सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, योगदान नहीं देने के कारण रिक्तियों को अग्रणीत किया जाना आदि बिन्दुओं पर अनुदेश निर्गत किये जा चुके हैं। अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में भी समय–समय पर संकल्प निर्गत किए गए हैं। न्यूनतम अर्हतांक के सम्बन्ध में भी परिपत्र निर्गत है।

3. तथापि उपर्युक्त निर्गत अनुदेशों के सम्यक् अनुपालन की आवश्यकता की दृष्टि से पूर्व निर्गत सम्बन्धित सभी अनुदेशों / परिपत्रों / संकल्पों में दिये गये अनुदेशों / मार्गदर्शनों को समेकित रूप से एक ही संकल्प में समाहित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है, ताकि इन बिन्दुओं पर पृच्छाओं एवं मार्गदर्शन मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाय और भर्त्ती की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब न हो। अतः उक्त को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिया गया है :–

(i) सभी विभाग / विभागाध्यक्ष संवर्ग समीक्षा कर प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना करेंगे।

(ii) उक्त रूप में परिगणित रिक्तियों का रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सीधे तथा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

क माध्यम से 28/29 फरवरी तक भेज देंगे। अधियाचित रिक्तियों के विरूद्ध समायोजन द्वारा या अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जायेगी।

(iii) सम्बन्धित आयोग द्वारा रिक्तियों का विज्ञापन यथाशीघ्र कर दिया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्ति की समय-सीमा विज्ञापन की तिथि से सामान्यतः एक माह तक अथवा आयोग द्वारा यथा विनिश्चित रखी जा सकेगी।

(iv) उम्र निर्धारण हेतु कट-ऑफ-डेट अधियाचना वर्ष की 01 अगस्त रहेगी।

(v) सरकारी सेवाओं में भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यता का निर्धारण संबंधित सेवा/संवर्ग में अंकित प्रावधानों के आलोक में की जायेगी।

(vi) विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हतांक का समान रूप से निर्धारण संकल्प संख्या-15838 दिनांक 22.12.1990 एवं 10258 दिनांक 05.08.1991 द्वारा निम्नांकित रूप में किया गया है :-

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-1	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

विभाग अपनी परीक्षा नियमावली में सम्यक् विचारोपरान्त इससे भिन्न किंतु अन्यून अर्हतांक भी तय कर सकता है।

न्यूनतम अर्हतांक का उपर्युक्त रूप में निर्धारण सभी सेवाओं/संवर्गों की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विभिन्न आरक्षण कोटियों के लिए सभी लिखित परीक्षाओं (वस्तुनिष्ठ/विषयनिष्ठ) पर समान रूप से लागू रहेगा। अन्तर्वीक्षा (साक्षात्कार) के लिए, जहाँ लागू हो, उक्त न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(vii) किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए मात्र 4 अवसर मिलेंगे।

(viii) विज्ञापन के प्रकाशनोपरांत, मात्र एक पत्र (वस्तुनिष्ठ) की परीक्षा के आयोजन पर परीक्षाफल अधिकतम छह माह में, केवल मुख्य परीक्षा होने पर परीक्षाफल अधिकतम नौ माह में, तथा एक/दो विषयों की प्रारम्भिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा एवं तत्पश्चात् साक्षात्कार होने की स्थिति में परीक्षाफल अधिकतम एक वर्ष के अन्दर प्रकाशित कर दिया जायेगा।

(ix) ऐसी सेवाओं/संवर्गों के सम्बन्ध में, जिनमें लिखित/परीक्षा के बाद अन्तर्वीक्षा/दक्षता जाँच निर्धारित है, लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अन्तर्वीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के ढाई गुना से सामान्यतः न्यून नहीं होनी चाहिए। सम्बन्धित सेवा नियमावलियों में तदनुकूल प्रावधान प्रशासी विभाग द्वारा कर लिया जायेगा।

(x) सम्बन्धित आयोग द्वारा आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार कर अपनी अनुशंसा के साथ सम्बन्धित विभाग को भेजा जायेगा। सामान्य वर्गों के मानदंड से मेधा के आधार पर मेधा सूची में आए उम्मीदवार की गणना आरक्षित कोटि में नहीं की जायेगी। मेधा सूची में उम्मीदवार के नाम के आगे उनका प्राप्तांक भी अभिलिखित रहेगा।

(xi) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को छोड़कर अन्य परीक्षाओं के लिये सम्बन्धित विभाग प्राप्त मेधा–सूची के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त के सत्यापन (पुलिस भेरिफिकशन), स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल जांच) तथा प्रमाण–पत्र सत्यापन की कार्रवाई एक माह के अन्दर करेगा।

(xii) जिन सवाओं/संवर्गों में अन्तर्वीक्षा की व्यवस्था है, उनके सम्बन्ध में स्वास्थ्य परीक्षण (मात्र संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को छोड़कर) एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की कार्रवाई सम्बन्धित विभागों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। संगत प्रमाण–पत्रों का सत्यापन आयोग एवं प्रशासी विभाग करेगे।

(xiii) सम्बन्धित आयोग द्वारा एक बार अनुशसा भेज देने के बाद उसे परिवर्त्तित नहीं किया जा सकेगा। परन्तु, कतिपय विशिष्ट कारणों, यथा–विभाग द्वारा अनुशसा वापस किये जाने/न्यायालयों के संगत आदेशों के आलोक में आयोग की अनुशंसा में यथोचित सशोधन किया जा सकेगा।

(xiv) उपर्युक्त कार्रवाई के बाद भर्त्ती हेतु अपेक्षित कार्रवाई सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जायेगी। योगदान करने के लिए अधिकतम एक माह का समय दिया जायेगा।

(xv) किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियाँ भरी नहीं जा सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियाँ अगली अधियाचना के लिए अग्रणीत की जायेगी।

(xvi) संबंधित आयोग द्वारा स्नातक स्तर के पदों के लिए यथासंभव एक सिलेबस तैयार किया जायेगा, जिसमें अधिक–से–अधिक एक अतिरिक्त विषय पद के कर्त्तव्यों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। यही व्यवस्था इण्टरमीडियट एवं प्रवेशिका स्तर के लिए भी निर्धारित की जायेगी।

(xvii) संबंधित आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ की जायेगी एवं मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ–सह–विषयनिष्ठ की जायेगी।

(xviii) उपर्युक्त रूप में भर्त्ती की कार्रवाई आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के एक माह के अन्दर पूरा कर लेना आवश्यक होगा।

आदेशः **आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

26/11/2012
(एन० एन० सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7ए/नीति नि०–07–13/2011 का०–13026/राँची, दिनांक 27.11.12

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन के लिए अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायी जाय।

26/11/2012
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7ए/नीति नि0–07–13/2011 का०–13026/राँची, दिनांक 27.11.12

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/संभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

26/11/2012
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : **झारखण्ड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2012 में निःशक्त व्यक्तियों को दी जानेवाली सुविधाएँ।**

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2012 के आलोक में चयन हेतु परीक्षा आयोजित की जा रही है। निःशक्त व्यक्ति (सामान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के आलोक में झारखण्ड राज्य में निःशक्त व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत पद क्षैतिज रूप से आरक्षित है। निःशक्त व्यक्तियों में से अंध/अल्पदृष्टि तथा दोनो हाथ एवं बांह में चलन निःशक्तता (न्यूनतम 40 प्रतिशत) से ग्रसित व्यक्ति को परीक्षा में अवसर की समानता प्रदान करने का एक प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

सम्यक् विचारोपरान्त झारखण्ड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2012 के नियम–18 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयांग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

(क) अंध/कम दृष्टि, दोनों हाथ एवं बांह में चलन निःशक्तता तथा सेरेब्रलपाल्सी से ग्रसित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन लेखक/स्क्राईब की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(i) स्क्राईब/लेखक की शैक्षणिक योग्यता भर्त्ती परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से कम से कम एक ग्रेड नीचे हो

(ii) स्क्राईब/लेखक को उनकी अंतिम शैक्षणिक परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त हो

(iii) स्क्राईब/लेखक की व्यवस्था झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जायेगी। स्क्राईब/लेखक को देय पारिश्रमिक का भुगतान झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जायेगा।

(ख) अंध/कम दृष्टि, दोनों हाथ एवं बांह में चलन निःशक्तता तथा सेरेब्रलपाल्सी से ग्रसित अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

(ग) वैसे अभ्यर्थियों जो, जिनकी Locomotor disability & Cerebral palsy से लिखने की क्षमता 40 प्रतिशत से ज्यादा, किन्तु आंशिक रूप से प्रभावित हुई है, उन्हें लेखक रखने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी किन्तु उपर्युक्त कंडिका–'ख' के अनुसार परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

25/9/2012

(एन०एन० सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0नीति–04–02/2010 का०–10992/राँची, दिनांक 25/09/12

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजे।

25/9/2012

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0नीति–04–02/2010 का०–10992/राँची, दिनांक 25/09/12

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, रांची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/राज्यपाल सचिवालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

25/9/2012

सरकार के प्रधान सचिव।

O/C

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय :– **सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु आयु–सीमा का निर्धारण।**

कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प ज्ञापांक–2063, दिनांक 28.04.2006 के द्वारा राज्य के सरकारी सेवाओं में सीधी भर्त्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की गई थी :–

			विकलांगों के लिए
(i)	अनारक्षित	– 35 वर्ष	– 40 वर्ष
(ii)	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	– 37 वर्ष	– 42 वर्ष
(iii)	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	– 38 वर्ष	– 43 वर्ष
(iv)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	– 40 वर्ष	– 45 वर्ष

उक्त संकल्प दिनांक 01.01.2006 से 31.12.2010 तक प्रभावी था।

2. विगत वर्षों में राज्य में बेराजगारी की समस्या को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार ने सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि राज्य के सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिये उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को तत्काल अगले पाँच वर्षों अर्थात दिनांक 01.01.2011 से 31.12.2015 तक यथावत् रखा जाय।

3. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिये अधिकतम आयु–सीमा का विस्तार विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5232, दिनांक 30.08.2010 द्वारा विशेष परिस्थिति में निर्गत किया गया है, को विलोपित किया जाता है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

आदेशः आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य स्वरूप) 25/4/2011

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7ए/नीति–07–11/2010 का०– 2096 /रांची, दिनांक 25/4/2011

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन के लिए अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को उपलब्ध करायी जाय। 25/4/2011

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7ए/नीति–07–11/2010 का०– 2096 /रांची, दिनांक 25/4/2011

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

25/4/2011

सरकार के प्रधान सचिव।

खण्ड–3

अध्याय–3
(सीमित प्रतियोगिता परीक्षा)

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
अधिसूचना

राँची, दिनांक 12/10/17

संख्या–15 / नीति नि०–07–02 / 2017 का०–1053६/ कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या–1749 दिनांक–27.03.2010 द्वारा अधिसूचित "झारखण्ड राज्य लिपिक / लिपिक–सह–टंकक / टंकक / अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली–2010 एवं अधिसूचना संख्या–5028 दिनांक–15.06.2016 द्वारा अधिसूचित 'झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली–2016' के प्रावधानों के तहत लिपिकीय संवर्ग के मूल कोटि के पद (निम्नवर्गीय लिपिक) के 15 प्रतिशत पदों, जिन्हें समूह–'घ' के योग्य कर्मियों की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामो के आधार पर भरा जाना है, के परीक्षा संचालन हेतु झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार**:–

   (i) यह नियमावली 'झारखंड राज्य क्षेत्रीय लिपिक (समाहरणालय सहित) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (मूल कोटि) नियमावली, 2017' कहलाएगी।

   (ii) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ**:– इस नियमावली में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (i) **'राज्य सरकार'** से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।

   (ii) **'विभाग'** से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

   (iii) **'संबंधित विभाग'** से अभिप्रेत है अधियाचना भेजने और नियुक्ति करने वाले विभाग / प्राधिकार।

   (iv) **'आयोग'** से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग।

   (v) वे सभी अन्य शब्द, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और यहां परिभाषित नहीं है, किन्तु "झारखण्ड राज्य लिपिक / लिपिक–सह–टंकक / टंकक / अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली–2010 एवं 'झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली–2016' में परिभाषित है के क्रमश वही अर्थ रहेंगे, जो उन नियमावलियों में हैं।

3. **परीक्षा का आयोजन**:–आयोग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग एवं समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के मूल कोटि (निम्नवर्गीय लिपिक) के पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के निमित गठित इस परीक्षा नियमावली के अनुसार सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करेगी।

4. **रिक्तियों का विनिश्चय**:– 'झारखण्ड राज्य लिपिक / लिपिक–सह–टंकक / टंकक / अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली–2010' एवं 'झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली–2016' से आच्छादित संवर्ग के मूल कोटि पद (निम्नवर्गीय लिपिक) के 15 प्रतिशत पदों, को समूह–'घ' के योग्य कर्मियों की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामो के आधार पर भरा जाना है। एतदर्थ रिक्तियों का विनिश्चय संबंधित विभागों के द्वारा अधियाचना वर्ष की पहली जनवरी के आधार पर किया जायेगा

एवं परिगणित रिक्तियों का रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से आयोग को भेजी जायेगी।

5. **पात्रता की शर्तें**:– इस परीक्षा नियमावली के प्रावधानों के तहत सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से तृतीय वर्ग के पद (निम्नवर्गीय लिपिक) पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की पात्रता उसी विभाग/जिला के लिए होगी, जहाँ वह समूह–'घ' के पद पर पदस्थापित है। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए संबंधित विभागों के विभिन्न कार्यालयों/समाहरणालयों में कार्यरत समूह–'घ' के कर्मियों के लिए पात्रता निम्नवत होगी:–
   (i) आवेदन की तिथि को सेवा संपुष्ट हो।
   (ii) आवेदन की तिथि को धारित पद पर लगातार दस वर्षों की सेवा पूर्ण हो।
   (iii) आवेदन की तिथि को कर्मी पर कोई विभागीय/फौजदारी कार्यवाही लंबित न हो और न ही आवेदन की तिथि को आवेदक निलंबित हो अथवा उस पर कोई दण्ड प्रभावी हो।
   (iv) आवेदन की तिथि को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/इंटरमीडियट काउन्सिल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडियट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण हों।

6. **शुल्क**:– परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

7. **पात्रता के बारे में विनिश्चय**:– सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसका प्रवेश–पत्र आयोग द्वारा नहीं जारी किया गया है, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र (Admit card) निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं।

8. **परीक्षा का स्वरूप**:– इस सीमित प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली के प्रावधानों के आलोक में आयोग के द्वारा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। द्वितीय चरण में टंकण जाँच होगी, जो मात्र अर्हक प्रकृति का होगा। इसमें सफल होना आवश्यक होगा। टंकण जाँच में असफल अभ्यर्थी मेधासूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।

8.1 अवधि एवं पूर्णांक:–

क्रं०	परीक्षा का चरण	अवधि	अंक
1.	प्रथम चरण (लिखित परीक्षा)	02 घंटा	100
2.	द्वितीय चरण (टंकण जाँच)	10 मिनट	अर्हक

8.2 प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम:–

क्रं०	परीक्षा का विषय	कुल अंक
1.	हिन्दी के 200 शब्दों के अनुच्छेद को सुन्दर अक्षरों में प्रतिलिपि करना	10
2.	हिन्दी के अनुच्छेद का संक्षेपण	10
3.	डायरी एवं प्रेषण पंजी में (10–10) कुल 20 प्रविष्टि करना	10
4.	अंग्रेजी के अनुच्छेद का हिन्दी में अनुवाद करना	20
5.	हिन्दी के दस अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना	10
6.	गणित, सामान्य ज्ञान/सामान्य विज्ञान एवं कम्प्यूटर के मूलभूत ज्ञान संबंधी प्रश्न (मैट्रिक स्तरीय)	40
	कुल–	100

8.3 द्वितीय चरण (टंकण जाँच):–

आयोग के द्वारा टंकण जाँच परीक्षा का आयोजन 'झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इन्टरमिडियट/+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015' के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

9. अर्हतांक:– प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) हेतु विभिन्न कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत् होगा:–

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर–1	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

10. मेधासूची एवं परिणाम:–

(i) आयोग के द्वारा टंकण जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रथम पत्र के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची (Merit List) तैयार की जायेगी।

(ii) मेधा सूची तैयार करने के पश्चात् आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की प्रारंभिक जाँच करायी जायेगी। तत्पश्चात् आयोग के द्वारा संबंधित प्राधिकार की अधियाचना के अनुरूप उन्हें आरक्षण कोटिवार मेधाक्रमानुसार अंतिम अनुशंसा उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा, अर्थात् अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम की अंग्रेजी वर्त्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिए आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा, अर्थात् समान जन्म तिथि एवं प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों में से जिनके नाम का प्रारम्भिक अक्षर अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार पहले आयेगा, उन्हें मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

(iv) परीक्षा के परिणाम का संसूचन आयोग के द्वारा किया जायेगा।

11. नियुक्ति:–

आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में संबंधित सक्षम नियुक्ति प्राधिकारों के द्वारा भर्त्ती हेतु अपेक्षित कार्रवाई करते हुए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा। सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्राप्ति के पश्चात योगदान करने के लिए अधिकतम एक माह का समय दिया जायेगा।

12. निर्वचन:–

इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वचन अंतिम होगा।

13. प्रकीर्ण:–

(क) अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में ऊपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 अथवा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु राज्य सरकार के द्वारा गठित अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे।

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।

14. **निरसन और व्यावृत्तिः–**

(क) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व के इस नियमावली के विषयों पर निर्गत कोई नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।

(ख) ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित आदेश द्वारा या उसके अधीन व्यक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(निधि खरे) 11/10/17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–15/नीति नि०–07–02/2017 का० –10536 /राँची, दिनांकः– 12/10/17

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

11/10/17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–15/नीति नि०–07–02/2017 का० –10536 /राँची, दिनांकः– 12/10/17

प्रतिलिपि–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड, उच्च न्यायालय, राँची/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/10/17

सरकार के प्रधान सचिव।

अध्याय-3

81

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 30 /11/2013

संख्या :– 3/नीति–702/2012 का–3648 /भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :–

1. *संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार*

(i) यह नियमावली झारखंड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2013 कहलाएगी।

(ii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. (I) *परिभाषा* :– जब तक कि संदर्भ में अन्यथा वर्णित न हो, –

(क) *"उपलब्ध रिक्तियाँ"* से *अभिप्रेत है* झारखंड सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में ऐसी रिक्तियाँ, जिन्हें झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च वर्गीय लिपिकों तथा झारखंड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा के आशुलिपिकों की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित है;

(ख) *"परीक्षा"* से *अभिप्रेत है* झारखंड सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड के पदों पर प्रोन्नति द्वारा भर्त्ती के लिए आयोग द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा; और

(ग) *"आयोग"* से *अभिप्रेत है* झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ।

(II) वे सभी अन्य शब्द, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और यहां परिभाषित नहीं हैं, किन्तु झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010/झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010/झारखंड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा नियमावली, 2011 में परिभाषित हैं, के क्रमशः वही अर्थ रहेंगे, जो उन नियमों में हैं।

3. **परीक्षा का आयोजन** –

(1) आयोग सहायक ग्रेड के पदों पर *सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर* नियुक्ति के निमित्त गठित परीक्षा नियमावली के अनुसार सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करेगा।

(2) राज्य सरकार समय–समय पर परीक्षा के आयोजन के संबंध में संशोधन कर सकेगी।

4. **पात्रता की शर्त्तें** :– परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता निम्नलिखित होगी :–

(i) जिन्होंने झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिक अथवा झारखंड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा के आशुलिपिक कोटि में कम–से–कम पाँच वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा डिम्ड विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यताधारी हों।

(ii) उक्त संबंधित अभ्यर्थियों के विरूद्ध परीक्षा आयोजन के वर्ष में पूर्व से संसूचित कोई दण्ड प्रभावी नहीं हो।

(iii) उक्त संबंधित अभ्यर्थियों की सेवा संपुष्ट हो तथा वे उच्च वर्गीय लिपिक अथवा आशुलिपिक ग्रेड में विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण हों।

(iv) *अभ्यर्थी की पात्रता के निर्धारण के लिए अधियाचना के वर्ष की पहली जनवरी को संदर्भ तिथि (Reference date) होगी।*

5. रिक्तियों का विनिश्चय :– इस नियमावली के नियम 2 (क) में परिभाषित रिक्तियों का विनिश्चय प्रत्येक भर्त्ती वर्ष के पूर्ववर्त्ती वर्ष की 31वीं दिसम्बर को संदर्भ तिथि मानकर किया जायेगा।

6. शुल्क :– परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क/परीक्षा शुल्क आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

7. पात्रता के बारे में विनिश्चय – पात्रता या अर्हत्ता परीक्षा के प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसका प्रवेश–पत्र आयोग द्वारा नहीं जारी किया गया है, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। *परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र (Admit card) निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं।*

8. परिणाम –

(1) अभ्यर्थियों के नाम, जिन पर आयोग द्वारा परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त होने के लिए विचार किया जाता है, उन्हें मेधा (merit) के क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 12 के उपबंधों के अध्यधीन उतनी नियुक्तियों के लिए अनुशंसा की जायेगी, जितनी की जानी अपेक्षित हो।

(2) अभ्यर्थियों को परीक्षा के परिणामों की संसूचना का रूप और रीति का निर्णय आयोग के विवेक पर होगा।

9. परीक्षा का स्वरूप – परीक्षा एक चरण में ली जायेगी। इस परीक्षा में निम्न विषय से संबंधित प्रश्न होंगे :–

खण्ड – 1 (भाषा ज्ञान)

क)	हिन्दी भाषा ज्ञान	–	30 प्रश्न
ख)	अंग्रेजी भाषा ज्ञान	–	30 प्रश्न

खण्ड – 2 (सामान्य ज्ञान)

क)	सामान्य अध्ययन	–	30 प्रश्न
ख)	सामान्य विज्ञान	–	25 प्रश्न
ग)	गणित	–	25 प्रश्न
घ)	मानसिक क्षमता जाँच	–	20 प्रश्न
च)	कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान	–	20 प्रश्न
	कुल	–	*180 प्रश्न*

सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 03 (तीन) अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

(ii) परीक्षा की अवधि 3 घन्टे की होगी ।

(iii) परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा।

(iv) परीक्षा का पाठ्यक्रम अधोलिखित होगा :–

खण्ड – 1 (भाषा ज्ञान)

क) हिन्दी भाषा ज्ञान :–

हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न	–	10 प्रश्न
हिन्दी व्याकरण से संबंधित प्रश्न	–	20 प्रश्न

ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान :–

अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न	–	10 प्रश्न
अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित प्रश्न	–	20 प्रश्न

खण्ड – 2 (सामान्य ज्ञान)

(क) सामान्य अध्ययन :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच की जायेगी। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है । इसमें झारखंड, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते है।

(अ) सम–सामयिक विषयः– वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं ।

(आ) भारत देश :– भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखंड का योगदान ।

(ख) सामान्य विज्ञान :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र में दिनप्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित हो।

(ग) गणित :– इसमें सामान्यतः प्रवेशिका स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(घ) मानसिक क्षमता जांच :–

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं । इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं– सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृखंला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या।

(च) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान (*Basic knowledge of Computer*) :–

इसमें कम्प्यूटर में उपलब्ध उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(छ) खण्ड – 1 (भाषा ज्ञान) विषय की परीक्षा में न्यूनतम अहर्तांक 30% होगा, जो अनिवार्य है। न्यूनतम अहर्तांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे। खण्ड – 1 में न्यूनतम अहर्तांक (30%) अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर अभ्यर्थी द्वारा खण्ड – 1 एवं खण्ड – 2 में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उनकी मेधा का निर्धारण होगा।

10. परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत एवं अनु0 जाति/अनु0 जन–जाति के लिए 35 (पैंतीस) प्रतिशत अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11. मेधासूची –

(i) सहायक ग्रेड की मेधा सूची आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेधा (Merit) के आलोक में तैयार की जायेगी।

(ii) मेधा सूची प्रारूप तैयार करने के पश्चात् आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की प्रारंभिक जाँच कराई जाएगी एवं तत्पश्चात् आयोग द्वारा अंतिम अनुशंसा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजी जाएगी।

12. नियुक्ति –

(1) परीक्षा में सफलता सेवा में सहायक ग्रेड में प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगी, जबतक झारखंड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाए, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी सहायक कोटि में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(2) सहायक ग्रेड में उपर्युक्त नियुक्तियाँ समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के संबंध में आदेशों के अध्यधीन होगी।

13. इस *नियमावली* के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक, प्रशारानिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वचन अंतिम होगा।

14. जहां राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए इस नियमावली के किसी उपबंध अथवा उपबंधों को शिथिल अथवा संशोधित कर सकेगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

30/4/13

(सरोज श्रीवास्तव)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :– 3/नीति–702/2012 का 3648 /राँची, दिनांक 30/04/2013

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, रांची को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

2. कृपया इसकी 500 (पांच सौ) मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को तुरंत भेजें।

30/4/13

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :– 3/नीति–702/2012 का 3646 /राँची, दिनांक 30/04/2013

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखंड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, रांची/सचिव, झारखंड विधान सभा/राज्यपाल सचिवालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

30/4/13

सरकार के अपर सचिव।

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

:: संकल्प ::

विषयः– **सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में झारखंड लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 के आलोक में निम्नवर्गीय लिपिक की अनुमान्य रिक्तियों पर अपेक्षित योग्यता रखनेवाले चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में ।**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, झारखंड, राँची के संकल्प संख्या–4447 दिनांक–26.7.2010 द्वारा झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 अधिसूचित है । इस नियमावली के नियम–2 (ड.) के आलोक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग लिपिकीय सेवा हेतु विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन हेतु प्राधिकृत है ।

2. उक्त नियमावली के नियम–7 (7) के आलोक में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में प्रक्रिया का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जाना है ।

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–2194/09 में दिनांक–19.02.10 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु दायर अवमाननावाद सं0–417/10 राम शंकर दूबे बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य दायर किया गया था । याचिका में पारित आदेश द्वारा संकल्प सं0–4161 दिनांक–08.07.2008 के आलोक में वर्ग–4 से वर्ग–3 की उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति करनी थी ।

इस दौरान अधि0 सं0–4447 दिनांक–26.07.10 द्वारा झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 अधिसूचित होने के फलस्वरूप इसकी कंडिका–7 (1) के आलोक में निम्नवर्गीय लिपिक के 15 प्रतिशत पदों पर वर्ग–4 से स्नातक उत्तीर्ण कर्मियों की नियुक्ति सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर किया जाना है ।

3. नियमावली का उक्त प्रावधान माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय जिसमें संकल्प संख्या–4161 दिनांक 08.07.2008 के आलोक में परीक्षा करानी थी से इस रूप में अलग था कि यहां सीमित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक निर्धारित की गई थी ।

4. उक्त अवमाननावाद में दिनांक–05.08.11 को सुनवाई के कम में माननीय न्यायालय द्वारा शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखने का औचित्य को स्पष्ट करने का आदेश दिया गया ।

झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 की कंडिका–7 (1) में प्रावधान है कि

"परन्तु राज्य सरकार समय–समय पर आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा की आधार पर समूह 'घ' से भरे जाने वाले निम्नवर्गीय लिपिक के 15 प्रतिशत पदों के संबंध में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता घटा सकती है।"

उक्त प्रावधान के अनुरूप विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श भी प्राप्त किया गया । विद्वान महाधिवक्ता द्वारा यह परामर्श दिया गया कि शैक्षणिक योग्यता घटाने के संबंध में राज्य सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदत्त है ।

5. अतः झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली के नियम–7. (1) के आलोक में समूह 'घ' से भरे जाने वाले निम्नवर्गीय लिपिक के 15 प्रतिशत पदों के संबंध में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता घटाकर मैट्रिक करते हुए परीक्षा के आयोजन हेतु विषय निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता है:–

(i) परीक्षा की अवधिः– एक प्रश्न पत्र 2 (दो) घण्टे की अवधि का होगा, विवरण निम्नवत् है:–

कमांक	परीक्षा का विषय	कुल अंक
1.	हिन्दी के 200 शब्दों के अनुच्छेद को सुन्दर अक्षरों में प्रतिलिपि करना	20
2.	डायरी एवं प्रेषण पंजी में (10–10) कुल 20 (बीस) प्रविष्टि करना	10
3.	अंग्रेजी के अनुच्छेद का हिन्दी में अनुवाद करना	50
4.	हिन्दी के दस अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना	10
5.	सुन्दर लिखावट हेतु विशेष अभियुक्ति	10
	कुलः–	100

(ii) उक्त निर्णय one time होने के साथ पूर्वोदाहरण के रूप में अनुमान्य नहीं होगा ।

(iii) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कार्यरत अनुश्रेणीय कर्मियों की नियुक्ति निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जानी है, अतः न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गयी है ।

(iv) अभ्यर्थी को कम से कम 50 अंक प्राप्त होने पर ही परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जायगा एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए उत्तीर्णांक 40 अंक का होगा ।

6. विभागीय संकल्प सं0–4602 दिनांक–06.08.11 को उक्तानुसार संशोधित समझा जाएगा ।

7. एतदविषयक पूर्व में निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र/निदेश/अनुदेश इस हद तक संशोधित समझे जाऐंगे ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में जन साधारण समझे जाऐंगे ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/महाधिवक्ता कार्यालय, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाय ।

15/9/11

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक–5/सी0–06–03/2009का0 5534 / राँची, दिनांक– 16 सितम्बर, 2011

प्रतिलिपिः– कार्मिक, प्र0 सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची (संगठन एवं पद्धति शाखा) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुसार सचिवालय अनुदेश में यथोचित संशोधन की कार्रवाई करने की कृपा करें ।

15/9/11

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक–5/सी0–06–03/2009का0 5534 / राँची, दिनांक– 16 सितम्बर, 2011

प्रतिलिपिः– सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महाधिवक्ता कार्यालय, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

15/9/11

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक–5 / सी0–06–03 / 2009का0 [illegible] / राँची, दि0 [illegible] सितम्बर, 2011

प्रतिलिपिः– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ कार्मिक, प्र0 सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय ।

सरकार के अवर सचिव ।

Niranjan- 15-09-11

पत्रांक–05 / सी0–06–03 / 2009का0 467 /

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

आदित्य स्वरूप,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

उप सचिव,
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग्,
राँची ।

राँची, दिनांक– 10 अगस्त,2011

विषयः– **सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में वर्ग–3 की अनुमान्य रिक्तियों पर अपेक्षित योग्यता रखनेवाले चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के अयोजन के संबंध में ।**

महाशय,

वर्ग–4 से वर्ग–3 के अनुमान्य पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति हेतु माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0–2194 / 2009 में दिनांक–19.02.2010 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं । विवरण निम्नवत् दिया जा रहा हैः–

पूर्व निर्गत संकल्प संख्या–4161 दिनांक–08.07.2008 के प्रावधानों के ध्यान में रखते हुए संदर्भित रिट याचिका संख्या–2194 / 2009 रामाशंकर दूबे बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन हेतु ;

(i) झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 के नियम 7(1) के आलोक में समूह–'घ' से भरे जाने वाले निम्नवर्गीय लिपिक के 15 प्रतिशत पदों के संबंध में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता one time घटाकर मैट्रिक कर दी गयी है ।

(ii) परीक्षा के आयोजन हेतु विषय निम्नरूपेण one time निर्धारित किये गये हैः–

परीक्षा की अवधिः– एक प्रश्न पत्र 2 घंटों का होगा ।

	परीक्षा का विषय	कुल अंक
(1)	हिन्दी के 200 शब्दों के अनुच्छेद को सुन्दर अक्षरों में प्रतिलिपि करना	20
(2)	डायरी एवं प्रेषण पंजी में (10–10) कुल 20 प्रविष्टि करना	10

(3)	अंग्रेजी के अनुच्छेद को हिन्दी में अनुवाद करना	50
(4)	हिन्दी के दस अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना	10
(5)	सुन्दर लिखावट हेतु विशेष अभ्युक्ति	10
	पूर्णांक–	100

उक्त निर्णय one time होने के साथ पूर्वोदाहरण के रूप में अनुमान्य नहीं होगा ।

कृपया वर्ग–4 से वर्ग–3 की उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के लिए पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन में उक्त आशय का संशोधन विज्ञापित कराते हुए तदनुरूप सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कराया जाय ।

विश्वासभाजन,

(आदित्य स्वरूप)
सरकार के प्रधान सचिव ।

Niranjan-10-08-11

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

:: संकल्प ::

विषयः— **सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में झारखंड लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 के आलोक में निम्नवर्गीय लिपिक की अनुमान्य रिक्तियों पर अपेक्षित योग्यता रखनेवाले चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में ।**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, झारखंड, राँची के संकल्प संख्या—4447 दिनांक—26.7.2010 द्वारा झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 अधिसूचित है । इस नियमावली के नियम—2 (ड.) के आलोक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग लिपिकीय सेवा हेतु विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन हेतु प्राधिकृत है ।

2. उक्त नियमावली के नियम—7 (7) के आलोक में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में प्रक्रिया का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जाना है ।

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0—2194/09 में दिनांक—19.02.10 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु दायर अवमाननावाद सं0—417/10 में मामले की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय के निदेश के आलोक में प्रक्रिया/पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को प्रश्नगत परीक्षा के संचालनार्थ कार्मिक, प्र0 सु0 तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक—3760 दिनांक—07.07.2011 एवं 3811 दिनांक—09.7.11 द्वारा मार्ग दर्शन भेजा जा चुका है ।

3. अतः कंडिका—2 के आलोक में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन के लिए प्रक्रिया/पाठ्यक्रम का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है;

(i) परीक्षा की अवधिः— एक प्रश्न पत्र 2 (दो) घण्टे की अवधि का होगा, विवरण निम्नवत् हैः—

कमांक	परीक्षा का विषय	कुल अंक
1.	हिन्दी के 200 शब्दों के अनुच्छेद को सुन्दर अक्षरों में प्रतिलिपि करना	20
2.	डायरी एवं प्रेषण पंजी में (10–10) कुल 20 (बीस) प्रविष्टि करना	10
3.	अंग्रेजी के अनुच्छेद का हिन्दी में अनुवाद करना	10
4.	हिन्दी के दस अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना	10
5.	हिन्दी के अनुच्छेद का अंग्रेजी में अनुवाद करना	10
6.	गणित एवं सामान्य ज्ञान/विज्ञान से संबंधित प्रश्न (मैट्रिक स्तर)	40
	कुलः–	100

(ii) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता निम्नलिखित होगीः–

(क) अभ्यर्थी को स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा ।

(ख) वर्ग–4 के पद पर दस वर्षो की सेवा परीक्षा हेतु निकाले गये विज्ञापन के वर्ष की पहली जुलाई को पूरी हो गयी हो ।

(ग) अभ्यर्थी को स्वस्थ होना आवश्यक होगा ।

(घ) अभ्यर्थी की सेवा संतोषजनक रही हो एवं उनके विरूद्ध कोई आपराधिक मुकदमा अथवा विभागीय कार्यवाही लम्बित न हो ।

(iii) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मियों की नियुक्ति निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जानी है, अतः न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गयी है ।

(iv) अभ्यर्थी को कम से कम 50 अंक प्राप्त होने पर ही परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जायगा एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए उत्तीर्णांक 40 अंक का होगा ।

4. झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग रिक्तियों की संख्या के अनुसार उपर्युक्त परीक्षा के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा, जो आरक्षण कोटिवार होगा ।

5. एतदविषयक पूर्व में निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र/निदेश/अनुदेश इस हद तक संशोधित समझे जाऐंगे ।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में जन साधारण समझे जाऐंगे ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/महाधिवक्ता कार्यालय, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाय ।

ह0/-

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक—5/सी0—06—03/2009का0...../ राँची, दिनांक— अगस्त, 2011

प्रतिलिपिः— कार्मिक, प्र0 सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची (संगठन एवं पद्धति शाखा) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुसार सचिवालय अनुदेश में यथोचित संशोधन की कार्रवाई करने की कृपा करें ।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक—5/सी0—06—03/2009का0 4602 / राँची, दिनांक— 6 अगस्त, 2011

प्रतिलिपिः— सरकार के सभी विभाग/सभी विगाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महाधिवक्ता कार्यालय, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

सरकार के अवर सचिव ।

Niranjan- 06-08-11

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

:: संकल्प ::

विषयः– **झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 के आलोक में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के अधीन निम्नवर्गीय लिपिक की अनुमान्य रिक्तियों पर अपेक्षित योग्यताधारी चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन ।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची के संकल्प संख्या–4447 दिनांक–26.07.2010 द्वारा झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 अधिसूचित है । इस नियमावली के नियम–2 (ड.) के अनुसार निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर अपेक्षित योग्यताधारी चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने हेतु झारखंड कर्मचारी चयन आयोग प्राधिकृत हैं ।

2. नियमावली के नियम 7(5) के आलोक में निम्नवर्गीय लिपिक के 15 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति हेतु सचिवालय के विभिन्न विभागों एवं संलग्न कार्यालयों के नियमित स्थापना में नियुक्त एवं निम्नवर्गीय लिपिक के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले समूह 'घ' के कर्मचारियों से आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जानी है ।

3. माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0–2194/09 रामाशंकर दूबे बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में दिनांक–19.02.2010 को पारित न्यायादेश का अनुपालन ससमय नहीं होने के कारण माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में अवमाननावाद सं0–417/2010 दायर किया गया । उक्त अवमाननावाद में दिए गये निर्देश के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्राप्त चतुर्थवर्गीय कर्मियों की निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर चयन की प्रक्रिया दिनांक–11.07.2011 तक पूर्ण कर ली जानी है, परन्तु झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अबतक क्रियाशील नहीं है ।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में वर्ग–3 (समूह 'ग') की उपलब्ध रिक्तियों में निम्नवर्गीय लिपिक के 15 प्रतिशत पदों पर अपेक्षित योग्यता रखने वाले चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के उद्देश्य से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, राँची के माध्यम से संचालित किया जाएगा ।

4. पर्षद् द्वारा उक्त परीक्षा का संचालन अपवाद स्वरूप केवल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवमाननावाद में पारित आदेश के अनुपालन हेतु किया जायेगा । झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् द्वारा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु कोटिवार रिक्तियों की सूचना कार्मिक, प्र0 सु0 तथा राजभाषा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ।

5. सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता स्नात्तक होगी ।

6. सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होगा ।

7. झारखंड राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद् रिक्तियों की संख्या के अनुसार उपर्युक्त परीक्षा के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा, जो आरक्षण कोटिवार होगा ।

8. उक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन हेतु परीक्षा शुल्क के रूप में रू0–450/– प्रति अभ्यर्थी (अनु0 जाति एवं अनु0 जन जाति हेतु रू0–275/–) परीक्षार्थियों को वहन करना होगा । अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर परीक्षा में आये खर्च की भरपाई सरकार द्वारा की जायेगी ।

9. एतदविषयक पूर्व में निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र/निदेश/अनुदेश इस हद तक संशोधित समझे जाऐंगे ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधरण अंक में जन साधारण के लिए सूचनार्थ प्रकाशित की जाय ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है क इस संकल्प की प्रति झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, राँची / सरकार के सभी

gdutyb

विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / महाधिवक्ता कार्यालय, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाय ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

2/6/2011

(आदित्य स्वरूप)
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक–5 / सी0–06–03 / 2009का0 2950 / राँची, दिनांक– 3 जून, 2011

प्रतिलिपिः– कार्मिक, प्र0 सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची (संगठन एवं पद्धति शाखा) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुसार सचिवालय अनुदेश में यथोचित संशोधन की कार्रवाई करने की कृपा करें ।

2/6/2011
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक–5 / सी0–06–03 / 2009का0 2950 / राँची, दिनांक– 3 जून, 2011

प्रतिलिपिः– सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / महाधिवक्ता कार्यालय, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची / झारखंड राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

2/6/2011
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक–5 / सी0–06–03 / 2009का0 2950 / राँची, दिनांक– 3 जून, 2011

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ कार्मिक, प्र0 सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय ।

2/6/2011
सरकार के प्रधान सचिव ।

Niranjan- 01-06-11

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

रांची, दिनांक..... अप्रैल, 2011

संख्या :– 3/नियुक्ति–002/2010 का.....// कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के अधिसूचना संख्या – 4619, दिनांक 02 अगस्त, 2010 द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 गठित की गई है। उक्त नियमावली के नियम – 7 (2) में प्रावधान है कि झारखंड सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी के नियमित पदों के 50% पद सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे।

2. उक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था। सम्यक् विचारोपरान्त झारखण्ड सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :–

(A) ***प्रथम पत्र*** – इस पत्र की परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी तथा पूर्णांक 100 अंक होगा।

(i)	हिन्दी टिप्पण	–	20 अंक
(ii)	हिन्दी में प्रारूपण	–	20 अंक
(iii)	संक्षेपण	–	20 अंक
(iv)	हिन्दी अनुच्छेद से अंग्रेजी अनुवाद	–	20 अंक
(v)	अंग्रेजी अनुच्छेद से हिन्दी अनुवाद	–	20 अंक

(B) ***द्वितीय पत्र*** – इस पत्र की परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित 100 अंकों के लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जायेंगे :–

(i) सचिवालय अनुदेश
(ii) असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली
(iii) आरक्षण प्रावधान से संबंधित राज्य सरकार के नीति–निर्देश
(iv) प्रोन्नति से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन, उसके कार्य एवं अधिकार
(v) कार्यपालिका नियमावली
(vi) सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

(vii) बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के विभागीय कार्यवाही संचालन एवं दण्ड अधिरोपण से संबंधित प्रावधान।

(viii) झारखंड सरकारी सेवक आचार नियमावली

(ix) बजट हस्तक (Budget Manual)

(C) ***तृतीय पत्र*** – इस पत्र की परीक्षा की अवधि भी तीन घंटे की होगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित 100 अंकों के लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जायेंगे :–

(i) झारखंड सेवा संहिता

(ii) झारखंड पेंशन नियमावली

(iii) सामान्य भविष्य निधि नियमावली

(iv) झारखंड यात्रा भत्ता नियमावली

(v) झारखंड कोषागार संहिता

(vi) झारखंड वित्त नियमावली

(D) ***चतुर्थ पत्र*** – इस पत्र की परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित 100 अंकों के बहुविकल्पीय 100 प्रश्न पूछे जायेंगे :–

(i) **अंकगणित** – सामान्य अंकगणित से संबंधित प्रश्न।

(ii) ***सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान*** – इसके अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास, भारत एवं झारखंड का भूगोल, झारखंड आंदोलन, समसामायिकी, खेल इत्यादि तथा सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे।

(iii) ***भारत का संविधान*** – इसके तहत् संविधान का निर्माण एवं भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित प्रश्न होंगे।

(iv) ***लोक प्रशासन*** – इसमें संघ सरकार एवं प्रशासन, राज्य सरकार एवं प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, लोक सेवा से संबंधित प्रश्न।

(v) ***विकास*** – भारत एवं झारखंड के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, रोजगारोन्मुख, शैक्षणिक विकास से संबंधित प्रश्न।

3. साथ ही प्रशाखा पदाधिकारी के लिए आयोजित होने वाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पदधारकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर प्रशिक्षण में इंटरमिडिएट स्तर का कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त एवं उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

4. प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर भर्त्ती हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा उपर्युक्त कंडिका – 2 के पाठ्यक्रमानुसार कुल 400 अंकों की होगी, जिसमें परिपत्र संख्या 10258 दिनांक 05.08.1991 के आलोक में न्यूनतम अहर्ताक सामान्य वर्ग के लिए 40%, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 32% होगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/--

(सरोज श्रीवास्तव)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 3/नियुक्ति–002/2010 का॰ /रांची, दिनांक अप्रैल, 2011

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 200 (दो सौ) प्रति इस विभाग में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 3/नियुक्ति–002/2010 का॰ /रांची, दिनांक अप्रैल, 2011

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची को झारखण्ड गजट संख्या–425, दिनांक 03.08.2010 की मूल प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/--
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 3/नियुक्ति–002/2010 का॰ 2092/रांची, दिनांक 25 अप्रैल, 2011

प्रतिलिपि–सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखंड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/4/11
सरकार के उप सचिव।

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

:: संकल्प ::

विषयः– सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में वर्ग 3 के उपलब्ध रिक्तियों में दिनचर्या लिपिक एवं टंकक के पदों पर अपेक्षित योग्यता रखनेवाले चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निमित्त सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के संबंध में ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–2215 दिनांक–11.2.1985 एवं उसी क्रम में निर्गत संकल्प संख्या–335 दिनांक 16.9.1992 के द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में वर्ग 3 (ग्रुप–सी) के उपलब्ध रिक्तियों में दिनचर्या लिपिक एवं टंकक के 50 प्रतिशत पदों पर अपेक्षित योग्यता रखनेवाले चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किये जाने के संबंध में विस्तृत निदेश दिये गए हैं ।

एकीकृत बिहार में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में वर्ग–3 (ग्रुप–सी) के उपलब्ध रिक्तियों में दिनचर्या लिपिक एवं टंकक के 50 प्रतिशत पदों पर अपेक्षित योग्यता रखनेवाले चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद के विघटित हो जाने के पश्चात् उक्त सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन एकीकृत बिहार में बन्द हो गया । झारखंड राज्य के सृजन के पश्चात् अब तक झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग अथवा इस हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने हेतु अन्य किसी एजेन्सी की स्थापना नहीं हो सकने के कारण चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका है ।

2. वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में वर्ग–3 (ग्रुप–सी) के उपलब्ध रिक्तियों में दिनचर्या लिपिक एवं टंकक के 50 प्रतिशत पदों पर अपेक्षित योग्यता रखनेवाले चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निमित्त सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन

अब राजस्व पर्षद, झारखंड, राँची द्वारा किया जाएगा । भविष्य में राज्य कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड, राँची के गठन के पश्चात् यह परीक्षा उक्त आयोग द्वारा ही आयोजित किया जाएगा ।

उक्त सीमित प्रतियोगिता परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित करने के निमित्त कोटिवार रिक्ति की सूचना सभी विभागों/कार्यालयों से प्राप्त कर समेकित रूप से कार्मिक, प्र0 सु0 तथा राजभाषा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी ।

3. सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता निम्नलिखित होगी :–

(i) अभ्यर्थी को मैट्रीक एवं समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा ।

(ii) वर्ग–4 के पद पर दस वर्षो की सेवा पूरी हो गयी हो ।

(iii) अभ्यर्थी को स्वस्थ होना आवश्यक होगा ।

(iv) अभ्यर्थी की सेवा संतोषजनक रही हो एवं उनके विरूद्ध कोई आपराधिक मुकदमा अथवा विभागीय कार्यवाही लंबित न हो ।

4. सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप निम्नरूपेण होगा :–

(क) <u>दिनचर्या लिपिक के लिए</u>

<u>एक पत्र</u>	<u>परीक्षा के विषय</u>	<u>दो घंटे की अवधि</u>	<u>अंक</u>
	(i) हिन्दी के 200 शब्दों के अनुच्छेद को सुन्दर अक्षरों में प्रतिलिपि करना		20
	(ii) डायरी एवं प्रेषण पंजी में (10–10) कुल 20 प्रविष्टि करना		10
	(iii) अंगेजी के अनुच्छेद को हिन्दी में अनुवाद करना		50
	(iv) हिन्दी के दस अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना		10
	(v) सुन्दर लिखावट हेतु विशेष अभ्युक्ति		10
		पूर्णांक–	100

अभ्यर्थी को कम से कम 50 अंक प्राप्त होने पर ही परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा । अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए उत्तीर्णांक 40 अंक होगा ।

राजस्व पर्षद रिक्ति की संख्या के अनुसार उपर्युक्त परीक्षा के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा, जो आरक्षण कोटिवार होगा ।

(ख) टंकक के लिए

टंकण जाँच :– अभ्यर्थी को हिन्दी एवं अंग्रेजी में कम से कम 10 मिनट तक टंकण जाँच से गुजरना होगा, जिसमें सामान्य और त गति कमशः हिन्दी एवं अंग्रेजी में 30 एवं 40 शब्द प्रति मिनट की दर से अधिकतम 2.5 प्रतिशत गलती के साथ मान्य होगी ।

राजस्व पर्षद रिक्ति की संख्या के अनुसार उपर्युक्त टंकण–जाँच के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा, जो आरक्षण कोटिवार होगा ।

वर्णित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के सम्बन्ध में अन्य कोई बातें, यदि आवयश्यक हो तो आवश्यकतानुसार राजस्व पर्षद कार्मिक, प्र0 सु0 तथा राजभाषा विभाग से निदेश प्राप्त कर सकेगा ।

5. एतदविषयक पूर्व में निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र/निदेश/अनुदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएँगे ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधरण अंक में जन साधारण के लिए सूचनार्थ प्रकाशित की जाय ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राजस्व पर्षद झारखंड, राँची/ सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महाधिवक्ता कार्यालय, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाय ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(आर0 एस0 शर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक–5/नि0 07 01 2008-[illegible] /1151/ राँची, दिनांक–03/07/ 2008

प्रतिलिपि कार्मिक, प्र0 सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची (संगठन एवं पद्धति शाखा) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुसार मन्त्रिमंडल अनुदेश में अपेक्षित संशोधन की कार्रवाई करने की कृपा करें ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक–5 / नि0–07–01 / 2008का0 4161 / राँची दिनांक– 03/07/2008

प्रतिलिपि:– सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / महाधिवक्ता कार्यालय, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची / राजस्व पर्षद, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक–5 / नि0–07–01 / 2008का0 4161 / राँची दिनांक– 03/07/ 2008

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि इसकी 500 (पाँच सौ प्रतियाँ कार्मिक, प्र0 सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

Niranjan- 03-04-08

खण्ड–3

अध्याय–4

(नियुक्ति प्रक्रिया)

पत्रांक–15/नीति नि०–07–06/2021 का०– 3164

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 19·05·2022

विषयः– **संविदा आधारित नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक एवं 10+2 उत्तीर्णता की शर्त्त को लागू करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–21.10.2021 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही (ज्ञापांक–7880 दिनांक–09.11.2021) में राज्यान्तर्गत संविदा आधारित नियुक्तियों के संबंध में निम्न निर्णय संसूचित हैः–

"विभिन्न विभागान्तर्गत संविदा आधारित समरूप वेतनमान के पदों पर नियुक्ति में भी स्थायी अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु वर्त्तमान में किये गये संशोधन के अनुरूप प्रावधान निरूपित करते हुए नियुक्ति की कार्रवाई की जाय।"

विदित हो कि स्थायी अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में शैक्षणिक योग्यता में 'झारखण्ड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है।

अतः अनुरोध है कि पूर्व में प्रेषित विभागीय ज्ञापांक–7880 दिनांक–09.11.2021 (छायाप्रति) के आलोक में आपके विभागान्तर्गत स्थायी अराजपत्रित पद के समकक्ष संविदा आधारित पदों पर नियुक्तियों में शैक्षणिक योग्यता में झारखण्ड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं 10+2 उत्तीर्ण होने के शर्त्त को लागू किये जाने की अद्यतन स्थिति से इस विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

19.5.22

(वंदना दादेल)
सरकार के प्रधान सचिव।

अध्याय–4

105

8315
16/09/2015

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषयः– झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित झारखण्ड संयुक्त असैनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में C-SAT प्रणाली को समाप्त करने, छठे संयुक्त असैनिक प्रवेश प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए उम्र गणना हेतु कट–ऑफ डेट का निर्धारण एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अवसरों की सीमा समाप्त करने के संबंध में।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या–9477 दिनांक–25.09.2013 द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंगीकृत C-SAT प्रणाली के आधार पर पुनरीक्षित पद्धति एवं पाठ्यक्रम लागू किया गया है।

2. उक्त पुनरीक्षित परीक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रम के आलोक में छठी सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन के साथ ही अभ्यर्थियों का विरोध विभिन्न माध्यमों से सामने आया है। साथ ही, झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् 15 वर्षों में अबतक मात्र 5 सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में उम्र गणना हेतु कट–ऑफ तिथि को घटाने का मामला एवं सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अवसर सीमा को हटाने का अनुरोध किया गया। प्रस्तुत मामले में छात्र संगठनों के द्वारा भी पूर्व में अभ्यावेदन सरकार के समक्ष समर्पित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हतांक की अनिवार्यता को हटाने की मांग की जाती रही है।

3. उपर्युक्त तथ्यों पर समेकित रूप से विचार करते हुए सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं:–

(क) छठी सिविल सेवा प्रतियोगिता (प्रारम्भिक) परीक्षा से C-SAT के द्वितीय पत्र को आहरित (Withdraw) करते हुए परीक्षा पाठ्यक्रम से C-SAT का नाम विलोपित किया जाता है एवं प्रारम्भिक परीक्षा के विषय का नाम सामान्य अध्ययन रखा जाता है।

(ख) छठी सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के Upper Age Limit की गणना हेतु 01.08.2010 एवं Lower Age Limit की गणना हेतु 01.08.2015 को कट–ऑफ तिथि निर्धारित की जाती है।

(ग) बिहार एवं कई अन्य राज्यों के तर्ज पर सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुमान्य अवसर की सीमा को समाप्त किया जाता है।

2/–

(घ) सिविल सेवा प्रतियोगिता (मुख्य) परीक्षा में साक्षात्कार हेतु न्यूनतम अर्हतांक की अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है।

4. इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्पों/अधिसूचनाओं/आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेशः आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रतन कुमार) 16/09/15
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11/लो०से०आ०–01–18/2015 का०– 8315 /राँची, दिनांक 16/09/2015

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

16/09/15
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11/लो०से०आ०–01–18/2015 का०– 8315 /राँची, दिनांक 16/09/2015

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/राज्यपाल सचिवालय/झारखण्ड राज्य के अधीन सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव/संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली/श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/09/15
सरकार के सचिव।

पत्रांक–15 / नीति नि०–07–02 / 2015 का० 3797

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सचिव,
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची।

राँची, दिनांक:– 23/04/2015

विषयः उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अन्तर्गत अवर निरीक्षक उत्पाद एवं सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अधिसूचना संख्या–1222 दिनांक–08.06.2013 के द्वारा अधिसूचित झारखण्ड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्त्ती एवं सवा शर्त) नियमावली, 2013 के नियम–7 एवं नियम–18 में यह प्रावधानित है कि उक्त सम्वर्गों में नियुक्ति की प्रक्रिया झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा से की जायेगी।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की नियमावली, 2011 की कंडिका–3(i) के अनुसार आयोग वर्दीधारी पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा नहीं करेगी।

परन्तु आयोग के लिए गठित उक्त नियमावली के नियम–3(i) के परन्तुक में ही निम्न प्रावधान हैं:–

"राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह, किसी भी पद, जिन पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने की संवैधानिक बाध्यता नहीं है, उनमें से किसी सेवा की नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा का कार्य आयोग से हटाकर किसी अन्य प्राधिकार को सौंप सकती है अथवा वैसी किसी सेवा की नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा का कार्य आयोग को सौंप सकेगी।"

उक्त परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की नियमावली के नियम–3(i) के परन्तुक में अंकित उक्त प्रावधान के आलोक में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अन्तर्गत अवर निरीक्षक उत्पाद एवं सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद के पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय लिया गया है कि उक्त नियुक्ति हेतु अनुशंसा की कार्रवाई कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी।

विश्वासभाजन

22/4/15

(एस० के० शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–15 / नीति नि०–07–02 / 2015 का० 3797 राँची, दिनांक:– 23/04/2015

प्रतिलिपि:– सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/4/15

सरकार के प्रधान सचिव

पत्रांक–11/क०च०आ०–02–06/2014 का० 3427

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सचिव,
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची।

राँची, दिनांक:– 16/4/15

विषयः **गृह विभाग के अन्तर्गत कारा निरीक्षणालय के अधीन कक्षपाल के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह विभाग की अधिसूचना संख्या–3559, दिनांक–16.07.2013 के द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कक्षपाल संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2013 के नियम–7 में यह प्रावधानित है कि उक्त सम्वर्ग में नियुक्ति की प्रक्रिया झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा से की जायेगी।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की नियमावली, 2011 की कंडिका-3(i) के अनुसार आयोग वर्दीधारी पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा नहीं करेगी।

परन्तु आयोग के लिए गठित उक्त नियमावली के नियम–3(i) के परन्तुक में ही निम्न प्रावधान हैं:–

"राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी पद, जिन पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने की संवैधानिक बाध्यता नहीं है, उनमें से किसी सेवा की नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा का कार्य आयोग से हटाकर किसी अन्य प्राधिकार को सौंप सकती है अथवा वैसी किसी सेवा की नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा का कार्य आयोग को सौंप सकेगी।"

उक्त परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की नियमावली के नियम–3(i) के परन्तुक में अंकित उक्त प्रावधान के आलोक में गृह विभाग के अन्तर्गत कक्षपाल के पद पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय लिया गया है कि उक्त नियुक्ति हेतु अनुशंसा की कार्रवाई कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी।

विश्वासभाजन

16/4/15
(एस० के० शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–11/क०च०आ०–02–06/2014 का० 3427 राँची, दिनांकः– 16/4/15

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/4/15
सरकार के प्रधान सचिव

पत्रांक–15 / नीति नि०–07–02 / 2015 का० 3371

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

सचिव,
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची।

राँची, दिनांकः– 15/4/15

विषयः उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अन्तर्गत उत्पाद सिपाहियों के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अधिसूचना संख्या–1225 दिनांक–08.06.2013 के द्वारा अधिसूचित झारखण्ड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 के नियम–7 में यह प्रावधानित है कि उक्त सम्वर्ग में नियुक्ति की प्रक्रिया झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा से की जायेगी।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की नियमावली, 2011 की कंडिका–3(i) के अनुसार आयोग वर्दीधारी पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा नहीं करेगी।

परन्तु आयोग के लिए गठित उक्त नियमावली के नियम–3(i) के परन्तुक में ही निम्न प्रावधान हैं:–

"राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी पद, जिन पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने की संवैधानिक बाध्यता नहीं है, उनमें से किसी सेवा की नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा का कार्य आयोग से हटाकर किसी अन्य प्राधिकार को सौंप सकती है अथवा वैसी किसी सेवा की नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा का कार्य आयोग को सौंप सकेगी।"

उक्त परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की नियमावली के नियम–3(i) के परन्तुक में अंकित उक्त प्रावधान के आलोक में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अन्तर्गत उत्पाद सिपाहियों के पद पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय लिया गया है कि उक्त नियुक्ति हेतु अनुशंसा की कार्रवाई कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी।

विश्वासभाजन

(एस० के० शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–15 / नीति नि०–07–02 / 2015 का० 3371 राँची, दिनांकः– 15/4/15

प्रतिलिपिः– सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

पत्रांक–7ए/नीति नि०–06/2012 का० 6190

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

आदित्य स्वरूप
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांकः– 9/7/13

विषयः राज्य के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग–3 के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या–1749 दिनांक–27.03.2010, जिसके द्वारा राज्य के क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु 'झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (प्रोन्नति, भर्ती एवं अन्य सेवाशर्त्त) नियमावली, 2010 निर्गत है, की कंडिका–4(क)(ii) में यह प्रावधानित है कि उक्त सम्वर्ग में नियुक्ति की प्रक्रिया संबद्ध कार्यालय के अधियाचित रिक्ति के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा से की जायेगी।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की नियमावली, 2011 की कंडिका–3(i) के अनुसार आयोग क्षेत्रीय एवं जिला स्तर पर भरे जानेवाले पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा नहीं करेगी।

परन्तु आयोग के लिए गठित उक्त नियमावली के नियम–3(i) के परन्तुक में ही निम्न प्रावधान हैः–

"राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी पद, जिन पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने की संवैधानिक बाध्यता नहीं है, उनमें से किसी सेवा की नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा का कार्य आयोग से हटाकर किसी अन्य प्राधिकार को सौंप सकती है अथवा वैसी किसी सेवा की नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा का कार्य आयोग को सौंप सकेगी।"

उक्त परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की नियमावली के नियम–3(i) के परन्तुक में अंकित उक्त प्रावधान के आलोक में राज्य के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकीय सम्वर्ग के पदों पर नियुक्ति के संबंध में इस बिन्दु पर सैद्धान्तिक रूप से निर्णय लिया गया है कि उक्त नियुक्ति हेतु अनुशंसा की कार्रवाई कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी।

नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजने की कार्रवाई संबंधित विभाग एवं समाहरणालय के लिए संबंधित उपायुक्त द्वारा अनुमान्य आरक्षण रोस्टर के आधार पर की जायेगी, जिसका अनुश्रवण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग करेगा।

विश्वासभाजन

9/7/2013

(आदित्य स्वरूप)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–7ए/नीति नि०–06/2012 का० 6190 राँची, दिनांकः– 9/7/13

प्रतिलिपिः– सचिव, झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/7/2013

सरकार के प्रधान सचिव

खण्ड–3

अध्याय–5
(झारखण्ड लोक सेवा आयोग)



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण, 1941 (श०)

संख्या- 658 राँची, बुधवार, 14 अगस्त, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

01 अगस्त, 2019

संख्या-11/ला०से०आ०-01-11/2017 का०- 6215 -- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं०-117, दिनांक-16.01.2001 के द्वारा प्रवृत्त झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) विनियम, 2000 के नियम-4 जिसे कालान्तर में विभागीय अधिसूचना सं०-3240, दिनांक-10.06.2003 एवं 4664, दिनांक-15.07.2009 के द्वारा संशोधित रूप में प्रतिस्थापित किया गया है, के क्रम में पुनः आंशिक रूप से संशोधित करते हुए निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"अध्यक्ष 2,25,000/- (दो लाख पच्चीस हजार) रु० और अन्य प्रत्येक सदस्य 2,00,000/- (दो लाख) रु० मासिक वेतन प्राप्त कर सकेंगे।"

2. उपर्युक्त संशोधन दिनांक-01.01.2016 से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 658 -- 50

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

—: अधिसूचना :—

संख्या—11 / लो0से0आ0—01—03 / 2013 का0...../ राँची, दिनांक— जनवरी, 2018

भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्य—सीमन) विनियम, 2000 के नियम 7(ग) में संशोधन करते हुए 7(ग)(ii) के रूप में नई कंडिका निम्न प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं:—

"राज्य के विभिन्न विभागों के राजपत्रित पदों जिनपर नियुक्ति / प्रोन्नति की अनुशंसा का दायित्व उस विभाग अन्तर्गत संबंधित सेवा / संवर्ग के लिए गठित नियुक्ति / प्रोन्नति सेवा शर्त्त नियमावली द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग को दिया गया है, वैसे राजपत्रित पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति की अनुशंसा का कार्य झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / —
(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक—11 / लो0से0आ0—01—03 / 2013 का0 73 / राँची, दिनांक— 2 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि:— नोडल पदाधिकारी, ई—गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई—गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2/1/18
(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

: अधिसूचना :

राँची दिनांक– 9 दिसम्बर, 2016

संख्या–11/स्था0(आयोग वे0पु0)–4/2009 का0 10526 / कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या–9011, दिनांक–03.08.2012 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) विनियम, 2000 के नियम–4 में निम्नांकित प्रावधान किया गया है–

"अगर सेवानिवृत्त पदाधिकारी को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें अंतिम वेतन घटाव पेंशन के समतुल्य वेतन देय होगा"।

उपर्युक्त प्रावधान पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णय के अनुसार अधिसूचना सं0–9011, दिनांक–03.08.2012 में अंकित शब्द "अध्यक्ष" के साथ "सदस्य" शब्द को भी प्रतिस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

8.12.16
(दिलीप तिर्की)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–11/स्था0(आयोग वे0पु0)–4/2009 का0 10526 /राँची, दिनांक– 9 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

8.12.16
(दिलीप तिर्की)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–11/स्था0(आयोग वे0पु0)–4/2009 का0 10526 /राँची, दिनांक– 9 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायलय, राँची/महालेखाकर, झारखण्ड, राँची/सरकार के सभी विभाग/विभागायक्ष/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/कोषागार पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8.12.16
(दिलीप तिर्की)
सरकार के उप सचिव।
OIC Appt

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 858 राँची, मंगलवार

17 अग्रहायण, 1937 (श०)

8 दिसम्बर, 2015 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

12 नवम्बर, 2015

संख्या-एल०जी०-31/2015-136—लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक- 05 नवम्बर, 2015 को अनुमति दे चुके है इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग अतिरिक्त कार्य विस्तारण अधिनियम, 2015

(झारखंड अधिनियम, 20, 2015)

प्रस्तावना

चूंकि राज्य सेवा /कैडर के बेसिक ग्रेड के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले में ही झारखंड लोक सेवा आयोग की भूमिका है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण वाले अन्य प्रकार के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति का कार्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं की जा रही है

जबकि इन पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा किए जाने का प्रावधान संबन्धित विभाग की नियमावली में किया गया है ।

इस कठिनाई को देखते हुए यह आवश्यकता महसूस की गयी है की झारखंड लोक सेवा आयोग को राज्य सेवा /कैडर के बेसिक ग्रेड के पदों के अतिरिक्त वैसे अन्य पदों की नियुक्ति/प्रोन्नति का दायित्व भी दिया जाना आवश्यक हो गया है जिसका प्रावधान संबन्धित विभाग की नियमावली में है । ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 321 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तारण आवश्यक है ।

अत: भारत गणराज्य के 66वें वर्ष में झारखंड विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1 (क) संक्षिप्त नाम एवं विस्तार और प्रारम्भ :-

(I) यह अधिनियम "झारखंड लोक सेवा आयोग अतिरिक्त कार्य विस्तारण अधिनियम – 2015 कहलाएगा ।"

(II) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2 झारखंड लोक सेवा आयोग अतिरिक्त कार्य विस्तारण अधिनियम-2015 निम्नवत पठित होगा :-

"राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षक संवर्ग/नगर विकास विभाग के अंतर्गत झारखंड नगरपालिका सेवा के सहायक नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, सहायक अभियंता (सिविल), सहायक अभियंता (यांत्रिक), नगर निवेशन सेवा के सहायक नगर निवेशक एवं राज्य सरकार के अन्य निगम/निकायों के पद जिनकी नियुक्ति/प्रोन्नति की अनुशंसा का दायित्व उस विभाग की नियमावली द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग को दिया गया है, वैसे सभी पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति की अनुशंसा का कार्य झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा ।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बी० बी० मंगलमूर्ति,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 858–50 ।

पत्रांक–15 / नीति नि०–07–09 / 2015 का० .....

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

राहुल कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः–

विषयः– : **संविधान के अनुच्छेद–320(3) के तहत नियुक्ति नियमावली गठन के क्रम में, झारखण्ड लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभिन्न विभागान्तर्गत बगैर आयोग के परामर्श प्राप्त किए नियुक्ति नियमावली गठित किए गए हैं, फलस्वरूप ऐसे विभागों द्वारा भेजी गई अधियाचना पर कार्रवाई संभव नहीं हो पा रही है। आयोग से परामर्श प्राप्त किए बिना नियुक्ति नियमावली का गठन संविधान के अनुच्छेद 302(3) के प्रतिकूल है।

संविधान के अनुच्छेद–320(3) में निम्न प्रावधान निहित हैः–

"The Union Public Service Commission or the State Public Service Commission, as the case may be, shall be consulted-

(a) **On all matters relating to methods of recruitment to civil services and for civil posts.**

(b) **On the Principles to be followed in making appointment to civil services and post suitability of candidates for such appointments, promotion or transfers;**

अतः अनुरोध है कि संविधान के उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्ति नियमावली के गठन के क्रम में ही आवश्यकतानुसार नियमावली पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर लेना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(राहुल कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–15 / नीति नि०–07–09 / 2015 का०..... 4/18 राँची, दिनांकः– 6/5/15

प्रतिलिपिः– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को उनके पत्रांक–761 दिनांक–24.03.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

6/05/15
सरकार के अवर सचिव

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 576 राँची ,शुक्रवार 16 कार्तिक 1936 (श०)

7 नवम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

24 अक्टूबर, 2014

संख्या-11/लो0से0आ0-102/2000 का0 10470--भारत संविधान के अनुच्छेद -320 के खण्ड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्य सीमन) विनियम-2000, जो विभागीय अधिसूचना संख्या-117 दिनांक-16 जनवरी, 2001 द्वारा अधिसूचित है, के नियम-4(3) में अंकित 'सहायक लोक अभियोजक' शब्द को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है ।

2. उक्त नियमावली के नियम-4(3) में अंकित अन्य शब्द यथावत रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 576–50 ।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

राँची, दिनांक– 21/10/14

संख्या–11/लो0से0आ0–102/2000 का0 1070 /भारत संविधान के अनुच्छेद –320 के खण्ड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्य सीमन) विनियम–2000, जो विभागीय अधिसूचना संख्या–117 दिनांक–16.01.2001 द्वारा अधिसूचित है, के नियम–4(3) में अंकित 'सहायक लोक अभियोजक' शब्द को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है ।

2. उक्त नियमावली के नियम–4(3) में अंकित अन्य शब्द यथावत रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–11/लो0से0आ0–102/2000 का0 1070 /राँची, दिनांक 21/10/14

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी,ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–11/लो0से0आ0–102/2000 का0 1071 /राँची, दिनांक 21/10/14

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव का कोषांग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड/सचिव, विधि (न्याय) विभाग/ सचिव, झारखण्ड, लोक सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 577 राँची ,शुक्रवार 16 कार्तिक 1936 (श०)

7 नवम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

24 अक्टूबर, 2014

संख्या-11/लो0से0आ0-103/2000 का0 10471--कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं0-6/लो0से0आ0-103/2000 का-117 दिनांक-16 जनवरी, 2001 द्वारा प्रवृत्त झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) विनियम, 2000 के भाग-3 नियम- 6(1) की कंडिका 'ग' के ठीक नीचे निम्न रूप से एक अतिरिक्त कंडिका 'घ' जोड़ी जाती है:-

"घ.) अध्यक्ष/सदस्यों को एक कैलेण्डर वर्ष में कुल बारह आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगें।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 577–50 ।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

राँची, दिनांक– 1 अक्टूबर, 2014

संख्या–11/लो0से0आ0–103/2000 का0 10121 / कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं0–6/लो0से0आ0–103/2000 का–117 दिनांक–16.01.2001 द्वारा प्रवृत्त झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्त्ते) विनियम, 2000 के भाग–3 नियम– 6(1) की कंडिका 'ग' के ठीक नीचे निम्न रूप से एक अतिरिक्त कंडिका 'घ' जोड़ी जाती है:–

"घ.) अध्यक्ष/सदस्यों को एक कैलेण्डर वर्ष में कुल बारह आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगें।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–11/लो0से0आ0–103/2000 का0 10121 /राँची, दिनांक–24 अक्टूबर, 2014

प्रतिलिपि:–ई0 नोडल पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त गजट की 25 अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–11/लो0से0आ0–103/2000 का0 10121 /राँची, दिनांक–24 अक्टूबर, 2014

प्रतिलिपि:– माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/कोषागार पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 27 राँची, शुक्रवार

11 माघ 1935 (श०)

31 जनवरी, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

27 जनवरी, 2014

संख्या-11/लो०से०आ०-01-03/2013-का०-789-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्य-सीमन) विनियम, 2000 के नियम 7(ग) के उपबंध (ii), (iii), एवं (iv), जो निम्न प्रकार पठित है, को विलोपित करते हैं :

"7(ग) (ii) विभाग प्रमुख के पद पर नियुक्ति/ प्रोन्नति के मामलों में, परन्तु यह अखिल भारतीय सेवा के मामलों में लागू नहीं होगा।

(iii) सचिवालय एवं संलग्न/ सम्मिलित कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के सदस्यों से अवर सचिव एवं अन्य समतुल्य पदों पर नियुक्ति/ प्रोन्नति के मामलों में,

(iv) सचिवालय के निजी सहायक संवर्ग के सचिव के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामलों में।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुमन कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण)27—50।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

दिनांक ...27.....जनवरी, 2014

सं0 11/लो0से0आ0–01–03/2013 का0.....189.....भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्य–सीमन) विनियम, 2000 के नियम 7(ग) के उपबंध (ii), (iii), एवं (iv), जो निम्न प्रकार पठित है, को विलोपित करते हैं :

"7 (ग) (ii) विभाग प्रमुख के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति के मामलों में, परन्तु यह अखिल भारतीय सेवा के मामलों में लागू नहीं होगा।

(iii) सचिवालय एवं संलग्न/सम्मिलित कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के सदस्यों से अवर सचिव एवं अन्य समतुल्य पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के मामलों में,

(iv) सचिवालय के निजी सहायक संवर्ग के सचिव के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामलों में।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

27.1.14

(सुमन कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 11/लो0से0आ0–01–03/2013 ...189.....राँची, दिनांक ...27.....जनवरी, 2014.

प्रतिलिपि – अधीक्षक , राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि उक्त राजपत्र की 200 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 11/लो0से0आ0 01-03/2013 का0.....189.....राँची, दिनांक ...27.....जनवरी, 2014

प्रतिलिपि – सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची/ राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव/सचिव सभी विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषय : **झारखण्ड लोक सेवा आयोग और झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक–13026 दिनांक–27.11.2012 के द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग और झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन निर्गत हैं। उक्त संकल्प की कंडिका–3(ii) में किये गये प्रावधान को निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:–

" उक्त रूप में परिगणित रिक्तियों का रोस्टर वलीधरेन्स कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग को 31 जनवरी तक भेज देंगे। कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग द्वारा उक्त अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को 28/29 फरवरी तक संसूचित किया जायेगा। अधियाचित रिक्तियों के विरूद्ध समायोजन द्वारा या अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जायेगी। "

2. उक्त संकल्प की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

आदेश: **आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

7.1.14

(एस० के० शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7ए/नीति नि०–07–13/2011 का०–185 /राँची, दिनांक 8/1/2014

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन के लिए अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायी जाय।

7.1.14

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7ए/नीति नि०–07–13/2011 का०–185 /राँची, दिनांक 8/1/2014

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

7.1.14

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञाप संख्या–11 / लो0से0आ0–12 / 2002 (छाया) का०–..... / राँची, दिनांक .....

सेवा में,

महालेखाकार, झारखण्ड,
पो0–हिनू, रांची।

द्वारा : वित्त विभाग।

विषय : झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची के लिए राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के सृजन / प्रत्यर्पण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आदेश : स्वीकृत।

2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची के लिए संलग्न परिशिष्ट–I एवं परिशिष्ट–II में अंकित पद स्वीकृत / प्रत्यर्पित किये जाते हैं।

3. इन पदों पर होने वाले व्यय का उपबन्ध मांग संख्या–34, मुख्य शीर्ष–2051, लोक सेवा आयोग, लघु शीर्ष–102, राज्य लोक सेवा आयोग, उप शीर्ष–01 – लोक सेवा आयोग (प्रभृत) के अन्तर्गत किया जायेगा।

4. पद सृजन में वित्त विभाग के प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति प्राप्त है।

5. पद सृजन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / –
(सुमन कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11 / लो0से0आ0–12 / 2002 (छाया) का०–..... / राँची, दिनांक .....

प्रतिलिपि– परिशिष्ट–I एवं परिशिष्ट–II की प्रति के साथ वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची / सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग / जिला कोषागार पदाधिकारी, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11 / लो0से0आ0–12 / 2002 (छाया) का०–..... / राँची, दिनांक .....

प्रतिलिपि– राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन सचिवालय, झारखण्ड / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रांची / प्रभारी सचिव, विधान सभा सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11 / लो0से0आ0–12 / 2002 (छाया) का०–1250 / राँची, दिनांक 7.12.02

प्रतिलिपि–राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

7.12.02
सरकार के संयुक्त सचिव।
O/C Agt

letter-Sect-6

झारखण्ड लोक सेवा आयोग हेतु स्वीकृत राजपत्रित/अराजपत्रित पदों की सूची

परिशिष्ट–I

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	
1	परीक्षा नियंत्रक (संयुक्त/उप सचिव स्तर)	37400–67000/–, *PB-IV*, *GP*–8700/–	01	
2	उप परीक्षा नियंत्रक (अवर सचिव स्तर)	15600–39100/–, *PB-III*, *GP*–6600/–	02	
3	विधि पदाधिकारी (उप सचिव स्तर)	15600–39100/–, *PB-III*, *GP*–7600/–	01	
4	प्रोटोकॉल पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी स्तर)	9300–34800/–, *PB-II*, *GP*–4800/–	01	
5	सीनियर प्रोग्रामर–सह–डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	15600–39100/–, *PB-III*, *GP*–6600/–	01	
6	प्रशाखा पदाधिकारी	9300–34800/–, *PB-II*, *GP*–4800/–	05	
7	सहायक	9300–34800/–, *PB-II*, *GP*–4600/–	10	
8	विधि सहायक	9300–34800/–, *PB-II*, *GP*–4600/–	02	
9	उच्च वर्गीय लिपिक	5200–20200/–, *PB-I, GP*–2400/–	05	
10	निम्न वर्गीय लिपिक	5200–20200/–, *PB-I, GP*–1900/–	07	
11	चालक	5200–20200/–, *PB-I, GP*–1900/–	04	चालक के पदों को *Outsourcing* के माध्यम से भरा जाय।

कुल पदों की संख्या–39 (उन्चालीस)

4.12.13

(सुमन कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।
P/C Agt

झारखण्ड लोक सेवा आयोग हेतु प्रत्यर्पित पदों की सूची

परिशिष्ट–II

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	प्रत्यर्पण पद	शेष पद
1	2	3	4	5
1	आप्त सचिव	08	04	04

कुल प्रत्यर्पित पदों की संख्या – 04 (चार)

7.12.17

(सुमन कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 29/6/13

संख्या–6 / स्था0लो0से0आ0(प्रत्यर्पण)–11 / 2012 का०– 5811 / भारत के संविधान के अनुच्छेद–318 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्त्तें) विनियम, 2000 के भाग–2, नियम–3(1) को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं :–

" 3(1) – आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे, परन्तु एक या एक से अधिक सदस्यों के छुट्टी पर या अन्यथा अनुपस्थित रहने की दशा में, यथा स्थिति, शेष सदस्य या सदस्यों से आयोग गठित होगा।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

29.06.13

(सुमन कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–6 / स्था0लो0से0आ0(प्रत्यर्पण)–11 / 2012 का०–5811 / राँची, दिनांक 29/6/13

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

29.06.13

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–6 / स्था0लो0से0आ0(प्रत्यर्पण)–11 / 2012 का०–5811 / राँची, दिनांक 29/6/13

प्रतिलिपि–सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली / सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची / महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / सचिव–सह–विधि परामर्शी, विधि (न्याय) विभाग, रांची / मुख्य सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

29.06.13

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 31/01 जुलाई, 2012

संख्या–6/स्था0(आयोग)वे0पु0–4/2009 का.–७०। / कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या–117 दिनांक 16.01.2001 द्वारा प्रभृत झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) विनियम, 2000 के नियम–4, जिसे कालान्तर में विभागीय अधिसूचना संख्या–3240 दिनांक 10.06.2003 तथा 4664 दिनांक 16.07.2009 द्वारा संशोधित रूप में प्रतिस्थापित किया गया है, के ठीक नीचे निम्नरूप से एक अतिरिक्त प्रावधान जोड़ा जाता है :–

"अगर सेवानिवृत्त पदाधिकारी को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें अंतिम वेतन घटाव पेंशन के समतुल्य वेतन देय होगा"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रभोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–6/स्था0(आयोग)वे0पु0–4/2009 का.–७०। /राँची, दिनांक 31 जुलाई, 2012

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–6/स्था0(आयोग)वे0पु0–4/2009 का.–७०। /राँची, दिनांक 31 जुलाई, 2012

प्रतिलिपि– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, रांची/सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची/महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/कोषागार पदाधिकारी, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक– 15 जुलाई, 2009 ई०

संख्या– 6/लो०से०आ०–103/2001 का०– 4664/ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं०–117 दिनांक 16.01.2001 द्वारा प्रवृत्त झारखंड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्त्तें) विनियम, 2000 के नियम–4 जिसे कालान्तर में विभागीय अधिसूचना सं०–3240 दिनांक 19.06.2003 के द्वारा संशोधित रूप में प्रतिस्थापित किया गया है, के क्रम में पुनः आंशिक रूप से संशोधित करते हुए निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है–

"अध्यक्ष 70380/–. (सत्तर हजार तीन सौ अस्सी) रू० और अन्य प्रत्येक सदस्य 63850/– (तिरसठ हजार आठ सौ पचास) रू० मासिक वेतन प्राप्त कर सकेंगे ।"

2. झारखंड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्त्तें) विनियम, 2000 के नियम–12(1) (i) एवं (ii) को भी संशोधित करते हुए निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है–

(i) अध्यक्ष की दशा में यदि उसने छः वर्षों की पेंशनी सेवा पूरी कर ली हो और 70380/– (सत्तर हजार तीन सौ अस्सी) रू० प्रतिमास की दर से वेतन पाया हो तो प्रतिवर्ष 138000/– (एक लाख अड़तीस हजार) रू० पेंशन मिलेगी और

(ii) अध्यक्ष से भिन्न किसी सदस्य की दशा में यदि उसने छः वर्षों की पेंशनी सेवा पूरी कर ली हो और 63850/– (तिरसठ हजार आठ सौ पचास) रू० प्रतिमास की दर से वेतन पाया हो तो प्रतिवर्ष 128400/– (एक लाख अठाइस हजार चार सौ) रू० पेंशन मिलेगी ।

3. उक्त संशोधन दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रतन कुमार) 14/07/09
सरकार के उप सचिव ।

संख्या– 6/लो०से०आ०–103/2001 का०–4664/ राँची, दिनांक– 15 जुलाई, 2009

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

14/07/09
सरकार के उप सचिव ।

Scanned by CamScanner

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राज्भाषा विभाग ।

-:: अधिसूचना ::-

रॉची, दिनांक-15 दिसम्बर, 2003 ई0 ।

संख्या-6/लो0से0आ0-103/2001का0-6818/ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-117, दिनांक-16 जनवरी, 2001 द्वारा प्रवृत्त "झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्त्ते) विनियम, 2000" के भाग-2, विनियम-3(1) को राज्य सरकार द्वारा रूपभेदित किए जाने के कारण उक्त नियम को निम्न प्रकार संशोधित रूप में विनियम में उसी स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है :-

भाग-2, नियम-3(1)

"आयोग में एक अध्यक्ष और आठ अन्य सदस्य होंगे, परन्तु एक या अनेक सदस्यों के छुट्टी पर या अन्यथा अनुपस्थित रहने की दशा में, यथा स्थिति, शेष सदस्य या सदस्यों से आयोग गठित होगा ।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

15/12/03

(स्वर्णादित्य सहाय),
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक-6/लो0से0आ0-103/2001का0-6818/ रॉची, दिनांक- 15 दिसम्बर 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित ।

15/12/03

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक-6/लो0से0आ0-103/2001का0-6818/रॉची, दिनांक- 15 दिसम्बर 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि- सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली/ संयुक्त सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रॉची/ सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉची/ महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रॉची/ महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव,/ माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव के सचिव को सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

15/12/03

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अ धि सू च ना

रांची, दिनांक- 10 जून, 2003 ई0

संख्या-6/लो० से० आ० स्था०-15/2002का0 3240/ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-117 दिनांक-16.01.2001 द्वारा प्रवृत्त "झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवाशर्त्त) विनियम, 2000 के नियम-4 संशोधित रूप में निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"अध्यक्ष-24,500/- रूपये (चौबीस हजार पाँच सौ) एवं अन्य प्रत्येक सदस्य - 22,400/- रूपये (बाईस हजार चार सौ) मासिक वेतन प्राप्त कर सकेंगे । वेतन के अतिरिक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों को सरकारी सेवकों के लिए स्वीकृत दरों पर मँहगाई भत्ता भी अनुमान्य होगा ।

परन्तु यदि अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति के समय अध्यक्ष या सदस्य, पेंशन उपादान अभिदायी भविष्य निधि के तौर पर या अन्यथा सेवानिवृत्ति संबंधी फायदे प्राप्त कर रहे हों, या पाने के हकदार हो, तो विनियम, विनिर्दिष्ट वेतन से पेंशन (आरंभीकृत पेंशन सहित) की राशि घटाते समय उपादान के समतुल्य पेंशन तत्व की उपेक्षा कर दी जाएगी ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

10/6/03

(पंकज कुमार मिश्र)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- 3240 रांची, दिनांक- 10 जून, 2003 ई0

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, रांची को झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 100 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

10/6/03

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- 3240 रांची, दिनांक- 10 जून, 2003 ई0

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखंड, एवं बिहार, पु0 सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/कोषागार पदाधिकारी, रांची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महामहिम श्री राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा/ रजिस्ट्रार झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची/सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।

10/6/03

सरकार के उप सचिव ।

20

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषय:- झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले राज्य सरकार के सेवकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट की स्वीकृति ।

1. झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा तय की जा चुकी है ।

2. राज्य सरकार ने ऐसे सरकारी कर्मियों जिन्होंने तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो को झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने हेतु पूर्व निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्षों (पाँच) की छूट देने का निर्णय लिया गया है:-

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार/झारखंड / पटना / रांची / सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची/ सरकार के सभी विभाग/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी विभागाध्यक्ष / सभी उपायुक्त को सूचनार्थ भेजी जाए ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-6/लो. से. आयो.-स्था.-21/2002का0- 360 /रांची, दि0- 21/1/03

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, रांची को झारखंड राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रसारित ।

उनसे अनुरोध है कि संकल्प की मुद्रित 1000 प्रतियाँ विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-6/लो. से. आ.-स्था.-21/2002का0- 360 /रांची, दि0- 21/1/03

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखंड एवं बिहार, रांची/पटना/ राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखंड, रांची/मुख्य सचिव के सचिव/ कार्मिक सचिव के सचिव, रांची/पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ झारखंड, ...ी को सूचनार्थ ।

सरकार के सचिव

झारखण्ड गजट

का

पूरक

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

संख्या १ रांची, बुधवार ११ माघ, १९२२ (श०)
३१ जनवरी, २००१ (ई०)

विषय सूची

विषय—झारखण्ड लोक सेवा आयोग का गठन ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

23 जनवरी, 2001

विषय :—झारखण्ड लोक सेवा आयोग का गठन ।

सं० 159—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में सन्निहित प्रावधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए सामान्यतः एक अलग राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना है । तदनुसार झारखण्ड राज्य के लिए एक स्वतंत्र राज्य सेवा आयोग के गठन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है, जिसमें महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है ।

फलस्वरूप इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से झारखण्ड राज्य के लिए एक स्वतंत्र राज्य लोक सेवा आयोग का गठन "झारखण्ड लोक सेवा आयोग" के नाम से किया जाता है ।

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे झारखण्ड राज्य के राजपत्र में तुरन्त प्रकाशित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
एस० के० चौधरी,
सरकार के सचिव ।

GOVERNMENT OF JHARKHAND

DEPARTMENT OF PERSONNEL, ADMINISTRATIVE REFORMS AND RAJBHASA

NOTIFICATION

The 16th January, 2001

No.- 6/लो0से0आ0-103/2000का0-117 In exercise of the powers conferred by Article 318 of the Constitution of India the Governor of Jharkhand is pleased to make the following Regulations determining the number of members for the Public Service Commission, Jharkhand, and their conditions of service and making provision with respect to the staff of the Commission and their conditions of service.

PART I

PRELIMINARY

1. These Regulations may be called the Jharkhand Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 2000.
2. In these Regulations, unless there is any thing repugnant in the subject or context –

(a) "**The Commission**" means the Public Service Commission for Jharkhand;

(b) "**Compensatory Allowance**" means an allowance granted in consideration of personal expenditure or loss of amenities or private practice, necessitated by the special circumstances in which duty is performed. It includes a travelling allowance but does not include a sumptuary allowance or the grant of a free passage by sea to or from any place outside India ;

(c) "**Governor**" means the Governor of Jharkhand ;

(d) "**Member**" means a Member of the Commission and includes the Chairman;

(e) "**Service Member**" means a person who, before his appointment as Member, was in the service of the Government of India or of a State in India ;

(f) "**Parent Service**" means , in relation to a Service Member, the service under the Government in which he was employed before his appointment as such Member; and

(g) "**Service Pension**" means, the pension granted to a Service Member, under the rules of the Parent Service and signifies the gross amount of such pension prior to commutation, and includes the pension equivalent of service gratuity.

PART II

COMPOSITION OF THE COMMISSION AND PAY OF MEMBERS

3. (i) The Commission shall consist of a Chairman and 4(four) other members;

Provided that in the case of absence of one or more Members on leave or otherwise, the remaining Members or Member, as the case may be, shall constitute the Commission.

(ii) The Governor may appoint an additional Member when Member proceeds on leave preparatory to demitting office.

4. The Chairman may receive a pay of Rs. 24,500(Rupees twenty four thousand five hundred only) a month and each of the other Members may receive a pay of Rs.22,400 (Rupees twenty two thousand four hundred only) a month:

Provided that if at the time of appointment as Chairman or Member, the Chairman or the Member was in receipt of or had become entitled to receive retirement benefits by way of pension, gratuity,

Contributory Provident Fund or otherwise, the pay specified in the Regulation shall be reduced by the gross amount of pension (including any portion of the pension which may have been commuted) and the pension equivalent of other forms of retirement benefits, if any.

4A. A Chairman or Member who, on the date of his appointment to the Commission, was in the service of the Central or State Government shall be deemed to have retired from such service with effect from the date of his appointments as Chairman or Member of the Commission.

PART III

CONDITIONS OF SERVICE OF MEMBERS

Section 1 (Leave).

5. A government servant appointed as a Member / Chairman of the Commission may be permitted to carry forward all the leave earned by him in the Government service to be availed of by him during the period of his office in the Commission. Subject to this, the calculation of leave admissible to such Members will be done in accordance with Regulation 6.

6. (1) A Member, who at the date of his appointment, was not in the service of the Government of India or of a State in India, may be granted leave as follows :-

(a) Leave on leave salary equivalent to average pay up to $1/11^{th}$ of the period spent on duty as a Member, subject to a maximum of four months at any one time;

(b) Leave on medical certificate on leave salary equivalent to half the pay admissible on earned leave, subject to a maximum of three months at any one time;

(c) Extraordinary leave without allowance, subject to a maximum of three months at any one time.

Explanation All or any two of these kinds of leave may be granted in a combination at one time.

(2) A Member may, in addition to any leave salary he may be entitled to under clause (1), draw the service pension under the proviso to Regulation 4.

(3) Leave accumulated in the name of a Member on the date he retires will be adjusted as follows :-

(a) Leave salary for the period of leave accumulated on date of retirement or for 180 days, whichever is less , will be admissible to the Member who was not on the date of his appointment in the service of the Government of India or in the service of any State of India.

(b) Leave salary for the period of leave accumulated on the date of his retirement including the period of maximum admissible leave adjusted during his service for a maximum period of 300 days will be admissible to the member who on the date of his appointment or before it was in the service of the Government of India or in the service of any State of India.

7. The power to grant or refuse leave to a Member or to revoke or curtail leave granted to a Member shall in all cases be exercised by the Governor.

8. If the office of the Chairman of the Commission becomes vacant or if any such Chairman is by reason of absence or for any other reason, unable to perform the duties of his office those duties shall until some person appointed to the vacant office has entered on the duties thereof, or until the Chairman has resumed his duties, as the case may be, be perform by such one of the other members of the Commission as the Governor of the State may appoint for the purpose.

Section 2 (Pension)

9. In this section, unless the context otherwise requires –

1. "**actual service**" includes –

(i) time spent on duty as a Member of the Jharkhand Public Service Commission;

(ii) time spent on duty by a member referred to in sub-clause (i) in the performance of such other functions as he may, at the request of the Governor, undertake to discharge, and

(iii) joining time on transfer to the office of Member from a post or an office under the Union or a State.

2. "**service for pension**" includes –

(i) actual service,

(ii) one month or the amount actually taken, whichever is less, of each period of leave on full allowances;

(iii) joining time on return from leave outside India; and

(iv) any period not exceeding three months which, under the orders of the Governor, may, for special reasons, be added to the service for pensions of a Member;

(3) "**pay including**, where the pay drawn by a Member during his tenure of office was varied on account of any change in the rate of pay deputation, leave, promotion from the office of Member to the office of Chairman or any other reason, the average monthly salary for the full term for which the Member has held office.

Explanation - The expression " full term" in this clause means any period not exceeding six years preceding the date on which the Member has vacated office.

10. Subject to the provisions of these regulations a pension shall be payable to a Member on ceasing to hold office, only if he has completed not less than three years service for pension. No pension shall be payable to a Member on his removal from office but in case a Member, who has completed three years service or more for pension, resigns from his office, and such resignation is

accepted by the Governor, the pension admissible under these regulations shall be payable.

11. Pension under these regulations shall be payable to a Member, for life, subject to the condition that the pension shall be held in abeyance for any period during which he may subsequently be appointed to hold the office of a Member of the Union Public Service Commission or of a Member of Public Service Commission of another State :

Provided that the provisions of this regulation shall not apply to a Member who is, or becomes, qualified to receive a service pension, irrespective of whether he actually draws the service pension or the higher pension admissible under the proviso to Regulation 13.

12. (1) In the case of Member who on the date of appointment was not in the service of the Union or a State, the pension to which such Member will be entitled shall-

(i) in the case of a Chairman, if he has completed six years service for pension and has drawn pay at the rate of Rs.24500 (Rupees twenty four thousand five hundred only) a month, be **Rs.48,000 (Rupees forty eight thousand only)** per annum and

(ii) in the case a Member, other than the Chairman, if he has completed six years service for pension and has drawn pay at the rate of Rs.22400 (Rupees twenty two thousand four hundred only) a month, be **Rs.45000(Rupees forty five thousand only)** per annum.

(2) If a member has completed 'three years', 'four years', or 'five years' service for pension, be three-sixth, four-sixth or five-sixth respectively, of the full pension which would be payable to him, as the case may be, in accordance with clause (1):

(3) Where the pay determined under clause (3) of regulation 9 in respect of a period of six years of service for pension of a member is less than the pay specified in relation to such period in sub-clause (i) or (ii) of clause (1), the amount of pension admissible per annum shall be the amount arrived at by multiplying the average monthly pay determined under clause (3) of regulation 9 with the amount of pension to which the Member would be entitled if his full, and not average monthly pay had been taken into account, and the product then being divided by the full pay mentioned in sub clause (i) or (ii) of clause (1). as the case may be.

(4) In case specified in clause (2) if the average monthly pay determined under clause (3) of regulation 9 is less than the full pay to be taken into account for purposes of the clause, the pension admissible shall be the relative proportion in each case, specified in the said clause, of the amount of pension arrived at in accordance with clause (3).

13. (1) A Member who at the time of his appointment as such, was in the service of the Central or State Government shall, at his option to be exercised within a period of six months from the date of his appointment be entitled to draw his pension and other retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged with effect from the date of his appointment as Member :

Provided that, in such an event, his pay as Member shall be reduced by an amount equivalent to the gross pension (including any portion of the pension which may have been commuted) and the pension equivalent to other retirement benefits and he shall be entitled to draw pension and other retirement benefits separately.

(2) A Member, who at the time of his appointment as such, was in the service of Central of a State Government and does not exercise the option mentioned in sub-regulation (1), shall count his service as

Member for pension and retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged immediately before such appointment.

14. The pension payable under regulation 12 shall not be commuted but the pension under regulation 13 may be commuted.

15. The authority competent to grant a pension to Member shall be the State Government.

Section 3 (Travelling Allowance)

16. The travelling allowance of a Member will be regulated by the rules in force applicable to Government servants of the first grade :

Provided that –

(i) The Chairman and Member shall be entitled to draw such travelling allowance respectively which is admissible to the members of Indian Administrative Service posted as Additional Secretary and Joint Secretary in Government of India.

(ii) If he was not at the date of his appointment in the service of the Government of India or of a State, a Member shall be entitled to draw, for the journey to join his post, travelling allowance as for a journey on transfer.

Section 4 (Other Conditions of Service).

17. (i) Subject to the general condition that the amount of all compensatory allowance should be so regulated that the allowance is not on the whole a source of profit to the recipient the Governor may, subject to any conditions which he sees fit to impose, grant to any member any compensatory allowance other than travelling allowance and may fix the amount thereof.

(ii) The Chairman and Member will be entitled to city compensatory allowance as admissible to the Government employees of the State.

18. The medical facilities admissible to the All India Service Officers and there family under **A.I. Service (Medical Attendance) Rules, 1954** will be admissible to the Chairman and Member of the Commission and their family.

19. A Member shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund in accordance with the rules regulating that fund.

20. (i) If a residence owned or leased by Government is allotted to a Member, his occupation of the residence shall be subject to the rules which apply to an officer of the IAS provided that if the residence is one specially meant for a Member, the Member shall be liable to pay the standard rent of the residence or rent at the rate equal to 10 percent of his monthly emoluments, whichever is less, irrespective of whether he occupies the residence or not.

(ii) A house building advance and a advance for purchase of a motor car to a Member will be regulated by the appropriate rules in force applicable to the Government servants drawing comparable emoluments.

PART IV

Section I (Composition)

21. The Staff of the Commission shall include one Secretary, as many Deputy Secretaries, Under Secretaries as required and such other gazetted and non gazetted staff as the Governor may, from time to time, determine in consultation with the Commission.

Section II

(The Secretary, Deputy Secretary, Under Secretary)

22. (i) The appointment of the Secretary to the Jharkhand Public Service Commission shall be made by the Governor from amongst the members of Indian Administrative Service / State Administrative Service not below the rank of Joint Secretary in the State Government.

(ii) The appointment of Deputy Secretary and Under Secretary, shall be made by the Governor from amongst the members of State Administrative Service holding suitable ranks in the State Government.

23. The appointment of all other Gazetted Officers (excluding Section Officers or the Officers in the line of Section Officers) shall be made by the Commission with the approval of the Governor.

24. The Secretary, Deputy Secretary, Under Secretary shall hold office at the pleasure of the Governor for a period not exceeding five years or till he attains the age of superannuation whichever is earlier.

25. If at the date of his appointment the Secretary, Deputy Secretary, Under Secretary was in the service of the Government of India or of a State, he shall receive the pay and special pay which he would have drawn but for his appointment as Secretary ,Deputy Secretary , Under Secretary as the case may be.

26. In respect of all other matters, the conditions of the service of the Secretary , Deputy Secretary , Under Secretary shall be such as

are applicable to members of the concerned services in the State Government drawing comparable emoluments.

Section III (Ministerial Officers and Inferior Servants)

27. (i) The Ministerial Officers and Inferior Servants shall, subject to the control of the Chairman, be appointed by the Secretary

(ii) The scale of pay, Rule for recruitment and promotion and other conditions of service of the Ministerial Officers and Inferior Staff of the Commission shall be similar to those prescribed for the corresponding post in the Jharkhand Secretariat.

(iii) The Jharkhand Subordinate Services (Discipline and Appeal) Rules shall be the Secretary and authority, which may impose any penalties prescribed in Rule II of the Appellate Authority shall be the Chairman.

28. In respect of all matters not specifically provided for in those Rules the conditions of Service of the staff of the Commission will be regulated by the general law or the Rules framed by the State Government under Article 309 of the Constitution of India for persons appointed to public services in connection with the affairs of the State.

29. If any question arises relating to the interpretation of these regulations, the decision of the Governor thereon shall be final.

By order of the Governor of Jharkhand

16.1.2001

(M.P. MISHRA)

Joint Secretary to Government

Memo No.- 117 / Ranchi, Dated 16th January, 2001

Copy forwarded to superintendent, Government Press, Ranchi for publication in the next issue of Jharkhand Gazette.

It is requested that 100 copies of the printed notification may kindly be sent to this Department.

16.1.2001

(M.P. MISHRA)

Joint Secretary to Government

Memo No.- 117 / Ranchi, Dated 16th January, 2001

Copy forwarded to All Departments/All Departmental Heads/ Secretary Jharkhand Assembly/Registrar, Jharkhand High Court, Ranchi for information

16.1.2001

(M.P. MISHRA)

Joint Secretary to Government

झारखंड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग

अधिसूचना

16 जनवरी, 2001

संख्या – 6/लो0से0आ0 – 102/2000का0 – 118 भारत–संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड, राज्यपाल निम्न विनियम बनाते हैं :–

1) यह विनियम झारखंड लोक–सेवा–आयोग (कार्य–सीमन) विनियम {झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन ऑफ फंक्शन्स) रेगुलेशन्स}, 2000 कहलायेगा।

2) इस विनियम में, जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध न हो –

   क) "संविधान" से तात्पर्य है भारत–संविधान;

   ख) "आयोग" से तात्पर्य है लोक–सेवा आयोग, झारखंड

   ग) "सरकार" से तात्पर्य है राज्य–सरकार, झारखंड; और

   घ) "उच्च–न्यायालय" से तात्पर्य है झारखंड उच्च–न्यायालय (राँची)

3) जिन सेवाओं में और पदों पर सरकार के अधीनस्थ प्राधिकारी या उच्च–न्यायालय के मुख्य–न्यायाधिपति नियुक्त करते हैं, उनसे सम्बद्ध भारत–संविधान के

अनुच्छेद 320 के खंड (3) के (क) और (ख) उप खंडों में उल्लिखित किसी भी विषय पर आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा :

परन्तु सरकार प्रस्ताव द्वारा विनिहित कर सकेगी कि ऐसे किन्हीं पदों पर और सेवाओं में सीधी नियुक्ति के बारे में आयोग से परामर्श किया जायेगा ।

4) निम्न सेवाओं और पदों के बारे में भारत संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के (क), (ख) और (ग) उप-खंडों में उल्लिखित किसी विषय पर आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा :-

1) राज्यपाल-सचिवालय में के पद और राज्यपाल के निजी कर्मचारीवृन्द;

2) उच्च-न्यायालय में राज्य-सरकार के अधिवक्ता (एडवोकेट), चाहे उनका पदनाम महाधिवक्ता (एडवोकेट-जेनरल), सरकारी अधिवक्ता, स्थायी सलाहकार (स्टैंडिंग काउन्सेल), सरकारी वकील या और कुछ हो;

3) लोक-अभियोजक (पब्लिक प्रोजिक्यूटर) और सरकारी वकील तथा सहायक लोक-अभियोजक और सहायक सरकारी वकील;

4) विधि-प्रतिवेदक (लॉ रिपोर्टर) और सहायक विधि-प्रतिवेदक;

5) किसी मंत्री का निजी-सहायक, आप्त सचिव या आशुलिपिक, यदि अस्थायी हो;

6) बिहार विधान-सभा का निजी सहायक, आप्त सचिव या आशुलिपिक, यदि अस्थायी हो।

5) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के उप खंड (घ) में उल्लिखित ढंग के किसी दावे के बारे में आयोग से परमर्श करना आवश्यक

ा होगा, यदि सम्बद्ध व्यक्ति के दावे का संबंध जिस वैध कार्यवाही से है, उसकी समाप्ति के पहले दावा करें और सरकार इस विषय के पहले ध्यान दृष्टि में लाए जाने पर, उस व्यक्ति की सफाई का खर्च देने का निश्चय करे।

6) जिन सेवाओं में और पदों पर सीधे सरकार नियुक्ति करती है, उनके संबंध में निम्न किसी भी विषय पर आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा :-

1) सेवाओं और पदों का सृजन और संघटन तथा उनके नाम;

2) सेवाओं और पदों का वर्गीकरण;

3) किसी सेवा में या पद पर भारत की सामान्य रीतियाँ, जिनमें यह प्रश्न भी सम्मिलित है कि भरती केवल (i) परीक्षा या (ii) चुनाव या (iii) प्रोन्नति अथवा बदली द्वारा अथवा अंशत: इन रीतियों मे से किसी एक रीति से और अंशत: किसी दूसरे रीति से की जाए तथा पिछली दशा में हर रीति से किसी खास सेवा में की जाने वाली भरती का अनुपात और विभिन्न रीतियों से भरती किये गये उम्मीदवारों की सेवा में पारस्परिक वरीयता;

4) किसी खास वर्ष में किसी सेवा में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का निर्धारण;

5) विभिन्न सेवाओं के संवर्ग (काडरों) की पदाधिकारी-संख्या का निर्धारण;

6) यह प्रश्न कि खास पदों के लिए उम्मीदवारों की भरती भारत में या विदेश से की जाए;

7) प्रथम नियुक्ति पर सरकारी सेवकों के और स्थानापन्न पदाधिकारियों के वेतन का निर्धारण;

8) प्रोन्नति द्वारा भरती किए गए पदाधिकारियों के आरम्भिक वेतन निर्धारण;

9) वाह्य-सेवा में सरकारी सेवकों की बदली;

10) सरकारी सेवकों की परीक्ष्यमाणता और प्रशिक्षण तथा सेवा में उनकी संपुष्टि की शर्तें;

11) उन पदों पर नियुक्ति, जिनके संबंध में राज्य सरकार ने निश्चय किया हो कि भरती विदेश से की जाएगी;

12) सेवा-निवृत सरकारी सेवकों का, जिस सेवा में वे निवृत्ति के पहले थे, उसी सेवा के संवर्ग (कैडर) के पदों पर अथवा अन्य विभागों के ऐसे पदों पर, पुनर्नियोजन।

7) यदि किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति किसी दूसरी सेवा से प्रोन्नति या बदली द्वारा की जाए, तो आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा, जब तक कि ऐसी प्रोन्नति या बदली से -

क) किसी स्थायी पद की मौलिक रूप से, अथवा

ख) किसी स्थायी या अस्थायी पद को छः महीने से अवधि के लिए स्थानापन्न या अस्थायी तौर पर, भरने का विचार न हो:

परन्तु यदि कोई नियुक्ति छः महीने से अधिक कालावधि के लिए की जाए तथा उसके बाद में और बढ़ाने का विचार हो, जिससे कि कुल

कालावधि छः महीने से अधिक हो जाए, तो आयोग से परामर्श किया जाएगा ।

ग) राज्य सेवा/कैडर के विभिन्न वेतनमानों के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के मामलों में, निम्न मामलों को छोड़कर, लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

i) राज्य सेवा/कैडर के बेसिक ग्रेड के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के मामलों में,

ii) विभाग प्रमुख के पद पर नियुक्ति / प्रोन्नति के मामलों में, परन्तु यह अखिल भारतीय सेवा के मामलों में लागू नहीं होगा।

iii) सचिवालय एवं संलग्न/सम्मिलित कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के सदस्यों से अवर सचिव एवं अन्य समतुल्य पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के मामलों में,

iv) सचिवालय के निजी सहायक संवर्ग के सचिव के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामलों में,

घ) जब किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति किसी दूसरी सेवा से प्रोन्नति या बदली द्वारा नहीं बल्कि भिन्न रीति से की जाए, तब आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा, यदि नियुक्ति के छः महीने से अधिक बने रहने की आशा न हो और लोक-हित को हानि पहुँचाए बिना नियुक्ति में विलम्ब नहीं किया जा सकता हो :

परन्तु यदि इस तरह नियुक्त व्यक्ति को उसी पद पर छः महीने से अधिक

[illegible] या सरकार की सेवा में किसी दूसरे पद पर नियुक्त करने का [illegible] तो आयोग से परामर्श किया जायेगा ।

9) निम्न विषयों पर आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा :-

क) किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने वाले पदाधिकारी का अपने स्थायी पद पर प्रतिवर्त्तन, या

ख) नियोजन संविदा की शर्त्तों के अनुसार किसी पदाधिकारी के नियोजन की समाप्ति।

10) i) अनुशासन संबंधी मामलों में कोई आदेश देने के पहले सरकार के किसी भी अधीनस्थ प्राधिकारी या उच्च-न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा।

ii) जिन अनुशासन संबंधी मामलों में किसी आदेश के विरुद्ध सरकार के यहाँ अपील होती हो, उनके संबंध में सरकार के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा, जब तक कि -

क) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो, वह विच्युति, हटाए जाने या बर्खास्तगी का न हो, अथवा

ख) सरकार मामले पर विचार करने के बाद विच्युति, हटाए जाने या बर्खास्तगी के बदले अपेक्षाकृत हल्के दंड का आदेश देने का प्रस्ताव न करे ।

3) जिन अनुशासन संबंधी मामलों में सरकार के यहाँ नियमित अपील नहीं होती उनमें पुनरीक्षण-कार्य करते समय सरकार के लिए आयोग

ग) परामर्श करना आवश्यक न होगा, जब तक कि सरकार का यह प्रस्ताव न हो कि –

क) विच्युति, हटाये जाने या बर्खास्तगी के आदेश को रद्द या रूपभेदित कर दिया जाय, अथवा

ख) विच्युति, हटाये जाने या बर्खास्तगी के बदले अपेक्षाकृत हल्के दंड का आदेश दिया जाय ।

4) खंड (2) या (3) की कोई बात सरकार के सामने अपील या पुनरीक्षण के रूप में आने वाले अनुशासन संबंधी मामलों पर लागू न होगी, जहाँ ऐसे (अनुशासन संबंधी) मामले उन सरकारी सेवकों के विषय में हों जो झारखंड सेवा संहिता के नियम 24 के अर्थ में निचली सेवा के सदस्य हैं।

11) अनुशासन संबंधी मामलों में, निम्न-विषयक आदेश देने के पहले आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा :-

क) अनुशासनात्मक कार्रवाई की दृष्टि से किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध कार्यवाही चलाना या चलाने का निर्देश देना;

ख) निन्दन या मुअत्तल करना, जब कि सरकारी सेवक, उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जाँच होने तक मुअत्तल किया जाने वाला हो; अथवा

ग) दक्षता-रोक पर रोध के सहित वेतन-वृद्धि या प्रोन्नति रोक रखना।

12) जिन अनुशासन संबंधी मामलों में आयोग से परामर्श अपेक्षित हो, वहाँ,

अन्तिम निर्णय के लिए तैयार न हो जाए, कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा।

(ii) किसी ऐसे मामले में आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा, जहाँ आयोग किसी पूर्व प्रक्रम मे, दिए जाने वाले आदेश के बारे में अपनी सलाह दे चुका है और उसके बाद कोई नया निर्धारणीय प्रश्न न उठा हो।

(iii) संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के परन्तुक (ग) के अधीन आने वाले किसी मामले में आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा।

झारखंड के राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

एम०पी०मिश्र

सरकार के संयुक्त सचिव

खण्ड–3

अध्याय–6
(झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग)

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

अधि0 संख्या–11/क0च0आ0–16–08/2013 6253 /राँची, दिनांक : 06/10/2022

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2008) की धारा 12 की उप धारा (i) तथा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित 2019 एवं 2021) के नियम 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के संचालन के निमित्त निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :– (i) यह नियमावली "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2022" कहलाएगी।

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (iii) यह नियमावली "झारखण्ड राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के नियम 7 में अंकित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित 2019) के नियम 10 की अनुसूची 2 के पदों के लिए निम्नांकित प्रावधान है:–

परीक्षा का स्वरूप :–

अनुसूची 2 के पदों के लिए

इस परीक्षा में पद/सेवा वार एक पत्र होगा। प्रश्नों की कुल संख्या 180 होगी तथा परीक्षा अवधि 3 घंटा की होगी।

		पत्र–1
सामान्य अभियांत्रिकी	—	120 प्रश्न
सामान्य ज्ञान	—	60 प्रश्न
	कुल	180 प्रश्न

परीक्षा अवधि– 3 घंटा

पद/सेवा के लिए परीक्षा के विषय

क्रम सं0	पद/सेवा का नाम	परीक्षा के विषय
1	लेबोरेट्री असिस्टेन्ट/लेबोरेट्री अटैन्डेंट/फार्मासिस्ट	फार्मेसी
2	एक्स–रे तकनिशियन	एक्स–रे प्रावैधिकी
3	आप्थेल्मिक सहायक	आप्थेल्मिक
4	प्रयोगशाला तकनिशियन	प्रयोगशाला प्रावैधिकी

(1) जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा/संवर्ग नियमावली में परीक्षा से संबंधित विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित है, वही पाठ्यक्रम लागू होगा।

(2) जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा नियमावली में परीक्षा के विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है उन विषय/विषयों की परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग द्वारा संबंधित विभाग के सहयोग से निर्धारित किया जायेगा।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:–

" परीक्षा का स्वरूप :–

अनुसूची 2 के पदों के लिए

इस परीक्षा में पद/सेवा वार एक पत्र होगा। प्रश्नों की कुल संख्या 180 होगी तथा परीक्षा अवधि 3 घंटा की होगी।

पत्र–1

सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा/संवर्ग नियमावली में परीक्षा से संबंधित विषय	–	120 प्रश्न
सामान्य ज्ञान	–	60 प्रश्न
	कुल	180 प्रश्न

परीक्षा अवधि– 3 घंटा

पद/सेवा के लिए परीक्षा के विषय

क्रम सं0	पद/सेवा का नाम	परीक्षा के विषय
1	लेबोरेट्री असिस्टेन्ट/लेबोरेट्री अटैन्डेंट/फार्मासिस्ट	फार्मेसी

2	एक्स–रे तकनिशियन	एक्स–रे प्रावैधिकी
3	आर्थेल्मिक सहायक	आर्थेल्मिक
4	प्रयोगशाला तकनिशियन	प्रयोगशाला प्रावैधिकी

(1) जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा/संवर्ग नियमावली में परीक्षा से संबंधित विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित है, वही पाठ्यक्रम लागू होगा।

(2) जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा नियमावली में परीक्षा के विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है उन विषय/विषयों की परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग द्वारा संबंधित विभाग के सहयोग से निर्धारित किया जायेगा।

3. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित 2019 एवं 2021) के शेष नियम यथावत रहेंगे।

4. विभागीय संलेख ज्ञापांक 6003 दिनांक 27.09.2022 के द्वारा **"झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2022"** के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 29.09.2022 को सम्पन्न बैठक में मद सं0 04 के रूप स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

6.10.22

(वंदना दादेल)
सरकार के प्रधान सचिव।
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक :– 11/क0च0आ0–16–08/2013– 6253 राँची, दिनांक :– 06/10/2022

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6.10.22

सरकार के प्रधान सचिव
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-565 राँची, गुरूवार, 27 कार्तिक , 1943 (श०)
18 नवम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना
17 नवम्बर, 2021

संख्या-11/क०च०आ०-16-08/2013 का.-7942--झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2008) की धारा 12 की उप धारा (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 यथा संशोधित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2019 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ :-

(i) यह नियमावली "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021" कहलाएगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी ।

2. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2019) के नियम-5-पात्रता/अहर्त्ता का निर्धारण की कंडिका- (ii) एवं (iii) में निम्नांकित प्रावधान हैं :-

" 5(ii). अभ्यर्थियों के लिए उनका आवेदन पत्र झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक नियमावली की अनुसूची-1 के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए०आई०सी०टी०ई०) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल/विद्युत/यांत्रिक/कृषि अथवा संबंधित अभियांत्रिकी में डिप्लोमा की उपाधि। उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे ।" ;

5(iii). अभ्यर्थियों को उनका आवेदन पत्र आयोग में जमा होने की अंतिम तिथि तक नियमावली की अनुसूची-2 में अंकित पदों के लिए उस पद पर नियुक्ति हेतु गठित नियमावली में पद विशेष के लिए अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य तकनीकी/विशिष्ट योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।" ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है ;

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :- " अभ्यर्थियों के लिए उनका आवेदन पत्र झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक नियमावली की **अनुसूची-1** के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए०आई०सी०टी०ई०) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल/विद्युत/यांत्रिक/कृषि अथवा संबंधित अभियांत्रिकी में डिप्लोमा की उपाधि। उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे ।

अभ्यर्थियों को उनका आवेदन पत्र आयोग में जमा होने की अंतिम तिथि तक नियमावली की **अनुसूची-2** में अंकित पदों के लिए उस पद पर नियुक्ति हेतु गठित नियमावली में पद विशेष के लिए अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य तकनीकी/विशिष्ट योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।"

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।"

3. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2019) के नियम-7(iv) में निम्नांकित प्रावधान हैं :-

"राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अहर्त्तांक लागू होगा। न्यूनतम अहर्त्तांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे" ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है ;

7(iv)(क) इस परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अहर्त्तांक (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित) निम्नवत् निर्धारित रहेगा :-

क्र० सं०	कोटि	न्यूनतम अहर्त्तांक
1	अनारक्षित	40 प्रतिशत
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला	32 प्रतिशत
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु०-I)	34 प्रतिशत
4	पिछड़ा वर्ग (अनु०-II)	36.5 प्रतिशत
5	आदिम जनजाति समुह	30 प्रतिशत
6	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

4. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2019) के नियम-7(vi) में निम्नांकित प्रावधान है :-

" मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान **(Equal Marks)** रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों का प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम की अंग्रेजी वर्त्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिए आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा, अर्थात् समान जन्म तिथि एवं प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों में से जिनके नाम का प्रारम्भिक अक्षर अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार पहले आयेगा, उन्हें मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा ।";

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है ;

मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा ।

यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात् डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा ।

5. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2019) के नियम-7(viii) में निम्नांकित प्रावधान है:-

"आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता/अहर्त्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकेगा" ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है ;

आयोग अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का पात्रता/अहर्त्ता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा ।

6. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2019) के नियम-8 (i) में निम्नांकित प्रावधान है :-

" परीक्षा का स्वरूप

(i) सामान्यतः परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी:-

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परंतु किसी स्तर की परीक्षा में कुल रिक्ति 15 गुणा से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जायेगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा ली जायेगी जिसमें प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल रहेंगे। न्यूनतम अर्हत्तांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु सफल/अयोग्य माने जायेंगे। इस विषय पर आयोग अपने विवेक से अंतिम निर्णय ले सकेगा ।" ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है ;

" परीक्षा एक चरण (मात्र मुख्य परीक्षा) में ली जाएगी ।"

7. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2019) के नियम-10 में निम्नांकित प्रावधान है :-

" मुख्य परीक्षा (अनुसूची 1 के पदों के लिए)

इस परीक्षा में दो पत्र होगें।

पत्र-1

सामान्य अभियंत्रिकी - 120 प्रश्न

परीक्षा अवधि- 2 घंटा

पत्र-2

विषय: अभियंत्रिकी - 120 प्रश्न

परीक्षा अवधि- 2 घंटा

पद/सेवा के लिए परीक्षा के विषय

क्रम सं०	पद/सेवा का नाम	परीक्षा के विषय
1	कनीय अभियंता सिविल	सिविल अभियंत्रण
2	कनीय अभियंता यांत्रिकी	यांत्रिकी अभियंत्रण
3	कनीय अभियंता विद्युत	विद्युत अभियंत्रण
4	कनीय अभियंता (कृषि अभियंत्रण)	कृषि अभियंत्रण
5	मोटरयान निरीक्षक	यांत्रिकी अभियंत्रण अथवा ऑटो मोबाईल अभियंत्रण
6	खान निरीक्षक	खनन अभियंत्रण

प्रश्न का स्तर डिप्लोमा स्तर होगा ।

टिप्पणी :-

1. जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा नियमावली में परीक्षा से संबंधित विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित है, वही पाठ्यक्रम लागू होगा ।

2. जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा नियमावली में परीक्षा के विषय का पाठक्रम निर्धारित नहीं है उन विषय/विषयों की परीक्षा का पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा ।

मुख्य परीक्षा (अनुसूची 2 के पदों के लिए)

इस परीक्षा में पद/सेवा वार एक पत्र होगा। प्रश्नों की कुल संख्या 180 होगी तथा परीक्षा अवधि 3 घंटा की होगी ।

पद/सेवा के लिए परीक्षा के विषय

क्रम सं०	पद/सेवा का नाम	परीक्षा के विषय
1	लेबोरेट्री असिस्टेन्ट/लेबोरेट्री अटैन्डेंट/फार्मासिस्ट	फार्मेसी
2	एक्स-रे तकनिशियन	एक्स-रे प्रावैधिकी
3	आप्थेल्मिक सहायक	आप्थेल्मिक
4	प्रयोगशाला तकनिशियन	प्रयोगशाला प्रावैधिकी

टिप्पणी :-

(1) जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा/संवर्ग नियमावली में परीक्षा से संबंधित विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित है, वही पाठ्यक्रम लागू होगा ।

(2) जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा नियमावली में परीक्षा के विषय का पाठक्रम निर्धारित नहीं है उन विषय/विषयों की परीक्षा का पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा ।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है ;

"परीक्षा का स्वरूप :-

अनुसूची 1 के पदों के लिए

इस परीक्षा में दो पत्र होगें।

पत्र-1

सामान्य अभियंत्रिकी - 80 प्रश्न

सामान्य ज्ञान - 40 प्रश्न

कुल 120 प्रश्न

परीक्षा अवधि- 2 घंटा

पत्र-2

विषय: अभियंत्रिकी - 120 प्रश्न

परीक्षा अवधि- 2 घंटा

पद/सेवा के लिए परीक्षा के विषय

क्रम सं०	पद/सेवा का नाम	परीक्षा के विषय
1	कनीय अभियंता सिविल	सिविल अभियंत्रण
2	कनीय अभियंता यांत्रिकी	यांत्रिकी अभियंत्रण
3	कनीय अभियंता विद्युत	विद्युत अभियंत्रण
4	कनीय अभियंता (कृषि अभियंत्रण)	कृषि अभियंत्रण
5	मोटरयान निरीक्षक	यांत्रिकी अभियंत्रण अथवा ऑटो मोबाईल अभियंत्रण
6	खान निरीक्षक	खनन अभियंत्रण

प्रश्न का स्तर डिप्लोमा स्तर होगा ।

अनुसूची 2 के पदों के लिए

इस परीक्षा में पद/सेवा वार एक पत्र होगा। **प्रश्नों की कुल संख्या 180 होगी तथा परीक्षा अवधि 3 घंटा की होगी ।**

पत्र-1

सामान्य अभियंत्रिकी - 120 प्रश्न

सामान्य ज्ञान - 60 प्रश्न

कुल 180 प्रश्न

परीक्षा अवधि- 3 घंटा

पद/सेवा के लिए परीक्षा के विषय

क्रम सं०	पद/सेवा का नाम	परीक्षा के विषय
1	लेबोरेट्री असिस्टेन्ट/लेबोरेट्री अटैन्डेंट/फार्मासिस्ट	फार्मेसी
2	एक्स-रे तकनिशियन	एक्स-रे प्रावैधिकी
3	आप्थेल्मिक सहायक	आप्थेल्मिक
4	प्रयोगशाला तकनिशियन	प्रयोगशाला प्रावैधिकी

(1) सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार होगा :-

(क) **सामान्य अध्ययन:-** इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

सम-सामायिक विषय - वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ ।

भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना ।

झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान- झारखण्ड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान-खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी, व्यक्तित्व नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि ।

(ख) **सामान्य विज्ञान:-** सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन-प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से सम्बन्धित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है ।

(ग) **सामान्य गणित:-** इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे ।

(घ) **मानसिक क्षमता जाँच:-** इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं - सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि ।

(ङ) **कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान (Basic Knowledge of Computer):-** इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते है ।

(2) जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा/संवर्ग नियमावली में परीक्षा से संबंधित विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित है, वही पाठ्यक्रम लागू होगा ।

(3) जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा नियमावली में परीक्षा के विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है उन विषय/विषयों की परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग द्वारा संबंधित विभाग के सहयोग से निर्धारित किया जायेगा ।

8. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 के नियम-7(v) (प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर सामान्य मेधा सूची तैयार किये जाने से संबंधित) एवं नियम-9 (प्रारम्भिक परीक्षा/प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम) में अंकित प्रावधान को विलोपित किया जाता है ।

9. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा विनियमावली, 2011 (अधिसूचना संख्या 325 दिनांक 13.12.2011) एवं इस नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभाषी अथवा प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान अध्यारोही प्रभाव (overriding effects) के साथ लागू होंगे ।

10. विभागीय संलेख ज्ञापांक 7887 दिनांक 12.11.2021 के द्वारा "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021" के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 12.11.2021 को संपन्न बैठक में मद संख्या-30 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 565 -- 50



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-417 राँची, गुरूवार, 12 अगस्त, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

10 अगस्त, 2021

संख्या-11/क०च०आ०-02-04/2017(खण्ड) का.- 3850-- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2008) की धारा 12 की उप धारा (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विविशष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ :-**

(i) यह नियमावली **"झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021"** कहलाएगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 के नियम-5-पात्रता/अहर्त्ता का निर्धारण की कंडिका-(ii) में निम्नांकित प्रावधान हैं :-

" अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा ";

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

" न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :- अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

3. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 के नियम-7(v) में निम्नांकित प्रावधान हैं :-

"राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अहर्त्ताँक लागू माने जायेंगे। न्यूनतम अहर्त्ताँक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे";

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

7(v)(क) इस परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अहर्त्ताँक (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित) निम्नवत् निर्धारित रहेगा :-

क्र० सं०	कोटि	न्यूनतम अहर्त्ताँक
1	अनारक्षित	40 प्रतिशत
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला	32 प्रतिशत
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु०-I)	34 प्रतिशत
4	पिछड़ा वर्ग (अनु०-II)	36.5 प्रतिशत
5	आदिम जनजाति समुह	30 प्रतिशत
6	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

(ख) पत्र-1- भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा।

(ग) पत्र-2- चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(घ) पत्र-3- तकनीकी/विशिष्ट विषय में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ङ) पत्र-2- चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा एवं पत्र-3- तकनीकी/विशिष्ट विषय में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर उपरोक्त नियम-7(v)(क) के आलोक में मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा।"

4. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 के नियम-7(vii) में निम्नांकित प्रावधान है :-

" आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता/अहर्त्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकेगा" ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

आयोग अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का पात्रता/अहर्त्ता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा।

5. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 के नियम-7(xi) में निम्नांकित प्रावधान है :-

" मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत उपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में झारखण्ड के स्थानीय निवासी होने के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा।" ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात् स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

6. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 के नियम-8 (i) में निम्नांकित प्रावधान है :-

" परीक्षा का स्वरूप

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परंतु किसी परीक्षा के लिए 15,000 (पंद्रह हजार) से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जायेगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा ली जायेगी जिसमें मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल रहेंगे";

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

" परीक्षा एक चरण (मात्र मुख्य परीक्षा) में ली जाएगी।"

7. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 के नियम-10 (10.4) में निम्नांकित प्रावधान है:-

"पत्र-2-हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी(मुण्डा)/हो/खड़िया/कुँड़ुख(उरांव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया/संस्कृत" ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"पत्र-2-चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा

चिन्हित 12 (बारह) क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा-उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी(मुण्डा)/हो/खड़िया/कुँड़ुख(उरांव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/ पंचपरगनिया/उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे।

8. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 के नियम-10 (10.5) में निम्नांकित प्रावधान है:-

"प्रश्न पत्र-3 (तकनीकी/विशिष्ट विषय की परीक्षा)

(क) सम्बन्धित पद की सेवा नियमावली में यथा विहित तकनीकी/विशिष्ट विषय की परीक्षा इस पत्र के अधीन ली जायगी।

(ख) तकनीकी/विशिष्ट विषय का पाठ्यक्रम आयोग द्वारा संबंधित विभाग के सहयोग से निर्धारित किया जायगा।

(ग) इस पत्र के अधीन बहुविकल्पीय उत्तर आधारित 120 (एक सौ बीस) प्रश्न पूछे जायगे।

(घ) इस पत्र की परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी।" ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

प्रश्न पत्र-3 (तकनीकी/विशिष्ट योग्यता तथा सामान्य अध्ययन विषय की परीक्षा)

(क) सम्बन्धित पद की सेवा नियमावली में यथा विहित तकनीकी/विशिष्ट विषय एवं सामान्य अध्ययन की परीक्षा इस पत्र के अधीन ली जायेगी।

(ख) तकनीकी/विशिष्ट योग्यता से सम्बन्धित विषय तथा सामान्य अध्ययन विषय का पाठ्यक्रम आयोग द्वारा संबंधित विभाग के सहयोग से निर्धारित किया जायेगा।

(ग) इस पत्र के अधीन बहुविकल्पीय उत्तर आधारित 150 (एक सौ पचास) प्रश्न निम्न प्रकार पूछे जायेंगे:-

(i)	तकनीकी/विशिष्ट विषय	-	100 प्रश्न
(ii)	सामान्य अध्ययन	-	20 प्रश्न
(iii)	सामान्य गणित	-	20 प्रश्न
(iv)	सामान्य विज्ञान	-	10 प्रश्न

(घ) इस पत्र की परीक्षा की अवधि दो घंटे 30 मिनट की होगी।

9. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 के नियम-7(vi), 8(i), 8(ii) का परन्तुक एवं नियम-9 (प्रारम्भिक परीक्षा/प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम) में अंकित प्रावधान को विलोपित किया जाता है।

10. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा विनियमावली, 2011 (अधिसूचना संख्या-325 दिनांक 13.12.2011) एवं इस नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभाषी अथवा प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान अध्यारोही प्रभाव (overriding effects) के साथ लागू होंगे।

11. विभागीय संलेख ज्ञापांक 3766 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021" के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 05.08.2021 को संपन्न बैठक में मद संख्या-24 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 417 -- 50

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-419 राँची, गुरूवार, 12 अगस्त, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

10 अगस्त, 2021

संख्या-11/क0च0आ0-16-7/2011 का.-3848-- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2008) की धारा 12 की उप धारा (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन नियमावली, 2017 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ :-**

(i) यह नियमावली **"झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021"** कहलाएगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

-- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन नियमावली, 2017 के नियम-5- पात्रता/अहर्त्ता का निर्धारण की कंडिका-(ii) में निम्नांकित प्रावधान हैं:-

" अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा " ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

" न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :- अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

3. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन नियमावली, 2017 के नियम-7(iv) में निम्नांकित प्रावधान हैं :-

"राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अहर्त्तांक लागू होगा। न्यूनतम अहर्त्तांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे। कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण से संबंधित परीक्षा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जायेगी "

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

7(iv)(क) इस परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अहर्त्तांक (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित) निम्नवत् निर्धारित रहेगा :-

क्र0 सं0	कोटि	न्यूनतम अहर्त्तांक
1	अनारक्षित	40 प्रतिशत
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला	32 प्रतिशत
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु0 I)	34 प्रतिशत

4	पिछड़ा वर्ग (अनु0-II)	36.5 प्रतिशत
5	आदिम जनजाति समुह	30 प्रतिशत
6	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

(ख) पत्र-1 - भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा।

(ग) पत्र-2- चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(घ) पत्र-3- सामान्य ज्ञान में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ङ) पत्र-2- चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा एवं पत्र-3- सामान्य ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर उपरोक्त नियम-7(iv)(क) के आलोक में मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा।

(च) कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण से संबंधित परीक्षा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाएगी।

4. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन नियमावली, 2017 के नियम- 7(vi) में निम्नांकित प्रावधान है :-

"मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत उपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम की अंग्रेजी वर्तनी (spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिए आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गए नाम को आधार माना जाएगा, अर्थात् समान जन्म तिथि एवं प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों में से जिनके नाम का प्रारम्भिक अक्षर अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार पहले आएगा, उन्हें मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।" ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार

पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात् इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

5. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन नियमावली, 2017 के नियम- 7(viii) में निम्नांकित प्रावधान है :-

" आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता/अहर्त्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकेगा " ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

आयोग अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का पात्रता/अहर्त्ता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा।

6. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन नियमावली, 2017 के नियम-8 (i) में निम्नांकित प्रावधान है:-

" परीक्षा का स्वरूप

(क) प्रारम्भिक परीक्षा
(ख) मुख्य परीक्षा

परंतु किसी परीक्षा के लिए 15,000 (पंद्रह हजार) से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जायेगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा ली जायेगी जिसमें मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल रहेंगे "

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

" परीक्षा एक चरण (मात्र मुख्य परीक्षा) में ली जाएगी।"

7. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन नियमावली, 2017 नियम-10 में निम्नांकित प्रावधान है :-

"पत्र-2-हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी(मुण्डा)/हो/खड़िया/कुँड़ुख(उरांव)/कुरमाली/खोरठा /नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया ।

विभागीय संकल्प संख्या 5739 दिनांक 25.04.2017 के द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) नियमावली, 2017 के नियम-10 मुख्य परीक्षा के पत्र-2 में अंकित भाषाओं में संस्कृत भाषा को सम्मिलित किया गया है " ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

" पत्र-2- चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा

(i) राज्यस्तरीय पदों के लिए चिन्हित 12 (बारह) क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा उर्दू/संथाली/ बंगला/ मुण्डारी(मुण्डा)/हो/खड़िया/कुँड़ुख(उरांव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे।

(ii) जिला स्तरीय पदों के लिए जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का विकल्प होगा। जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं की सूची एवं पाठ्यक्रम कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अलग से संसूचित किया जाएगा।"

8. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन नियमावली, 2017 के नियम-7(v), 8(i) एवं नियम-9 (प्रारम्भिक परीक्षा/प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम) को विलोपित किया जाता है।

9. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग विनियमावली, 2011 के अध्याय-1 के नियम-2 एवं 3 को विलोपित (प्रारम्भिक परीक्षा समाप्त) करने से संबंधित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के अधिसूचना संख्या 1383 दिनांक 18.07.2017 को इस नियमावली में समाहित किया जाता है।

10. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा विनियमावली, 2011 (अधिसूचना संख्या-325 दिनांक 13.12.2011) एवं इस नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभाषी अथवा प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान अध्यारोही प्रभाव (overriding effects) के साथ लागू होंगे।

11. विभागीय संलेख ज्ञापांक 3764 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा " झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ताक धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021" के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 05.08.2021 को संपन्न बैठक में मद संख्या-27 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 419 -- 50

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-420 राँची, गुरूवार, 12 अगस्त, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

10 अगस्त, 2021

संख्या-11/क0च0आ0-16-6/2013 का.-3847--झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2008) की धारा 12 की उप धारा (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ :-**

(i) यह नियमावली **"झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021"** कहलाएगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-5-पात्रता/अहर्त्ता का निर्धारण की कंडिका-(ii) में निम्नांकित प्रावधान है :-

"अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा ";

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

" न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

3. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-7(iv) में निम्नांकित प्रावधान है :-

" राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अहर्त्तांक लागू होगा। न्यूनतम अहर्त्तांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे ";

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

7(iv)(क) इस परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अहर्त्तांक (राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित) निम्नवत् निर्धारित रहेगा :-

क्र0 सं0	कोटि	न्यूनतम अहर्त्तांक
1	अनारक्षित	40 प्रतिशत

2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला	32 प्रतिशत
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु०-I)	34 प्रतिशत
4	पिछड़ा वर्ग (अनु०-II)	36.5 प्रतिशत
5	आदिम जनजाति समुह	30 प्रतिशत
6	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

(ख) पत्र-1 - भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा।

(ग) पत्र-2- चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(घ) पत्र-3- सामान्य ज्ञान में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ङ) पत्र-2- चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा एवं पत्र-3- सामान्य ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर उपरोक्त नियम-7(iv)(क) के आलोक में मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा।"

4. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-7(vi) में निम्नांकित प्रावधान है :-

" मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान **(Equal Marks)** रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत उपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम की अंग्रेजी वर्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिए आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गए नाम को आधार माना जाएगा, अर्थात् समान जन्म तिथि एवं प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों में से जिनके नाम का प्रारम्भिक अक्षर अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार पहले आएगा, उन्हें मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।";

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात् इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

5. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-7(viii) में निम्नांकित प्रावधान है :-

" आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता/अहर्त्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकेगा" ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

आयोग अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का पात्रता/अहर्त्ता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा।

6. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-7 (xi) में निम्नांकित प्रावधान है :-

आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा/(प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों लिये जाने की स्थिति में) मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर मेधा सूची गठित की जाएगी और मेधा क्रम से आरक्षण कोटिवार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अधियाचना के आलोक में संबंधित विभाग को अनुशंसा के साथ सूची भेजी जाएगी ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

" आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा (मात्र मुख्य परीक्षा) के परीक्षाफल के आधार पर मेधा सूची गठित की जाएगी और मेधा क्रम से आरक्षण कोटिवार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अधियाचना के आलोक में संबंधित विभाग को अनुशंसा के साथ सूची भेजी जाएगी।"

7. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-8 (i) में निम्नांकित प्रावधान है :-

" परीक्षा का स्वरूप

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परंतु किसी परीक्षा के लिए 15,000 (पंद्रह हजार) से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जायेगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा ली जायेगी जिसमें मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल रहेंगे";

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

" परीक्षा एक चरण (मात्र मुख्य परीक्षा) में ली जाएगी।"

8. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-10 में निम्नांकित प्रावधान है :-

"पत्र-2-हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी(मुण्डा)/हो/खड़िया/कुँड़ुख(उरांव)/ कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे ;

विभागीय संकल्प संख्या 5726 दिनांक 05.07.2016 के द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-10 मुख्य परीक्षा के पत्र-2 में अंकित भाषाओं में संस्कृत भाषा को सम्मिलित किया गया है" ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

" पत्र-2- चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा

i) राज्यस्तरीय पदों के लिए चिन्हित 12 (बारह) क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी(मुण्डा)/हो/खड़िया/कुँड़ुख(उरांव)/कुरमाली/खोरठा/ नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

(ii) जिला स्तरीय पदों के लिए जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का विकल्प होगा। जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं की सूची एवं पाठ्यक्रम कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अलग से संसूचित किया जाएगा।"

9. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-7(v), 8(i) एवं नियम-9 (प्रारम्भिक परीक्षा/प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम) को विलोपित किया जाता है।

10. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग विनियमावली, 2011 के अध्याय-1 के नियम-2 एवं 3 को विलोपित (प्रारम्भिक परीक्षा समाप्त) करने से संबंधित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के अधिसूचना संख्या 1383 दिनांक 18.07.2017 को इस नियमावली में समाहित किया जाता है।

11. **झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा विनियमावली, 2011 (अधिसूचना संख्या- 325 दिनांक 13.12.2011) एवं इस नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभाषी अथवा प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान अध्यारोही प्रभाव (overriding effects) के साथ लागू होंगे ।**

12. **विभागीय संलेख ज्ञापांक 3763 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021" के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 05.08.2021 को संपन्न बैठक में मद संख्या-23 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 420 -- 50

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-421 राँची, गुरूवार, 12 अगस्त, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

10 अगस्त, 2021

संख्या-11/क0च0आ0-16-7/2013 का.- 3846--झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2008) की धारा 12 की उप धारा (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ**:-

   (i) यह नियमावली **"झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021"** कहलाएगी।

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-5-पात्रता/अहर्त्ता का निर्धारण की कंडिका-(ii) में निम्नांकित प्रावधान है :-

"अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा ";

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- "अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक /10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

3. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-7(iv) में निम्नांकित प्रावधान है :-

"राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अहर्त्तांक लागू होगा। न्यूनतम अहर्त्तांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे" ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

7(iv)(क) इस परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अहर्त्तांक (राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित) निम्नवत् निर्धारित रहेगा :-

क्र0 सं0	कोटि	न्यूनतम अहर्त्तांक
1	अनारक्षित	40 प्रतिशत
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला	32 प्रतिशत
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु0-I)	34 प्रतिशत
4	पिछड़ा वर्ग (अनु0-II)	36.5 प्रतिशत
5	आदिम जनजाति समुह	30 प्रतिशत
6	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

(ख) पत्र-1 - भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा।

(ग) पत्र-2- चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(घ) पत्र-3- सामान्य ज्ञान में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ङ) पत्र-2- चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा एवं पत्र-3- सामान्य ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर उपरोक्त नियम-7(iv)(क) के आलोक में मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा।"

4. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-7(vi) में निम्नांकित प्रावधान है :-

" मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत उपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके मैट्रिक समकक्ष अथवा अन्य अहर्त्ता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात् मैट्रिक समकक्ष अथवा अन्य अहर्त्ता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।" ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात् मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

5. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-7(viii) में निम्नांकित प्रावधान है :-

" आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता/अहर्त्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकेगा" ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

आयोग अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का पात्रता/अहर्त्ता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा।

6. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-7 (xi) में निम्नांकित प्रावधान है:-

आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा/(प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों लिये जाने की स्थिति में) मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर मेधा सूची गठित की जाएगी और मेधा क्रम से आरक्षण

कोटिवार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अधियांचना के आलोक में संबंधित विभाग को अनुशंसा के साथ सूची भेजी जाएगी ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

" **आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा (मात्र मुख्य परीक्षा) के परीक्षाफल के आधार पर मेधा सूची गठित की जाएगी और मेधा क्रम से आरक्षण कोटिवार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अधियाचना के आलोक में संबंधित विभाग को अनुशंसा के साथ सूची भेजी जाएगी।**"

7. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-8 (i) में निम्नांकित प्रावधान है :-

"परीक्षा का स्वरूप

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परंतु किसी परीक्षा के लिए 15,000 (पंद्रह हजार) से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जायेगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा ली जायेगी जिसमें मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल रहेंगे" ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

" **परीक्षा एक चरण (मात्र मुख्य परीक्षा) में ली जाएगी।** "

8. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-10 में निम्नांकित प्रावधान है :-

"पत्र-2-हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी(मुण्डा)/हो/खड़िया/कुँड़ुख(उरांव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे ;

विभागीय संकल्प संख्या 5726 दिनांक 05.07.2016 के द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक स्तर) नियमावली, 2016 के नियम-10 मुख्य परीक्षा के पत्र-2 में अंकित भाषाओं में संस्कृत भाषा को सम्मिलित किया गया है" ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"पत्र -2- चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा

(i) राज्यस्तरीय पदों के लिए चिन्हित 12 (बारह) क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी(मुण्डा)/हो/खड़िया/कुँड़ुख(उरांव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

(ii) जिला स्तरीय पदों के लिए जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का विकल्प होगा। जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं की सूची एवं पाठ्यक्रम कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अलग से संसूचित किया जाएगा।"

9. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-7(v), 8(i) एवं नियम-9 (प्रारम्भिक परीक्षा/प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम) में अंकित प्रावधान को विलोपित किया जाता है।

10. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग विनियमावली, 2011 के अध्याय-1 के नियम-2 एवं 3 को विलोपित (प्रारम्भिक परीक्षा समाप्त) करने से संबंधित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के अधिसूचना संख्या 1383 दिनांक 18.07.2017 को इस नियमावली में समाहित किया जाता है।

11. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा विनियमावली, 2011 (अधिसूचना संख्या-325 दिनांक 13.12.2011) एवं इस नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभाषी अथवा प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान अध्यारोही प्रभाव (overriding effects) के साथ लागू होंगे।

12. विभागीय संलेख ज्ञापांक 3762 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021" के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 05.08.2021 को संपन्न बैठक में मद संख्या-25 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 421 -- 50

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक– 25 अक्टूबर, 2019

आ0सं0–11/क0च0आ0–16–08/2013 का0 8614 /झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 में संशोधन के निमित्त झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :–

1. (1) यह नियमावली "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जाएगी।

(2) इस नियमावली का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 के नियम 5(ii) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"अभ्यर्थियों के लिए उनका आवेदन पत्र झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक नियमावली की अनुसूची–1 के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल/विद्युत/यांत्रिक/कृषि अथवा संबंधित अभियांत्रिकी में डिप्लोमा की उपाधि। उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे।"

3. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 के नियम 5(ii) के उपरांत नियम 5(iii) को निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाता है:–

"नियम 5(iii) "अभ्यर्थियों को उनका आवेदन पत्र आयोग में जमा होने की अंतिम तिथि तक नियमावली की अनुसूची–2 में अंकित पदों के लिए उस पद पर नियुक्ति हेतु गठित नियमावली में पद विशेष के लिए अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य तकनीकी/विशिष्ट योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

25/10/19

(सुधीर कुमार रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11/क0च0आ0–16–08/2013 का0 8614 /राँची, दिनांक– 25 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।

25/10/19

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11/क0च0आ0–16–08/2013 का0 8614 /राँची, दिनांक– 25 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपिः– सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/10/19

सरकार के संयुक्त सचिव।

डिप्लोमा योग्यता वाले पदों की अनुसूची–1

(नियम–7)

क्र0सं0	विभाग का नाम	पद / सेवा का नाम
1.	लोक निर्माण विभाग [झारखण्ड अवर अभियंत्रण संवर्ग (कनीय अभियंता, सिविल / विद्युत / यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2013 के पद]	(i) कनीय अभियंता (सिविल) (ii) कनीय अभियंता (यांत्रिकी) (iii) कनीय अभियंता (विद्युत)
2.	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग।	कनीय अभियंता (कृषि अभियंत्रण)
3.	परिवहन विभाग।	मोटरयान निरीक्षक
4.	खान एवं भूतत्व विभाग।	खान निरीक्षक
5.	उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।	प्रयोगशाला सहायक
6.	नगर विकास एवं आवास विभाग।	कनीय अभियंता (विद्युत) कनीय अभियंता (सिविल) कनीय अभियंता (यांत्रिकी)

(सुधीर कुमार रंजन)
संयुक्त सचिव,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता वाले पदों की अनुसूची–2

(नियम–7)

क्र0सं0	विभाग का नाम	पद/सेवा का नाम
1.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	(i) लेबोरेट्री असिस्टेन्ट (ii) लेबोरेट्री अटैन्डेंट (iii) फार्मासिस्ट (iv) एक्स–रे तकनीशियन (v) आप्थेल्मिक सहायक (vi) प्रयोगशाला तकनीशियन
2.	उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	कनीय अनुदेशक
3.	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	अनुदेशक
4.	नगर विकास एवं आवास विभाग	पाईप लाईन इंस्पेक्टर

(सुधीर कुमार रंजन)
संयुक्त सचिव,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 24/5 /2017

संख्या–11/क0च0आ0–02–04/2017 का 6474 / भारतीय संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखंड अधिनियम 16, 2008) की धारा 12 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. *संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार*

(i) यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 कही जायेगी।

(ii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

(iii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

2. (I) *परिभाषा :–* जब तक कि संदर्भ में अन्यथा वर्णित न हो, –

(क) *"उपलब्ध रिक्तियाँ"* से अभिप्रेत है, स्नातक शैक्षणिक योग्यता स्तर के वैसे पद, जिनके लिए किसी विशिष्ट/तकनीकी योग्यता अपेक्षित है तथा जिन्हें खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरा जाना अपेक्षित है;

(ख) *"परीक्षा"* से अभिप्रेत है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद पर भर्त्ती हेतु आयोजित परीक्षाएं;

(ग) *"अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति"* के वही अर्थ है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खण्ड 24 और खण्ड 25 में समनुदेशित है।

(घ) *"पिछड़ा वर्ग– अनुसूची–2 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग– अनुसूची–1"* से अभिप्रेत है, झारखंड सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग– अनुसूची–2 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग– अनुसूची–1 के रूप में अधिसूचित जातियाँ; '

(ङ) *"निःशक्त व्यक्ति"* से अभिप्रेत है, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में यथा परिभाषित निःशक्त व्यक्ति;

(च) *"आयोग"* से अभिप्रेत है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग;

(छ) संबंधित विभाग से अभिप्रेत है, अधियाचना और नियुक्ति करने वाले विभाग/ प्राधिकार;

(ज) विभाग से अभिप्रेत है, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग;

(झ) अनुसूची से अभिप्रेत है, इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची;

(ट) पदों/सेवाओं से अभिप्रेत है, अनुसूची में अंकित पद/सेवा।

3. **रिक्तियों की गणना :–** संबंधित विभागों द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी को संदर्भ तिथि मानते हुए आरक्षण कोटिवार, रिक्तियों की अधियाचना विहित प्रपत्र में आयोग को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से उस वर्ष के फरवरी माह तक संसूचित की जायेगी।

योग को अधियाचना के माध्यम से प्राप्त रिक्तियों में संशोधन/परिवर्तन करने का अधिकार नहीं

उम्र सीमा– आयोग के द्वारा ली जाने वाली स्नातक स्तरीय सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के ,ए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रहेगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा वही रहेगी, जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय।

5. पात्रता/अहर्ता का निर्धारण–

i) अभ्यर्थियों की उम्र की गणना के लिए अधियाचना के वर्ष की पहली अगस्त संदर्भ तिथि होगी।

ii) आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक होगा।

6. आरक्षण– राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आरक्षण के विषय पर गठित नियम/अधिनियम एवं परिपत्र लागू होंगे।

7. परीक्षाएं–

i) प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग द्वारा स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता की अपेक्षा वाले पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

ii) समान शैक्षणिक तकनीकी/विशिष्ट योग्यता की अपेक्षा वाले पदों को एक पद समुह के रूप में चिन्हित करते हुए आयोग द्वारा संबंधित विषय की परीक्षा आयोजित की जायेंगी।

iii) स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पदों की सूची अनुसूची– I पर संलग्न है। इस अनुसूची में निहित पदों/सेवाओं को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

iv) पद की अपेक्षानुसार उस विषय में स्नातक स्तर की तकनीकी/विशिष्ट योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी ही विनिर्दिष्ट पदों के लिए अहर्ता प्राप्त माने जाएंगे।

v) राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक लागू माने जाएंगे। न्यूनतम अहर्तांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जाएंगे।

vi) प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रत्येक पद समूह के संदर्भ में अलग–अलग सामान्य मेधा सूची (Common merit list) तैयार की जाएगी। उक्त मेधा सूची से विज्ञापित रिक्ति के 15 गुणा अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जायेगा जिसमें उपलब्धता के आधार पर आरक्षित वर्ग की रिक्ति के 15 गुणा अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा।

परंतु किसी स्तर के परीक्षा के लिए 100 से कम रिक्ति रहने की स्थिति में रिक्त पदों की संख्या के 15 गुणा अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के लिए आयोग अपने विवेक से निर्णय ले सकेगा।

vii) आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकेगा।

viii) आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करेगा कि अभ्यर्थी विज्ञापित पदों की नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं जब तक की अभ्यर्थियों की पात्रता का सत्यापन अंतिम रूप से न हो जाए।

ix) एक से अधिक पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में यथा समय अभ्यर्थियों से पदों/सेवाओं के लिए विकल्प लिया जाएगा और मेधा–सह–विकल्प के अनुसार चयन सूची गठित होगी।

x) आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्रत्येक पद समूह के संदर्भ में अलग–अलग मेधा सूची गठित की जाएगी और मेधा क्रम से आरक्षण कोटिवार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अधियाचना के आलोक में संबंधित विभाग को अनुशंसा के साथ सूची भेजी जाएगी। इस सम्बन्ध में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक राज्य सरकार के आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन निदेशों/अनुदेशों का पालन किया जाएगा।

xi) मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत उपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में झारखण्ड के स्थानीय निवासी होने के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा।

8. परीक्षा का स्वरूप –

i) सामान्यतः परीक्षा दो चरणों में ली जाएगी :–

क) प्रारम्भिक परीक्षा

ख) मुख्य परीक्षा

परंतु किसी परीक्षा के लिए 15,000 (पन्द्रह हजार) से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जाएगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा ली जाएगी जिसमें मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल होंगे।

(ii) सभी परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्णांक 3 (तीन) अंक होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

"परन्तु यह कि आयोग द्वारा आयोजित जिन नियुक्ति परीक्षाओं में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0–13026, दिनांक–26.11.2012 में यथा निर्धारित न्यूनतम् अर्हतांक से अधिक न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित किया गया हो उस परीक्षा में गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाने का प्रावधान नहीं होगा।"

"उक्त प्रावधान ऐसी परीक्षा/परीक्षाओं में भी लागू होगा जिसकी परीक्षा सम्प्रति आयोजित नहीं की गयी हो।"

(iii) परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी।

9. प्रारम्भिक परीक्षा –

(9.1) प्रारम्भिक परीक्षा में एक पत्र 'सामान्य ज्ञान' का होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें निम्नलिखित विषयों से सम्बंधित प्रश्न पूछे जायगे।

पत्र – सामान्य ज्ञान

क)	सामान्य अध्ययन	–	30 प्रश्न
ख)	झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान	–	30 प्रश्न
ग)	सामान्य गणित	–	20 प्रश्न
घ)	सामान्य विज्ञान	–	20 प्रश्न
ड़)	मानसिक क्षमता जाँच	–	20 प्रश्न
	कुल	–	120 प्रश्न

(9.2) *प्रारम्भिक परीक्षा का पाठयक्रम*

पत्र – सामान्य ज्ञान

क) **सामान्य अध्ययन** – इसमें प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते है। सम–सामयिक विषय – वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

ख) झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान:– झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान–खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

ग) **सामान्य गणित** – इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

घ) **सामान्य विज्ञान** :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र में दिनप्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

ड़) मानसिक क्षमता जाँच :– इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं । इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:– सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृखंला एवं कुट लेखन एवं कूट व्याख्या इत्यादि।

10. मुख्य परीक्षा –

(10.1) मुख्य परीक्षा के लिए तीन पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधी 2 घंटे की होगी। एक पाली की परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। यह परीक्षा तीन पालियों में ली जाएगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे :–

प्रश्न पत्र – 1 (भाषा ज्ञान)

क)	हिन्दी भाषा ज्ञान	–	60 प्रश्न
ख)	अंग्रेजी भाषा ज्ञान	–	60 प्रश्न
	कुल	–	120 प्रश्न

परीक्षा अवधि – दो घंटा

(10.2) इस परीक्षा में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage), हिन्दी व्याकरण, तथा अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage), अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्नों की संख्या निम्नवत् रहेगी:–

(i) हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) पर आधारित प्रश्न :– 30 प्रश्न
(ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 30 प्रश्न
(iii) अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage), पर आधारित प्रश्न– 30 प्रश्न
(iv) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 30 प्रश्न

कुल – 120 प्रश्न

(10.3) इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30 प्रतिशत अहर्ताक निर्धारित रहेगा। न्यूनतम अहर्ताक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे। इस पत्र में 30 प्रतिशत अथवा इससे अधिक प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा।

(10.4) *प्रश्न पत्र – 2 (भाषा ज्ञान)*

(क) इसके अधीन हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी /मुण्डा/हो/खड़िया/कुडूख (उराँव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया/संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार अभ्यर्थी दे सकेंगे।

(ख) इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे।

(ग) संबंधित भाषा का पाठ्यक्रम वही होगा जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाए।

(घ) इस पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी।

(10.5) *प्रश्न पत्र – 3 (तकनीकी/विशिष्ट विषय की परीक्षा)*

(क) सम्बन्धित पद की सेवा नियमावली में यथा विहित तकनीकी/विशिष्ट विषय की परीक्षा इस पत्र के अधीन ली जायगी।

(ख) तकनीकी/विशिष्ट विषय का पाठ्यक्रम आयोग द्वारा सम्बंधित विभाग के सहयोग से निर्धारित किया जायगा।

(ग) इस पत्र के अधीन बहु विकल्पीय उत्तर आधारित 120 (एक सौ बीस) प्रश्न पूछे जायगे।

(घ) इस पत्र की परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी।

11. मुख्य परीक्षा के अधार पर मेधा सूची का गठन

(क) आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 तथा प्रश्न पत्र 3 में प्राप्त अंकों को जोड़ कर वेसे अभ्यर्थिओं की एक समान्य मेधा सूची गठित की जायगी जिन्होंने प्रथम पत्र में 30 प्रतिशत न्यूनतम अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त किया हो। मेधा सूची के गठन में प्रश्न पत्र– 1 में प्राप्त अंक को सम्मिलित नहीं किया जायगा।

12. **अध्यावरोही प्रभाव** :– नियम 7 (iii) के प्रावधान के अंतर्गत गठित अनुसूची में उल्लेखित पदों/सेवाओं से संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया/परीक्षा संचालन प्रावधानों के इस नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभाषी अथवा प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान **अध्यावरोही प्रभाव** (overriding effects) के साथ लागू होंगे।

13. आरक्षण नियमों का अनुपालन :– अधियाचना और मेधा सूची तैयार करने में आरक्षण/रोस्टर संबंधी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत नियमों/अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

14. आयोग की विशिष्ट शक्ति :– इस नियम को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार किसी परीक्षा विशेष के मानक एवं प्रक्रिया पर निर्णय लेने के लिए आयोग सक्षम होगा।

15. निर्वचन :– इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वचन अंतिम होगा।

16. प्रावधानों का शिथिलीकरण एवं संशोधन :– राज्य सरकार आवश्यकतानुसार इस नियमावली के किसी उपबंध अथवा उपबंधों को शिथिल अथवा संशोधित कर सकेगी।

17. निरसन :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा की अधिसूचना संख्या 10507, दिनांक 11.12.2015 तथा 3201 दिनांक 18.04.2016 द्वारा गठित परीक्षा संचालन निमयवाली को स्नातक स्तर (तकनीकी/विशिष्ट) शैक्षणिक स्तर के पदों के सदर्भ में निरसित किया जाता है। उपर्युक्त अधिसूचना के माध्यम से गठित प्रावधान स्नातक स्तर गैर तकनीकी/विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता के पदों पर यथा रुप प्रभावी रहेगे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

24/5/17

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 11/क0च0आ0–02–04/2017 का 6474 /राँची, दिनांक 24/5/2017

प्रतिलिपि :– ई-नोडल पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को सॉफ्ट कॉपी (सीडी) में झारखंड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

24/5/17
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 11/क0च0आ0–02–04/2017 का 6474 /राँची, दिनांक 24/5/2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखंड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/झारखंड लोक सेवा आयोग/झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

24/5/17
सरकार के प्रधान सचिव।

स्नातक एवं विशिष्ट योग्यता धारित पदों की अनुसूची –1

(देखें नियम – 7)

क्रं० सं०	विभाग का नाम	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त करना अनिवार्य)
1	2	3	4
1.	उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग	भूतात्विक विश्लेषक	विज्ञान स्नातक रसायनशास्त्र में (प्रतिष्ठा के साथ)
		विज्ञान सहायक	भू– विज्ञान (प्रतिष्ठा)/रसायनशास्त्र में विज्ञान स्नातक (प्रतिष्ठा)
		सांख्यिकी सहायक एवं सकमक्ष पद	स्नातक (गणित /अर्थशास्त्र/सांख्यिकी /कृषि)
		सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष पद	बी0एस0सी0 सिल्क टेक (चार वर्षीय डिग्री कोर्स) (सेरीकल्चर/वीभिंग/डाइंग–प्रिंटिंग) की डिग्री अथवा बी0एस0सी0 रेशम/कृषि/वाणिकी/वनस्पति विज्ञान/जंतु विज्ञान के साथ केन्द्रीय रेशम बोर्ड से मलवरी/नन–मलवरी में 15 माह की पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा
		तकनीकी पर्यवेक्षक	बी0एस0सी0 सिल्क टेक0 की डिग्री/बी0टेक0 (टेक्सटाईल)/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हैण्डलूम टेक्नोलॉजी।
		उद्योग विस्तार पदाधिकारी	बी0सी0ए0/बी0बी0ए0/फूडटेक्नोलॉजी/बी0एस0सी0, पर्यावरण/बायोटेक्नोलॉजी/वाणिज्य/अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी में स्नातक
2.	जल संसाधन विभाग	शोध सहायक	स्नातक विज्ञान रसायनशास्त्र विषय के साथ
3.	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/ सहायक अनुसंधान पदाधिकारी/पौधा संरक्षण, निरीक्षक	कृषि विज्ञान स्नातक
		अनुमण्डल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष पद	कृषि विज्ञान स्नातक/उद्यान स्नातक/वानिकी स्नातक
		गव्य तकनिकी पदा0 एवं समकक्ष	डेयरी टेक्नोलॉजी/डेयरी (गव्य) विज्ञान में स्नातक अथवा समकक्ष
		मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/ क्षेत्रीय मत्स्य अनुसंधान पदाधिकारी/क्षेत्रीय प्रयोगशाला	बी0एससी0 जन्तु विज्ञान के साथ/केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुम्बई से दो वर्षों का डिप्लोमा इन फिसरिज सांइन्स उत्तीर्ण/मत्स्य विज्ञान में स्नातक बी0एफ0एस0सी0 की डिग्री/जंतु विज्ञान (मत्स्यकी) में स्नातकोत्तर
		मत्स्य निरीक्षक	मत्स्य विज्ञान में स्नातक अथवा स्नातक विज्ञान (जन्तु विज्ञान) की डिग्री

		मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक	विज्ञान स्नातक (जन्तु विज्ञान)
		प्रावैधिक निरीक्षक	स्नातक जन्तु विज्ञान
		पशुधन निरीक्षक	स्नातक जन्तु विज्ञान
		सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद	वाणिज्य / सांख्यिकी / गणित / अर्थशास्त्र में स्नातक
		वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी	स्नातक (गणित / अर्थशास्त्र / वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय के साथ)
		सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष	सांख्यिकी, गणित एवं अर्थशास्त्र से किसी एक विषय के साथ स्नातक
4.	योजना सह वित्त विभाग	वरीय अंकेक्षक	गणित / वाणिज्य / सांख्यिकी अथवा अर्थशास्त्र विषय के साथ स्नातक।
		प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष	गणित / सांख्यिकी / अर्थशास्त्र के साथ स्नातक
5.	महिला, बाल विकास एवं समाज कल्याण, विभाग	सांख्यिकी सहायक	यथा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्धारित
		महिला पर्यवेक्षिका	समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या गृह विज्ञान या बाल विकास विषयों के साथ महिला स्नातक
6.	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	सहायक लेखापाल	स्नातक वाणिज्य
7.	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग	परिरक्षण सहायक ,	स्नातक विज्ञान
8.	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग	फायर स्टेशन आफिसर	(i) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अथवा समतुल्य योग्यता (ii) (क) भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस अथवा (ख) हल्का वाहन चलाने का वैध लाइसेंस धारक, परन्तु नियुक्ति के उपरांत अभ्यर्थी को एक वर्ष के भीतर भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस प्राप्त कर अग्निशमन सेवा मुख्यालय अरगोड़ा, राँची में जमा करना होगा। एक वर्ष के अन्दर भारी वाहन का वैध लाइसेंस जमा नहीं करने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

सरकार के प्रधान सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना:

राँची, दिनांक– 8/3/2017

संख्या–11/क0च0आ0–16–07/2011 का0 2062 /झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम, 2016 2008) की धारा–12 की उप– धारा–(i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटरमीडिएट/10+2 एवं कम्प्यूटर ज्ञान एवं हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ :–
   (i) यह नियमावली "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन नियमावली, 2017" कही जाएगी।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (iii) नियमावली अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगी।
2. परिभाषाएँ :– जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो, इस नियमावली में :–
   (i) **राज्य सरकार** से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार,
   (ii) **विभाग** से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,
   (iii) **सम्बन्धित विभाग** से अभिप्रेत है अधियाचना और नियुक्ति करने वाले विभाग/प्राधिकार,
   (iv) **आयोग** से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,
   (v) **अनुसूची** से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची,
   (vi) **परीक्षा** से अभिप्रेत है आयोग द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट/10+2 एवं कम्प्यूटर ज्ञान एवं हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पदों हेतु परहसक्षाएँ,
   (vii) **पदों/सेवाओं** से अभिप्रेत है अनुसूची में अंकित पद/सेवा,
3. सम्बन्धित विभागों के द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी को संदर्भ तिथि मानते हुए आरक्षण वर्गवार रिक्तियों की अधियाचना विहित प्रपत्र में आयोग को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से फरवरी तक संसूचित की जायेगी। परन्तु वर्ष 2014 की अधियाचना हेतु उपर्युक्त निर्धारित कालक्रम शिथिल रहेगा। आयोग को अधियाचना के माध्यम से भेजी गयी रिक्तियों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा और विभाग द्वारा अग्रसारित रिक्ति अंतिम मानी जायेगी।

4. उम्र सीमा :–

(i) आयोग के द्वारा ली जाने वाली विभिन्न इंटरमीडिएट/10+2 स्तर एवं कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र वही रहेगी जो राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय।

(ii) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित उम्र सीमा में छूट का लाभ सिर्फ झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही अनुमान्य होगा।

5. पात्रता/अर्हत्ता का निर्धारण :–

(i) अभ्यर्थियों की उम्र की गणना के लिए अधियाचना के वर्ष की पहली अगस्त संदर्भ तिथि होगी।

(ii) अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. आरक्षण :–

(i) राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर गठित आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान यथावत होंगे।

(ii) झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को छोड़कर अन्य सभी अभ्यर्थी सामान्य/अनारक्षित श्रेणी में माने जायेंगे।

7. परीक्षाएँ :–

(i) आयोग को प्राप्त अधियाचना के आलोक में इंटरमीडिएट/10+2 स्तर एवं कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण की परीक्षाएँ आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएँगी।

(ii) इंटरमीडिएट/10+2 स्तर एवं कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण की परीक्षा के लिए पदों की सूची अनुसूची (1) पर संलग्न है। इस अनुसूची में निहित पदों/सेवाओं को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) कुछ विशिष्ट पदों के लिए विशिष्ट अर्हत्ताएँ हैं, जिसमें अभिप्रेत होगा कि सम्बन्धित विशिष्ट अर्हत्ता प्राप्त अभ्यर्थी ही उक्त विनिर्दिष्ट पदों के लिए अर्हत्ता प्राप्त माने जायेंगे।

(iv) राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिये चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक लागू होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पानेवाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे। कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण से संबंधित परीक्षा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जायेगी।

(v) प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा सूची (Common merit list), तैयार की जायेगी और आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के 15 (पन्द्रह) गुणा अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिये किया जायेगा।

(vi) मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम की अंग्रेजी वर्त्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिये आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा, अर्थात समान जन्म तिथि एवं प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों में से जिनके नाम का प्रारम्भिक अक्षर अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार पहले आयेगा, उन्हें मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

(vii) अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरूद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी अंकित होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के अद्यतन निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया जायेगा।

(viii) आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता/अर्हत्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकेगा।

(ix) आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करेगा कि अभ्यर्थी विज्ञापित पदों के नियुक्ति के लिये चयन हेतु निर्धारित पात्रता/अर्हत्ता पूरी करते हैं जब तक कि अभ्यर्थियों की पात्रता/अर्हत्ता पूरी करते हैं जब तक कि अभ्यर्थियों की पात्रता/अर्हत्ता का सत्यापन अंतिम रूप से न हो जाय।

(x) एक से अधिक पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिये चयन हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में यथा समय अभ्यर्थियों से पदों/सेवाओं के लिये विकल्प लिया जायेगा और मेधा–सह–विकल्प के अनुसार चयन सूची गठित होगी।

(xi) आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा एवं कम्प्यूटर ज्ञान/कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण की परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर मेधा सूची गठित की जायेगी और मेधा क्रम से आरक्षण कोटिवार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अधियाचना के आलोक में सम्बन्धित विभाग को अनुशंसा के साथ सूची भेजी जायेगी।

8. परीक्षा का स्वरूप :–

(i) सामान्यतः परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी :–

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परन्तु किसी स्तर की परीक्षा में 15,000 (पन्द्रह हजार) से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जायेगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा ली जायेगी जिसमें प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल रहेंगे। सिर्फ एक परीक्षा लेने की स्थिति में भी भाषा का ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30 (तीस) प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे। इस विषय पर आयोग अपने विवेक से अंतिम निर्णय ले सकेगा।

(ii) सभी परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुन्ष्ठि एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 03 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 03 (तीन) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

(iii) परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी।

(iv) परीक्षा के लिए प्रश्नों का स्तर सामान्यतः जिस स्तर की परीक्षा होगी, उसी स्तर का होगा।

9. <u>प्रारम्भिक परीक्षा :–</u>

प्रारम्भिक परीक्षा में एक पत्र 'सामान्य ज्ञान' होगा।

<u>पत्र– सामान्य ज्ञान</u>

(क)	सामान्य अध्ययन–	30 प्रश्न
(ख)	झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान–	30 प्रश्न
(ग)	सामान्य गणित–	20 प्रश्न
(घ)	मानसिक क्षमता जाँच–	20 प्रश्न
(ड़)	कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण से संबंधित प्रश्न–	20 प्रश्न
	कुल–	120 प्रश्न

परीक्षा अवधि–2 घंटा

<u>प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम</u>

<u>पत्र– सामान्य ज्ञान</u>

(क) **सामान्य अध्ययन :–** इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टि कोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में विषय रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सके है। सम–सामायिक विषय– वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना।

(ख) **झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान :–** झारखण्ड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान–खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएँ, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

(ग) **सामान्य गणित :–** इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं प्रश्न रहेंगे।

(घ) **कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण से संबंधित ज्ञान :–** इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(ङ) **मानसिक क्षमता जाँच :–** इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं– सादृष्य, समानता एवं विभिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

10. **मुख्य परीक्षा :–**

मुख्य परीक्षा के लिए तीन पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 02 घंटे की होगी, इसमें निम्न विषय रहेंगे :–

पत्र–1 (भाषा ज्ञान)

(क)	हिन्दी भाषा ज्ञान–	60 प्रश्न
(ख)	अंग्रेजी भाषा ज्ञान–	60 प्रश्न
	कुल–	120 प्रश्न

इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अर्हतांक निर्धारित रहेगा। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।

पत्र– 2

हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी/मुण्डा/हो/खड़िया/कुडूख (उरांव)कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकें। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

पत्र– 3

(क)	सामान्य अध्ययन–	30 प्रश्न
(ख)	झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान–	40 प्रश्न
(ग)	कम्प्यूटर का ज्ञान एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण संबंधित ज्ञान–	50 प्रश्न
	कुल–	120 प्रश्न

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र– 1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान–

(i)	हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न–	20 प्रश्न
(ii)	हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न–	40 प्रश्न

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Pasage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

(क) अंग्रेजी भाषा ज्ञान–

(i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न– 20 प्रश्न

(ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न– 40 प्रश्न

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Pasage) तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

<u>पत्र–3 (सामान्य ज्ञान)</u>

(क) **सामान्य अध्ययन** :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसी कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के समबन्ध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामायिक विषय– वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य–व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना।

(ख) **झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान** :– झारखण्ड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान–खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएँ, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

(ग) **कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण से संबंधित ज्ञान** :– इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

11. नियम–7(ii) के प्रावधान के अन्तर्गत गठित अनुसूची में उल्लेखित पदों/सेवाओं से सम्बन्धित सेवा/संवर्ग नियमावली में नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया/परीक्षा संचालन प्रावधानों के इस नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभाषी अथवा प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान **अध्यारोही प्रभाव (Overriding effects)** के साथ लागू होंगे।

12. अधियाचना और मेधा सूची तैयार करने में आरक्षण/रोस्टर सम्बन्धी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत नियमों/अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

13. इस नियम को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार किसी परीक्षा विशेष के मानक, स्वरूप एवं प्रक्रिया इत्यादि के विषय पर निर्णय लेने के लिए आयोग सक्षम होगा।

14. इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वचन अंतिम होगा।

15. राज्य सरकार आवश्यकतानुसार इस नियमावली के किसी उपबंध अथवा उपबंधों को शिथिल अथवा संशोधित कर सकेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

8/3/17

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/क0च0आ0–16–07/2011 का.....2062...../राँची, दिनांक– 8/3/17

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखड, राँची को सॉफ्ट प्रति (सी0डी0) में झारखण्ड ई–गट के असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

8/3/17

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/क0च0आ0–16–07/2011 का.....2062...../राँची, दिनांक– 8/3/17

प्रतिलिपिः– सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/17

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

इंटरमीडिएट/10+2/शैक्षणिक योग्यता एवं कम्प्यूटर ज्ञान तथा हिन्दी टंकण अहर्ता वाले पदों की अनुसूची–1

(नियम– 7)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त करना अनिवार्य) कौशल परीक्षण	कौशल परीक्षण
1	2	3	4	5
1.	पर्यटन विभाग।	स्वागतक	इंटरमीडिएट/10+2 एवं कम्प्यूटर की सामान्य योग्यता।	कम्प्यूटर चालन परीक्षण
2.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	संगणक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/इंटरमीडिएट काउंसिल या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट (विज्ञान) कक्षा उत्तीर्ण, 2. कम्प्यूटर चलाने के सम्बन्ध में व्यावहारिक ज्ञान वांछनीय योग्यता होगी।	कम्प्यूटर चलाने की सामान्य योग्यता परीक्षा
		लेबोरेटरी असिस्टेंट	रसायन शास्त्र के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष/कम्प्यूटर का ज्ञान।	कम्प्यूटर का ज्ञान
3.	पंचायती राज, एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग।	पंचायत सचिव	इंटरमीडिएट/10+2 एवं कम्प्यूटर संचालन योग्यता।	कम्प्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा
4.	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।	इकाई लिपिक एवं समकक्ष पद	इंटरमीडिएट/10+2 उत्तीर्ण तथा हिन्दी टाईपिंग में यथा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम गति।	कम्प्यूटर हिन्दी टाइपिंग, टाइपिंग गति 25 शब्द प्रति मिनट अधिकतम 02(दो) प्रतिशत अशुद्धि सहित।
5.	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	क्षेत्रीय कार्यालय लिपिक/लिपिक–सह–टंकक /अन्य लिपिकीय सेवा	इंटरमीडिएट/10+2 उत्तीर्ण तथा हिन्दी टाईपिंग में यथा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम गति।	कम्प्यूटर हिन्दी टाइपिंग, टाइपिंग गति 25 शब्द प्रति मिनट अधिकतम 02(दो) प्रतिशत अशुद्धि सहित।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:अधिसूचना

राँची, दिनांक– 18-04-2016

संख्या–11/क0च0आ0–16–05/2013 का0 3201 / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम–16, 2008) की धारा–12 की उप धारा–(i) में प्रदत्त शक्ति के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या–10507, दिनांक–11.12.2015 द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) नियमावली, 2015 का गठन किया गया है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा प्रणाली की समीक्षा कर सुझाव देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त, उक्त नियमावली के नियम–15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमावली के नियम–9 एवं 10 को संशोधित कर निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

नियम–9 : प्रारम्भिक परीक्षा– सामान्य ज्ञान से संबंधित इस परीक्षा में निम्नलिखित विषयों से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटों की होगी।

सामान्य अध्ययन	:	30 प्रश्न
झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	:	30 प्रश्न
सामान्य गणित	:	20 प्रश्न
सामान्य विज्ञान	:	20 प्रश्न
मानसिक क्षमता जाँच	:	20 प्रश्न
कुल	:	120 प्रश्न

प्रारम्भिक परीक्षा का पाठयक्रम

पत्र–. सामान्य ज्ञान

(क) समान्य अध्ययन :– इसमें प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विषय रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं सम–सामयिक विषय–वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाऐं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी महत्वपूर्ण घटनाऐं। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताऐं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

(ख) सामान्य विज्ञान :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगें, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग)सामान्य गणित :– इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगें। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ)मानसिक क्षमता जाँच :– इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं– सादृष्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ड.) झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाऐं, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

नियम–10 : मुख्य परीक्षा–

मुख्य परीक्षा के लिए तीन पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, इसमें निम्न विषय रहेंगे:–

पत्र–1 (भाषा ज्ञान)

हिन्दी भाषा ज्ञान	:	60 प्रश्न
अंग्रेजी भाषा ज्ञान	:	60 प्रश्न
कुल	:	120 प्रश्न

इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अर्हतांक निर्धारित रहेगा। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।

पत्र–2

हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी/गुण्डा/हो/खड़िया/कुडूख(उरांव) /कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़ीया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

पत्र–3

सामान्य अध्ययन	:	30 प्रश्न
झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	:	40 प्रश्न
सामान्य विज्ञान	:	20 प्रश्न
सामान्य गणित	:	20 प्रश्न
मानसिक क्षमता जांच	:	20 प्रश्न
कम्प्युटर का ज्ञान	:	20 प्रश्न
कुल	:	150 प्रश्न

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा(स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 को इस हद तक संशोधित किया जाता है। नियमावली के अन्य नियम एवं शर्त्तें यथावत रहेगें।

स्नातक स्तरीय पद जिनके लिए आवेदन प्राप्त कर लिये गये हो, को छोड़कर संशोधित पाठ्यक्रम आगामी परीक्षाओं के लिए लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

18.4.16

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11 / क0च0आ0–16–05 / 2013 का0 3201 / राँची, दिनांक– 18-04-2016

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सॉफ्ट प्रति (सी0डी0) में झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18.4.16

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11 / क0च0आ0–16–05 / 2013 का0 3201 / राँची, दिनांक– 18-04-2016

प्रतिलिपिः– सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / झारखण्ड लोक सेवा आयोग / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.4.16

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

3200
18-04-2016

:अधिसूचना :

राँची, दिनांक–

संख्या–11 / क0च0आ0–16–07 / 2013 का0 झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम–16, 2008) की धारा–12 की उप धारा–(i) में प्रदत्त शक्ति के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या–10506, दिनांक–11.12.2015 द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक / 10वीं स्तर) नियमावली, 2015 का गठन किया गया है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा प्रणाली की समीक्षा कर सुझाव देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त, उक्त नियमावली के नियम–15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमावली के नियम–9 एवं 10 को संशोधित कर निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

नियम–9 : **प्रारम्भिक परीक्षा**– सामान्य ज्ञान से संबंधित इस परीक्षा में निम्नलिखित विषयों से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटा तीस मिनट की होगी।

सामान्य अध्ययन	:	30 प्रश्न
झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	:	40 प्रश्न
सामान्य गणित	:	20 प्रश्न
सामान्य विज्ञान	:	20 प्रश्न
मानसिक क्षमता जांच	:	10 प्रश्न
कुल	:	120 प्रश्न

प्रारम्भिक परीक्षा का पाठयक्रम

पत्र–- सामान्य ज्ञान

(क) समान्य अध्ययन :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें भारत देश एवं झारखण्ड राज्य के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामायिक विषय–राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाऐं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी महत्वपूर्ण घटनाऐं। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताऐं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखण्ड राज्य की सामान्य जानकारी।

(ख) सामान्य विज्ञान :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगें, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग)सामान्य गणित :– इस विषय में सामान्यतः अंक गणित से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ)मानसिक क्षमता जाँच :– इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं– सादृष्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ड़) झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाऐं, खेल–खिलाड़ी इत्यादि।

नियम–10 : मुख्य परीक्षा–

मुख्य परीक्षा के लिए तीन पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, इसमें निम्न विषय रहेंगे :–

पत्र–1 (भाषा ज्ञान)

हिन्दी भाषा ज्ञान	:	80 प्रश्न
अंग्रेजी भाषा ज्ञान	:	40 प्रश्न
कुल		120 प्रश्न

इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अर्हतांक निर्धारित रहेगा। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।

पत्र–2

हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी/मुण्डा/हो/खड़िया/कुड़ूख(उरांव) /कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़ीया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

3200
18-04-2016

पत्र–3

सामान्य अध्ययन	:	40 प्रश्न
झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	:	50 प्रश्न
सामान्य विज्ञान	:	20 प्रश्न
सामान्य गणित	:	10 प्रश्न
कुल	:	120 प्रश्न

मुख्य परीक्षा का पाठयक्रम

पत्र–1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान :–

(i) हिन्दी अनुच्छेद पर अधारित प्रश्न – 20 प्रश्न

(ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 60 प्रश्न

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान :–

(i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 20 प्रश्न

(ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 20 प्रश्न

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

पत्र–3 (सामान्य ज्ञान)

(क) सामान्य अध्ययन :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें भारत देश एवं झारखण्ड राज्य के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामायिक विषय–राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाऐं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी महत्वपूर्ण घटनाऐं। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख्य विशेषताऐं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखण्ड राज्य की सामान्य जानकारी।

(ख) सामान्य विज्ञान :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगें, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग)सामान्य गणित :– इस विषय में सामान्यतः अंक गणित से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान– झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाऐं, खेल–खिलाड़ी इत्यादि।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) संचालन नियमावली, 2015 को इस हद तक संशोधित किया जाता है। नियमावली के अन्य नियम एवं शर्त्तें यथावत रहेगें।

उपर्युक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके आलोक में मैट्रिक/10वीं स्तर वाले पदों जिनके लिए आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं, उसमें नये सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करते हुए परीक्षा संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(निधि खरे) 18/4/16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/क0च0आ0–16–07/2013 का0 3200 /राँची, दिनांक– 18-04-2016

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सॉफ्ट प्रति (सी0डी0) में झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(निधि खरे) 18/4/16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/क0च0आ0–16–07/2013 का0 3201 /राँची, दिनांक– 18-04-2016

प्रतिलिपिः– सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(निधि खरे) 18/4/16

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

3199
18-04-2016

:अधिसूचना

राँची, दिनांक–

संख्या–11/क0च0आ0–16–06/2013 का0...../झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम–16, 2008) की धारा–12 की उप धारा–(i) में प्रदत्त शक्ति के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या- 8566 दिनांक–28.09.2015 यथा संशोधित अधिसूचना सं0–1404 दिनांक–16.02.2016 द्वारा गठित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट स्तर) नियमावली, 2015 का गठन किया गया है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा प्रणाली की समीक्षा कर सुझाव देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त, उक्त नियमावली के नियम–15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमावली के नियम–9 एवं 10 को संशोधित कर निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

नियम–9 : प्रारम्भिक परीक्षा– सामान्य ज्ञान से संबंधित इस परीक्षा में निम्नलिखित विषयों से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटों की होगी।

सामान्य अध्ययन	:	30 प्रश्न
झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	:	30 प्रश्न
सामान्य गणित	:	20 प्रश्न
सामान्य विज्ञान	:	20 प्रश्न
मानसिक क्षमता जाँच	:	20 प्रश्न
कुल	:	120 प्रश्न

प्रारम्भिक परीक्षा का पाठयक्रम

पत्र– सामान्य ज्ञान

(क) समान्य अध्ययन :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विषय रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं सम–सामायिक विषय– वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाऐं, पुस्तक, लिपिक, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी महत्वपूर्ण घटनाऐं। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताऐं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। झारखण्ड की राज्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान–खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड

3195
18-04-2016

(ख) सामान्य विज्ञान :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिवेश से संबंधित विषय रहेंगें, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग)सामान्य गणित :– इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगें। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ)मानसिक क्षमता जाँच :– इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं– सादृष्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

नियम–10 : मुख्य परीक्षा–

मुख्य परीक्षा के लिए तीन पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, इसमें निम्न विषय रहेंगे :–

पत्र–1 (भाषा ज्ञान)

हिन्दी भाषा ज्ञान	:	60 प्रश्न
अंग्रेजी भाषा ज्ञान	:	60 प्रश्न
कुल	:	120 प्रश्न

इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अर्हतांक निर्धारित रहेगा। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।

पत्र–2

हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी/मुण्डा/हो/खड़िया/कुडूख(उरांव) /कुरगाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़ीया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

पत्र–3

सामान्य अध्ययन	:	30 प्रश्न
झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	:	40 प्रश्न
सामान्य विज्ञान	:	20 प्रश्न
सामान्य गणित	:	10 प्रश्न
मानसिक क्षमता जांच	:	10 प्रश्न
कम्प्युटर का ज्ञान	:	10 प्रश्न
कुल	:	120 प्रश्न

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट स्तर) संचालन नियमावली, 2015 को इस हद तक संशोधित किया जाता है। नियमावली के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेगें।

उपर्युक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके आलोक में इंटरमीडिएट स्तर वाले पदों जिनके लिए आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं, उसमें नये सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करते हुए परीक्षा संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा।

18.5.16

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/क0च0आ0–16–06/2013 का0 3199 /राँची, दिनांक– 18-05-2016

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सॉफ्ट प्रति (सी0डी0) में झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18.5.16

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/क0च0आ0–16–06/2013 का0 3199 /राँची, दिनांक– 18-05-2016

प्रतिलिपिः– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.5.16

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक– 11/12/2015

संख्या–11/क0च0आ0–16–05/2013 का0 10507 / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2008) की धारा– 12 की उप – धारा (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ :–**
   - (i) यह नियमावली **"झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015"** कही जाएगी।
   - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   - (iii) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ :–** जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्व न हो, इस नियमावली में :–
   - (i) **राज्य सरकार** से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार,
   - (ii) **विभाग** से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,
   - (iii) **संबंधित विभाग** से अभिप्रेत है अधियाचना और नियुक्ति करने वाले विभाग/प्राधिकार,
   - (iv) **आयोग** से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,
   - (v) **अनुसूची** से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची।
   - (vi) **परीक्षा** से अभिप्रेत है आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षाएँ,
   - (vii) **पदों/सेवाओं** से अभिप्रेत है अनुसूची में अंकित पद/सेवा

3. सम्बन्धित विभागों के द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी को संदर्भ तिथि मानते हुए आरक्षण वर्गवार रिक्तियों की अधियाचना विहित प्रपत्र में आयोग को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से फरवरी तक संसूचित की जायेगी। परन्तु वर्ष 2015 की अधियाचना हेतु उपर्युक्त निर्धारित कालक्रम शिथिल रहेगा।

आयोग को अधियाचना के माध्यम से भेजी गयी रिक्तियों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा और विभाग द्वारा अग्रसारित रिक्ति अंतिम मानी जायेगी।

4. **उम्र सीमा :–**

आयोग के द्वारा ली जानेवाली विभिन्न स्नातक स्तर परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु वही रहेगी जो राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग) के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय।

5. पात्रता/अर्हता का निर्धारण :–

(i) अभ्यर्थियों की उम्र की गणना के लिए अधियाचना के वर्ष की पहली अगस्त संदर्भ तिथि होगी।

(ii) अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. आरक्षण :–

राज्य सरकार के अधीन पदों/ सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आरक्षण के विषय पर गठित नियम/अधिनियम एवं परिपत्र लागू होगें।

7 परीक्षाएँ :–

(i) आयोग को प्राप्त अधियाचना के आलोक में स्नातक स्तर की परीक्षाएँ आयोजित की जाएँगी।

(ii) स्नातक स्तर परीक्षा के लिए पदों की सूची अनुसूची (1) पर संलग्न है। इस अनुसूची में निहित पदों/सेवाओं को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) कुछ विशिष्ट पदों के लिए विशिष्ट अर्हतायें है, जिसमें अभिप्रेत होगा कि सम्बन्धित विशिष्ट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी हीं उक्त विनिर्दिष्ट पदों के लिए अर्हता प्राप्त माने जायेगें।

(iv) राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिये चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अर्हत्तांक लागू माने जाएंगे। न्यूनतम अर्हत्तांक से कम अंक पानेवाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

(v) प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा सूची (Common merit list) तैयार की जायेगी। अनारक्षित और आरक्षित अभ्यर्थियों के कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के 15 गुणा अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा।

परन्तु किसी स्तर के परीक्षा के लिये 100 से कम रिक्ति रहने की स्थिति में रिक्त पदों की संख्या के 15 गुणा अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के लिए आयोग अपने विवेक से निर्णय ले सकेगा।

(vi) आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकेगा।

(vii) आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करेगा कि अभ्यर्थी विज्ञापित पदों की नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं जब तक की अभ्यर्थियों की पात्रता का सत्यापन अंतिम रूप से न हो जाय।

(viii) एक से अधिक पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में यथा समय अभ्यर्थियों से पदों/सेवाओं के लिये विकल्प लिया जायेगा और मेधा सह विकल्प के अनुसार चयन सूची गठित होगी।

(ix) आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर मेधा सूची गठित की जायेगी और मेधा क्रम से आरक्षण कोटिवार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अधियाचना के आलोक में संबंधित विभाग को अनुशंसा के साथ सूची भेजी जायेगी।) अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरूद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी अंकित होगा। इस संबंध में राज्य सरकार के अद्यतन निर्देशो/अनुदेशों का पालन किया जायेगा।

(x) मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हे अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक समकक्ष अथवा अन्य अर्हत्ता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् स्नातक समकक्ष एवं अन्य अर्हत्ता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

8. परीक्षा का स्वरूप

(i) सामान्यतः परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी :–

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परंतु किसी परीक्षा के लिए 15,000 (पंद्रह हजार) से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जायेगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा ली जायेगी जिसमें मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल रहेगें।

(ii) सभी परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होगें। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिए जायेगें तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

(iii) परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी।

9. <u>प्रारम्भिक परीक्षा</u>

प्रारम्भिक परीक्षा में एक पत्र 'सामान्य ज्ञान' का होगा

<u>पत्र – सामान्य ज्ञान</u>

(क) सामान्य अध्ययन	–	40 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	–	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	–	20 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जाँच	–	20 प्रश्न
(ङ) कम्प्यूटर का मूल भूत ज्ञान	–	20 प्रश्न
(च) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	–	30 प्रश्न
कुल	–	150 प्रश्न

परीक्षा अवधि – 2 घंटा

प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र – सामान्य ज्ञान

(क) **सामान्य अध्ययन** :– इसमें प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसी कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विषय रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते है। सम–सामायिक विषय– वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना।

झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

(ख) **सामान्य विज्ञान**:– सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेगें, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नही किया हो, अपेक्षित है।

(ग) **सामान्य गणित** :– इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेगें। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं0 कक्षा स्तर के प्रश्न रहेगें।

(घ) **मानसिक क्षमता जाँच** :– इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनो प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते है– सादृष्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृखंला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ०) **कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान** (Fundamental knowledge of Computer) :– इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों, एम. एस. विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम, एम. एस. ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते है।

(च) झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाऐं, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

10. **मुख्य परीक्षा**

मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र में कुल 150 प्रश्न होगें। एक पाली की परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। यह परीक्षा दो पाली में ली जायेगी। इसमें निम्न विषय रहेगें :–

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान	–	75 प्रश्न
(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान	–	75 प्रश्न
कुल	–	150 प्रश्न

परीक्षा अवधि – दो घंटा

पत्र – 2 (सामान्य ज्ञान)

(क) सामान्य अध्ययन	–	40 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	–	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	–	20 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जाँच	–	20 प्रश्न
(ङ०) कम्प्यूटर का ज्ञान	–	20 प्रश्न
(च) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	–	30 प्रश्न
कुल	–	150 प्रश्न

परीक्षा अवधि – 2 घंटा

टिप्पणी – (1) पत्र–1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हत्तांक 40% (चालिस प्रतिशत) होगा। न्यूनतम अर्हत्तांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेगें।

(2) पत्र–2 (सामान्य ज्ञान) की परीक्षा में कोई न्यूनतम अर्हत्तांक नहीं होगा।

(3) पत्र–1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अहत्तांक 40 (चालिस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर पत्र–1 एवं पत्र–2 में प्राप्त अंको को जोड़ कर कुल अंको के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान :–

(i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न	–	25 प्रश्न
(ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न	–	50 प्रश्न

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेगें।

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञानः–

(i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न	–	25 प्रश्न
(ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न	–	50 प्रश्न

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेगें।

पत्र – 2 (सामान्य ज्ञान)

(क) **सामान्य अध्ययन** :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में

विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते है। सम–सामयिक विषय– वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पयावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना।

झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

(ख) **सामान्य विज्ञानः**– सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेगें, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नही किया हो, अपेक्षित है।

(ग) **सामान्य गणित** :– इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेगें। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं० कक्षा स्तर के प्रश्न रहेगें।

(घ) **मानसिक क्षमता जाँच** :– इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनो प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते है– सादृष्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृखंला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ०) **कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान** (Fundamental knowledge of Computer) :– इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों, एम. एस. विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम, एम. एस. ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते है।

(च) झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाऐं, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

11. नियम –7(ii) के प्रावधान के अन्तर्गत गठित अनुसूची में उल्लेखित पदो/सेवाओं से संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया/ परीक्षा संचालन प्रावधानों के इस नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभाषी अथवा प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान **अध्यारोही प्रभाव** (overriding effects) के साथ लागू होंगे।

12. अधियाचना और मेधा सूची तैयार करने में आरक्षण/रोस्टर संबंधी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत नियमों/अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

13. इस नियम को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार किसी परीक्षा विशेष के मानक एवं प्रकिया पर निर्णय लेने के लिए आयोग सक्षम होगा।

14. इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वचन अंतिम होगा।

15. राज्य सरकार आवश्यकतानुसार इस नियमावली के किसी उपबंध अथवा उपबंधों को शिथिल अथवा संशोधित कर सकेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(रतन कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11 / क0च0आ0–16–05 / 2013 का0 10507 / राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची को सॉफ्ट प्रति (सी0डी0) में झारखण्ड ई–गजट के असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11 / क0च0आ0–16–05 / 2013 का0 10507 / राँची, दिनांक– 11/12/2015

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / झारखण्ड लोक सेवा आयोग / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

स्नातक शैक्षणिक योग्यता वाले पदों की अनुसूची –1
(देखें नियम – 7)

क्रं० सं०	विभाग का नाम	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त करना अनिवार्य)
1	2	3	4
1	स्वास्थ्य चि०शि०एवं प०क० विभाग	बी०सी०जी० क्षेत्रीय पदाधिकारी	विज्ञान स्नातक, राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान से प्रशिक्षित
		चिकित्सा संगठनकर्त्ता	विज्ञान स्नातक, राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान से प्रशिक्षित
		निरीक्षक (वैक्टर जनित रोग नियंत्रण)	विज्ञान स्नातक
		1. स्वच्छता निरीक्षक 2. खाद्य निरीक्षक	स्नातक तथा फूड एण्ड न्यूट्रेशन में डिप्लोमा
		स्वास्थ्य प्रशिक्षक	स्नातक या समकक्ष
		साइंटिफिक असिस्टेन्ट	विज्ञान स्नातक/रसायनशास्त्र/माइक्रोबायोलोजी/बायोटेक्नोलोजी
		अचिकित्सा सहायक	स्नातक या समकक्ष
2	खान एवं भूतत्व विभाग	सहायक भूतात्विक विश्लेषक	विज्ञान स्नातक रसायनशास्त्र में (प्रतिष्ठा के साथ)
		विज्ञान सहायक	भू– विज्ञान (प्रतिष्ठा)/रसायनशास्त्र में विज्ञान स्नातक (प्रतिष्ठा)
3	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	श्रम कल्याण पदाधिकारी	स्नातक या समकक्ष
		श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	स्नातक
		कनिय सांख्यिकी सहायक/ सांख्यिकी निरीक्षक/ अनुसंधाता/संगणक	विज्ञान /गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य अथवा सांख्यिकी स्नातक।
		महिला समाज आयोजिका	स्नातक या समकक्ष
		समाज आयोजक	स्नातक या समकक्ष

		कनीय सांख्यिकी सहायक (कनीय नियोजन पदाधिकारी/तकनीकी सहायक/शोध सहायक)	गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य अथवा संख्यिकी मे किसी एक विषय के साथ स्नातक
4	कार्मिक प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग	सहायक	स्नातक या समकक्ष
5	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	अंचल निरीक्षक–सह–कानूनगो	स्नातक या समकक्ष
6	वित्त विभाग	वरीय अंकेक्षक	गणित/वाणिज्य/ सांख्यिकी अथवा अर्थशास्त्र विषय के साथ स्नातक।
7	कल्याण विभाग	प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी	स्नातक या समकक्ष
8	समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	सांख्यिकी सहायक	गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक
		महिला पर्यवेक्षिका	समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या गृह विज्ञान या बाल विकास विषयों के साथ महिला स्नातक
9	मानव संसाधन विकास विभाग	सांख्यिकी पर्यवेक्षक	सांख्यिकी / गणित / अर्थशास्त्र के साथ स्नातक
10	सहकारिता विभाग	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	स्नातक या समकक्ष
		वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी	स्नातक (गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय के साथ)
		कनीय सांख्यिकी सहायक	सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित एवं अर्थशास्त्र से किसी एक विषय के साथ स्नातक
11	जल संसाधन विभाग	शोध सहायक	विज्ञान स्नातक रसायनशास्त्र विषय के साथ
12	उद्योग विभाग	सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष पद	बी0एस0सी0 सिल्क टेक (चार वर्षीय डिग्री कोर्स) (सेरीकल्चर/वीविंग/डाइंग– प्रिंटिंग) की डिग्री अथवा बी0एस0सी0 रेशम/कृषि/वाणिकी/वनस्पति विज्ञान/जंतु विज्ञान के साथ केन्द्रीय रेशम बोर्ड से मलवरी/नन–मलवरी में 15 माह की पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा
		तकनीकी पर्यवेक्षक	बी0एस0सी0 सिल्क टेक0 की डिग्री/ बी0टेक0 (टेक्सटाईल)/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हैण्डलूम टेक्नोलॉजी।

		उद्योग विस्तार पदाधिकारी	बी0सी0ए0 / बी0बी0ए0 / फूड टेक्नोलॉजी / बी0एस0सी0, पर्यावरण / बायोटेक्नोलॉजी, वाणिज्य / अर्थशास्त्र / गणित / सांख्यिकी में स्नातक
13	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पद	कृषि स्नातक
		सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष पद	कृषि स्नातक
		पौधा संरक्षण, निरीक्षक एवं समकक्ष पद	कृषि स्नातक
		अनुमण्डल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष पद	कृषि स्नातक / उद्यान स्नातक / वानिकी स्नातक
		निरीक्षक माप एवं तौल	विज्ञान (भौतिकी), कृषि या अभियंत्रण में स्नातक या अभियंत्रण में डिप्लोमा के साथ तीन वर्षीय व्यवसायिक अनुभव
		सांख्यिकी सहायक एवं सकमक्ष पद	स्नातक (गणित / अर्थशास्त्र / सांख्यिकी / कृषि)
14	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	गव्य तकनिकी पदा0 एवं समकक्ष	डेयरी टेक्नोलॉजी / डेयरी (गव्य) विज्ञान में स्नातक अथवा समकक्ष
		मत्स्य प्रसार पदाधिकारी / कनीय मत्स्य अनुसंधान पदाधिकारी / कनीय व्याख्याता	बी0एससी0 जन्तु विज्ञान के साथ / केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुम्बई से दो वर्षो का डिप्लोमा इन फिसरिज सांइन्स उत्तीर्ण / मत्स्य विज्ञान में स्नातक बी0एफ0एस0सी0 की डिग्री / जंतु विज्ञान (मत्स्यकी) में स्नातकोत्तर
		मत्स्य निरीक्षक	मत्स्य विज्ञान में स्नातक अथवा स्नातक विज्ञान (जन्तु विज्ञान) की डिग्री
		मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक	विज्ञान स्नातक (जन्तु विज्ञान)
		प्रावैधिक निरीक्षक	स्नातक जन्तु विज्ञान
		पशुधन निरीक्षक	स्नातक जन्तु विज्ञान
		सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद	वाणिज्य / सांख्यिकी / गणित / अर्थशास्त्र में स्नातक
15	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	रसायनज्ञ	बी0एससी0 (रसायनशास्त्र एवं जन्तु विज्ञान)

16	योजना एवं विकास विभाग	प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष	स्नातक (गणित / सांख्यिकी / अर्थशास्त्र / वाणिज्य)
17	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी	स्नातक या समकक्ष
		सहायक लेखापाल	B.Com
		निम्न वर्गीय लिपिक	स्नातक
18	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	परीक्षण सहायक	स्नातक विज्ञान
19	कार्मिक, प्र0 सु0 तथा राजभाषा विभाग	निम्नवर्गीय लिपिक झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा	स्नातक
20	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग	फायर स्टेशन आफिसर	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक
		सहायक कारापाल	झारखण्ड राज्य स्थित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक उपाधि

सरकार के सचिव 11/10/15
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 11/12/2015

संख्या–11/क0च0आ0–16–7/2013 का.–1050६/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2008) की धारा– 12 की उप – धारा (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा मैट्रिक/10वीं स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ** :–
   - (i) यह नियमावली **"झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) संचालन नियमावली, 2015"** कही जाएगी।
   - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   - (iii) यह तुरन्त प्रवृत होगी।
2. **परिभाषाएँ** :– जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्व न हो, इस नियमावली में :–
   - (i) **राज्य सरकार** से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार,
   - (ii) **विभाग** से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,
   - (iii) **सम्बन्धित विभाग** से अभिप्रेत है अधियाचना और नियुक्ति करने वाले विभाग/प्राधिकार,
   - (iv) **आयोग** से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,
   - (v) **अनुसूची** से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची।
   - (vi) **परीक्षा** से अभिप्रेत है आयोग द्वारा आयोजित मैट्रिक/10वीं स्तरीय परीक्षाएँ,
   - (vii) **पदों/सेवाओं** से अभिप्रेत है अनुसूची में अंकित पद/सेवा

3. सम्बन्धित विभागों के द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी को संदर्भ तिथि मानते हुए आरक्षण वर्गवार रिक्तियों की अधियाचना विहित प्रपत्र में आयोग को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से 28/29 फरवरी तक संसूचित की जायेगी। उक्त निर्धारित समय–सीमा वर्ष 2015 की अधियाचना के संदर्भ में शिथिल रहेगी। आयोग को अधियाचना के माध्यम से भेजी गयी रिक्तियों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा और विभाग द्वारा अग्रसारित रिक्ति अंतिम मानी जायेगी।

4. उम्र सीमा :–

आयोग के द्वारा ली जाने वाली विभिन्न मैट्रिक/10वीं स्तर की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र वही रहेगी जो राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायगी।

5. पात्रता/अर्हता का निर्धारण :–

(i) अभ्यर्थियों की उम्र की गणना के लिए अधियाचना के वर्ष की पहली अगस्त संदर्भ तिथि होगी।

(ii) अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. आरक्षण :–

राज्य सरकार के अधीन पदों/ सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आरक्षण के विषय पर गठित नियम/अधिनियम एवं परिपत्र लागू होंगे।

7 परीक्षाएँ :–

(i) आयोग को प्राप्त अधियाचना के आलोक में मैट्रिक/10वीं स्तर की परीक्षाएँ आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएँगी।

(ii) मैट्रिक/10वीं स्तर परीक्षा के लिए पदों की सूची अनुसूची (1) पर संलग्न है। इस अनुसूची में निहित पदों/सेवाओं को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) कुछ विशिष्ट पदों के लिए विशिष्ट अर्हताएँ हैं, जिसमें अभिप्रेत होगा कि सम्बन्धित विशिष्ट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी ही उक्त विनिर्दिष्ट पदों के लिए अर्हता प्राप्त माने जायेंगे।

(iv) राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक लागू होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पानेवाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

(v) प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा सूची (Common merit list) तैयार की जायेगी । अनारक्षित और आरक्षित अभ्यर्थियों के कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के 15 गुणा अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा।

(vi) मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हे अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके मैट्रिक समकक्ष अथवा अन्य अर्हत्ता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात मैट्रिक समकक्ष अथवा अन्य अर्हत्ता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

(vii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरूद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी अंकित होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के अद्यतन निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया जायेगा।

(viii) आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता /अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकेगा।

(ix) आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करेगा कि अभ्यर्थी विज्ञापित पदों

के नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता/अर्हता पूरी करते हैं जब तक कि अभ्यर्थियों की पात्रता/अर्हता का सत्यापन अंतिम रूप से न हो जाय।

(x) एक से अधिक पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में यथा समय अभ्यर्थियों से पदों/सेवाओं के लिए विकल्प लिया जायेगा और मेधा–सह–विकल्प के अनुसार चयन सूची गठित होगी।

(xi) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा/(प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों लिए जाने की स्थिति में) मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर मेधा सूची गठित की जायेगी और मेधा क्रम से आरक्षण कोटिवार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अधियाचना के आलोक में सम्बन्धित विभाग को अनुशंसा के साथ सूची भेजी जायेगी।

8. परीक्षा का स्वरूप

(i) सामान्यतः परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी :–

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परंतु किसी परीक्षा के लिए 15,000 (पंद्रह हजार) से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जायेगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा ली जायेगी जिसमें मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल रहेंगे।

(ii) सभी परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

(iii) परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी।

(iv) परीक्षा के लिए प्रश्नों का स्तर सामान्यतः जिस स्तर की परीक्षा होगी, उसी स्तर का होगा।

9. <u>प्रारम्भिक परीक्षा</u>

प्रारम्भिक परीक्षा में एक पत्र 'सामान्य ज्ञान' होगा

पत्र – सामान्य ज्ञान

(क) सामान्य अध्ययन	–	60 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	–	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	–	20 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जाँच	–	10 प्रश्न
(ङ०) कम्प्यूटर का मूल भूत ज्ञान	–	10 प्रश्न
(च) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	–	30 प्रश्न
	कुल –	150 प्रश्न

परीक्षा अवधि – 2 घंटा

प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र – सामान्य ज्ञान

(क) **सामान्य अध्ययन** :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसी कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें भारत देश एवं झारखण्ड राज्य के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामायिक विषय – राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास। झारखण्ड राज्य की सामान्य जानकारी।

(ख) **सामान्य विज्ञान** :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से सम्बन्धित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग) **सामान्य गणित** :– इस विषय में सामान्यतः अंक गणित से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक / 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) **मानसिक क्षमता जाँच** :– इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं – सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ) **कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान** (Basic knowledge of Computer) :– इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(च) झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता–संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, खेल–खिलाड़ी इत्यादि।

10. मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे। यह परीक्षा दो पाली में ली जायेगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे :–

<u>पत्र – 1 (भाषा ज्ञान)</u>

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान	–	100 प्रश्न
(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान	–	50 प्रश्न
	कुल –	150 प्रश्न

परीक्षा अवधि – दो घंटा

<u>पत्र – 2 (सामान्य ज्ञान)</u>

(क) सामान्य अध्ययन	–	60 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	–	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	–	20 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जाँच	–	10 प्रश्न
(ङ०) कम्प्यूटर का ज्ञान	–	10 प्रश्न
(च) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान–		30 प्रश्न
	कुल –	150 प्रश्न

परीक्षा अवधि – 2 घंटा

टिप्पणी – (1) पत्र–1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% (तीस प्रतिशत) होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे।

(2) पत्र–2 (सामान्य ज्ञान) की परीक्षा में कोई न्यूनतम अर्हतांक नहीं होगा।

(3) पत्र–1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30 (तीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर पत्र–1 एवं पत्र–2 में प्राप्त अंकों को जोड़ कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान :–

(i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 25 प्रश्न

(ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 75 प्रश्न

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान :–

(i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 20 प्रश्न

(ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 30 प्रश्न

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

पत्र – 2 (सामान्य ज्ञान)

(क) सामान्य अध्ययन :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसी कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें भारत देश एवं झारखण्ड राज्य के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामायिक विषय – राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक,

लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास। झारखण्ड राज्य की सामान्य जानकारी।

(ख) सामान्य विज्ञान :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से सम्बन्धित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग) सामान्य गणित :– इस विषय में सामान्यतः अंक गणित से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) मानसिक क्षमता जाँच :– इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं – सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूल लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान (Basic knowledge of Computer) :– इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(च) झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता–संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, खेल–खिलाड़ी इत्यादि।

11. नियम –7(ii) के प्रावधान के अन्तर्गत गठित अनुसूची में उल्लेखित पदों/सेवाओं से सम्बन्धित सेवा/संवर्ग नियमावली में नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया/ परीक्षा संचालन प्रावधानों के इस नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभाषी अथवा प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान **अध्यारोही प्रभाव** (overriding effects) के साथ लागू होंगे।

12. अधियाचना और मेधा सूची तैयार करने में आरक्षण/रोस्टर सम्बन्धी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत नियमों/अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

13. इस नियम को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार किसी परीक्षा विशेष के मानक, स्वरूप एवं प्रकिया इत्यादि के विषय पर निर्णय लेने के लिए आयोग सक्षम होगा।

14. इस **नियमावली** के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वचन अंतिम होगा।

15. राज्य सरकार आवश्यकतानुसार इस नियमावली के किसी उपबंध अथवा उपबंधों को शिथिल अथवा संशोधित कर सकेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

11/12/15
(रतन कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11/क0च0आ0–16–7/2013 का0 10506 /राँची,दिनांक– 11/12/2015

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची को सॉफ्ट प्रति (सी0डी0) में झारखण्ड ई–गजट के असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

11/12/15
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11/क0च0आ0–16–06/2013 का0 10506 /राँची,दिनांक– 11/12/2015

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/12/15
सरकार के सचिव।

मैट्रिक (दसवीं कक्षा) शैक्षणिक योग्यता वाले पदों की अनुसूची –1

(नियम – 7)

क्रं० सं०	विभाग का नाम	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त करना अनिवार्य)
1	2	3	4
1	वाणिज्य –कर विभाग	पदचर ग्रेड–3	मैट्रिक एवं साईकिल चालन
2	स्वास्थ्य चि0शि0एवं प0क0 विभाग	1. परिधापक 2. स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता 3. बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	प्रवेशिका उत्तीर्ण एवं परिधापक (एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स)। झारखण्ड राज्य पारामेडिकल काउंसिल से निबंधन।
		बहुद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	10 वीं या माध्यमिक उत्तीर्ण
		मोटर मैकेनिक	मैट्रिक एवं आई0टी0आई0 (फिटर) प्रमाण पत्र
		ए0एन0एम0	मैट्रिक या 10वीं पास, 18 माह का ए0एन0एम0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण तथा झारखण्ड नर्सिंग काउंसिल में निबंधित।
		क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता	मैट्रिक (विज्ञान) या समकक्ष
		लेबोरेट्री/आफिस अटेन्डेन्ट	प्रवेशिकोत्तीर्ण
3	खान एवं भूतत्व विभाग	यांत्रिक	मैट्रिकुलेशन–सह– मशीनिस्ट अथवा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में दो वर्षों का आई0टी0आई0 सर्टिफिकेट
		सेक्शन कटर	मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण एवं स्लाईड निर्माण आदि में सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का कार्य अनुभव
		सर्वेक्षक	मैट्रिकुलेशन एवं सर्वेयर ट्रेड में दो वर्षों का सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट
		प्रारूपक	मैट्रिकुलेशन एवं ड्राफ्ट्समैन (सिविल ट्रेड में दो वर्षों का सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट)
		वैधी सहायक	मैट्रिकुलेशन–सह–फिटर/मशीनिस्ट /टर्नर/ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में से किसी एक ट्रेड में दो वर्षों का आई0टी0आई0 सर्टिफिकेट में उत्तीर्णता या समकक्ष

4	उद्योग विभाग	कीटपालक एवं समकक्ष	मैट्रिक एवं झारखण्ड रेशम तकनीकी विकास संस्थान, चाईबासा से एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन (सेरीकल्चर/वीविंग/डाइंग प्रिंटिंग) उत्तीर्ण अथवा दो वर्षीय 10+2 इंटर व्यावसायिक कोर्स (सेरीकल्चर/टेक्सटाइल्स उत्तीर्ण)
		ब्यॉलर अटेण्डेंट	मैट्रिक एवं आई0टी0आई0 (फीटर) में उत्तीर्ण
		कुशल शिल्पी एवं समकक्ष	मैट्रिक तथा हस्तशिल्प में एक वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स
		सहायक–सह–उत्पादक एवं समकक्ष	मैट्रिक एवं बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों से एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स उत्तीर्ण
5.	ग्रामीण विकास विभाग (मुख्यालय)	मोटर चालक	मैट्रिक तथा वाहन चलाने का वैध लाईसेन्स
		आदेशपाल	मैट्रिक तथा कार्यालय कार्य का अनुभव
		स्वीपर	मैट्रिक
	ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड) हेहल	रसोईया	मैट्रिक तथा खाना बनाने का कार्यानुभव
		चालक	मैट्रिक तथा वाहन चलाने का वैध लाईसेन्स
		अनुसेवक	मैट्रिक तथा कार्यालय कार्य का अनुभव
		मोटर चालक	मैट्रिक तथा वाहन चलाने का वैध लाईसेन्स
		प्रधान माली	मैट्रिक तथा बागवानी का कार्यानुभव
		माली	मैट्रिक तथा बागवानी का कार्यानुभव
		जमादार	मैट्रिक तथा सुरक्षा संबंधी कार्यो का अनुभव
		चौकीदार	मैट्रिक तथा सुरक्षा संबंधी कार्यो का अनुभव
		मैसेन्जर	मैट्रिक तथा कार्यालय कार्य का अनुभव
		चपरासी	मैट्रिक तथा कार्यालय कार्य का अनुभव
		स्वीपर	मैट्रिक
6.	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	आदेशपाल/अनुसेवक/चपरासी	मैट्रिक एवं साईकिल चलाने का ज्ञान
		रसोईया	मैट्रिक एवं भोजन बनाने (तैयार) तथा परोसने का ज्ञान
		झारदार	मैट्रिक एवं श्रमसाध्य कार्य में सक्षम
		हेल्पर	मैट्रिक एवं श्रमसाध्य कार्य में सक्षम
		रात्रि प्रहरी/दरवान	मैट्रिक एवं शारीरिक रूप से सक्षम। (होमगार्ड) प्रशिक्षित को प्राथमिकता।
7.	सूचना एवं जन संपर्क विभाग	इकाई लिपिक	मैट्रिक तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण एवं कम्प्यूटर ज्ञान
		भंडारपाल	मैट्रिक तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण

सचिव,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या **859** राँची, मंगलवार

17 अग्रहायण, 1937 (श०)

8 दिसम्बर, 2015 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

12 नवम्बर, 2015

संख्या-एल०जी०-25/2015-**138**—लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक **30** अक्टूबर, **2015** को अनुमति दे चुके है इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन (अधिनियम, 2015

(झारखंड अधिनियम, 19 , 2015)

प्रस्तावनाः-

चूंकि राज्य के अन्तर्गत स्थानीय निकायों, राज्य के लोक उपक्रमों, राज्य के विश्वविद्यालयों के अधीन पदों एवं सभी वर्दीधारी पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने की शक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नहीं रहने के कारण इन पदों पर नियुक्ति करना संभव नहीं हो पा रहा है । इनमें कई पदों पर राज्य हित में शीघ्र नियुक्ति करने की आवश्यकता है, और इसके लिए कर्मचारी

चयन आयोग को शक्ति प्रदान करने हेतु संगत आधिनियम में कतिपय संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

अतः भारत गणराज्य के 66वें वर्ष में झारखंड विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. (क) संक्षिप्त नाम एवं विस्तार और प्रारम्भ :-

(I) यह अधिनियम "झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम – 2015 कहलाएगा ।"

(II) यह तुरंत प्रवृत होगा ।

2. झारखंड लोक कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम-2008 (यथा संशोधित) की धारा 5 (i) एवं इसके परंतुक संशोधित करते हुए प्रतिस्थापन :-

"5 (i) आयोग राज्य सरकार के अधीन वर्ग-'ग' के सभी पदों एवं वर्ग 'ख' के अराजपत्रित सभी सामान्य/प्रावैधिक/अप्रावैधिक सेवाओं/संवर्गों के पदों, स्थानीय निकायों, राज्य के लोक उपक्रम, राज्य के विश्वविद्यालय के अधीन पदों एवं सभी वर्दीधारी पदों (युनिफार्म सेवा नियुक्ति पर्षद के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ किये जाने तक), जिन पर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सीधी नियुक्ति का प्रावधान हो, एवं जिसका चयन झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं होता है, पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा"।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
बी० बी० मंगलमूर्ति,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 859—50 ।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

संख्या- ..... / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2008) की धारा- 12 की उप - धारा (1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटरमीडिएट / 10+2 स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ :-

(i) यह नियमावली "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट / 10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015" कही जाएगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :- जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस नियमावली में

(i) राज्य सरकार से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार,

(ii) विभाग से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

(iii) सम्बन्धित विभाग से अभिप्रेत है अधियाचना और नियुक्ति करने वाले विभाग / प्राधिकार,

(iv) आयोग से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,

(v) अनुसूची से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची।

(vi) परीक्षा से अभिप्रेत है आयोग द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट / 10+2 स्तर की परीक्षा।

(vii) पदों / सेवाओं से अभिप्रेत है अनुसूची में अंकित पद / सेवा

3. सम्बन्धित विभागों के द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी को संदर्भ तिथि मानते हुए आरक्षण वर्गवार रिक्तियों की अधियाचना निर्धारित प्रपत्र में आयोग को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से फरवरी तक संसूचित की जायेगी। परन्तु वर्ष 2014 की अधियाचना हेतु उपर्युक्त निर्धारित कालक्रम शिथिल रहेगा। आयोग को अधियाचना के माध्यम से भेजी गयी रिक्तियों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा और विभाग द्वारा अग्रसारित रिक्ति अंतिम मानी जायेगी।

4. उम्र सीमा :–

(i) आयोग के द्वारा ली जाने वाली विभिन्न इंटरमीडिएट/10+2 स्तर की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र वही रहेगी जो राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय।

(ii) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित उम्र सीमा में छूट का लाभ सिर्फ झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही अनुमान्य होगा।

5. पात्रता/अर्हता का निर्धारण :–

(i) अभ्यर्थियों की उम्र की गणना के लिए अधियाचना के वर्ष की पहली अगस्त संदर्भ तिथि होगी।

(ii) अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक संबंधित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. आरक्षण :

(i) राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए वर्गवार में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषित आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान यथावत होंगे।

(ii) झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को छोड़कर अन्य सभी अभ्यर्थी सामान्य/अनारक्षित श्रेणी में माने जायेंगे।

7 परीक्षाएँ :

(i) आयोग को प्राप्त अधियाचना के आलोक में इंटरमीडिएट/10+2 स्तर की परीक्षाएं आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेंगी।

(ii) इन्टरमीडिएट / 10+2 स्तर परीक्षा के लिए पदों की सूची अनुसूची (1) पर संलग्न है। इस अनुसूची में लिखित पदों/सेवाओं को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) कुछ विशिष्ट पदों के लिए विशिष्ट अर्हताएँ हैं, जिसमें अभिप्रेत होगा कि सम्बन्धित विशिष्ट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी ही उक्त विनिर्दिष्ट पदों के लिए अर्हता प्राप्त मान जायेंगे।

(iv) राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिये चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक लागू होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

(v) प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर सामान्य मेधा सूची (Common merit list) तैयार की जायेगी और आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के 15 (पन्द्रह) गुणा अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिये किया जायेगा।

(vi) मेधा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान (Equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें वरीयतानुसार ऊपर स्थान दिया जायेगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान होती है, तो ऐसी स्थिति में एक-एक नाम की अंग्रेजी वर्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसका निर्धारण के लिये आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा, अर्थात् समान जन्म तिथि एवं प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों में से जिनके नाम का प्रारम्भिक अक्षर अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार पहले आयेगा, उन्हें मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

(vii) अनारक्षित पद के लिये तैयार की सूची में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के उस की स्थिति में उस अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमन्य

पदों के विरूद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी अंकित होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के अद्यतन निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया जायेगा।

(viii) आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता /अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकेगा।

(ix) आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करेगा कि अभ्यर्थी विज्ञापित पदों के नियुक्ति के लिये चयन हेतु निर्धारित पात्रता/अर्हता पूरी करते हैं जब तक कि अभ्यर्थियों की पात्रता/अर्हता का सत्यापन अंतिम रूप से न हो जाय।

(x) एक से अधिक पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिये चयन हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की स्थिति में यथा समय अभ्यर्थियों से पदों/सेवाओं के लिये विकल्प लिया जायेगा और मेधा-सह-विकल्प के अनुसार चयन सूची गठित होगी।

(xi) आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर मेधा सूची गठित की जायेगी और मेधा क्रम से आरक्षण कोटिवार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अधिसूचना के आलोक में सम्बन्धित विभाग को अनुशंसा के साथ सूची भेजी जायेगी।

8. परीक्षा का स्वरूप

(i) सामान्यतः परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परंतु किसी स्तर की परीक्षा में 15,000 (पंद्रह हजार) से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जायेगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा ली जायेगी जिसमें प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल रहेंगे। सिर्फ एक परीक्षा लेने की स्थिति में भी भाषा का ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 40 (चालीस) प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे। इस विषय पर आयोग अपने विवेक से अंतिम निर्णय ले सकेगा।

(ii) सभी परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

(iii) परीक्षा की भाषा हिन्दी / अंग्रेजी होगी।

(iv) परीक्षा के लिए प्रश्न का स्तर स्नातकता तिरा स्तर की परीक्षा होगी, उसी स्तर का होगा।

9. प्रारम्भिक परीक्षा

प्रारम्भिक परीक्षा में एक पत्र 'सामान्य ज्ञान' होगा

पत्र – सामान्य ज्ञान

(क) सामान्य अध्ययन	–	40 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	–	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	–	20 प्रश्न
(घ) सामाजिक समस्या और		20 प्रश्न
(ङ) [illegible] का मूल भूत ज्ञान	–	20 प्रश्न
कुल		120 प्रश्न

परीक्षा अवधि 2 घण्टा

प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र – सामान्य ज्ञान

(क) सामान्य अध्ययन :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के मुख्य वैज्ञानिक तथा उनसे जुड़ी सैद्धान्तिक दृष्टिकोण और मामलों की जानकारी जहाँ कि उनसे सामान्य प्रयोग के विषय की जाती है। इसमें आस्वाण्ड, भारत और पड़ोसी देश के सम्बन्ध में विशेष रूप से तथा सम्बन्ध प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस सामग्री के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय समाचार पुस्तक, लिपि एवं कहानी, मुख्य खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण खबरें। भारत का ऐतिहास संस्कृति भूगोल पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य आन्दोलन, भारतीय संघ तथा राज्यों के राजधानी की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास,

पंचवर्षीय योजना। झारखण्ड की सम्यक: संस्कृति, भाषा, स्थान, खान–खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएँ, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

(ख) **सामान्य विज्ञान** :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिवेश से सम्बन्धित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग) **सामान्य गणित** : इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्रारंभिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक / 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) **मानसिक क्षमता जाँच** :– इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं – सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या शृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ) **कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान** (Basic knowledge of Computer) :– इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

10 मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे। यह परीक्षा दो पाली में ली जायेगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे :

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान) (पहली पाली)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान	80 प्रश्न
(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान	40 प्रश्न
कुल	120 प्रश्न
परीक्षा अवधि	02 घंटा

पत्र – 2 (सामान्य ज्ञान) (दूसरी पाली)

(क) सामान्य अध्ययन	40 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	20 प्रश्न

(ध) मानसिक क्षमता जाँच	–	20 प्रश्न
(ड०) कम्प्यूटर का ज्ञान	–	20 प्रश्न
कुल		120 प्रश्न

परीक्षा अवधि – 2 घंटा

टिप्पणी – (1) पत्र–1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 40% (चालीस प्रतिशत) होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु अस्फल (अयोग्य) माने जायेंगे।

(2) पत्र 2 (सामान्य ज्ञान) की परीक्षा में कोई न्यूनतम अर्हतांक नहीं होगा।

(3) पत्र 1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 40 (चालीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर पत्र 1 एवं पत्र–2 में प्राप्त अंकों को जोड़ कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान –

(i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न	20 प्रश्न
(ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न	40 प्रश्न

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान –

(i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न	20 प्रश्न
(ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न	40 प्रश्न

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

पत्र 2 (सामान्य ज्ञान)

(क) सामान्य अध्ययन – इस पत्र का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के पर्यावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में व्यक्ति अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी सोचने की शक्ति करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं

के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसी कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामयिक विषय – वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। झारखण्ड की सम्यक संस्कृति, भाषा, स्थान, खान–खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएँ, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

(ख) **सामान्य विज्ञान** :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से सम्बन्धित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया है, अपेक्षित है।

(ग) **सामान्य गणित** :– इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) **मानसिक क्षमता जाँच** :– इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं – सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट भाषा इत्यादि।

(ङ) **कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान** (Basic knowledge of Computer) :– इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

11 नियम 7(ii) के प्रावधान के अन्तर्गत मुख्य अनुसूची में अवलोकित पदों/सेवाओं से सम्बन्धित सेवा/सेवा नियमावली में नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया/परीक्षा

संगठन पर लागू हो इस नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभासी अथवा प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान अध्यारोही प्रभाव (overriding effects) के साथ लागू होंगे।

12. अधियाचना और सेवा सूची तैयार करने में आरक्षण/रोस्टर सम्बन्धी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों/अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

13. इस नियम को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार किसी परीक्षा विशेष के मानक, स्वरूप एवं प्रक्रिया इत्यादि के विषय पर निर्णय लेने के लिए आयोग सक्षम होगा।

14. इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

15. राज्य सरकार आवश्यकतानुसार इस नियमावली के किसी उपबंध अथवा उपबंधों को शिथिल अथवा संशोधित कर सकेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(रतन कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-11/क0का03आ0-16/06/2013 का0 ..... /राँची,दिनांक-

प्रतिलिपि, मुख्य पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची को सॉफ्ट प्रति (सी0डी0) में झारखण्ड ई-गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-11/क0का03आ0-16/06/2013 का0 ..... /राँची,दिनांक-

प्रतिलिपि- सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

इंटरमीडिएट / 10+2 शैक्षणिक योग्यता वाले पदों की अनुसूची – 1

(नियम – 7)

क्र० सं०	विभाग का नाम	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त करना अनिवार्य)
1	2	3	4
1	पर्यटन विभाग	स्नागतक	इंटरमीडिएट / 10+2 एवं कम्प्यूटर की सामान्य योग्यता।
2	स्वास्थ्य, चि०शि० एवं प०क० विभाग	बी०सी०जी० वक्षनाशक	इन्टरमीडिएट विज्ञान, राज्य क्षय रोग प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षित।
		स्वास्थ्य परिदर्शक	इंटरमीडिएट विज्ञान, राज्य क्षय रोग प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षित।
		स्टाफ नर्स ग्रेड-ए	10+2 या आई०एस०सी० (पी०सी०बी०) के साथ तथा 3 वर्ष 6 माह का जी०एन०एम० (जेनरल नर्सिंग मिडवाईफरी) प्रशिक्षण उत्तीर्ण एवं झारखण्ड नर्सिंग काउंसिल में निबंधित।
		रोगणक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / इंडरमीडिएट काउंसिल या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंडरमीडिएट (विज्ञान) कला उत्तीर्ण, 2 कम्प्यूटर चलाने के सम्बन्ध में व्यावहारिक ज्ञान वांछनीय योग्यता होगी।
		तकनीकी स्वास्थ्य कर्मचारी	10+2 विज्ञान या समकक्ष
		कीट संग्राहकी	10+2 विज्ञान या समकक्ष
		लेबोरेटरी असिस्टेंट	स्नातक शास्त्र के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष / कम्प्यूटर का ज्ञान।
3	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	सहायक परिचालक (एम०वी०आई०)	मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से कला, विज्ञान या वाणिज्य में इंटरमीडिएट स्टाफ नर्सिंग ग्रेड ए का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य।

4	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	अमीन	इंटरमीडिएट / 10+2 तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सर्वेयर का प्रमाण पत्र
		राजस्व कर्मचारी	इंटरमीडिएट / 10+2
5	पंचायती राज, ए०आर०ई०पी० (विशेष प्रभंडल) विभाग	पंचायत सचिव	इंटरमीडिएट / 10+2 एवं कम्प्यूटर संचालन योग्यता।
6	वन एवं पर्यावरण विभाग	वनरक्षी	इंटरमीडिएट / 10+2 एवं शारीरिक जाँच
7	उख संरक्षण विभाग	औद्योगिक प्रशिक्षक	इंटरमीडिएट / 10+2
8	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	गणक	गणित / अर्थशास्त्र में किसी एक विषय में 10+2 / इंटरमीडिएट
		प्रयोगशाला सहायक	इंटरमीडिएट (जीव विज्ञान के साथ)
		पशुधन सहायक	इंटरमीडिएट (जीव विज्ञान के साथ)
		प्रशैक्षिक सहायक	इंटरमीडिएट (जीव विज्ञान के साथ)
9	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	इलाई विडियो एवं सम्पादक पद	इंटरमीडिएट / 10+2 उत्तीर्ण तथा हिन्दी टाईपिंग में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम गति।
10	संस्कृत एवं विकास विभाग	कम्प्यूटर सहायक अन्वेषक	इंटरमीडिएट (गणित के साथ)

सचिव,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
अधिसूचना

संख्या–...../झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2008) की धारा– 12 की उप – धारा (i) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा डिप्लोमा स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ** :–

(i) यह नियमावली **"झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015"** कही जाएगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ** :– जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस नियमावली में :–

(i) **राज्य सरकार** से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार,

(ii) **विभाग** से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

(iii) **सम्बन्धित विभाग** से अभिप्रेत है अधियाचना और नियुक्ति करने वाले विभाग/प्राधिकार,

(iv) **आयोग** से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,

(v) **अनुसूची** से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची।

(vi) **परीक्षा** से अभिप्रेत है आयोग द्वारा आयोजित डिप्लोमा स्तरीय परीक्षाएँ,

(vii) **पदों/सेवाओं** से अभिप्रेत है अनुसूची में अंकित पद/सेवा

3. सम्बन्धित विभागों के द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी को संदर्भ तिथि मानते हुए आरक्षण वर्गवार रिक्तियों की अधियाचना विहित प्रपत्र में आयोग को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से फरवरी तक संसूचित की जायेगी। परन्तु वर्ष 2015 की अधियाचना हेतु उपर्युक्त निर्धारित कालक्रम शिथिल रहेगा। आयोग को अधियाचना के माध्यम से भेजी गयी रिक्तियों में कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा और विभाग द्वारा अग्रसारित रिक्ति अंतिम मानी जायेगी।

4. उम्र सीमा :-

(i) आयोग के द्वारा ली जाने वाली विभिन्न डिप्लोमा स्तरीय परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र वही रहेगी जो राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) के द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय।

(ii) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उम्र सीमा में छूट का लाभ सिर्फ झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही अनुमान्य होगा।

5. पात्रता/अर्हता का निर्धारण :-

(i) अभ्यर्थियों की उम्र की गणना के लिए अधियाचना के वर्ष की पहली अगस्त संदर्भ तिथि होगी।

(ii) अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन पत्र जमा होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता अर्थात सम्बन्धित विषय में डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. आरक्षण :-

(i) राज्य सरकार के अधीन पदों/ सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गठित आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान यथावत होंगे।

(ii) झारखण्ड राज्य के आरक्षित वर्ग के स्थानीय निवासी को ही आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा। अन्य सभी अभ्यर्थी सामान्य/अनारक्षित श्रेणी में माने जायेंगे।

7 परीक्षाएँ :

(i) आयोग को प्राप्त अधियाचना के आलोक में **डिप्लोमा** स्तर की परीक्षाएँ आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएँगी।

(ii) **डिप्लोमा** स्तर परीक्षा के लिए पदों की सूची अनुसूची (1) एवं अनुसूची (2) पर संलग्न है। इस अनुसूची में निर्दिष्ट पदों/सेवाओं को राज्य

सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) कुछ विशिष्ट पदों के लिए विशिष्ट अर्हताएँ हैं, जिसमें अभिप्रेत होगा कि सम्बन्धित विशिष्ट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी ही उक्त विनिर्दिष्ट पदों के लिए अर्हता प्राप्त माने जायेंगे।

(iv) राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिये चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक लागू होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पानेवाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

(v) प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा सूची (Common merit list) तैयार की जायेगी और आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के 15 (पन्द्रह) गुणा अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जायेगा।

परन्तु किसी स्तर के परीक्षा के लिए 15 (पन्द्रह) गुणा से कम अभ्यर्थियों के रहने की स्थिति में सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जायेगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ मुख्य परीक्षा आयोजित करने पर आयोग अपने विवेक से निर्णय ले सकेगा।

(vi) मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों का प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम की अंग्रेजी वर्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिये आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा, अर्थात समान जन्म तिथि एवं प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों में से जिनके नाम का प्रारम्भिक अक्षर

अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार पहले आयेगा, उन्हें मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

(vii) अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरूद्ध की जायेगी परन्तु इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के अद्यतन निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया जायेगा।

(viii) आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता /अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जॉच कर सकेगा।

(ix) आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः ओपबंधिक होगी। परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करेगा कि अभ्यर्थी विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिये चयन हेतु निर्धारित पात्रता/अर्हता पूरी करते हैं जब तक कि अभ्यर्थियों की पात्रता/अर्हता का सत्यापन अंतिम रूप से न हो जाय।

(x) एक से अधिक पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिये चयन हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में यथा समय अभ्यर्थियों से पदों/सेवाओं के लिये विकल्प लिया जायेगा और मेधा–सह–विकल्प के अनुसार चयन सूची गठित होगी।

(xi) आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर मेधा सूची गठित की जायेगी और मेधा क्रम से आरक्षण कोटिवार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अधियाचना के आलोक में सम्बन्धित विभाग को अनुशंसा के साथ सूची भेजी जायेगी।

8. परीक्षा का स्वरूप

(i) सामान्यतः परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी :

(अ) प्रारम्भिक परीक्षा

(ब) मुख्य परीक्षा

परन्तु किसी स्तर की परीक्षा में कुल रिक्ति 15 गुणा से कम आवेदन होने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जायेगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ

एक परीक्षा ली जायेगी जिसमें प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल रहेंगे। न्यूनतम अर्हताक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे। इस विषय पर आयोग अपने विवेक से अंतिम निर्णय ले सकेगा।

(ii) सभी परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

(iii) परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी।

(iv) परीक्षा के लिए प्रश्नों का स्तर सामान्यतः जिस स्तर की परीक्षा होगी, उसी स्तर का होगा।

9. प्रारम्भिक परीक्षा

प्रारम्भिक परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे। यह परीक्षा दो पाली में ली जायेगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे:-

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान) (पहली पाली)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान	–	60 प्रश्न
(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान	–	60 प्रश्न
कुल–		120 प्रश्न

परीक्षा अवधि – दो घंटा

पत्र – 2 (सामान्य ज्ञान) (दूसरी पाली)

(क) सामान्य अध्ययन		40 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	–	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	–	20 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जाँच	–	20 प्रश्न
(ङ०) कम्प्यूटर का मूल भूत ज्ञान	–	20 प्रश्न
कुल	–	120 प्रश्न

परीक्षा अवधि – 2 घंटा

टिप्पणी (1) पत्र 1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हताक 30% (तीस प्रतिशत) होगा। न्यूनतम अर्हताक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे।

(2) पत्र 2(सामान्य ज्ञान) की परीक्षा में कोई न्यूनतम अर्हताक नहीं होगा।

(3) पत्र–1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30 (तीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर पत्र–1 एवं पत्र–2 में प्राप्त अंकों को जोड कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा।

परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान :–

(i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 20 प्रश्न

(ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 40 प्रश्न

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान :–

(i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 20 प्रश्न

(ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 40 प्रश्न

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

पत्र– 2 (सामान्य ज्ञान)

(क) सामान्य अध्ययन :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी समझ की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसी कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम सामयिक विषय – वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। झारखण्ड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान–खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य,

विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

(ख) **सामान्य विज्ञान** :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से सम्बन्धित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग) **सामान्य गणित** :– इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) **मानसिक क्षमता जाँच** :– इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं – सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ) **कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान** (Basic knowledge of Computer) :– इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

10. मुख्य परीक्षा (अनुसूची 1 के पदो के लिए)

इस परीक्षा में दो पत्र होंगें।

पत्र– 1

सामान्य अभियांत्रिकी — 120 प्रश्न

परीक्षा अवधि– 2 घंटा

पत्र 2

विषय : अभियांत्रिकी — 120 प्रश्न

परीक्षा अवधि – 2 घंटा

पद/सेवा के लिए परीक्षा के विषय

क्रम सं0	पद/सेवा का नाम	परीक्षा के विषय
1	कनीय अभियंता सिविल	सिविल अभियंत्रण
2	कनीय अभियंता यांत्रिकी	यांत्रिकी अभियंत्रण
3	कनीय अभियंता विद्युत	विद्युत अभियंत्रण

4	कनीय अभियंता (कृषि अभियंत्रण)	कृषि अभियंत्रण
5	मोटरयान निरीक्षक	यांत्रिकी अभियंत्रण अथवा ऑटो मोबाईल अभियंत्रण
6	खान निरीक्षक	खनन अभियंत्रण

प्रश्न का स्तर डिप्लोमा स्तर होगा।

टिप्पणी :–

1. जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा नियमावली में परीक्षा से संबंधित विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित है, वही पाठ्यक्रम लागू होगा।
2. जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा नियमावली में परीक्षा के विषय का पाठक्रम निर्धारित नहीं है उन विषय/विषयों की परीक्षा का पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा (अनुसूची 2 के पदों के लिए)

इस परीक्षा में पद/सेवा वार एक पत्र होगा। प्रश्नों की कुल संख्या 180 होगी तथा परीक्षा अवधि 3 घंटा की होगी।

पद/सेवा के लिए परीक्षा के विषय

क्रम सं0	पद/सेवा का नाम	परीक्षा के विषय
1	लेबोरेट्री असिस्टेन्ट/लेबोरेट्री अटैन्डेंट/फार्मासिस्ट	फार्मेसी
2	एक्स–रे तकनिशियन	एक्स–रे प्राविधिकी
3	आप्थेल्मिक सहायक	आप्थेल्मिक
4	प्रयोगशाला तकनिशियन	प्रयोगशाला प्राविधिकी

टिप्पणी :–

(1) जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा/संवर्ग नियमावली में परीक्षा से संबंधित विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित है, वही पाठ्यक्रम लागू होगा।

(2) जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा नियमावली के परीक्षा के विषय का पाठक्रम निर्धारित नहीं है, उन विषयों की परीक्षा का पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा।

11. नियम 7(ii) के प्रावधान के अन्तर्गत गठित अनुसूची में उल्लेखित पदों/सेवाओं से सम्बन्धित सेवा/संवर्ग नियमावली में नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया/परीक्षा योजना प्रावधानों के उन नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभासी अथवा

प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान **अध्यारोही प्रभाव** (overriding effects) के साथ लागू होंगे।

12. अधियाचना और मेधा सूची तैयार करने में आरक्षण/रोस्टर सम्बन्धी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों/अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

13. इस नियम को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार किसी परीक्षा विशेष के मानक, स्वरूप एवं प्रक्रिया इत्यादि के विषय पर निर्णय लेने के लिए आयोग सक्षम होगा।

14. इस **नियमावली** के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वचन अंतिम होगा।

15. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति :–

यदि इस नियम के प्रावधानों को लागू करने में तथा इसके उद्देश्य की प्रतिपूर्ति में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसा आदेश निर्गत कर सकेगी, जो इस नियम के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं होगा तथा जो उत्पन्न अथवा उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के निवारणार्थ आवश्यक हो। ऐसे आदेश को राज्य सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित कराया जायेगा।

16. राज्य सरकार आवश्यकतानुसार इस नियमावली के किसी उपबंध अथवा उपबंधों को शिथिल अथवा संशोधित कर सकेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(रतन कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–11/क0व0आ0–16–08/2013 क0......./राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची को सॉफ्ट प्रति (सी0डी0) में झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 11/क0व0आ0–16–08/2013 क0...../राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

डिप्लोमा योग्यता वाले पदों की अनुसूची –1

(नियम – 7)

क्र0सं0	विभाग का नाम	पद/सेवा का नाम
1	लोक निर्माण विभाग [झारखण्ड अवर अभियंत्रण संवर्ग (कनीय अभियंता, सिविल/विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली 2013 के पद]	(i) कनीय अभियंता (सिविल) (ii) कनीय अभियंता (यांत्रिकी) (iii) कनीय अभियंता (विद्युत)
2	कृषि एवं भन्ना विकास विभाग	कनीय अभियंता (कृषि अभियंत्रण)
3	परिवहन विभाग	मोटरयान निरीक्षक
4	खान एवं भूतत्व विभाग	खान निरीक्षक

डिप्लोमा योग्याता वाले पदों की अनुसूची–2

(नियम–7)

क्र0सं0	विभाग का नाम	पद/सेवा का नाम
1	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	(i) लेबोरेट्री असिस्टेन्ट (ii) लेबोरेट्री अटैन्डेंट (iii) फार्मासिस्ट (iv) एक्स–रे तकनीशियन (v) आप्थेल्मिक सहायक (vi) प्रयोगशाला तकनीशियन

सचिव,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

–अधिसूचना–

रॉची, दिनांक– अगस्त,2015

सं0–11 / क0च0आ0–16–11 / 2013 का0...../ झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008 (झारखण्ड अधिनियम–16, 2008) एवं कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 (झारखण्ड अधिनियम सं0–3, 2011) तथा कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम,19, 2011) की धारा 12 (i) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के लिए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ–(1) यह नियमावली झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रभावी होगी ।

2. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग नियमावली 2011 के नियम 6 के पश्चात् नियम 6(i)के रूप में निम्नांकित वाक्यांश अंतःस्थापित किया जाता है :–

नियम–6 (i)–अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर सेवानिवृत पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में पूर्व में धारित पद से सेवानिवृत्ति की तिथि को उन्हें अनुमान्य उपार्जित अवकाश की सुविधा आयोग में अध्यक्ष / सदस्य के रूप में नियुक्ति के पश्चात् भी देय होगी किन्तु इसके नगदीकरण का दावा अनुमान्य नहीं होगा ।

नियमावली के शेष नियम यथावत रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–11 / क0च0आ0–16–11 / 2013 का0 ..... / रॉची, दिनांक– अगस्त, 2015

प्रतिलिपि– कोर्डल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

::अधिसूचना::

दिनांक– 21/4/2012

संख्याः–6/क0च0आ0–02/2010 का0– 3841 /झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम–16, 2008) एवं कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 (झारखण्ड अधिनियम सं0 3, 2011) तथा कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 19, 2011) की धारा 12(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के लिये निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**–(1) यह नियमावली झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) नियमावली, 2012 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2011 के निम्नांकित नियमों के बदले निम्नांकित वाक्यांश प्रतिस्थापित किये जाते हैं :–

नियम–10(ii) परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों का चयन एवं मुद्रण, उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण, प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं का हाथालन (पैकेजिंग, परिवहन, भंडारण सहित), उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन (हथालन, उत्तर कुंजी तैयार करना, पैकेजिंग, परिवहन, भंडारण सहित) तथा परीक्षा फल तैयार करने से सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्यों के सम्पादन में होनेवाले/हुए सभी व्यय के सम्बन्ध में झारखण्ड वित्तीय नियमावली भाग–2 परिशिष्ट 5 की मद संख्या–39 में अधिकथित प्रक्रिया लागू होगी।

नियम–10(iii) आयोग अभ्यर्थियों से प्राप्त शुल्क और विविध प्राप्तियों की राशि को बैंक में खाता खोलकर रखेगा। अभ्यर्थियों से प्राप्त शुल्क की राशि बाह्य स्रोत से नियुक्ति करने वाली एजेन्सी को देय राशि के भुगतान के उपरान्त शेष राशि को तुरंत और किसी भी स्थिति में माह के अन्त तक राजकोष में प्राप्ति शीर्ष (मुख्य शीर्ष–0051–लोक सेवा आयोग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क, उप शीर्ष–01 परीक्षा शुल्क, विस्तृत शीर्ष–01 प्राप्तियाँ, 01 प्राप्तियाँ) के अधीन जमा किया

जायेगा। प्रत्येक वर्ष ऐसे शुल्क के रूप में प्राप्त राजस्व का व्योरा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजा जायेगा।

नियम–11 **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की छुट्टी** – झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के सदस्यों तथा कार्यरत कर्मियों की छुट्टी अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की जायेगी। अध्यक्ष की छुट्टी मुख्य सचिव के द्वारा स्वीकृत की जायेगी। अध्यक्ष की छुट्टी या अन्यथा अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के प्रशासनिक कार्यों का प्रभार धारण करेंगे।

आयोग में सदस्यों की वरीयता उनके योगदान के तिथि क्रमानुसार निर्धारित होगी।

नियम–12(i) आयोग के कार्य संचालन हेतु अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का अधिकृत पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किया जाय। अधिकृत स्वीकृत पद बल के विरूद्ध अनुसचिवीय पदाधिकारी और कर्मचारी आयोग के द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

नियम–12(ii) आयोग के अनुसचिवीय पदाधिकारी और कर्मचारियों के वेतनमान, भर्त्ती और प्रोन्नति सम्बन्धी नियम तथा सेवा की अन्य शर्त्तें वही होंगी, जो झारखण्ड सचिवालय में समकक्ष पदों के लिये विहित है।

नियम–12(iii) झारखण्ड अवर–सेवा (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1935 (झारखण्ड सबार्डिनेट सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स–1935) के नियम–2 में विहित दंड देने वाला प्राधिकारी आयोग का अध्यक्ष होगा और अपीलीय प्राधिकारी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग होगा।

नियम–12 (iv) सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत पद बल के अतिरिक्त विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार परीक्षा प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन के लिये आयोग विज्ञापन के आधार पर बाह्य व्यक्तियों की सेवा विनिर्दिष्ट अवधि के लिये (संविदा) कॉन्ट्रैक्ट पर ले सकेगा और परीक्षा प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद आयोग उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर देगा । ऐसे रखे गये व्यक्तियों की संख्या एवं उन्हें भुगतेय राशि की दर पर आयोग राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेगा।

नियमावली के शेष नियम यथावत् रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

04.2012

(सुमन कुमार)
सरकार के उप सचिव।

D:\amit\Sec-7\J S S.Cdiwakar.doc

ज्ञापांक–6 / स्था0क0च0आ0–02 / 2010 का0–3841 / रांची, दिनांक 21/4/2012

अधिसूचना संख्या– , दिनांक– का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड–राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

30.04.2012

सरकार के उप सचिव।

Government of Jharkhand
Deptt. of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha

::Notification::

3841 **Ranchi, Dated** 21/4/2012

No. 6/stha. K. CH. AA.- 02 /2010-ka- / In exercise of the powers conferred under section 12(i) of the Jharkhand Staff Selection Commission Act., 2008 (Jharkhand Act 16, 2008), and the Jharkhand Staff Selection Commission (Amendment) Act., 2010 (Jharkhand Act. - 3, 2011) and the Jharkhand Staff Selection Commission (Amendment) Act -2011 (Jharkhand Act, 19, 2011), the Governor of Jharkhand has been pleased to make the following rules for the Jharkhand Staff Selection Commission :-

1. **Short title, extent and Commencement** -

(1) These rules shall be called as "The Jharkhand Staff Selection Commission (Amendment) Rules, 2012".

(2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(3) It shall come into force forthwith.

2. The following paragraphs are being substituted in place of following Rules of the "The Jharkhand Staff Selection Commission Rules, 2011" :-

Rule–10(ii) Procedure as prescribed in item No.-39 of the Appendix-5 of Jharkhand Financial Rules Part-2 will be applicable in all expenditure or purported to have been spent in execution of work related to setting and printing of question papers for examination, printing of answer booklets, handling of question papers and answer booklets (including packaging, transportation, storage), evaluation of answer sheet (including handling,

answer key preparation, packaging, transportation, storage) and preparation of result.

Rule–10(iii) The Commission shall deposit the amount received from the applicantas fees and miscellaneous receipts by opening an account in a bank. The balance amount received as fees after making payment payable to the agencies for making appointment as outsource be deposited immediately and under any circumstances within a month to the State exchequer in receipt head (Major Head-0051 Public Service Commission, Sub Major Head-00, Minor Head - 105 State PSC Examination Fees, Sub Head- 01 Examination Fees, Detailed Head-01, 01 Receipts) The details of the revenue received as fees shall be sent to the Deptt. of Personnel, Administrative Reforsms & Rajbhasha every year.

Rule–11 Leave to the Members and working staff of the Jharkhand Staff Selection Commission shall be sanctioned by the Chairman. Leave to the Chairman shall be sanctioned by the Chief Secretary. The senior most Member shall hold the charge of administrative works in case the Chairman is on leave or otherwise absent.

Seniority of Members in the Commission shall be determined according to their dateof joining.

Rule–12(i) Authorised strength of posts of Sub-ordinate Officers and staff for the conduct of the business of the Commission shall be the same which may be sanctioned by the Government time to time. Ministerial officers and staff shall be appointed by the Commission against the authorised sanctioned strength.

Rule–12(ii) The Rules related to the pay scales, appointments and promotion of the Ministerial Officers and Staff of the Commission and other conditions of services shall be the same as applicable to the equivalent posts in Jharkhand Secretariat.

Rule–12(iii) The Chairman of the Commission shall be the authority to impose relevant penalty under rule-2 of the Jharkhand Sub-ordinate Services (Discipline and Appeal) Rules - 1935 and the appellate authority will be the Department of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha.

Rule–12(iv) In addition to the strength of posts sanctioned by the Government from time to time, the Commission may engage the services of external persons on contract for a definite period by advertisement for the smooth functioning of examination schedule under special circumstances, and the services of such persons shall be terminated as soon as the examination schedule is over. The Commission shall obtain prior approval of the State Government on the number of such persons and the rate and amount payable to them.

Schedule-2(9) Preparation of panel for the constitution of Interview Boards.

(11) Fixation of necessary procedures and institutions for conduction of examination.

(13) Fixation of the dates of examination and centers of examinations and the venue of evaluation Centers.

Schedule-3(3) Allocation of business amongst the members.

Rest Rules of the Rule will remain as before.

By order of the Governor of Jharkhand,

20.04.2012

(Suman Kumar)
Deputy Secretary to Govt.

ज्ञापांक–6/स्था0क0च0आ0–02/2010 का०–384/रांची, दिनांक– 21/4/2012

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ मुद्रित कर कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

20.04.2012

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–6/स्था0क0च0आ0–02/2010 का०–384/रांची, दिनांक– 21/4/2012

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.04.2012

सरकार के उप सचिव।



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आश्विन, 1933 शकाब्द

संख्या 687

राँची, मंगलवार 11 अक्टूबर, 2011

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2011

संख्या एल०जी०–09/2008–169/लेज०–झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

[झारखण्ड अधिनियम, 19, 2011]

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2011

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम–16, 2008) एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 (झारखण्ड अधिनियम–3, 2011) में संशोधन के लिए अधिनियम ।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम–16, 2008) एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 (झारखण्ड अधिनियम–3, 2011) में संशोधन के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल (सभा) द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**

(i) यह अधिनियम झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएँ** :– जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में –

(क) "कैलेण्डर वर्ष" से अभिप्रेत है किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी से इकतीस दिसम्बर तक की अवधि।

(ख) "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2011

3. **झारखण्ड अधिनियम 16, 2008 एवं झारखण्ड अधिनियम–3, 2011 की धारा–3 की उपधारा – (क) एवं (ख) का प्रतिस्थापन** :– अधिनियम की धारा–3 की उपधारा– (क) एवं (ख) के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी यथा :

<u>आयोग का गठन</u>

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग का गठन निम्नलिखित रूप में किया जायेगा :–

(क) अध्यक्ष – राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय सेवा/सेना के सुपर टाईम स्केल से अन्यून पंक्ति के कार्यरत् अथवा सेवानिवृत्त एक पदाधिकारी।

सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति की स्थिति में उनकी पेंशन राशि घटाकर अंतिम वेतन देय होगा।

(ख) सदस्य -- राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रूपये पे. बैंड--प 37400--67000/-- ग्रेड पे--8700 (अथवा समय--समय पर यथा पुनरीक्षित समरूप वेतनमान) से अन्यून वेतनमान के कार्यरत् अथवा सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा/सेना/ झारखण्ड प्रशासनिक सेवा/राभी समकक्ष सरकारी सेवा/शैक्षणिक क्षेत्र के दो पदाधिकारी।

सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति की स्थिति में उनकी पेंशन राशि घटाकर अंतिम वेतन देय होगा।

अध्यक्ष अथवा सदस्य के पद पर सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति की तिथि को उन्हें अनुमान्य आवासन, चिकित्सीय तथा यात्रा सम्बन्धी अन्य सुविधाएँ आदि उन्हें नियुक्ति के पश्चात् पूर्ववत प्राप्त होंगी।

4. झारखण्ड अधिनियम 16, 2008 एवं झारखण्ड अधिनियम--3, 2011 की धारा--4 (i) का प्रतिस्थापन।

अधिनियम की धारा 4 (i) के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी

<u>आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल</u>

(i) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद ग्रहण की तिथि से सामान्यतः पांच वर्ष की अवधि तक कार्य करेंगे। किन्तु यदि सेवारत पदाधिकारी को नियुक्त किया जाता है, तो उनका कार्यकाल अगले आदेश तक होगा। यदि इसी बीच सेवानिवृत्ति की तिथि आती है तो उनका कार्यकाल सेवानिवृत्ति के साथ स्वतः समाप्त हो जायेगा। तथापि राज्य सरकार द्वारा उन्हें पुनः इन पदों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

यदि सेवानिवृत्त पदाधिकारी को नियुक्त किया जाता है, तो वे अधिकतम पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र, जो पहले हो, तक कार्यरत रह सकेंगे।

5. झारखण्ड अधिनियम 16, 2008 एवं झारखण्ड अधिनियम--3, 2011 की धारा--5 का प्रतिस्थापन।

अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी

सेवा/संवर्ग/पद, जिनकी नियुक्ति हेतु आयोग अनुशंसा करेगा –

(i) आयोग राज्य सरकार के अधीन वर्ग 'ग' के सभी पदों एवं वर्ग 'ख' के अराजपत्रित सभी सामान्य/ प्रावैधिक/ अप्रावैधिक सेवाओं/ संवर्गों के पदों, जिनपर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सीधी नियुक्ति का प्रावधान हो, एवं जिनका चयन झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं होता है, पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा।

परन्तु इन वर्गों के जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर नियुक्ति होने वाले पद एवं पुलिस, अग्निशमन एवं गृह रक्षा के वर्दीधारी पद राज्य कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर रहेंगे।

उपबद्ध उपर्युक्त कुछ भी अन्तर्विष्ट होने के बावजूद राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी सेवा/संवर्ग/पद, की नियुक्ति हेतु अनुशंसा का कार्य आयोग से हटाकर किसी अन्य प्राधिकार को सौंप सकती है अथवा वैसी किसी सेवा/संवर्ग/पद की नियुक्ति हेतु अनुशंसा का कार्य आयोग को सौंप सकती है जिसपर नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से अनुशंसा होने की संवैधानिक बाध्यता नहीं है।

6. **झारखण्ड अधिनियम 16, 2008 एवं झारखण्ड अधिनियम–3, 2011 की धारा–9 का प्रतिस्थापन :– धारा 9 को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा :–**

(i) प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के मामले में आयोग के अध्यक्ष राज्य सरकार में विभाग की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(ii) आयोग को यह अधिकार होगा कि परीक्षाओं का संचालन स्वयं अथवा वाह्य स्त्रोत से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से करा सकेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पंकज श्रीवास्तव,

सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड ।

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2011

संख्या एल०जी०–09/2008–170/लेज०–झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को अनुमत झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2011 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

[Jharkhand Act, 19, 2011]

THE JHARKHAND STAFF SELECTION COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 2011

AN

ACT

To amend the Jharkhand Staff Selection Commission Act, 2008 (Jharkhand Act-16, 2008) and the Jharkhand Staff Selection Commission (Amendment) Act, 2010 (Jharkhand Act 3, 2011)

Be it enacted in the Jharkhand State Legislature (Assembly) in the 62nd year of Republic of India in following manners :-

1. Short title, extent and commencement:-

(i) This Act may be called the Jharkhand Staff Selection Commission (Amendment) Act -2011.

(ii) It shall extend to the whole of the Jharkhand State.

(iii) It shall come into force forthwith.

2. Definitions

Unless the context otherwise requires, in this Act :-

(a) "Calendar Year" refers to the period between 1st January to 31st December of a calendar year.

(b) "Act" refers to "the Jharkhand Staff Selection Commission (Amendment) Act, 2011

3. Substitution of sub-section (a) and (b) of Section-3 of the Jharkhand Act-16, 2008 and Jharkhand Act 3, 2011:- In place of sub-section (a) and (b) of Section-3 of the Act the following Sub-Section shall be substituted :

The Jharkhand Staff Selection Commission shall be constituted as follows :-

(a) Chairman - An officer in service or retired, not below the rank held in Super Time Scale of All India Services/Army, appointed by the State Government.

In case of appointment of a retired officer, he will be entitled to receive the last pay drawn subtracting the pension amount.

(b) Member - Two officers in service or retired not below in the pay scale of Rs. 37400-67000/-, Grade Pay Rs. 8700/- (or similar pay scale revised from time to time) appointed by the State Government of All India Services/Army/Jharkhand Administrative Service/All equivalent Government Service/from Academic field.

He will be entitled to draw his last pay drawn subtracting pension in case a retired officer is appointed.

In case of appointment of a retired officer as Chairman or Member, he will be entitled to housing, medical and travelling related such other facilities, as were admissible to him on the date of his superannuation.

4. Substitution of Section-4 (i) of Jharkhand Act-16, 2008 and Jharkhand Act 3, 2011:- The following section shall be substituted in place of Section-4(i) of Jharkhand Act-16, 2008 as -

TENURE OF CHAIRMAN & MEMBERS-

(i) The Chairman and Members of the Commission shall hold their office normally for a period of five years from

the date of assuming the post, but in case an officer in service is appointed, the tenure shall be till further orders. His tenure shall be terminated automatically with his retirement if the date of retirement falls during tenure.

In case a retired officer is appointed, he may hold his office for a maximum period of five year or till the age of 65, whichever is earlier.

5. Substitution of Section-5 of Jharkhand Act-16, 2008 and Jharkhand Act 3, 2011:- The following section shall be substituted in place of Section-5 of the Act.

(i) The Commission may recommend for appointment to all the posts of Group C and Non-gazetted General/Technical/Non-Technical Service/Cadres of the State Government in Group B where there is provision of direct appointment partially or in full, and selection on which is not done by Jharkhand Public Service Commission.

Provided that, district or field level posts of these services/cadres and uniformed posts of Police, Fire services and Home Guards shall remain excluded from the purview of State Staff Selection Commission.

(ii) Notwithstanding anything mentioned above, the State Government is empowered to withdraw the power of recommendation for appointment for designated services/cadres/posts from the Commission and assign to any other authority or assign to the Commission the power of recommendation for appointment for any service/cadre/post for which recommendation of Jharkhand Public Service Commission is not constitutionally mandatory.

6. Substitution of Section-9 of Jharkhand Act-16, 2008 and Jharkhand Act 3, 2011:- Section 9 shall be substituted as follows :-

Delegation of Powers

(i) The Chairman of the Commission will enjoy the powers of a Department in Government, so far as Administrative and financial powers are concerned.

(ii) The Commission will be empowered to hold examinations by itself or by outsourcing the same in full or in part to any external agency.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पंकज श्रीवास्तव,

सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 687––150+600 ।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

::अधिसूचना::

दिनांक- 10/8/2011

संख्या- 6 / क0च0आ0–02 / 2010 का0 4677 / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम–16, 2008) एवं कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 (झारखण्ड अधिनियम सं0 3, 2011) तथा कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2011 की धारा 12(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के लिये निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**–(1) यह नियमावली झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2011 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रभावी होगा ।

2. **परिभाषाएँ** – इस नियमावली में, जबतक कोई बात विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हो –

(क) " राज्य सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड की राज्य सरकार ;

(ख) "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 (झारखण्ड अधिनियम सं0 3, 2011) एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2011

(ग) "आयोग" से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम–16, 2008) एवं कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 (झारखण्ड अधिनियम सं0 3, 2011) तथा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2011 के द्वारा गठित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग और आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों से गठित होगी;

परन्तु किसी सदस्य की छुट्टी या अन्यथा अनुपस्थिति की अवस्था में, अध्यक्ष एवं एक सदस्य को मिलाकर आयोग गठित समझा जायेगा;

(घ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष;

(ङ) "सदस्य" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य;

(च) "सेवा एवं संवर्ग" से अभिप्रेत है कोई सेवा या कोई संवर्ग जिसमें नियुक्ति हेतु अधिनियम की धारा 5 के अधीन आयोग की अनुशंसा अपेक्षित हो ;

(छ) "पद" से अभिप्रेत है कोई पद जिस पर नियुक्ति हेतु अधिनियम की धारा–5 के अधीन आयोग की अनुशंसा अपेक्षित हो;

(ज) "सचिव" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का सचिव और इसमें वह पदाधिकारी भी शामिल है जो सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्यो का निष्पादन करने हेतु अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाय ।

3 <u>आयोग के कार्य एवं अधिकार</u>

(i) आयोग राज्य सरकार के अधीन वर्ग 'ग' के सभी पदों एवं वर्ग 'ख' के अराजपत्रित सभी सामान्य / प्रावैधिक / अप्रावैधिक सेवाओं / संवर्गों के पदों, क्षेत्रीय एवं ज़िला स्तर पर भरे जाने वाले पदों तथा वर्दी धारी सेवाओं यथा–पुलिस, अग्निशमन एवं होमगार्ड को छोड़कर, जिनपर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सीधी नियुक्ति का प्रावधान हो, एवं जिनका चयन झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं होता है, पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा।

राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी पद, जिन पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने की संवैधानिक बाध्यता नहीं है, उनमें से किसी सेवा की नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा का कार्य आयोग से हटाकर किसी अन्य प्राधिकार को सौंप सकती है अथवा वैसी किसी सेवा की नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा का कार्य आयोग को सौंप सकेगी।

(ii) आयोग की अनुशंसा, अनुशंसा की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगी ;

परन्तु आयोग को अपनी अनुशंसा को अगले एक वर्ष के लिए पुनः विधिमान्य करने की शक्ति होगी ।

(iii) आयोग विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा संचालन करने की पूरी प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगी तथा आयोग परीक्षाओं का संचालन स्वयं अथवा वाह्यस्त्रोत के माध्यम से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से करा सकेगा।

12. आयोग के पदाधिकारी / कर्मचारी --

(i) आयोग के कार्य संचालन हेतु अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किया जाय । स्वीकृत पद बल के विरूद्ध अथवा आवश्यकतानुसार अनुसचिवीय पदाधिकारी और निचले सेवक, अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, सचिव द्वारा नियुक्त किए जायेंगे।

(ii) आयोग के अनुसचिवीय पदाधिकारी और निचले कर्मचारीवृन्द के वेतनमान, भरती और प्रोन्नति के नियम तथा सेवा की अन्य शर्त्तें वही होंगी, जो झारखण्ड सचिवालय में अनुसारी पदों के लिये विहित है।

(iii) झारखण्ड अवर–सेवा (अनुशासन और अपील) नियमावली (झारखण्ड सबार्डिनेट सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स) के नियम–2 में विहित दण्ड देने वाला प्राधिकारी सचिव होगा और अपीलीय प्राधिकारी अध्यक्ष होगा।

(iv) सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत पद बल के अतिरिक्त विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार परीक्षा प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन के लिये आयोग विज्ञापन के आधार पर बाह्य व्यक्तियों की सेवा विनिर्दिष्ट अवधि के लिये कन्ट्रैक्ट पर ले सकेगा और परीक्षा प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद उनकी सेवा आयोग तुरंत समाप्त कर देगा । ऐसे रखे गये व्यक्तियों की संख्या एवं उन्हें भुगतेय राशि की दर पर आयोग राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेगा ।

13. (i) आयोग की स्थापना पर होनेवाले वार्षिक व्यय का वहन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अपने बजट शीर्ष के अधीन अपेक्षित निधि का उपबंध कर किया जायगा ।

(ii) आयोग प्रत्येक वर्ष का बजट प्राक्कलन तैयार करेगा और कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजेगा ताकि विभाग के बजट के अधीन उसको सम्मिलित किया जा सकें ।

14. आयोग के नियंत्री पदाधिकारी व्यय पर नियंत्रण करेंगे तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 471 से 483 के अधीन प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निष्पादन करेंगे । लेखा का संधारण एवं उनका अंकेक्षण राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जायेगा । इससे संबद्ध सुसंगत जानकारी तथा प्रतिवेदन आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को समय–समय पर उपलब्ध कराया जायगा ।

4. **आयोग के कार्यों का संव्यवहार** – इस नियमावली की अनुसूची 2 एवं अनुसूची 3 में यथानिर्दिष्ट कार्यों का संव्यवहार क्रमशः आयोग एवं आयोग के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

5. <u>आयोग का गठन</u>

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग का गठन निम्नलिखित रूप में किया जायेगा :–

(क) अध्यक्ष – राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय सेवा/सेना के सुपर टाईम स्केल से अन्यून पंक्ति के कार्यरत् अथवा सेवानिवृत्त एक पदाधिकारी।

(ख) सदस्य – राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रूपये 37400–67000/– ग्रेड पे–8700 (अथवा समय–समय पर यथा पुनरीक्षित समरूप वेतनमान) से अन्यून वेतनमान के कार्यरत् अथवा सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा/सेना/ झारखण्ड प्रशासनिक सेवा/सभी समकक्ष सरकारी सेवा/शैक्षणिक क्षेत्र के दो पदाधिकारी।

6. **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को भुगतेय वेतन भत्ते एवं देय सुविधाएँ** – अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर सेवारत पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में वे कालमान वेतन, अनुमान्य भत्ते एवं अन्य अनुमान्य सुविधाएँ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

उपर्युक्त पदों पर सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में उनकी पेंशन की राशि घटाकर उन्हें प्राप्त अन्तिम वेतन के बराबर वेतन भुगतेय होंगे।

अध्यक्ष एवं सदस्य के पदों पर सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति की तिथि को उन्हें अनुमान्य आवासन, चिकित्सीय तथा यात्रा सम्बन्धी अन्य सुविधाएँ आदि उन्हें नियुक्ति के पश्चात् पूर्ववत प्राप्त होगी।

7. **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल**– आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पदग्रहण की तिथि से सामान्यतः पाँच वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र, जो पहले हो, तक कार्यरत रह सकेंगे।

किन्तु यदि सेवारत पदाधिकारी को नियुक्त किया जाता है, तो उनका कार्यकाल अगले आदेश तक होगा। यदि इसी बीच सेवानिवृत्ति की तिथि आती है तो उनका कार्यकाल सेवानिवृत्ति के साथ स्वतः समाप्त हो जायेगा। तथापि राज्य सरकार द्वारा उन्हें पुनः इन पदों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

8. **आयोग के सदस्यों के कार्य एवं जिम्मेवारी** – आयोग के सदस्य अध्यक्ष द्वारा उन्हें आवंटित कार्यों का संपादन करेंगे।

9. **आयोग की बैठकों की कार्यवाहियां –**

(i) आयोग के सभी निर्णयों का अभिलेखन बैठक में ही सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा किया जायगा । यदि कोई सदस्य किसी निर्णय से भिन्न मत प्रकट करे तो उसे कार्यवाही में अभिलिखित किया जायगा । मतभिन्नता की दशा में बहुमत द्वारा निर्णय लिया जायगा

(ii) बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि आयोग की अगली बैठक में की जायेगी ।

(iii) आयोग के निर्णयों का संसूचन सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से किया जायेगा ।

(iv) आयोग की कार्यवाहियां गोपनीय होंगी और उन्हें आयोग की अनुमति के बिना संसूचित / प्रकट नहीं की जायेगी।

10. **वित्तीय शक्तियाँ –**

(i) प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के मामले में आयोग के अध्यक्ष राज्य सरकार में विभाग की शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

(ii) प्रश्नपत्रों की छपाई एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर होनेवाले / हुए व्यय के सम्बन्ध में झारखण्ड वित्तीय नियमावली भाग–2 परिशिष्ट 5 की मद संख्या 39 में अधिकथित प्रक्रिया लागू होगी ।

(iii) आयोग राज्य सरकार से प्राप्त राशि अभ्यर्थियों से प्राप्त शुल्क और विविध रसीदों द्वारा प्राप्त राशि को बैंक में खाता खोलकर रखेगा। अभ्यर्थियों से प्राप्त शुल्क की राशि वाह्य स्रोत से नियुक्ति करने वाले एजेन्सी को देय राशि के भुगतान के उपरान्त शेष राशि को तुरंत और किसी भी स्थिति में माह के अन्त तक राजकोष में प्राप्ति शीर्ष "0051 लोक सेवा आयोग–104–कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा शुल्क" के अधीन जमा की जायेगी। प्रत्येक वर्ष ऐसे शुल्क के रूप में प्राप्त राजस्व का ब्योरा वार्षिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजा जायेगा।

11. **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की छुट्टी ।–** झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के सदस्यों तथा कार्यरत कर्मियों की छुट्टी विभागाध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की जायेगी । अध्यक्ष की छुट्टी मुख्य सचिव के द्वारा स्वीकृत की जायेगी । यदि अध्यक्ष की छुट्टी या अन्यथा अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के प्रशासनिक कार्यो का प्रभार धारण करेगा ।

अनुसूची–1
सेवा/संवर्ग/पद का ब्योरा
(नियम–3 देखें)

आयोग राज्य सरकार के अधीन वर्ग 'ग' के सभी पदों एवं वर्ग 'ख' के अराजपत्रित सभी सामान्य/प्राविधिक/अप्राविधिक सेवाओं/संवर्गों के पदों, क्षेत्रीय एवं जिला स्तर पर भरे जाने वाले पदों तथा वर्दी धारी सेवाओं यथा–पुलिस, अग्निशमन एवं होमगार्ड को छोड़कर, जिनपर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सीधी नियुक्ति का प्रावधान हो, एवं जिनका चयन झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं होता है, पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा।

राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी पद, जिन पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने की संवैधानिक बाध्यता नहीं है, उनमें से किसी सेवा की नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा का कार्य आयोग से हटाकर किसी अन्य प्राधिकार को सौंप सकती है अथवा वैसी किसी सेवा की नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा का कार्य आयोग को सौंप सकेगी।

अनुसूची–2

आयोग द्वारा संव्यवहार किये जाने वाले कार्य :–

(1) आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन ।
(2) अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन निर्मित नियमावली के अधीन परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम ।
(3) कोई मामला जिसमें नयी नीति के हेतु प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजना हो ।
(4) कोई मामला जिसमें वर्त्तमान नीति को संशोधित/पुनरीक्षित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजना हो ।
(5) कोई मामला जिसमें पद एवं सेवाओं में भर्त्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा संचालित करने हेतु विनियमावली बनाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की आवश्यकता हो ।
(6) आयोग के कार्यो के निष्पादन हेतु कार्य संचालन विनियमावली का प्रारूप सरकार के अनुमोदन हेतु भेजना ।
(7) आयोग के दायरे से हटाने एवं आयोग के कार्यो के विस्तार का प्रस्ताव तैयार कर सरकार के अनुमोदन हेतु भेजना ।

(9) परीक्षा पद्धति के अनुसंधान से संबंधित विषय ।
(10) साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा पर्षद् के गठन हेतु पैनल का निर्माण ।
(11) परामर्शियों/विशेषज्ञों के चयन हेतु पैनल का गठन एवं बोर्ड की संरचना ।
(12) परीक्षा संचालन हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं एवं संस्थाओं का निर्धारण ।
(13) अन्तर्वीक्षा की तिथियों का निर्धारण ।
(14) परीक्षा की तिथियों/परीक्षाओं एवं मूल्यांकन स्थानों का निर्धारण ।
(15) अधिवक्ताओं के पैनल का गठन ।
(16) भर्ती के लिये अधिसूचना और विज्ञापन और समाचार–पत्रों का चयन करना जिनमें विज्ञापन प्रकाशित किये जाने वाले हों ।
(17) परीक्षा तथा अन्तर्वीक्षा के परिणामों (परीक्षाफल) का अनुमोदन ।
(18) पद्धति विकास और डाटा प्रोसेसिंग एवं इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग शाखा सम्बन्धी तकनीकी पहलू वाले अन्य कार्य ।
(19) उम्मीदवारों के आवेदन पर उत्तर पुस्तिका के पुनर्समीक्षा का निर्णय ।
(20) कोई अन्य मामला जिसे विचार एवं निर्णय के लिये अध्यक्ष आयोग के समक्ष रखना चाहे ।
(21) कोई अन्य मामला जो इन नियमावली से आच्छादित न हो, उस पर प्रस्ताव तैयार कर सरकार के अनुमोदन हेतु भेजना हो ।

अनुसूची–3

अध्यक्ष द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य :–

(1) आयोग का सामान्य प्रशासन ।
(2) आयोग की बैठक आहूत करने सहित आयोग के कार्य का समन्वय।
(3) आयोग के सदस्यों को आयोग के कार्यों के आवंटन ।
(4) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किसी सदस्य को कोई संचिका परीक्षण के लिये पृष्ठांकित करना ।
(5) आवश्यकतानुसार या जनहित में यदि अध्यक्ष उचित समझे तो किसी विशेष मामले या कार्य को निष्पादनार्थ आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा ।
(6) आयोग द्वारा तैयार पैनल से बोर्ड का गठन एवं साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा तिथियों का निर्धारण ।
(7) आयोग द्वारा स्वीकृत पैनल से वकीलों को कार्य पर रखने की शक्ति ।
(8) आयोग द्वारा समय–समय पर कार्यहित में सौपें गए कार्य ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

10.8.2011

(सुमन कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 6 / स्था0क0च0आ0–02 / 2010 का0 4677 / रांची, दिनांक 10/8/2011

अधिसूचना संख्या– 4677 दिनांक– 10/8/2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड–राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुमन कुमार)
सरकार के उप सचिव।

Government of Jharkhand
Deptt. of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha

::Notification::

Ranchi, Dated 10/8/2011

No. 6/stha. K. CH. AA.- 02 /2010-ka 4677 / In exercise of the powers conferred under section 12(1) of the Jharkhand Staff Selection Commission Act., 2008 (Jharkhand Act 16, 2008), and the Jharkhand Staff Selection Commission (Amendment) Act., 2010 (Jharkhand Act. - 3, 2011) and the Jharkhand Staff Selection Commission (Amendment) Ordinance -2011, the Governor of Jharkhand has been pleased to make the following rules for the Jharkhand Staff Selection Commission :-

1. **Short title, extent and Commencement** -
   (1) These rules shall be called as "The Jharkhand Staff Selection Commission Rules, 2011".
   (2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
   (3) It shall come into force forthwith.

2. **Definitions** - In these Rules unless there is anything repugnant in the subject or the context :
   (a) "State Government" means the Government of Jharkhand State.
   (b) "Act" means the Jharkhand Staff Selection Commission Act. 2008 (Jharkhand Act 16, 2008), and the Jharkhand Staff Selection Commission (Amendment) Act., 2010 (Jharkhand Act. - 3, 2011) and the Jharkhand Staff Selection Commission (Amendment) Ordinance - 2011.
   (c) "Commission" means the Jharkhand Staff Selection Commission constituted in persunce with the Jharkhand Staff Selection Commission Act. 2008 (Jharkhand Act 16, 2008), and the Jharkhand Staff Selection Commission (Amendment) Act., 2010 (Jharkhand Act.-3, 2011) and the

Jharkhand Staff Selection Commission (Amendment) Ordinance - 2011 and it includes the Chairman and its other Members.

Provided that in absence of one or more Members, the Commission shall deemed to have been constituted with the Chairman and one of the Members.

(d) "Chairman" means 'the Chairman' of the Jharkhand Staff Selection Commission appointed by the State Government under section-3 of the Act.

(e) "Member" means a member of the Jharkhand Staff Selection Commission appointed by the State Government under Section-3 of the Act.

(f) "Service and Cadre" means a service or a cadre in which, the recommendation of the Commission is required under section 5 of the Act for appointment.

(g) "Post" means any post to which for appointment, the recommendation of the Commission is required under section 5 of the Act.

(h) "Secretary" means the Secretary of the Commission appointed by the State Government including the officer authorised by the Chairman to perform the duties of the Secretary, in the absence of the Secretary.

3. **Power and functions of the Commission -**

(i) The Commission may recommend for appointment to all the posts of Group C and Non-gazetted General/Technical/Non-Technical Services/Cadres of the State Government in Group B where there is provision of direct appointment partially or in full, or selection on which is not done by Jharkhand Public Service Commission except district or field level posts of these services/cadres and uniformed posts like Police, Fire and Home Guards.

The State Government is empowered to withdraw the power of recommendation for appointment for designated services/cadres/posts from the Commission and assign to any other authority or assign to the Commission the power of recommendation for appointment for any service/cadre/post for which recommendation of Jharkhand Public Service Commission is not mandatory.

(ii) The recommendations of the Commission shall be valid for a period of one year with effect from the date of recommendation.

Provided that the Commission shall have the powers to revalidate its recommendation for next one year.

(iii) The Commission may determine the process of conducting examinations for appointment to different posts and it will be able to conduct examinations wholly or partially from by itself or by means of external source.

4. **Transaction of Business of the Commission** - The transaction of business incorporated in the schedule 2 and schedule 3 of the Rule shall be exercised by the Commission and the Chairman of the Commission respectively.

5. **Constitution of the Commission** - The constitution of Jharkhand Staff Selection Commission shall be as follows :-

(a) Chairman - An officer in service or retired, not below the rank held in Super Time Scale of All India Services/Army, appointed by the State Government.

(b) Member - Two officers in service or retired not below in the pay scale of Rs. 37400-67000/-, Grade Pay Rs. 8700/- (or similar pay scale revised from time to time) appointed by the State Government of All India Services/Army/Jharkhand Administrative Service/All equivalent Government Service/from Academic field.

6. **Salary Allowances and Admissible facilities to the Chairman and Member of the Commission** – In case of appointment to the post of the Chairman and Member in active service they will be entitled to receive their time scale pay, admissible allowances and other admissible facilities of their post held.

In case a retired officer is appointed, he will be entitled to draw a pay equal to last pay drawn minus the amount of pension received by him.

In case a retired officer is appointed as Chairman and Member, he will be entitled to avail the facilities of housing, medical and other facilities with regard to travelling etc. as usual as admissible to him on the date of retirement.

7. **Tenure of Chairman & members of the Commission** – The Chairman & Members shall hold their office normally for a term of five years from the date of assuming their post or till 65 years of age, whichever is earlier.

If an officer in service is appointed his tenure shall be till further orders. In case he retires during his tenure, the tenure shall lapse automatically with his retirement. However, he may be reappointed to these posts by the State Government.

If a retired officer is appointed then he will hold his office for a maximum period of five years or till the age of 65 years, whichever is earlier.

8. **Functions and Responsibility of the Members of the Commission** - The Members of the Commission shall execute the business allocated to them by the Chairman of the Commission.

9. **Proceeding of the Meetings of the Commission** -

(i) All decisions of the Commission shall be recorded in the meeting itself by the Secretary or any other officer authorised by the Chairman. If any member has a dissent view from any decision, it shall be recorded in the proceeding. In case of difference of opinion the decision shall be taken by majority.

(ii) The proceeding of the meeting shall be confirmed in the next meeting of the Commission.

(iii) The decisions of the Commission shall be communicated through a letter signed by the Secretary or by an officer authorised by the Chairman.

(iv) The proceedings of the Commission will be confidential and those will not be communicated without the permission of the Commission.

10. **Financial Powers.**-

(i) The Chairman of the Commission will enjoy the powers of a Department in Government, so far as Administrative and financial powers are concerned.

(ii) Procedure laid down in Item 39 of Annexure 5 of the Jharkhand Financial Rules Part-II shall be applicable in the matters related to printing of question papers and evaluation of answer sheets.

(iii) The Commission shall keep the amount received from Government and the amounts received by miscellaneous receipts in a bank opening an account. There shall be a separate bank account for the fees received from the candidates and the balance amount after payment made payable to the external agencies for recruitment shall be deposited in the treasury under receipt Head "2051'' Public Service Commission, 103 staff selection Commission examination fee" immediately in any case by the end of the month. The detail of the revenue received as fee shall be sent to the Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha every year.

11. **Leave to the Chairman and Members of the Commission** -- The procedure for sanction of leave to the Chairman and the Member of the Commission shall be the same as applicable to the officers of the equivalent rank. In the absence of the Chairman on account of leave or otherwise Senior most members shall held the charge of the administrative works of the Chairman.

12. **Officers and Staff of the Commission** --

(i). Strength of post of the subordinate officers and staff for conduct of the business of the Commission shall be the same which may be sanctioned by the Government form time to time. The officers and staff shall be made available or deputed against the sanctioned strength of post or as

per need by the Department of Personnel' Administrative Reforms and Rajbhasha.

(ii) The conditions of service of the officers and staff of the Commission shall be the same which are applicable to the Government servants. The rules, resolutions, orders regarding disciplinary action as applicable to the Government servants of equivalent rank shall be applicable to the officers and staff of the Commission.

(iii) The Commission may engage on contract the services of persons for specified period for smooth conduct of the examination in addition to the post sanctioned by the Government on the basis of advertisement and the Commission shall terminate their Services as soon as the examination procedure is over. The Commission shall obtain the prior approval of the State Government on the number of such Persons to be engaged and on the rate of the amount payable to them.

13. (i) Annual expenditure on establishment of the Commission shall be borne by the department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha by providing the required fund under its budget head.

(ii) The Commission shall prepare the budget estimates of every year and send it to the Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha so that it may be included in the budget of the Department.

14. The Controlling officer of the Commission or the Chairman shall control over the expenditure and execute the responsibilities conferred under Rules 471-483 of Jhalirkhand Financial Rules. Maintenance of account and its audit will be done as per the procedure prescribed by the State Government. Relevant informations and reports in this regard shall be made available by the Commission to the Department of Administrative Reforms and Rajbhasha from time to time.

Schedule-I

Details of the Services, cadres and posts

(See Rule 3)

The Commission may recommend for appointment to the all posts of Group C and Non-gazetted General/Technical/Non-Technical Service/Cadres of the State Government in Group B where there is provision of direct appointment partially or in full, or selection on which is not done by Jharkhand Public Service Commission except district or field level posts of these services/cadres and uniformed posts like Police, Fire and Home Guards.

The State Government is empowered to withdraw the power of recommendation for appointment for designated services/cadres/posts from the Commission and assign to any other authority or assign to the Commission the power of recommendation for appointment for any service/cadre/post for which recommendation of Jharkhand Public Service Commission is not mandatory.

Schedule-2

Business to be transacted by the Commission

(1) Annual Report of the Commission.

(2) Scheme of examination and syllabus under Rules made under section 12(2) of the Act.

(3) All cases in which a new policy is required to be formulated for submission to Government.

(4) All cases in which the existing policy is required to be amended/revised for submission to Govt.

(5) All cases in which a decision is required to be taken regarding framing of rules for holding competitive examinations for recruitment to Posts and services.

(6) Submit to the Government Rules of Procedure of the Commission for transiting its business.

(7) Submit proposals for exclusion from Commission's purview or extension to function of the Commission for the approval of the Government.

(8) Issues related to research of examination system.

(9) Preparation of panel for constituting of Interview Boards.

(10) Preparation of panel of Advisors/Experts and structure of the Board.

(11) Fixing of necessary procedures and institutions for conduction of examination.

(12) Fixing the dates of interview.

(13) Fixing the dates of examination and centers of examinations and the venue of evaluation Centers.

(14) Preparation of panel of Advocates.

(15) Advertisements and notification for recruitment and selection of newspaper in which advertisements are to be published.

(16) Approval of results of examinations and interview.

(17) System development and other works pertaining to technical aspect of Data Processing and Electronic Data Processing Branch.

(18) Review of answer books on application of candidates.

(19) Any other matter which the Chairman places before the Commission for consideration and decision.

(20) Any other matter not covered by these rules and to be sent to Government for approval after drafting the proposal.

Schedule-3

Business to be transacted by the Chairman

(1) General administration of the Commission.

(2) Co-ordination of Commission's work including convening of the meeting of the Commission.

(3) All action of business amongst the members.

(4) Endorsement of any file for examination to any member nominated by the Chairman.

(5) The Chairman may place any specific matter before Commission for disposal as per necessity or in public interest.

(6) Formation of Board from the panel approved by the Commission and fixing the dates of interview.

(7) Power to engage the Advocates from the panel approved by the Commission.

(8) Matter entrusted by the Commission in work interest.

By order of the Governor of Jharkhand,

(Suman Kumar)
Deputy Secretary to Govt.

ज्ञापांक–6 / स्था0क0च0आ0–02 / 2010 का०– 4677 /रांची, दिनांक 10/8/2011

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ मुद्रित कर कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–6 / स्था0क0च0आ0–02 / 2010 का०– 4677 /रांची, दिनांक 10/8/2011

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग / सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग / सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 829 | 15 अग्रहायण, 1930 शकाब्द
राँची, शनिवार 6 दिसम्बर, 2008

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

5 दिसम्बर, 2008

संख्या-एल०जी०-9/2008-80/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 24 नवम्बर; 2008 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008

[झारखण्ड अधिनियम 16, 2008]

झारखण्ड सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वर्ग 'ग' के प्रावैधिक तथा अ-प्रावैधिक पदों की चयन की प्रक्रिया में एकरूपता लाने हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (झा०क०च०आ०) के गठन संबंधी अधिनियम ।

प्रस्तावना ।-

चूँकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि हो गई है और झारखण्ड लोक सेवा आयोग का दायित्व कई गुणा बढ़ गया है, इसलिए राज्य सरकार,

निगमों, बोर्डों, प्राधिकारों एवं सरकार की अन्य एजेन्सियों के अंतर्गत वर्ग 'ग' की नियुक्तियों का दायित्व उठाने के लिए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के नाम से एक पृथक आयोग का गठन की त्वरित आवश्यकता महसूस की गई;

और, इसलिए कि फिटमेंट कमिटी ने अध्याय 7 की कंडिका 7.3.13 (डी) के अंतर्गत अप प्रतिवेदन (**Volume IV, Book-2**) में अनुशंसा की है कि कर्मचारी चयन आयोग की तरह एक आयो के गठन की संभावना पर विचार किया जाय;

और, इसलिए कि इन परिस्थितियों में वर्ग 'ग' के पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रि में एकरूपता लाने के लिए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के गठन के लिए एक अधिनियम अधिनियमि करना समीचीन है;

अतः भारत गणराज्य के 59वें वर्ष में झारखण्ड विधान-सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** ।-
   (i) यह अधिनियम झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 कहा सकेगा ।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
   (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएँ** ।- इस अधिनियम में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो
   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 20(
   (ख) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार;
   (ग) "आयोग" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत झारखण्ड कर्मच चयन आयोग;
   (घ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष;
   (ड.) "सदस्य" से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य;
   (च) "नियमावली" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनायी गई नियमावली

3. **आयोग का गठन** ।- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग का गठन निम्नलिखित मिलाकर किया जायेगा :-
   (क) अध्यक्ष - राज्य सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर ट स्केल से अन्यून पंक्ति के न्यूनतम तीन वर्ष की अवशेष सेवा वाले । पदाधिकारी ।
   (ख) सदस्य - राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रुपये 14300-18300 (अथवा समय-समय यथा पुनरीक्षित समरूप वेतनमान) से अन्यून वेतनमान तथा न्यूनतम तीन वर्ष अवशेष सेवा वाले अखिल भारतीय सेवाओं/राज्य सेवाओं के दो पदाधिकारी

(ग) अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति :- अध्यक्ष/सदस्यों का नियुक्ति प्राधिकार, राज्य सरकार होगी ।

4. **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल ।-**

(i) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, चार वर्षों अथवा वार्ध्यक्य सेवानिवृत्त होने तक जो भी पहले हो, का होगा ।

(ii) अध्यक्ष/सदस्य को प्रमाणित कदाचार के आरोप में राज्य सरकार के आदेश से हटाया जा सकेगा । परन्तु ऐसा करने के पूर्व संबंधित अध्यक्ष/सचिव को सुने जाने का एक मौका दिया जायेगा ।

5. **सेवा/संवर्ग/पद, जिनकी नियुक्ति हेतु आयोग अनुशंसा करेगी ।-** आयोग राज्य सरकार के अधीन सभी सामान्य/प्रावैधिक/अप्रावैधिक सेवाओं/संवर्गों या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित समूह 'ग' के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा ।

6. **अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्त्तें ।-** अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्त्तें वही होगी जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

7. **आयोग का मुख्यालय एवं प्रशासी विभाग ।-** आयोग का मुख्यालय राँची में रहेगा । कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग आयोग का प्रशासी विभाग होगा ।

8. **चयन की प्रक्रिया ।-** राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आयोग, विभिन्न सेवाओं/पदों के लिये चयन की प्रक्रिया का सुत्रीकरण करेगा ।

9. **शक्तियों का प्रत्यायोजन ।-** (i) प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के मामले में आयोग के अध्यक्ष राज्य सरकार में विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

(ii) आयोग के अध्यक्ष एक सदस्य को परीक्षा नियंत्रक के कर्त्तव्य सौंप सकेंगे एवं दूसरे सदस्य को अन्य कर्त्तव्य सौंपे जा सकेंगे ।

संवर्ग के पदों से संबंधित लंबित चयन कार्यों का अंतरण ।- धारा-5 में [illegible] जिनके संबंध में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा इस अधिनियम के प्रवृत्त [illegible] प्रकाशित न किया गया हो, में नियुक्ति के लिए सभी चयन झारखण्ड कर्मचारी [illegible]एगा । झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन निर्गत किएँ जा चुके पदों [illegible] झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्ण की जाएगी ।

[illegible]ान ।- आयोग के कार्यालय और आयोग के कार्य संपादन में होने वाला [illegible] द्वारा वहन किया जाएगा । आयोग, विभिन्न परीक्षाओं/चयन के आयोजनों के [illegible] प्राप्त कर सकेगा जो आयोग द्वारा राज्य कोषागार में जमा किया जाएगा ।

12. **नियमावली बनाने की शक्ति ।–**

(i) इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति होगी ।

(ii) आयोग को राज्य सरकार के अनुमोदन से, विज्ञापनों का प्रकाशन, लिखित परीक्षाओं का संचालन, परीक्षाफलों का प्रकाशन, व्यक्तित्व परीक्षण/ साक्षात्कार, यदि कोई हो, के संचालन एवं अन्य कार्यों हेतु विनियमावली विरचित करने की शक्ति प्राप्त होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव ।

अधिसूचना

5 दिसम्बर, 2008

संख्या–एल०जी०–9/2008–81/लेज०––झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 2008 को अनुमत झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड–(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा :––

THE JHARKHAND STAFF SELECTION COMMISSION ACT, 2008

[JHARKHAND ACT 16, 2008]

AN ACT for the constitution of Jharkhand Staff Selection Commission (J.S.S.C.) for bringing uniformity in the process of selection of the technical and non-technical posts class III under the administrative control of the Government of Jharkhand.

Preamble

As there has been a large scale increase in the number of candidates appearing for competitive examinations and the responsibilities of Jharkhand Public Service Commission have increased manifold. Therefore it has been considered as expedient to constitute a separate Commission namely "Jharkhand Staff Selection Commission" to take over the responsibility or recruitment of group C posts under the State Government, Corporations, Boards, Authorities and other Agencies of the State Government;

And, as the Fitment Committee in its report (Vol. IV, Book-2) under chapter-7, Para-7.3-1313 [d] has given its recommendation to consider the probability of constitution of a Commission like Staff Selection Commission;

And, as in these circumstances, it is appropriate to regulate an Act for the constitution of Jharkhand Staff Selection Commission to bring uniformity in the selection procedure for the appointment of eligible candidateds to the posts of Class-3.

Now, therefore, be it enacted by the Ligislature of the State of Jharkhand in the Fifty.ninth year of the Republic of India as follows :-

1. **SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT** -

(i) This Act may be called The Jharkhand Staff Selection Commission Act, 2008.
(ii) It extend to the entire State of Jharkhand
(iii) It shall come into force immediately.

2. **DEFINITIONS** -

In this Act unless the context otherwise requires :-
(A) "Act" refers to the Jharkhand Staff Selection Commission Act, 2008.
(B) "State Government" means the Government of Jharkhand.
(C) "Commission" means the Jharkhand Staff Selection Commission under section 3 of this Act.
(D) "Chairman" means the Chairman of Jharkhand Staff Selection Commission
(E) "Member" means the member of Jharkhand Staff Selection Commission
(F) "Rules" means the rules framed under this Act.

3. **CONSTITUTION OF COMMISSION** -

The Jharkhand Staff Selection Commission shall be constituted as follows :-
[A] Chairman - An officer of the Indian Administrative Service, appointed by the State Government not below the rank of Super-time Scale with at least three years of service remaining.
[B] Member - Two officers of All India Services/State Services, appointed by the State Government not below the pay scale of Rs. 14300-18300 (or similar pay scale revised time to time) with at least three years of remaining.
[C] Appointment of Chairman/Members - The State Government shall be the appointing authority for the Chairman/Members.

4. **TENURE OF CHAIRMAN & MEMBERS.**

(i) The Tenure of Chairman & Members shall be of four years or till superannuation, whichever be earlier.
(ii) The Chairman or the Members can be removed from post on grounds of proven misconduct. by the State Government provided that before removal, the Chairman/Members shall be given an opportunity of being heard.

5. **SERVICES/CADRES/POST FOR WHICH COMMISSION MAY RECOMMEND FOR THE APPOINTMENT** -

The Commission may recommend for the appointment of all General/Technical/Non technical services/Cadres/Posts under the State Government for all groups 'C' posts or as may be determined by the State Government from time to time.

6. **SUB-ORDINATE OFFICERS & EMPLOYEES** -

The Service Conditions of the subordinate officers and employees shall be such as will be determined by the State Government from time to time.

7. **HEADQUARTER OF COMMISSION & ADMINISTRATIVE DEPTT.** -

The headquarter of the Commission shall be at Ranchi. The Department of of Personnel, Adminstrative Reforms & Rajbhasha shall be the administrative Department. of the Commission.

8. **PROCESS OF SELECTION** -

The Commission shall formulate the process of selection for different services/posts with the prior approval of the State Govt.

9. **DELEGATION OF POWERS** -

(i) As regards Administrative and Financial Powers, the Chairman of the Commission would exercise the powers of the Head of Department.

(ii) The Chairman of the Commission shall delegate the duties of examination controller to one of the members and the duties of Administrative matters to the other member.

10. **TRANSFER OF PENDING SELECTION WORK WITH RESPECT TO CLASS THREE POSTS** -

All selection for recruitment to the posts as mentioned in section-5, for which the Jharkhand Public Service Commission has not adevertised till the enactment of this Act would be done by Jharkhand Staff Selection Commission. The Selection process of the posts which has been advertised by Jharkhand Public Service Commission will be completed by Jharkhand Public Service Commission.

11. **FINANCIAL PROVISION** -

All expenditure incurred in the functioning of the office of the commission shall be met by State Government. The Commission shall receive fees from the candidates for the examination/ selection which has to be deposited in the State treasury.

12. **POWER TO FORMULATE RULE** -

(i) The State Government shall have the power to make Rules for the implementation of provisions of this Act.

(ii) The Commission shall have the powers to frame Regulations, with the approval of the State Government, for the conduct and other work of the advertisement, conduct of written examination, publication of examination results, personality Tests/Interviews, if any.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 829--300+400 ।

खण्ड–3

अध्याय–7

(अनुकम्पा मामले)

पत्रांक :– 14 / अनु0 01–03 / 2016 का०.3004...../

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

राँची, दिनांक....06/07/2021

विषय :– **सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से सम्बन्धित नीति में संशोधन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से सम्बन्धित निर्गत परिपत्र सं0– 10167 दिनांक– 01.12.2015 की कंडिका(9)(ग) के अनुसार :–

"आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता प्रस्तावित पद के नियुक्ति नियमावली में विहित प्रावधान के अनुसार होगी।

किन्तु अन्य वांछनीय अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रस्तावित पद पर इस शर्त के साथ की जायेगी कि सेवा अवधि में वांछनीय अर्हता प्राप्त किये बिना उनकी सेवा की संपुष्टि नहीं होगी।"

2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति मामले में सीधी भर्ती नियमावली के शर्त्तों को लागू करना न्यायोचित नहीं है क्योंकि भर्ती नियमावली सीधी नियुक्ति के मामले में गठित की जाती है जबकि अनुकम्पा से संबंधित मामले सीधी नियुक्ति के मामले नहीं हैं और यदि सीधी नियुक्ति के मापदंड को अनुकम्पा के मामले में लागू किए जायेगें तो हिन्दी टाईपिंग अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता होने पर अनुकम्पा का लाभ मृतक के आश्रित परिवार को शीघ्र दिया जाना कठिन हो जायेगा। हिन्दी टाईपिंग तकनीकी दक्षता है जिसे प्राप्त करने में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को समय लग सकता है और सेवाकाल में सरकारी सेवकों के असामयिक निधन के उपरान्त उनके आश्रित परिवार के जीविकोपार्जन का आधार अचानक समाप्त हो जाने के कारण उस परिवार को आर्थिक संकट से उबारने तथा परिवार को तत्क्षण आर्थिक सहायता पहुँचाने का राज्य सरकार के उद्देश्य की पूर्ति नही हो पाने के कारण यह मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त परिपत्र सं0–10167 दिनांक– 01.12.2015 की कंडिका "(9)(ग) को निम्नवत संशोधित करने का निर्णय लिया गया है –

"9(ग) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता प्रस्तावित पद के नियुक्ति नियमावली में विहित प्रावधान के अनुसार होगी", किन्तु हिन्दी टाईपिंग की शर्त्त शिथिल रहेगी और नियोजन हो जाने के उपरान्त परिवीक्षाधीन अवधि में हिन्दी टाईपिंग की निर्धारित गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विभागीय टंकण परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त वह संपुष्टि का पात्र होगा। इसके अभाव में न वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी, न ही सेवा संपुष्टि की जाएगी। विभागीय टंकण परीक्षा में उत्तीर्णता के उपरान्त पूर्व की स्थगित वेतन–वृद्धियाँ वैचारिक रूप से अनुमान्य होंगी, परंतु बकाया राशि (Arrear) देय नहीं होगी।"

विभागीय परिपत्र सं0–10167, दिनांक–01.12.2015 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन,

5.7.2021
(वंदना दादेल)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / अनु0 01–03 / 2016 का०– 3004 / रांची, दिनांक 06/07/2021

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव / विकास आयुक्त / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, झारखण्ड / महाधिवक्ता, झारखण्ड, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.7.2021
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / अनु0 01–03 / 2016 का०– 3004 / रांची, दिनांक 06/07/2021

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

5.7.2021
सरकार के प्रधान सचिव।

पत्रांक :– 14 / अनु0 01–05 / 2012 का० 963 /

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 12/02/2021

विषय :– **सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से सम्बन्धित नीति में संशोधन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से सम्बन्धित विभागीय परिपत्र सं0–10167, दिनांक–01.12.2015 की कंडिका 3 के परन्तुक के प्रावधान के अनुसार लापता सरकारी सेवक के आश्रित का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा। तद्नुसार ऐसे मामलों से सम्बन्धित प्राप्त दावों पर विचार नहीं किये जा सकने के फलस्वरूप लापता सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

2. उक्त परिपत्र के प्रभाव एवं विस्तार खंड तथा कंडिका (15)(ञ) के द्वारा इस योजना को राज्य सरकार के अधीन सभी लोक उपक्रमों / स्वशासी निकायों / प्राधिकारों / निगमों / परिषदों या राज्य सम्पोषित संस्थाओं पर पूर्ण रुप से लागू किया गया है। लोक उपक्रमों / स्वशासी निकायों / प्राधिकारों / निगमों / परिषदों या राज्य सम्पोषित संस्थाओं में सेवा शर्तें तथा सेवा की प्रकृति भिन्न होने के परिप्रेक्ष्य में अनुकम्पा के आधार पर नियोजन हेतु उक्त परिपत्र में उल्लिखित कतिपय शर्तों को पूरा नहीं कर पाने के कारण अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने में हो रही कठिनाई के कारण यह मामला भी सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

3. उपर्युक्त विषयों पर राज्य सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है :–

(1) लापता सरकारी सेवकों के मामले में भी, निम्नांकित शर्तों के अधीन, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अर्हता अनुमान्य किया जाए :–

(क) सरकारी सेवक के लापता होने की तिथि से सात वर्षों की अवधि के पश्चात् सक्षम न्यायालय के द्वारा "Civil Death" घोषित कर दिए जाने के उपरान्त अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अनुरोध पर विचार हो सकता है, बशर्ते कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन सरकारी सेवक के लापता होने के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय द्वारा "Civil Death" की घोषणा के उपरान्त दो वर्षों के अधीन समर्पित किया गया हो।

(ख) अन्य के मामलों की तरह लापता सरकारी सेवक के मामले में भी अनुकम्पा नियुक्ति अधिकार का मामला नहीं होगी और यह रिक्तियों की उपलब्धता सहित ऐसे नियुक्ति के लिए निर्धारित सभी शर्तों के पूरा होने पर ही हो सकेगी।

(ग) लापता सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर लिये जाने के बाद लापता सरकारी सेवक के पुनः प्रकट हो जाने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त उनके आश्रित की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी। परन्तु ऐसे आश्रित से, उनके कर्तव्य की अवधि के लिए भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं की जायेगी।

लापता सरकारी सेवक के प्रकट होने एवं योगदान देने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उनका योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें निलंबित कर उनके विरूद्ध झारखण्ड सेवा संहिता नियम–76 के आलोक में अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए नियमानुसार विभागीय कार्यवाही चलाकर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

(2) परिपत्र सं0–10167, दिनांक–01.12.2015 के प्रभाव एवं विस्तार खंड एवं कंडिका (15)(ञ) को विलोपित किया जाता है।

विभागीय परिपत्र सं0–10167, दिनांक–01.12.2015 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / अनु0 01–05 / 2012 का०– 963 / रांची, दिनांक 12/02/2021

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव / विकास आयुक्त / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, झारखण्ड / महाधिवक्ता, झारखण्ड, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / अनु0 01–05 / 2012 का०– 963 / रांची, दिनांक 12/02/2021

प्रतिलिपि – नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

पत्रांक :– 14/अनु0 01–05/2012 का०.8723/

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

के0 के0 खण्डेलवाल,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/विभागीय प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 30.10.15

विषय :– **सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से सम्बन्धित नीति में संशोधन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सरकारी पदों पर नियुक्ति हेतु यथा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा को क्षान्त करने का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत परिपत्र पत्र सं०–10167, दिनांक–01.12.2015 की कंडिका (6) एवं (12) (v) में निरूपित है। तद्नुसार सेवा संहिता के नियम 54, परिशिष्ट–I में अंकित विशेष प्रावधान के आलोक में 50 वर्ष से कम आयु वाले केवल पति/पत्नी/माता/पिता/अविवाहित पुत्री/विधवा पुत्रवधू, विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री के मामले में प्रस्तावित पद से सम्बन्धित विभाग/विभागाध्यक्ष सेवा संहिता के नियम–54 (क) के तहत प्रदत शक्ति का प्रयोग कर अधिकतम उम्र सीमा को क्षान्त कर सकेंगे।

उक्त प्रावधान के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के आश्रित पुत्र तथा अविवाहित मृत सरकारी सेवक के मामले में अविवाहित भाई को सम्मिलित किए जाने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

2. इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा सम्यकरूपेण विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में विभागीय परिपत्र सं0–10167, दिनांक–01.12.2015 की कंडिका (4) में मृत सरकारी सेवक के यथा परिभाषित सभी आश्रित सदस्यों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में आवश्यकतानुसार विहित प्रक्रिया के तहत अधिकतम उम्र सीमा क्षान्त की जायेगी।

तद्नुसार विभागीय परिपत्र सं0–10167, दिनांक–01.12.2015 की कंडिका (6) एवं (12) (v) इस हद तक संशोधित समझी जायेगी।

विश्वासभाजन,

30/10/15

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

पत्रांक–14 / कोर्ट–02–12 / 2012 का0 654 /

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

दीपक कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
राँची।

राँची, दिनांक– 19.8.19

विषयः– धीरेन्द्र प्रसाद सिंह दिनांक–15.06.1999 से लापता सहायक शिक्षक, राज्य सम्पोषित उच्च विद्यालय, ककरिया, लापूंग के आश्रित को अनुकम्पा आधारित नियुक्ति की अनुमान्यता के संदर्भ में महाधिवक्ता, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची द्वारा प्राप्त वैधिक परामर्श पर अग्रतर कार्रवाई हेतु दिशा निदेश उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–945, दिनांक–05.08.2019

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा अपेक्षित दिशा निर्देश के संदर्भ में कहना है कि WP(S) No.-3005 / 2012 प्रवीण कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–25.07.2018 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में LPA No.-326 / 2019 सहित दो IA द्वारा Limitation & Stay दायर किया गया है। साथ ही उक्त न्यायादेश के अनुपालन हेतु वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अवमाननावाद सं0–255 / 2019 दायर किया गया है।

प्रसंगाधीन पत्र द्वारा अपेक्षित मार्गदर्शन के संदर्भ में विधिक राय प्राप्त की गयी है, जिसके अनुसार प्रार्थी को अनुकम्पा के आधार पर इस शर्त के साथ नियुक्ति की जा सकती है कि उनकी नियुक्ति LPA No.-326 / 2019 में पारित अंतिम न्यायादेश से आच्छादित होगी।

अतः निदेश दिया जाता है कि निम्नांकित शर्तों के अधीन वादी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु जिला अनुकम्पा समिति की बैठक आहूत कर मामले पर विचार किया जाय :–

1. अन्य के मामलों की तरह लापता सरकारी सेवक के मामले में भी अनुकम्पा नियुक्ति अधिकार का मामला नहीं होगी और यह, रिक्तियों की उपलब्धता सहित, ऐसी नियुक्ति के लिए निर्धारित सभी शर्तों के पूरा होने पर ही हो सकेगी।
2. लापता सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कर लिये जाने के बाद लापता सरकारी सेवक के पुनः प्रकट हो जाने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त उनके आश्रित की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी। परन्तु ऐसे आश्रित से, उनके द्वारा कर्तव्य की अवधि के लिए भुगतान की राशि वसूली नहीं की जायेगी।
3. प्रार्थी को नियुक्त किए जाने की स्थिति में उनकी नियुक्ति LPA No.-326 / 2019 में पारित अंतिम न्यायादेश से आच्छादित होगी।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा निर्देश के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए ससमय माननीय उच्च न्यायालय में कारण पृच्छा दायर कर उसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन
19.8.19
(दीपक कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

पत्रांक–14 / कोर्ट–02–14 / 2018 का०– 5064 दि०

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

के० के० खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 9-7-18

विषय :– सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर वाद सं० डब्ल्यू0पी0(एस0) सं0–3712 / 2015 रीना मुण्डा बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक–14.02.2018 एवं 30.04.2018 को हुई सुनवाई एवं वाद सं0–डब्ल्यू0पी0(एस0)–2818 / 2017 कल्याणी कुमारी मिश्रा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–20.11.2017 को पारित आदेश के आलोक में विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड के द्वारा माननीय न्यायालय के दिनांक–20.11.2017 को पारित आदेश में अन्तर्निहित दिशा–निर्देश को सभी जिलों एवं विभागों में परिचारित करने का अनुरोध किया गया है, ताकि माननीय न्यायालय के उक्त आदेश से सभी को अवगत कराया जा सके एवं भविष्य में सदृश मामलों का निष्पादन उक्त न्यायालयीय आदेश के आलोक मे सुनिश्चित किया जा सके।

2. उल्लेखनीय है कि श्रीमती कल्याणी कुमारी मिश्रा के मामले में उपायुक्त, राँची की अध्यक्षता में दिनांक–18.02.2017 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में इस आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा नहीं की गई कि सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि 24.06.2013 है जबकि सरकार द्वारा दिनांक–01.12.2015 के प्रभाव से अनुकम्पा आधारित सरकारी नौकरी का लाभ विवाहित पुत्री को स्वीकृत किया गया है। चूंकि सरकारी सेवक की मृत्यु दिनांक–01.12.2015 के पूर्व हुई है, फलतः दिनांक–01.12.2015 का परिपत्र इस मामले में प्रभावी नहीं है। पूर्व निर्गत पत्र सं0–13293, दिनांक–05.10.1991 में परिभाषित आश्रितों की सूची में विवाहित पुत्री आश्रित की श्रेणी में नहीं है। अतः मृत सरकारी सेवक की विवाहित पुत्री आवेदिका श्रीमती कल्याणी कुमारी मिश्रा को अनुकम्पा आधारित नौकरी नहीं दी जा सकती। दिनांक– 20.11.2017 को पारित आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा जिला अनुकम्पा समिति के उपर्युक्त निर्णय को निरस्त कर दिया गया।

3. दिनांक–20.11.2017 को पारित आदेश में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि "Exclusion of a married daughter from the definition of dependent under Clause 1(c) in Memo dated 05.10.1991, in the above facts, must be held illegal and ultra-vires." पुनः माननीय न्यायालय

ने यह भी स्पष्ट किया है कि "Restricting operation of the definition of dependant under Clause 4 of 2015 scheme only from 01.12.2015, and not extending the benefit of the new rules to the claim at whose case was considered after 01.12.2015 would certainly defeat the very object of the scheme for compassionate appointment. In the aforesaid background, the irresistible conclusion which follows is that the petitioner's claim for compassionate appointment has been declined illegally."

4. उल्लेखनीय है कि 'सेवाकाल मे मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति' विषय पर निर्गत विभागीय परिपत्र सं0–10167, दिनाक–01.12.2015 की कंडिका–4 (iii) के अनुसार विवाहित पुत्री जो सरकारी सेवक की मृत्यु के समय उसपर पूर्णतया आश्रित रही हो को अनुकम्पा आधारित सरकारी नौकरी का लाभ अनुमान्य किया गया है।

5. दिनाक–20.11.2017 को पारित आदेश में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा शशीकला बाई बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश को उद्धृत करते हुए अंकित किया गया है कि "since the present case was not closed on the date of the circular coming into effect, the appellant should have been granted benefit of new circular." श्रीमती कल्याणी कुमारी मिश्रा के मामले में मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि 24.06.2013 है। इस प्रकार आश्रित द्वारा दावा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23.06.2018 होती है। श्रीमती कल्याणी कुमारी मिश्रा ने 16.12.2016 को दावा आवेदन समर्पित किया। विभागीय अधिसूचना परिपत्र सं0–10167 जिसमे विवाहित पुत्री को आश्रित की सूची में लाया गया, की तिथि 01.12.2015 है। चूंकि आवेदन दावा करने की अंतिम तिथि 23.06.2018 थी अतः श्रीमती कल्याणी कुमारी मिश्रा का मामला माननीय उच्च न्यायालय के उद्धृत आदेश से आच्छादित है।

6. अतः माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा कल्याणी कुमारी मिश्रा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनाक– 20.11.2017 को पारित आदेश की प्रति आप सभी की जानकारी एवं अपेक्षित सदृश मामलो मे तदनुरूप कार्रवाई हेतु संलग्न की जा रही है। अनुरोध है कि माननीय न्यायालय के दिशा–निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(के० क० खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव

अनुलग्नक– यथोक्त।

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI
W.P.(S) No. 2818 of 2017

Kalyani Kumari Mishra, daughter of Late Umesh Chandra Mishra, wife of Dinesh Kumar Mishra, resident of Shyam Nagar, near Gandhi Nagar, Kanke Road, Ranchi, PO-Kanke, PS-Gonda, District-Ranchi, Pin-834008 .... Petitioner

--Versus--

1.The State of Jharkhand
2.The Director, Land Conservation (Bhumi Sanrachhan), Jharkhand, Ranchi, having its office at Ranchi, PO and PS-Kanke Road, Ranchi, District-Ranchi-8
3.District Establishment Section (Zila Ashthapana Shakha), through Deputy Commissioner-cum-District Magistrate, Ranchi, having its office at Ranchi-8, PO and PS-Kanke Road, Ranchi, District-Ranchi
4.The District Land Conservation Officer, Ranchi, having its office at Ranchi, PO and PS-Kanke Road, Ranchi-8, District-Ranchi
5.The Director, Agriculture, Krishi Bhawan, Ranchi, having its office at Ranchi, PO and PS-Kanke Road, Ranchi, District-Ranchi-8
6.The Circle Officer, Hehal, Ranchi, PO-Hehal, PS-Sukhdeo Nagar, District-Ranchi .... Respondents

---

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE SHREE CHANDRASHEKHAR

For the Petitioner : Mrs. Nalini Jha, Advocate
For the Resp.-State : Mr. Anshuman Kumar, JC to AG

4/ 20.11.2017 When her claim for compassionate appointment was declined on the ground that married daughter is not covered under the definition of dependant in Memo dated 05.10.1991, the petitioner has approached this Court.

2. Father of the petitioner namely, Umesh Chandra Mishra was employed as *Amin* in District Land Conservation Office, Ranchi. He died in harness on 24.06.2013. The petitioner submitted an application for compassionate appointment on 16.12.2016, and the Director, Land Conservation, Jharkhand forwarded claim of the petitioner for compassionate appointment in terms of the rules framed by the Government of Jharkhand on 01.12.2015 with necessary documents on 23.03.2016. On certain queries made from

the office of the Deputy Commissioner, Ranchi, vide letter dated 09.01.2017, the Director, Land Conservation again forwarded the claim of the petitioner, which was considered by the District Compassionate Committee in its meeting held on 18.02.2017. The decision taken in this meeting has been challenged by the petitioner in the writ-petition.

3. Heard.

4. In view of the limited issue involved in the writ-petition which involves interpretation of scheme for appointment on compassionate ground, I am not inclined to invite an affidavit-in-opposition from the respondent-State.

5. The plea taken by the Committee for rejecting the claim of the petitioner that the married daughter does not fall in the category of "dependant", is *de hors* the constitutional provisions engrafted under Article 15 and 16 of the Constitution of India. Any discrimination on the ground of sex is prohibited under Article 15 and Article 16 provides that no citizen shall on the grounds of sex, religion, race, caste, descent, place of birth or residence be ineligible, or discriminated against in respect of any employment or office under the State. Once it is found that a married son is not ineligible for compassionate appointment, attaching a disability to a daughter on the ground of her marriage for compassionate appointment is apparently illegal. Various High Courts have held that denial of compassionate appointment to a married daughter is illegal. One of the notable judgments has been rendered in "*Krishnaveni vs. Superintending Engineer, Kadamparai Electricity Generation Block,*

Coimbatore District", reported in *(2013) 8 MLJ 684*. In the said case referring to the provisions under Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, the Court has held that if son and daughter both have been put under a duty to take care of their parents at the old age, on death of their parents they cannot be extended unequal treatment.

6. Under Clause 1(c) of Memo dated 05.10.1991 only the son, unmarried daughter and widow of the son have been declared as dependant of the deceased employee. This clause further provides that adopted son, son-in-law and cousin are not considered as dependants. This definition has been provided by an executive instruction. The Constitution is the paramount law of the land and all laws in force in the territory of India derive their source from the Constitution of India. Any law, leave alone executive instruction, contrary to provisions of the Constitution of India is ultra-vires the Constitution.

7. Exclusion of a married daughter from the definition of dependant under Clause 1(c) in Memo dated 05.10.1991, in the above facts, must be held illegal and ultra-vires. Several cases of this nature have come to this Court wherein on the ground of married daughter not covered under the definition of "dependant", claim for compassionate appointment has been declined. Taking judicial notice of this situation, Clause 1(c) is held illegal, insofar as, exclusion of married daughter is concerned.

8. There is another aspect of this matter. Scheme for compassionate appointment has been formulated by the State, a

welfare State, to provide succor to the family in distress on death of the bread-earner. Appointment on compassionate ground is an exception, however, there cannot be a dispute that the scheme for compassionate appointment is a beneficial provision, benefit of which must be extended to all eligibles whose claims were considered after the scheme became operative. The scheme for compassionate appointment formulated by the State of Jharkhand became operative from 01.12.2015. Under Clause 4 of 2015 scheme, a married daughter has been included in the definition of dependant of the deceased employee. Still, referring to Memo dated 05.10.1991 claim of the petitioner has been declined on the ground that at the time of death of her father she was married. In *"Shashikalabai (Smt.) vs State of Maharashtra And Another"* reported in *(1998) 5* SCC 332, benefit of higher compensation under a circular issued after the death of the victim was extended to the family of the victim. The Supreme Court held that "since the present case was not closed on the date of the circular coming into effect, the appellant should have been granted benefit of new circular". Admittedly, claim of the petitioner for compassionate appointment has been rejected on 18.02.2017 and thus, claim of the petitioner has been considered by the District Compassionate Committee after the scheme for compassionate appointment became effective in the State of Jharkhand from 01.12.2015.

At this stage, it needs to be recorded that a welfare legislation should be given a purposive interpretation, safeguarding the rights of the have-nots rather than giving literal construction. In

"Madan Singh Shekhawat vs Union of India And Others" reported in *(1999) 6 SCC 459*, the Supreme Court has held that "it is the duty of the Court to interpret a provision, especially the beneficial provision, liberally so as to give it a wider meaning, rather than restrictive meaning which would negate the very object of the provision". Restricting operation of the definition of dependant under Clause 4 of 2015 scheme only from 01.12.2015, and not extending the benefit of the new rules to the claimant whose case was considered after 01.12.2015 would certainly defeat the very object of the scheme for compassionate appointment. In the aforesaid background, the irresistible conclusion which follows is that the petitioner's claim for compassionate appointment has been declined illegally. No other ground for rejection is reflected in the proceeding of District Compassionate Committee.

10. In the result, the impugned decision of the District Compassionate Committee dated 18.02.2017 is quashed.

11. The Deputy Commissioner, Ranchi-respondent no.3 shall issue a letter to the petitioner calling upon her to complete the formalities, if any, for her appointment, within six weeks.

12. The writ-petition stands allowed,with the above directions.

Sd/- Shree Chandrashekhar, J.

Certified to be True Copy
14.12.2017
Copy
Designed under Rule 75(3) of J.H.C. Rules
Authorised U/S 73 Act of 1872

The 23rd Agrahayana 1939
14/12/17

14/12/17

पत्रांक–14 / कोर्ट–02–06 / 2016 का०–..... /

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

दिवाकर प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक .....

विषय : अनुकम्पा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन समर्पित करने के संदर्भ में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर वाद सं0–LPANo.-391 / 2016–अशोक गोप बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक–19.07.2017 को पारित आदेश के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र सं0–10167, दिनांक–01.12.2015 की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि अनुकम्पा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र स्वीकार करने के लिए अवधि सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित है। इसके बाद प्रस्तुत आवेदन प्रथम दृष्ट्या अस्वीकार किया जाना है। इस संदर्भ में विभागीय पत्र सं0–10213, दिनांक–03.10.2017 भी द्रष्टव्य हो, जिसके द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं0–WP(S)No.-954 / 2016–विनय कुमार सिंह बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक–10.02.2017 को पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए यह निदेश दिया गया था कि सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष बाद प्राप्त आवेदन सम्बन्धित कार्यालय के स्तर से ही अस्वीकृत की जा सकती है।

इसी प्रसंग में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा एल.पी.ए. सं0–391 / 2016–अशोक गोप बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक–19.07.2017 की प्रति संलग्न करते हुए पुनः निदेश दिया जाता है कि मृत सरकारी सेवक के आश्रित की ओर से समर्पित किया जाने वाला आवेदन तभी स्वीकार की जाय, जब वह सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष के अन्दर कार्यालय को उपलब्ध कराया गया हो। इस अवधि के बाद समर्पित आवेदन न तो स्वीकार की जाय और न उस सम्बन्ध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से पत्राचार ही की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

E: \Kundan\Jan 2017 docs

ज्ञापांक–14 / कोर्ट -02–06 / 2016 का०–..... / राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि:– सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / पुलिस महानिदेशक को सूचना एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 14 / कोर्ट–02–06 / 2016 का०– 11328 / राँची, दिनांक 13.11.17

प्रतिलिपि:– अनुलग्नक की प्रति सहित श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उक्त परिपत्र को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

13/11/17

सरकार के संयुक्त सचिव।

1

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI

L.P.A. No. 391 of 2016

Ashok Gope son of Late Mani Ram Gope, resident of village Namkum Basti, PO and PS Namkum, District Ranchi, Jharkhand.
...Appellant

Versus

1.The State of Jharkhand;
2.The Secretary, Department of Personnel and Administrative Reforms, Govt. of Jharkhand, Project Building, Dhurwa, Ranchi;
3.The Secretary, Department of Health, Govt. of Jharkhand, Nepal House, Doranda, Ranchi;
4.The Superintendent, Government Vaccination Medicine Establishment , Namkum, Ranchi.
...Respondents

CORAM :- HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE RATNAKER BHENGRA

For the Appellant : M/s. Ashutosh Mishra & Shravan Kumar, Advocates.

For the Respondents : JC to AAG

05/ Dated 19.07.2017:
(Oral Order)
Per D.N.Patel, A.C.J.

1. Office defects are tentatively ignored and this matter is taken up for its hearing.

2. This Letters Patent Appeal has been preferred by the original petitioner, who had preferred W.P.(S) No. 2275 of 2010 for compassionate appointment because of the fact that his father was unnecessarily compelled to retire prematurely on 07.11.1991 on the ground of medical unfitness, but, as per this appellant, who is a son, his father was absolutely fit. Had he not been compelled to retire, in 1991, he would have continued in the job up to the age of his superannuation i.e. 31.01.1994, but, he expired in the year 1993 and therefore, this appellant was praying for compassionate appointment, but, said writ petition was dismissed by the learned Single Judge vide order dated 25.04.2016 and hence, present Letters Patent Appeal has been preferred by the original petitioner.

3. Having heard counsel for both the sides and looking to the facts and circumstances of the case, it appears that father of this

appellant, namely, Mani Ram Gope, was working as a peon. As per respondents-Government, as he was medically unfit, he was given premature retirement on 07.11.1991. It further appears from the facts of the case that legally payable retirement dues, including pension as well as gratuity, were paid to the wife of the original employee, who is mother of this appellant. Neither the original employee, namely, Mani Ram Gope nor the wife of Mani Ram Gope has ever challenged the retirement nor they have accepted the retirement benefits under protest. It further appears from the facts of the case that this appellant had previously also preferred W.P.(S) No. 953 of 2003 before this Court for the very same purpose for getting compassionate appointment, but, the same was dismissed by the learned Single Judge vide order dated 19.08.2009 by a detailed speaking order. This order has never been carried in the Letters Patent Appeal by this appellant. Thus, the earlier writ petition, preferred by the very same appellant, for the very same prayer and for the very same facts and reasons, has already been decided against this appellant and the same has attained its finality. Now, again the petition has been preferred by this appellant with the very same facts of the retirement of his father on 07.11.1991on the ground that his father was though medically fit, was wrongly compelled to be retired and as his father had expired in the year 1993 and now, his mother has also expired, this appellant should be given compassionate appointment. As stated hereinabove, earlier writ petition bearing W.P.(S) No. 953 of 2003 was already dismissed vide order dated 19.08.2009. No error has been committed by the learned Single Judge while dismissing the second writ petition preferred by this appellant bearing W.P.(S) No. 2275 of 2010 vide order dated 25.04.2016.

Moreover, the very purpose of the compassionate appointment has been frustrated by now. Father of the appellant had expired in the year 1993 and by now, approximately 24 years has lapsed i.e. about quarter of century. Compassionate appointment is not a right vested in this appellant. Upon query raised by this Court, it is submitted by the counsel for the appellant

that this appellant is doing business of milk.

4. It has been held by Hon'ble Supreme Court in the case of **State of U.P and Ors. v. Paras Nath, (1998) 2 SCC 412**,as under:

> "4. Seventeen years after the death of his father, the respondent, on 8-1-1986, made an application for being appointed to the post of a Primary School Teacher under the said Rules. His application was rejected. He, thereafter, filed a writ petition before the High Court. This writ petition was allowed by the High Court and an appeal from the decision of the Single Judge of the High Court was also dismissed by the Division Bench of the High Court. Hence the State has filed the present appeal.
>
> 5. The purpose of providing employment to a dependant of a government servant dying in harness in preference to anybody else, is to mitigate the hardship caused to the family of the employee on account of his unexpected death while still in service. To alleviate the distress of the family, such appointments are permissible on compassionate grounds provided there are Rules providing for such appointment. The purpose is to provide immediate financial assistance to the family of a deceased government servant. None of these considerations can operate when the application is made after a long period of time such as seventeen years in the present case."
>
> (Emphasis Supplied)

It has further been held by Hon'ble Supreme Court in the case of **Sanjay Kumar v. State of Bihar and Ors, (2000) 7 SCC 192,** as under:

> "3. We are unable to agree with the submissions of the learned Senior Counsel for the petitioner. This Court has held in a number of cases that compassionate appointment is intended to enable the family of the deceased employee to tide over sudden crisis resulting due to death of the breadearner who had left the family in penury and without any means of livelihood. In fact such a view has been expressed in the very decision cited by the petitioner in Director of Education v. Pushpendra Kumar. It is also significant to notice that on the date when the first application was made by the petitioner on 2-6-1988, the petitioner was a minor and was not eligible for appointment. This is conceded by the petitioner. There cannot be reservation of a vacancy till such time as the petitioner becomes a major after a number of years, unless there are some specific provisions. The very basis of compassionate appointment is to see that the family gets immediate relief."
>
> (Emphasis Supplied)

It has further been held by Hon'ble Supreme Court in the case of **Eastern Coalfields Ltd. v. Anil Badyakar and Ors, (2009) 13 SCC 112**, as thus:

> "20. The principles indicated above would give a clear indication that the compassionate appointment is not a vested right which can be exercised at any time in future. The compassionate employment cannot be claimed and offered after a lapse of time and after the crisis is over."
>
> (Emphasis Supplied)

It has further been held by Hon'ble Supreme Court in the case of **Bhawani Prasad Sonkar v. Union of India and Ors, (2011) 4 SCC 209**, as under:

> "15. Now, it is well settled that compassionate employment is given solely on humanitarian grounds with the sole object to provide immediate relief to the employee's family to tide over the sudden financial crisis and cannot be claimed as a matter of right. Appointment based solely on descent is inimical to our constitutional scheme, and ordinarily public employment must be strictly on the basis of open invitation of applications and comparative merit, in consonance with Articles 14 and 16 of the Constitution of India. No other mode of appointment is permissible. Nevertheless, the concept of compassionate appointment has been recognized as an exception to the general rule, carved out in the interest of justice, in certain exigencies, by way of a policy of an employer, which partakes the character of the service rules. That being so, it needs little emphasis that the scheme or the policy, as the case may be, is binding both on the employer and the employee. Being an exception, the scheme has to be strictly construed and confined only to the purpose it seeks to achieve."
>
> (Emphasis Supplied)

It has further been held by Hon'ble Supreme Court in the case of **MGB Gramin Bank v. Chakrawarti Singh, (2014) 13 SCC 583**, as under:

> "6. Every appointment to public office must be made by strictly adhering to the mandatory requirements of Articles 14 and 16 of the Constitution. An exception by providing employment on compassionate grounds has been carved out in order to remove the financial constraints on the bereaved family, which has lost its breadearner. Mere death of a government employee in harness does not entitle the family to claim compassionate employment. The competent authority has to examine the

financial condition of the family of the deceased employee and it is only if it is satisfied that without providing employment, the family will not be able to meet the crisis, that a job is to be offered to the eligible member of the family. More so, the person claiming such appointment must possess required eligibility for the post. The consistent view that has been taken by the Court is that compassionate employment cannot be claimed as a matter of right, as it is not a vested right. The Court should not stretch the provision by liberal interpretation beyond permissible limits on humanitarian grounds. Such appointment should, therefore, be provided immediately to redeem the family in distress. It is improper to keep such a case pending for years."

(Emphasis Supplied)

5. In view of the aforesaid decisions also, after 24 long years from the year father of this appellant had expired, no compassionate appointment can be given to the appellant. Previously also, W.P.(S) No. 953 of 2003 was dismissed for the very same facts and for the very same reasons by a detailed speaking order vide order dated 19.08.2009 and hence, no second writ petition can be preferred on the principle of *res judicata*. We see no reason to take any other view than what has been taken by the learned Single Judge while dismissing W.P.(S) No. 2275 of 2010. We are in agreement with the reasons stated by the learned Single Judge vide order dated 25.04.2016 and hence, there is no substance in this Letters Patent Appeal and the same is dismissed with cost of **Rs. 10,000/-** (Rupees Ten Thousand only), which will be deposited by this appellant before the Advocates Welfare Fund, Jharkhand, Ranchi within a period of eight weeks from today.

6. Registry General of this Court is directed to send the copy of this order to the Advocates Welfare Fund, Jharkhand, Ranchi.

Sd/-
(D.N. Patel, A.C.J.)

Sd/-
(Ratnaker Bhengra, J.)

True Copy

Secretary/ Sr. P.A./P.A.
___/___/2017

NAFR
SD/SB

23/9/17 Registrar IV

पत्रांक : 14 / कोर्ट–02–06 / 2016 का० ..... /

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

निधि खरे भा०प्र०से०,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त, झारखण्ड।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक : ..... / ..... / 2017

विषय : W.P.(S) No.- 954/2016 - विनय कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर **W.P.(S) No.- 954/2016 - विनय कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक–10.02.2017 को** पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न करते हुए सूचित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायलय में उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य एवं एस० मोहन बनाम तामिलनाडु राज्य के मामले में पारित आदेश के आलोक में यह निर्णय दिया गया है कि **अनुकम्पा के आधार पर नियोजन एक तर्कसंगत अवधि के बाद स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।**

उल्लेखनीय है कि अनुकम्पा के आधार पर नियोजन हेतु निर्गत अनुदेश पत्र संख्या–10167, दिनांक–01.12.2015 में अनुकम्पा के आधार पर नियोजन के लिए आवदेन प्राप्त करने की समय–सीमा सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष निर्धारित है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से पाँच वर्ष के बाद अनुकम्पा के आधार पर नियोजन हेतु प्राप्त आवेदन को संबंधित कार्यालय रतर से ही अस्वीकृत करने का निर्णय लिया जा सकता है तथा इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को मामला प्रसंगित करने का कोई औचित्य नहीं है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह० / –
(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

कृ० पृ० उ०

ज्ञापांक–14 / कोर्ट–02–06 / 2016 का० ..... / राँची, दिनांक :– ..... / ..... / 2017

प्रतिलिपि : अनुलग्नक की प्रति सहित सभी विभाग एव विभागाध्यक्ष, झारखण्ड / पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / कोर्ट–02–06 / 2016 का० **10213(अनु०)** / राँची, दिनांक :– 03 / 10 / 2017

प्रतिलिपि : अनुलग्नक की प्रति सहित श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर समुचित महत्वपूर्ण पत्र की श्रेणी में रखने हेतु अग्रसारित।

25/9/17

सरकार के प्रधान सचिव।

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI

W.P. (S) No. 954 of 2016

Vinay kumar Singh, S/o Late Kedar Singh, R/o Singhara Kala, Daltonganj, P.O.- Singhara Kurd, Daltonganj, District- Palamu, .

... ... **Petitioner**

VERSUS

1. The State of Jharkhand
2. The Secretary, Department of Administrative Reform & Rajbhasa, Government of Jharkhand, Project Building, P.O. & P.S- Dhurwa, District Ranchi.
3. The Director in Chief, Department of Health, Project Building, P.O. & P.S- Dhurwa, District Ranchi.
4. The Deputy Commissioner, Garhwa, P.O., P.S. & Dist.- Garhwa.
5. The Deputy Commissioner, Palamu, Madnenagar, P.O. & P.S. – Palamu, Dist. Palamu.
6. The Civil Surgeon, Garhwa, P.O., ., P.S. & Dist.- Garhwa.
7. The In-charge Medical Offricer, Bhawnathpur, P.O & P.S.- Bhawnathpur, Dist. Palamu.

... ... **Respondents**.

For Petitioner	:	Mr. Niranjan Kumar, Advocate
For Respondents	:	Mr. Dhanajay Kr. Dubey, Advocate

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE DR. S. N. PATHAK

05/ 10.02.2017 Heard learned counsel for the petitioner and learned counsel for the respondents.

2. The petitioner has approached this Court with a prayer for quashing the Memo No. 07/*Moo*.../*Stha*... dated 04.03.2008 partly/portion of petitioner passed by the Deputy Commissioner, Garhwa/Respondent No. 4, in which the claim of the petitioner regarding compassionate appointment has been rejected and with a further prayer to appoint the petitioner on compassionate ground in Health Department, Govt. of Jharkhand on account of death of his father during service period from the post of Inspector, Vigilance, Primary Health Centre, Bhawnathpur, Palamu.

FACTUAL MATRIX

3. The father of the petitioner was working as Inspector, Vigilance at

Primary Health Department, Garhwa and during the service period, he died on 23.04.1982 due to heart attack and at the time of death, the petitioner was minor. After death of father of the petitioner, the mother of the petitioner had submitted an application on 26.07.1982 before the respondent No. 7 for her appointment on compassionate ground but she never pursued her case. Thereafter, the petitioner after attaining the majority and obtaining some education, had approached before the respondents-authorities in respect of his appointment on compassionate ground. On 01.11.2007, he submitted an application with no objection certificate of his mother and elder brothers for his appointment. It is alleged that the respondents have refused the prayer of the petitioner on 04.03.2008 without considering the grievance of the petitioner and also the rejection order has not been communicated to him. Thereafter, when the petitioner approached the respondent-authorities, he was communicated about the reasons for rejection vide letter dated 20.01.2009, mentioning therein that the claim was rejected on the basis of circular No. 4734 dated 19.05.1992 and hence, this writ petition.

4. Learned counsel for the petitioner, Mr. Niranjan Kumar, submits that the respondents-authorities have illegally, arbitrarily and unreasonably rejected the claim of the petitioner and the petitioner deserves to be appointed on compassionate ground. The application of the mother was filed within time, i.e. the father died on 23.04.1982 and petitioner's mother made an application on 26.07.1982 itself. Learned counsel further submits that when the mother was not appointed then the petitioner, after attaining the majority, applied for compassionate appointment. Learned counsel for the petitioner also submits that the ground of rejection in Circular No. 4734 dated 19.05.1992 is not applicable in his case because mother of the petitioner has already applied within time.

5. Mr. Dhanajay Kr. Dubey, learned counsel appearing for the respondents opposes the contention of learned counsel for the petitioner and submits that the petitioner is not entitled for any relief in view of circular No.4734 dated 19.05.1992. The stand of the learned counsel for the petitioner is wholly misconceived as the circular is very clear that an application of any person on attaining the majority cannot be entertained by the Government, as the application of the petitioner was hopelessly barred by limitation and the same has rightly been rejected.

6. Be that as it may, having gone through the rival submissions of the parties, this Court is of the view that the claim of the petitioner has rightly been rejected by the respondents. The impugned order does not require any

interference. The petitioner has approached before the respondents-authorities after 25 years from the date of death of his father for appointment on compassionate ground and 8 years after order of rejection, before this Court. The petitioner has approached this Court for seeking relief for compassionate appointment, which was not tenable in the eyes of law. The case of the petitioner is a belated claim and impugned order warrants no interference.

7 So far as the question of nature and object of appointment on compassionate ground, it is relevant to take note of what is stated by this Court in **Umesh Kumar Nagpal v. State of Haryana: (SCC p. 141, para 6)**

> *"6. ... the compassionate employment cannot be granted after a lapse of a reasonable period which must be specified in the rules. The consideration for such employment is not a vested right which can be exercised at any time in future. The object being to enable the family to get over the financial crisis which it faces at the time of the death of the sole breadwinner, the compassionate employment cannot be claimed and offered whatever the lapse of time and after the crisis is over."*

In case of **S. Mohan Vs. Govt. of Tamil nadu report in 1998 (9) SCC 485** in paragraph 4 which reads as under:-

> *4...the object being to enable the family to get over the financial crisis which it faces at the time of the death of the sole breadwinner, the compassionate appointment cannot be claimed and offered whatever the lapse of time and after the crisis is over.*

Similar views have also been expressed in catena of decisions more so there is no provision in the State Govt. to keep a post vacant till the minor attained the majority like in other schemes floated by different organizations like Coal India etc.

8. As a cumulative effect of the aforesaid rules, guidelines and judicial pronouncements, the writ petition merits dismissal and the impugned order warrants no interference. Resultantly, the writ application stands dismissed.

(Dr. S.N. Pathak, J.)

pmat-

7988
12.7.17

संचिका सं0–14/अनु0–01–05/2012 का0.....

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : **सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से सम्बन्धित नीति में संशोधन।**

सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के निमित्त कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत अनुदेश पत्र संख्या–10167 दिनांक–01.12.2015 की कंडिका–8 के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियोजन वेतनमान–PB-1, 5200–20200, ग्रेड वेतन–1800/1900 तक समूह–'ग' के सभी प्रकार के पदों पर तथा समूह–'घ' के अधिकतम 1800 ग्रेड वेतन तक के सभी प्रकार के पदों पर की जा सकती है और अनुदेश की कंडिका–12(i) के अनुसार इस प्रकार के नियोजन की अनुशंसा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में पदस्थापित रहे कर्मियों के मामले में प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तथा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय से बाहर पदस्थापित रहे कर्मियों के मामले में सम्बद्ध उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला अनुकम्पा समिति की अनुशंसा किये जाने का प्रावधान है। नियुक्ति, उस पद के सक्षम प्राधिकार द्वारा की जाती है, जिस पद के विरुद्ध अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

2. राज्य में आरक्षी के पद का वेतनमान–PB-1, 5200–20200, ग्रेड वेतन 2000 रुपया प्रति माह रहने के कारण अनुकम्पा के आधार पर नियोजन की वर्तमान नीति के अनुसार आरक्षी के पद पर, नियोजन सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस सन्दर्भ में विभिन्न जिलों एवं पुलिस संगठन की ओर से राज्य सरकार से बार–बार मार्गदर्शन की अपेक्षा की जा रही थी।

3. अनुकम्पा के आधार पर आरक्षी के पद पर नियोजन के संदर्भ में उपर्युक्त कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियोजन सम्बन्धी अनुदेश की सम्बद्ध कंडिका 8 एवं 12 में निम्नवत् संशोधन करने का विचार किया गया है :–

I. अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) की अध्यक्षता में एक अन्य अनुकम्पा समिति गठित रहेगी।

समिति का स्वरूप निम्न प्रकार होगा :–

1. अपर पुलिस महानिदेशक (मु0), झारखण्ड	– अध्यक्ष
2. अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस	– सदस्य
3. पुलिस उप महानिरिक्षक विशेष शाखा/ अपराध अनुसंधान विभाग	– सदस्य
4. पुलिस उप महानिरिक्षक, गृह रक्षा वाहिनी	– सदस्य
5. महानिदेशक सह महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के प्रतिनिधि	– सदस्य

समिति का कार्यक्षेत्र

विभागीय पत्र सं0–10167, दिनांक–01.12.2015 की कंडिका–12 के अनुरूप उपर्युक्त समिति निम्न स्थितियों में विचार कर नियुक्ति पदाधिकारी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकती है :–

(i) समिति यह देखेगी कि पुलिस/गृह रक्षा वाहिनी के सरकारी सेवक/ अग्निशमन कार्य में संलिप्त कर्मी की मृत्यु उग्रवादी/नक्सली गतिविधि या अन्य आकस्मिक कार्यों का सम्पादन करते समय कर्त्तव्य के दौरान मृत्यु हुई है या इस दौरान घायल/गंभीर बिमारी से ग्रस्त होने के कारण या सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हुई है।

(ii) आश्रित परिवार के सदस्यों द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए नामित व्यक्ति मात्र पुलिस बल/गृह रक्षा वाहिनी/अग्निशमन, जिस बल मे मृतक कार्यरत था, नियुक्त होने की इच्छा रखता हो एवं आवश्यक अर्हताएं धारण करता हो।

(iii) अनुशंसा उसी संगठन के लिए अनुमान्य पदों यथा मात्र पुलिस/गृह रक्षा वाहिनी/अग्निशमन के कार्मिकों के रिक्त पद के विरूद्ध की जा सकती है, जिस बल में मृतक कार्यरत था।

(iv) उक्त संगठनों के अर्न्तगत आने वाले टंकक/लिपिक आदि के पद के विरूद्ध नियुक्ति की अनुशंसा पूर्ववत जिला अनुकम्पा समिति से प्राप्त किया जायेगा।

(v) यह अनुकम्पा समिति दुर्घटना के तुरंत बाद या कम से कम दुर्घटना के एक माह के अन्दर सम्यक् विचारोपरान्त नियुक्ति अनुशंसा किया करेगी।

II. सेवाकाल में मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर **मात्र पुलिस के पद पर नियोजन के निमित्त ग्रेड–वेतन की अधिसीमा–2000/– रखी जाय।**

III. मृत पुलिसकर्मियों के आश्रित जो पुलिस के पद पर नियुक्ति हेतु शारीरिक मापदण्ड नहीं रखते हैं, उन्हें अनुकम्पा के आधार पर नियोजन हेतु निर्गत अनुदेश पत्र संख्या–10167 दिनांक–01.12.2015 की कंडिका–12 में यथा उल्लिखित केन्द्रीय/जिला अनुकम्पा समिति में विचार कर अनुकम्पा का लाभ प्रदान किया जा सकता है।

विभागीय पत्र सं0–10167, दिनांक–01.12.2015 की कंडिका–8 एवं कंडिका–12 (i) इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

पत्रांक :– 14/अनु0 01–05/2012 का0 10167 (कार्मि०)

झारखण्ड सरकार

कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

रतन कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 01/12/2015

विषय :– सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सेवाकल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियोजन के मामले में अबतक एकीकृत बिहार सरकार के परिपत्र सं0–13293 दिनांक–05.10.1991 एवं अनुवर्ती परिपत्र के आलोक में कार्रवाई की जाती रही है।

इस संबंध में परिवर्तित स्थिति एवं प्रभावी परिपत्रों के आधार पर कार्रवाई में उत्पन्न कठिनाईयों को दृष्टिपथ में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त राज्य में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति अब निम्नलिखित योजना के अनुरूप करने का निर्णय लिया गया है:–

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की योजना

(1) उद्देश्य – सेवाकाल में सरकारी सेवकों के असामयिक निधन के उपरान्त उनके आश्रित परिवार के जीविकोपार्जन का आधार अचानक समाप्त हो जाने के कारण उस परिवार को आर्थिक संकट से उबारना तथा परिवार को तत्क्षण आर्थिक सहायता पहुँचाया जाना इस योजना का उद्देश्य है।

(2) इस योजना का लाभ किसे प्राप्त हो सकता है ?

इस परिपत्र की कंडिका 4 में यथा परिभाषित संबंधित मृत सरकारी सेवक का परिवार जिसकी घोषणा तद्हेतु विहित प्रपत्र IV में सरकारी सेवक द्वारा समय समय पर की गई हो।

(3) इस योजना के लिए सरकारी सेवक से तात्पर्य है –

(i) सरकारी सेवक से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा, जिसकी नियमित नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन किसी अधिष्ठान/स्थापना में स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत् कीगयी हो।

(ii) कार्यभारित स्थापना से नियमित हुए कर्मियों के नियमित होने के बाद सेवाकाल में मृत्यु होने पर अन्य सरकारी सेवक की तरह उनके आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति की जा सकेगी।

(iii) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति नियमित नियुक्ति मानी जायेगी। इस प्रकार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित अनुकम्पा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

किन्तु लापता सरकारी सेवक के आश्रित का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

(4) आश्रित परिवार से क्या तात्पर्य है ?

सरकारी सेवक के निम्नलिखित सदस्य सीधे आश्रित माने जायेंगे :–

(i) पत्नी/पति :– यथा स्थिति।
(ii) पुत्र/ विधवा पुत्रवधू।
(iii) अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री एवं विवाहित पुत्री जो सरकारी सेवक की मृत्यु के समय उसपर पूर्णतया आश्रित रही हों।
(iv) दत्तक पुत्र/दत्तक अविवाहित पुत्री (हिन्दु एडाप्शन एण्ड मेंटेनेन्स एक्ट 1956 के प्रावधान के अनुसार)

अविवाहित सरकारी सेवक के मामले में :–

(i) माता/पिता
(ii) अविवाहित भाई/अविवाहित बहन

(5) आवेदक का चयन किस अधिमान क्रम में हो सकता है ?

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदक से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा, जो मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों में से निम्न अधिमानता क्रम में चयनित हो सकेंगे:–

(i) पत्नी/पति :– यथा स्थिति।

2 ~

(ii) पुत्र / विधवा पुत्रवधू।

(iii) अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता पुत्री एवं विवाहित पुत्री जो सरकारी सेवक की मृत्यु के समय उसपर पूर्णतया आश्रित रही हों।

(iv) दत्तक पुत्र / दत्तक अविवाहित पुत्री (हिन्दु एडाप्शन एण्ड मेंटेनेन्स एक्ट 1956 के प्रावधान के अनुसार)

अविवाहित सरकारी सेवक के मामले में :–

(i) माता / पिता (यदि उनकी आयु 50 वर्ष के अन्दर हो)

(ii) अविवाहित भाई / अविवाहित बहन

(6) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए उम्र सीमा क्या होगी ?

अनुकम्पा के आधार पर किसी आश्रित की नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र प्रस्तावित सेवा में प्रवेश के लिए नियुक्ति नियमावली में विहित प्रावधान के अनुरूप होगा।

इसी प्रकार आश्रित की नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा वही रहेगी जो समय–समय पर सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हो।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा मात्र पति / पत्नी / माता / पिता / अविवाहित पुत्री / विधवा पुत्रवधू, विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता पुत्री / विवाहित पुत्री के मामले में प्रस्तावित पद से सम्बन्धित विभाग / विभागाध्यक्ष सेवा संहिता के नियम–54 (क) के तहत प्रदत शक्ति का प्रयोग कर क्षान्त कर सकेंगे।

(7) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किस सक्षम स्तर से हो सकती है ?

नियुक्ति हेतु प्रस्तावित पद के भर्त्ती नियमावली में विहित नियुक्ति प्राधिकार अनुकम्पा के मामले में भी नियुक्ति प्राधिकार होंगे।

(8) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किन पदों पर हो सकती है ?

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति वेतनमान PB-I, 5200–20200, ग्रेड वेतन 1800 / 1900 तक समूह 'ग' के सभी प्रकार के पदों पर तथा समूह 'घ' के अधिकतम 1800 ग्रेड वेतन तक के सभी प्रकार के पदों पर की जा सकती है।

परन्तु यदि सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि को पति या पत्नी (जो भी लागू हो) सरकारी सेवा में हों, तो मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

किन्तु पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में रहे हों और उनमें से किसी एक सरकारी सेवक की मृत्यु / सेवानिवृत्ति पूर्व में हो गयी हो तो सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा का लाभ देय होगा।

"परन्तु यह और कि सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन अथवा संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मी के मृत्यु के उपरान्त अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा"।

(9) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अर्हता क्या होगी ?

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदक को,

(क) मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण पोषण का सफलता पूर्वक वहन करने संबंधी घोषणा करना होगा। (घोषणा पत्र का प्रारूप संलग्न)

(ख) दहेज नहीं लेने/देने तथा सरकारी सेवा में नियुक्ति से संबंधित अन्य शर्तें पूरी करनी होगी।

(ग) शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता– आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता प्रस्तावित पद की नियुक्ति नियमावली में विहित प्रावधान के अनुसार होगी।

किन्तु अन्य वांछनीय अर्हता पूरी नही करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रस्तावित पद पर इस शर्त के साथ की जायेगी, कि सेवा अवधि में वांछनीय अर्हता प्राप्त किये बिना उनकी सेवा की संपुष्टि नहीं होगी।

परन्तु आवेदक, यदि पागल/दिवालिया घोषित हो या संज्ञेय अपराध के लिए न्यूनतम 6 माह का कारावास काट चुका हो या जिस पर न्यायालय में ऐसा मुकदमा विचाराधीन हो जिसमें मृत्यु दंड या 6 मास या इससे अधिक अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, तो उस आवेदक का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(10) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन किस प्रकार करें ?

अनुलग्न विहित प्रपत्र में आवेदक अधोलिखित कागजात के साथ दो प्रति में अपना आवेदन पत्र उसी कार्यालय में सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर समर्पित करेंगे, जहाँ मृत सरकारी सेवक अंतिम रूप से कार्यरत रहे थे।

<u>अपेक्षित कागजात</u>

(क) पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र (प्रपत्र–I दो प्रतियों में)

(ख) मृत सरकारी सेवक का मृत्यु प्रमाण पत्र

(ग) आवेदक का उम्र प्रमाण पत्र (झारखण्ड एकेडमिक कॉन्सिल/सम्बद्ध विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत)

(घ) शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र

(ङ) जाति प्रमाण पत्र यदि आवेदक आरक्षित वर्ग से हो

(च) अन्य आश्रित सदस्यों का अनापत्ति प्रमाण पत्र

(छ) आवेदक द्वारा भरण–पोषण संबंधी घोषणा पत्र (प्रपत्र–III दो प्रतियों में)

2 ~

(ज) नियंत्री पदाधिकारी का प्रमाण पत्र कि परिवार के किसी आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं होने से वह परिवार वित्तीय संकट से उबर नहीं पायेगा।

उपर्युक्त (ख) से (छ) तक अंकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ दो अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाएगी।

(11) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में कार्यालय प्रधान का क्या दायित्व है ?

(i) आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र की छानबीन कर आवेदन पत्र प्रपत्र–II (जांच पत्र) में सूचनाएँ अंकित कर आवेदन पत्र की एक प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र/उम्र संबंधी प्रमाण पत्र/शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति से मिलान कर उन्हें प्रतिहस्ताक्षरित करतें हुए प्रस्तावित नियुक्ति हेतु रिक्त पद की सूचना के साथ सम्बद्ध अनुकम्पा समिति के समक्ष अनुशंसा हेतु प्रस्ताव यथा शीघ्र भेजेंगे, परन्तु किसी भी स्थिति में प्रस्ताव आवेदन पत्र की प्राप्ति की तिथि से दो माह के अन्दर समिति को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस समय सीमा का पालन करना कार्यालय प्रधान का दायित्व होगा। आवेदक द्वारा समर्पित मूल प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरण के बाद आवेदक को वापस कर दिया जायेगा।

(ii) आवेदक के दावे पर समूह 'ग' में वेतनमान PB-I, 5200–20200, ग्रेड वेतन 1800/1900 के रिक्त पद पर या समूह 'घ' के अधिकतम 1800 ग्रेड वेतन तक के सभी स्वीकृत पद के विरूद्ध नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा। (प्रपत्र–II में अंकित प्रपत्र के अनुसार)

यदि उक्त पद के लिए लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा ली जाती है, तो उसे क्षान्त समझा जायेगा।

(iii) अनुकम्पा समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अनुशंसा की प्राप्ति की तिथि से एक माह के अन्दर अनुशंसित व्यक्ति के पक्ष में नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा।

इसमें विलम्ब होने पर सम्बद्ध कार्यालय प्रधान एवं नियुक्ति पदाधिकारी दोनों सम्मिलित रूप से जवाबदेह होंगे।

(12) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा किस समिति द्वारा होगी और उसका क्या दायित्व है ?

मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार को त्वरित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार में द्विस्तरीय अनुकम्पा समिति निम्न रूप में गठित की जाती है:–

(क) **केन्द्रीय अनुकम्पा समिति** :– सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में नियुक्त/पदस्थापित सरकारी सेवक के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में केन्द्रीय अनुकम्पा समिति विचार करेगी;

<u>केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की संरचना</u>

(i) प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग। — अध्यक्ष

2 ✓

(ii)	प्रधान सचिव/सचिव, वित्त द्वारा मनोनीत संयुक्त सचिव से अन्यून श्रेणी के एक पदाधिकारी।	सदस्य
(iii)	प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग	सदस्य
(iv)	सम्बद्ध विभाग के प्रधान सचिव/सचिव	विशेष आमंत्रित सदस्य
(v)	कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के विषय से संबंधित संयुक्त/उप सचिव।	सदस्य सचिव

(ख) **जिला अनुकम्पा समिति** :– सचिवालय एवं घोषित संलग्न कार्यालयों को छोड़कर जिला के क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों में कार्यरत रहे मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पर उपायुक्त की अध्यक्षता में निम्न सदस्यों के साथ जिला अनुकम्पा समिति विचार करेगी;

(i)	उपायुक्त –	अध्यक्ष
(ii)	उप विकास आयुक्त –	उपाध्यक्ष
(iii)	कार्य विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी –	एक सदस्य
(iv)	समाज सेवा/आर्थिक सेवा के जिलास्तरीय पदाधिकारी–	एक सदस्य
(v)	जिला कल्याण पदाधिकारी –	सदस्य

(ii) अनुकम्पा समिति यह देखेगी कि आवेदक पत्र विहित समय–सीमा के अन्तर्गत समर्पित किया गया हो,

(iii) प्रस्तावित पद के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं की भली भांति जांच कर कार्यालय द्वारा प्रतिवेदित रिक्तियों के विरूद्ध ही नियुक्ति अनुशंसा अनुकम्पा समिति कर सकेगी।

परन्तु यदि प्रस्तावित कार्यालय द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति योग्य पद की रिक्ति की सूचना शून्य दी गयी हो, तो सम्बद्ध कार्यालय यथा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में सदृश रिक्त पद, जो अन्य विभाग द्वारा प्रतिवेदित हो या जिला में स्थित अन्य कार्यालय से प्रतिवेदित हो, के विरूद्ध सम्बन्धित अनुकम्पा समिति अनुशंसा कर सकेगी।

(iv) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रस्तावित पद की शैक्षणिक अर्हता सामान्यतया क्षान्त नहीं हो सकेगी। महिला आवेदक को साईकिल चलाने की योग्यता को क्षान्त कर नियुक्ति करने की अनुशंसा अनुकम्पा समिति कर सकेगी।

(v) सेवा संहिता के नियम 54, परिशिष्ट–I में अंकित विशेष प्रावधान के आलोक में अनुकम्पा समिति 50 वर्ष से कम आयु वाले केवल पति/पत्नी/माता/पिता/अविवाहित पुत्री,/विधवा पुत्रवधू, विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री के मामले में प्रस्तावित पद

2~

से सम्बन्धित विभाग/विभागाध्यक्ष सेवा संहिता के नियम–54 (क) के तहत प्रदत शक्ति का प्रयोग कर क्षान्त कर सकेंगे।

आवेदक की सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा को क्षान्त करने की अनुशंसा अनुकम्पा समिति कर सकेगी।

(vi) अनुकम्पा समिति की बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित होगी।

(13) आरक्षण की दृष्टि से अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का सामंजन किस रूप में होगा ?

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति रिक्त पद के आरक्षण कोटि को ध्यान में रखे बिना की जा सकेगी, किन्तु नियुक्त व्यक्ति आरक्षण की दृष्टि से जिस कोटि का होगा, उसी कोटि के पद के विरूद्ध नियुक्त माने जाएँगे और आरक्षण की दृष्टि से उसी कोटि में समायोजित होंगे।

(14) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पत्र किस स्तर से निर्गत होगा ?

सम्बद्ध अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति पत्र नियुक्ति पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा तथा यह शक्ति किसी भी स्थिति में अधीनस्थ पदाधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकेगा।

यह नियुक्ति विधिवत स्वीकृत पद के विरूद्ध नियमित तौर पर की जायेगी तथा नियुक्ति नियमावली में यथा विहित प्रावधान के आलोक में नियुक्त व्यक्ति की सेवा परीक्ष्यमान अवधि, विभागीय परीक्षा आदि जैसे दायित्वों के निर्वहन के बाद सम्पुष्ट की जा सकेगी।

(15) किन बातों का विशेष ख्याल रखा जाना आवश्यक है ?

(क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र निर्गत होने के एक माह के अन्दर नियुक्त व्यक्ति को सेवा में योगदान कर लेना होगा।

सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के बिना, योगदान की अवधि विस्तारित नहीं की जा सकेगी तथा समय पर योगदान नहीं करने की स्थिति में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पुनर्विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता/दत्तक पुत्री एवं विधवा पुत्र वधू विवाह के लिए इस शर्त के साथ स्वतंत्र होंगी कि मृत सरकारी सेवक के आश्रितों का भरण–पोषण भविष्य में सफलता पूर्वक वहन करेंगी।

(ग) नियुक्ति के बाद किसी भी स्थिति में अनुकम्पा समिति पुनर्विचार नहीं करेगी अर्थात संवर्ग/पद परिवर्तन की सुविधा नहीं दी जा सकेगी।

(घ) मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण पोषण के दायित्व का सफलता पूर्वक निर्वहन नहीं करने की स्थिति में नियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी तथा उसे पदमुक्त किया जा सकेगा।

(ङ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से निर्गत इस परिपत्र के अलावे किसी अन्य विभाग से निर्गत परिपत्र के आलोक में यदि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जाती है तो उसे वैध नहीं माना जायेगा।

(च) प्रत्येक स्थापना प्रभारी उनके अधीनस्थ सरकारी सेवकों के सेवाकाल के दौरान प्रत्येक 10 वर्ष पर विहित प्रपत्र–IV में उनपर आश्रित सदस्यों के संबंध में सरकारी सेवक की घोषणा प्राप्त किया करेंगे।

(छ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संदर्भ में उपर्युक्त विहित प्रावधान में संशोधन अथवा इसके किसी बिन्दु के संबंध में स्पष्टीकरण की शक्ति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में पूर्ववत् सन्निहित होगी।

(ज) परिपत्र के निर्गत होने की तिथि से पूर्व सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु निर्गत सभी संकल्प/अनुदेश एतद् द्वारा अवक्रमित समझे जाएँगे।

(झ) "अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की योजना" सभी प्रकार के सरकारी सेवकों के मामले में एक रूप से लागू समझी जाएगी।

(ञ) "अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की योजना" राज्य के सभी स्वशासी निकाय/बोर्ड/निगम/विश्वविद्यालयों में पूर्णरूप से लागू समझा जाएगा। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियाँ उक्त योजना के अनुसार की जाएगी।

(ट) उक्त योजनान्तर्गत की गई व्यवस्था के संदर्भ में किसी भी दुविधा की स्थिति में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

प्रभाव एवं विस्तार

यह योजना राज्य सरकार के अधीन सभी लोक उपक्रमों/स्वशासी निकायों/प्राधिकारों/निगमों/परिषदों या राज्य सम्बोधित संस्थाओं पर पूर्ण रूप से लागू मानी जाएगी।

लोक उपक्रमों/स्वशासी निकायों/प्राधिकारों/निगमों/ परिषदों या राज्य सम्पोषित संस्थाओं के राज्य स्तरीय कार्यालय के मामले में केन्द्रीय अनुकम्पा समिति तथा उनके क्षेत्रीय कार्यालय के मामले में जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति की अनुशंसा प्राप्त की जायेगी।

परन्तु यह कि संबंधित संस्थानों से प्राप्त अनुकम्पा संबंधी प्रस्ताव के आलोक में अनुकम्पा समिति उसी संस्थान द्वारा प्रतिवेदित रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति की अनुशंसा किया करेगी।

विश्वासभाजन

01/12/15

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–14 / अनु0 01–05 / 2012 का०– 10167 / रांची, दिनांक 01/12/2015

प्रतिलिपि– सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त एवं झारखण्ड विधान सभा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/12/15

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–14 / अनु0 01–05 / 2012 का०– 10167 / रांची, दिनांक 01/12/2015

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव / विकास आयुक्त / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, महानिबंधक, उच्च न्यायालय, झारखण्ड / महाधिवक्ता, झारखण्ड, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/12/15

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–14 / अनु0 01–05 / 2012 का०– 10167 / रांची, दिनांक 01/12/2015

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

01/12/15

सरकार के सचिव।

विहित प्रपत्र–I

सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

(क.) 1. मृत सरकारी सेवक का नाम ——————————

2. पदनाम/पद समूह ——————————

3. जन्म तिथि ——————————

4. सरकारी सेवा में प्रवेश की तिथि ——————————

5. मृत्यु की तिथि ——————————

6. सेवा की कुल अवधि ——————————

7. स्थायी/अस्थायी ——————————

8. आरक्षण कोटि ——————————

(ख) 1. आवेदक का नाम ——————————

2. मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध ——————————

3. जन्म तिथि ——————————

4. शैक्षणिक योग्यता ——————————

5. अन्य अर्हता (यदि कोई हो।) ——————————

6. सरकारी सेवा मे नियोजित अन्य आश्रित का विवरण (यदि कोई हो।) ——————————

(ग) मृत सरकारी सेवक द्वारा छोड़े गये परिसम्पत्ति का विवरणः–

1. भविष्य निधि की राशि ——————————

2. मृत्यु सह उपादान की राशि ——————————

3. परिवारिक पेंशन प्रतिमाह ——————————

2~

4. जीवन बीमा / अन्य बीमा की राशि ——————————

5. चल / अचल सम्पत्ति द्वारा प्राप्त वार्षिक आय ——————————

6. ग्रुप बीमा की राशि ——————————

7. अव्यवहृत छुट्टी से प्राप्त राशि ——————————

8. अन्य परिसम्पत्ति (यदि कोई हो।) ——————————

कुल ——————————

9. देयत्ताओं का संक्षिप्त विवरण

10. परिवार के आश्रितों की सूचीः–

क्रमांक	नाम	मुत सरकारी सेवक से सम्बन्ध	जन्म तिथि / उम्र	वर्तमान पता	नियोजन की स्थिति
1	2	3	4	5	6

घोषणा

1. मैं, एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि उपरलिखित सूचनाएँ मेरे जानकारी के अनुसार सही है। यदि कोई उपरलिखित तथ्य भविष्य में सही नहीं पाया गया तो मुझे सेवा से हटा दिया जाएगा।

2. मैं, एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल सहजता पूर्वक करूँगा। यदि कभी ऐसा प्रमाणित होगा की आश्रित परिवार के किसी सदस्य के देखभाल सहजता पूर्वक नहीं करता हूँ तो मुझे सेवा से हटा दिया जाएगा।

तिथिः–

आवेदक का हस्ताक्षर

नामः–
पताः–

1. श्री / श्रीमती / कुमारीः———————————————— को मैं जानता हूँ तथा उसके अथवा उसकी द्वारा अंकित तथ्य सही है।

दिनांक–

स्थायी सेवक का हस्ताक्षर

नामः–

पदनामः–

कार्यालय का पताः–

2. श्री / श्रीमती / कुमारीः———————————————— को मैं जानता हूँ तथा उसके अथवा उसकी द्वारा अंकित तथ्य सही है।

दिनांक–

स्थायी सेवक का हस्ताक्षर

नामः–

पदनामः–

कार्यालय का पताः–

2 ✓

विहित प्रपत्र–II

मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में जाँच पत्र एवं अनुशंसा।

1. मृत सरकारी सेवक का नाम (पदनाम एवं वेतनमान सहित) :–

2. मृत्यु की तिथि :–

3 स्थायी/अस्थायी पद का विवरण :–

4. प्रदत्त सेवा की कुल अवधि :–

5. आश्रित का नाम जिसकी नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जा रही है। :–

6. मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध :–

7. जन्म तिथि :–

8. शैक्षणिक योग्यता :–

9. विभाग/ कार्यालय में उपलब्ध वर्ग–3 (वेतनमान PB-I, 5200-20200, GP-1800/1900) एवं वर्ग–4 के रिक्त पदों की सूचना :–

10. प्रमाणित किया जाता है कि मृत सरकारी सेवक..... पदनाम..... कार्यालय.....में कार्यरत थे। इनके मृत्यु के पश्चात इनके आश्रितों की स्थिति/परिसम्पति/देयाताओं के अनुसार बिना अनुकम्पा नियुक्ति के इस परिवार का भरण पोषण संभव नहीं है।

अतः आवेदक की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की जाती है।

कार्यालय प्रधान/ विभागाध्यक्ष
का हस्ताक्षर/मुहर

2~

प्रपत्र–III

आवेदक का घोषणा पत्र
(नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र के रूप में)

1. मैं .....पुत्र / पुत्री / पत्नी / पति / पुत्र–वधू / माता / पिता / अविवाहित भाई / बहन स्व0..... पूर्व– (पदनाम)....., कार्यालय....., जो ग्राम / शहर..... थाना..... ..... अनुमंडल..... जिला..... राज्य..... ..... के स्थायी निवासी है।

2. मेरे..... का निधन दिनांक..... को हुआ है।

3. स्व0..... के आश्रितों में से निम्नांकित व्यक्ति का भरण पोषण मेरे द्वारा सहज भाव से किया जाएगा।

क्रमांक	नाम	मुत सरकारी सेवक से सम्बन्ध	जन्म तिथि / उम्र	वर्तमान पता	नियोजन की स्थिति
1	2	3	4	5	6

4. मैं एतद् द्वारा शपथ पूर्वक यह घोषित करता हूँ कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के पश्चात उपर्युक्त आश्रितों में से किसी सदस्य द्वारा यदि उसके भरण–पोषण में किसी प्रकार की कमी पायी जाये तो मुझे सेवा से हटा दिये जाने का निर्णय लेने हेतु राज्य सरकार स्वतंत्र होगा।

आज दिनांक–..... को ..... बजे पूर्वा0 / अप0 मैं सब कुछ समझ कर अपना हस्ताक्षर करता हूँ।

हस्ताक्षर

नामः–
स्थायी पताः–
वर्तमान पताः–
आधार संख्या (यदि हो)

2~

प्रपत्र–IV

सेवाकल के दौरान पत्येक 10 वर्ष पर सरकारी सेवक द्वारा की जाने वाली घोषणा।

मैं....., पदनाम.....

कार्यालय/विभाग....., स्थान, जिला.....

एतद् द्वारा घाषित करता हूँ कि मेरे परिवार के निम्नांकित सदस्य मुझ पर पूर्णतया आश्रित हैः–

क्र0	नाम	सरकारी सेवकों से सम्बन्ध	उम्र/जन्म तिथि	पता
1				
2				
3				

सरकारी सेवक का
नाम/पदनाम

पत्र संख्या–14 / अनु0–01–02 / 2015 का0 8092 (अनु.)

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

———

प्रेषक,

रतन कुमार,,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष,
सभी विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त।

राँची, दिनांक– 07 सितम्बर, 2015

विषयः– कार्यभारित स्थापना से नियमित हुए कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पा का लाभ स्वीकृत करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र सं0–7 / के03अनु0–02–03 / 2008 का0–4379, दिनांक–16.07.2008 (प्रति संलग्न) के द्वारा संसुचित निर्णय की कंडिका–(i) को एतद द्वारा पुनः निम्न रूप में स्पष्ट किया जाता हैः–

"चूँकि कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में आये सरकारी कर्मी, उस तिथि से सरकारी सेवक माने जायेंगे, जिस तिथि को उनकी स्थापना नियमित हुई है। अतः कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में आये सरकारी सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत सभी निदेश उनके नियमित स्थापना में आने की तिथि से समान रूप से लागू होगे।"

उक्त स्पष्टीकरण के आलोक में कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में आये सरकारी कर्मियों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार नियुक्ति के मामले में निर्णय लिया जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

5474 /

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

किदेलिस टोप्पो,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी उपायुक्त।

राँची, दिनांक 13/09/2011

विषय : सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 13293 दिनांक 05.10.1991 एवं समय-समय पर निर्गत अनुवर्त्ती परिपत्रों में अंकित प्रावधान के आलोक में की जाती है।

2. परिपत्र संख्या–13293 दिनांक 05.10.1991 की कंडिका–8 में उन पदों का उल्लेख है, जिनपर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है।

3. उपर्युक्त परिपत्र की कंडिका 8(क) (ii) के अनुसार रु0 1200–1800 तक के वेतनमान के वर्ग–3 के सभी पद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के योग्य माना गया है।

4. षष्टम वेतन पुनरीक्षण के लागू होने के कारण यह मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था कि नये वेतनमान में किस वेतनमान वाले पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है।

5. सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त संकल्प की कंडिका–8(क)(ii) में रु0 1200–1800/– के प्रतिस्थानी वेतनमान पीबी0–1 के अन्तर्गत रु0 5200–20200/– के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 1900/– होगा।

6. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

विश्वास्भाजन,

10.9.11

(किदेलिस टोप्पो)
सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रांक–7 / अनु0–01–03 / 2011 का॰ 4036 /

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

फिदेलिस टोप्पो,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव
सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 16/7/11

विषय : सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में मार्गदर्शन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–13293, दिनांक 05.10.1991 तथा इस क्रम में समय–समय पर निर्गत 'अनुवर्ती परिपत्रों में अंकित प्रावधानों के आलोक में की जाती है।

ऐसा देखा जा रहा है कि उपयुक्त पदों के अभाव में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई में प्रक्रियात्मक विलम्ब होती है, जिसके कारण आश्रित परिवारों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः अनुरोध है कि ऐसी स्थिति में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति उसी कार्यालय के रिक्त पद के विरूद्ध किया जाय, जिस कार्यालय / विभाग में मृत सरकारी सेवक अंतिम समय में पदस्थापित रहे हैं। यदि सम्बद्ध कार्यालय / विभाग में उपयुक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो अपने अधीनस्थ कार्यालय / विभाग से सदृश्य रिक्त पद की विधिवत् सूचना प्राप्त कर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव संलग्न जाँच पत्र के साथ गठित किया जाय, ताकि सम्बन्धित अनुकम्पा समिति को रिक्तियों की स्थिति का स्पष्ट पता चल सके एवं उक्त रिक्त पद के विरूद्ध अनुशंसा की कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

16.7.2011

(फिदेलिस टोप्पो)
सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रांक–7 / के0अनु0–02–0 / 2008 का०– 4379

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

आर0एस0 शर्मा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष /
सभी विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त।

रांची, दिनांक 16 जुलाई, 2008

विषय : सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के ज्ञाप संख्या–13293 दिनांक 05.10.1991 एवं पत्र संख्या–2822, दिनांक 07.04.1995 के द्वारा सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया निरूपित है। इस विषय पर समय–समय पर परिपत्र भी निर्गत किये जाते रहे हैं कतिपय विभागों / कार्यालयों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर परामर्श / मार्गदर्शन की मांग समय–समय की जाती है:–

(क) कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में परिणत मृत सरकारी कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ देय होगा अथवा नहीं ?

(ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त सरकारी सेवकों के सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ देय होगा अथवा नहीं ?

इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा समेकित विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है:–

(i) कार्यभारित स्थापना से नियमित हुए कर्मियों के सेवाकाल में मृत्यु होने पर अन्य राज्य कर्मियों की तरह उनके आश्रितों को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ दिया जायेगा।

(ii) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर अन्य राज्य कर्मियों की तरह उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ दिया जायेगा।

सरकारी सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में पूर्व में निर्गत परिपत्रों के आलोक में पूरी प्रक्रिया अपनाकर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,

(आर0एस0 शर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव।

पत्रांक–7 / वि0वि0सं0–03–26 / 2007का0 431 /

झारखंड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

आर0 एस0 शर्मा,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त, झारखंड ।

रॉची, दिनांक– 24 जनवरी, 2008

विषयः– **दत्तक पुत्र / दत्तक अविवाहित पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुमान्यता के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार मुझे कहना है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची के परिपत्र संख्या–4332 दिनांक–17.12.2005 के जरिये राज्य सरकार का निर्णय संसूचित किया गया है कि हिन्दू सरकारी सेवकों के मामलों में दत्तक पुत्र एवं दत्तक अविवाहित पुत्री भी आश्रित के श्रेणी में माने जाएँगें, बशर्ते कि " एडॉप्सन" हिन्दू एडॉप्सन एण्ड मेन्टेनेन्स ऐक्ट, 1956 के प्रावधानों के अनुसार हुआ हो और उक्त ऐक्ट के अधीन ऐसा दावा विधि सम्मत हो ।

2. इधर सरकार के सामने ऐसे मामले आए हैं, जिनमें कतिपय विभाग द्वारा यह पृच्छा की गई है कि सरकारी सेवा में कार्यरत अन्य समुदाय के सरकारी सेवक / सेविका यथा–मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई इत्यादि के मामलों में दत्तक पुत्र / दत्तक अविवाहित पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रासंगिक पत्र में कोई उल्लेख नहीं होने के कारण ऐसे मामलों से संबंधित दावों पर विचार करना संभव नहीं हो पा रहा है ।

3. वर्णित परिप्रेक्ष्य में विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया । विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिये गए परामर्श के आलोक में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हिन्दू सरकारी सेवक / सेविका के अतिरिक्त सिक्ख, बौध एवं जैन समुदाय के मामलों में दत्तक पुत्र एवं दत्तक अविवाहित पुत्री भी आश्रित के श्रेणी में माने जाएँगें, बशर्ते कि " एडॉप्सन " हिन्दू एडॉप्सन एण्ड मेन्टेनेन्स ऐक्ट, 1956 के प्रावधानों के अनुसार हुआ हो और उक्त ऐक्ट के अधीन ऐसा दावा विधि सम्मत हो । उक्त के अतिरिक्त मुस्लिम, ईसाई, परसियन एवं यहूदी समुदाय के सरकारी सेवक / सेविका के मामले में इस परिपत्र के प्रावधान लागू नहीं होंगे ।

विश्वासभाजन,

(आर0 एस0 शर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव ।

Niranjan- 11.01.08.

पत्रांक–7 / जि0अनु0–16 / 2002का0 409 /

झारखंड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

आर0 एस0 शर्मा,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त, झारखंड ।

रॉची, दिनांक– 22 जनवरी, 2008

विषयः– **सेवाकाल में लापता सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग, झारखंड, राँची के परिपत्र सं0–1840 दिनांक–16.06.2001 द्वारा लापता सरकारी सेवक / पेंशनर के आश्रितों को सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति की नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है । उक्त के आधार पर लापता सरकारी सेवक के आश्रित द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की मांग की जाती रही है, जो विचाराधीन था ।

लापता सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के बिन्दु पर विद्वान महाधिवक्ता का अभिमत प्राप्त किया गया । उनका अभिमत है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान सरकारी कर्मी के सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में है । परन्तु लापता हो जाने के फलस्वरूप लापता होने की तिथि के 7 वर्षों तक उस व्यक्ति के संबंध में कोई सूचना प्राप्त न हो सकने की स्थिति में उसे मृत मान लेने का मामला deemed death की श्रेणी में आता है । deemed death की स्थिति में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण ऐसे मामले में आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता है ।

अतः इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सेवाकाल में लापता सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है ।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा । कृपया तदनुसार कार्यवाही करें ।

विश्वासभाजन,

(आर0 एस0 शर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव ।

Niranjan- 18-01-08

पत्रांक :– 7 / वि.वि. पत्र 57 / 2002 का॰ 4332 /

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

मुखत्यार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त।

रांची, दिनांक 17 दिसम्बर, 2005

विषय : दत्तक पुत्र / दत्तक अविवाहित पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुमान्यता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 13293 दिनांक 05.10.1991 की कंडिका (1) (ग) के तहत यह अनुदेश दिया गया है कि दत्तक पुत्र, दामाद, भतीजा आदि को आश्रित नहीं माना जायेगा। इस आलोक में दत्तक पुत्र / पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ अनुमान्य नहीं है।

दत्तक पुत्र को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जायेगी अथवा नहीं, इस बिन्दु पर विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया। महाधिवक्ता का परामर्श निम्नवत है :–

The similar issue was raised before the Hon'ble Supreme Court in Chairman, Bihar Rajya Vidyut Board. Vrs. Chhathu Ram and others reported in 1999 (5) SCC673, upheld the orders of the Hon'ble Single Judge and directed for considering the claim of an adopted child providing compassionate appointment.

Therefore, in view of the judgement of Hon'ble Division Bench as well as Hon'ble Supreme Court, the claim of adopted child can be considered, however it would be proper to hold an enquiry regarding the genuineness of the claim as also whether the adoption was permissible and valid in law or not.

उपर्युक्त परामर्श एवं तथ्यों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हिन्दू सरकारी सेवकों के मामलों में दत्तक पुत्र एवं दत्तक अविवाहित पुत्री भी आश्रित की श्रेणी में माने जायेंगे, बशर्ते कि एडॉप्सन हिन्दू एडॉप्सन एंड मेन्टेनेन्स ऐक्ट, 1956 के प्रावधानों के अनुसार हुआ हो और उक्त ऐक्ट के अधीन ऐसा दावा विधि सम्मत हो। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक 13293 दिनांक 05.10.1991 की कंडिका (1) (ग) को उपर्युक्त हद तक संशोधित समझा जाए।

विश्वासभाजन,

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

[4]

पत्र संख्या-3/सी2-60117/97-का० 8093

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री अरुण भूषण प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 25 जुलाई, 98

विषय :- **सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया—अधिकतम उम्र की क्षान्ति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार मुझे कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं०-13293 दिनांक 5.10.1991 द्वारा निर्गत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की नयी प्रक्रिया को कंडिका-3 में नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता का कड़ाई से पालन किये जाने का प्रावधान निरूपित किया गया है । उक्त प्रावधान के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने हेतु विभागीय परिपत्र सं०-10838 दिनांक 1-11-1993 के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया कि बिहार सेवा संहिता के नियम-54 परिशिष्ट-I के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा क्षान्त करने के लिए विभागाध्यक्ष / विभाग को विशेष परिस्थिति में जो प्रावधान है, उसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में प्रयोग करना नियमानुकूल नहीं है ।

2 - सरकार के समक्ष ऐसे कई मामले आये जब मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की आयु सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक होने के कारण उक्त आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पाया है, फलतः उक्त मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

3 - सम्यक् विचारोपरान्त सरकार ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं०-10838 दिनांक 1-11-1993 को निरस्त करते हुए यह निर्णय लिया है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में बिहार सेवा संहिता के नियम 54 के परिशिष्ट-I के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा क्षान्त करने के लिए विभागाध्यक्ष / विभाग को विशेष परिस्थिति में जो प्रावधान है, उसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में भी लागू समझा जाय, बशर्ते कि आवेदन समय-सीमा के अन्तर्गत दिया गया हो ।

4 - यह आदेश परिपत्र निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

विश्वासभाजन,
ह०/- ए० बी० प्रसाद
सरकार के अपर सचिव ।

[12]

पत्र संख्या-3/सी 2-60108/94-का० 2822

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी०के० श्रीवास्तव,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभागीय सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 27/अप्रील, 1995

विषय :- **सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन ।**

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि सेवा काल में सरकारी सेवकों की असामयिक मृत्यु के चलते उनके आश्रित परिवार के किसी एक सदस्य को राज्य सरकार के अन्तर्गत वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता देने हेतु आवश्यक आदेश कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-12754 दिनांक 12-7-77, 11474 दिनांक 3-7-79, 6694 दिनांक 17-5-1980, 814 दिनांक 22-1-1981, 3211 दिनांक 12-1-84, 11946 दिनांक 30-11-84 तथा 13293 दिनांक 5-10-91 द्वारा निर्गत किये गये थे । इन परिपत्रों में विहित प्रक्रिया के बाद भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावकारी नहीं हो सकी, जिसके चलते माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गयी । माननीय पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका 3974/1192, 12268/ 1992 एवं 12453/1993 में समेकित आदेश के द्वारा यह निदेश दिया है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी बनायी जाय, जिससे कि आवेदकों को मृत्यु की तिथि के प्राथमिकता के अनुसार किसी भी रिक्त पद पर नियुक्ति मिल सके ।

2 - ऊपर उल्लेखित रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नांकित निदेश दिया है :-

(क) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पर विचार सचिवालय स्तर पर गठित एक समिति के द्वारा की जाय ।

(ख) जिला स्तर पर कार्यालयों के मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में विचार जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक समिति के द्वारा हो ।

(ग) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के मृत सरकारी सेवक के आश्रित उसी कार्यालय में आवेदन समर्पित करेंगे जहाँ उक्त सरकारी सेवक मृत्यु के समय पदस्थापित थे । यही प्रक्रिया जिला स्तर के मामले में भी लागू होगा ।

(घ) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग नोडल विभाग सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मामले में होगा । इस स्तर पर गठित समिति अंतिम रूप से सभी प्राप्त आवेदकों की सूची मृत्यु की तिथि के आधार

पर वरीयतानुसार तैयार करेगी । तत्पश्चात् रिक्ति के अनुसार इस सूची से संबंधित विभागों को नियुक्ति के लिये आवेदक का नाम वरीयतानुसार यह समिति अग्रसारित करेगी । यही प्रक्रिया जिला स्तरीय समिति के द्वारा भी अपनायी जायेगी ।

(ङ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने की जो समय सीमा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 5-10-1991 के परिपत्र से समाप्त कर दी गयी थी, उसके स्थान पर आवेदन देने के लिए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रकृति एवं अन्य आवेदकों के दावे को देखते हुए आवेदन देने की एक समय-सीमा राज्य सरकार निर्धारित करेगी ।

(च) माननीय न्यायालय ने विभिन्न स्तरों का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पैनेल की तैयारी हेतु भी मार्गदर्शन दिया है और यह निदेश दिया है कि राज्य सरकार इसके आधार पर वर्त्तमान परिपत्र को संशोधित कर परिपत्र आदेश के तीन माह के अन्दर निर्गत करे । अनुकम्पा के आधार पर सभी नियुक्तियाँ संशोधित परिपत्र के निर्गत होने के पश्चात् ही होगी और इसके विपरीत कोई भी नियुक्ति होती है तो न्यायालय की अवमानना समझी जायगी ।

3 - माननीय पटना उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्देशों पर भलीभांति विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार ने अनुकम्पा के आधार पर निर्गत परिपत्र सं०-13293 दिनांक 5-10-1991 में निम्नांकित आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया है :-

(क) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को नोडेल विभाग घोषित किया जाता है । आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय अनुकम्पा समिति गठित की जाती है, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

1- आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग ।	अध्यक्ष ।
2- वित्त आयुक्त के द्वारा मनोनीत पदाधिकारी ।	सदस्य ।
3- सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य ।
4- सचिव, पथ निर्माण विभाग	सदस्य ।
5- जिस विभाग का मामला हो उस विभाग के सचिव ।	विशेष आमंत्रित सदस्य ।
6- अपर सचिव / संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-3) कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग ।	सदस्य-सचिव ।

(ख) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पूर्व में गठित समिति के द्वारा जिला स्तर के विभिन्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के अर्हता प्राप्त आश्रितों की नियुक्ति हेतु मृत्यु की तिथि के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की ही वरीयता सूची तैयार की जायेगी । रिक्ति के अनुसार संबंधित कार्यालयों को यह समिति नियुक्ति हेतु नाम अग्रसारित करेंगे ।

4- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों तथा जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के अनुसार ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधित विभागों के नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी ।

5- मृत सरकारी सेवक के आश्रित आवेदन उसी विभाग में देंगे जहाँ सरकारी सेवक अंतिम रूप से पदस्थापित थे । उक्त विभाग आवेदन की भलीभाँति प्रारम्भिक जाँच कर ऊपर गठित संबंधित समिति या मंडल पदाधिकारी को आवेदन अग्रसारित करेंगे ।

6- अनुकम्पा के आधार पर आश्रित के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र समर्पित करने की समय सीमा मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष तक ही रहेगी ।

7- परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 5-10-1991 के प्रावधान उपर्युक्त रूप से संशोधित समझा जाय और अन्य सभी प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे ।

विश्वासभाजन,

ह०/- बी० के० श्रीवास्तव

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप संख्या-3/सी 2-60108/94-का० 2822 पटना-15, दिनांक, 27 अप्रैल, 1995

प्रतिलिपि :- निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, विधान परिषद् को सूचनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि वे उच्च न्यायालय एवं विधान मण्डल के अधीन वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु इसी आशय का आदेश निर्गत करने पर विचार करें ।

ह०/- बी० के० श्रीवास्तव

सरकार के अपर सचिव ।

---

[21]

पत्र संख्या-3/सी2-2067/90 का० 4735

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री हर्ष वर्धन,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव /
सरकार के सभी सचिव /
सभी विभागाध्यक्ष /
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /
सभी जिलाधिकारी /
सभी उप विकास आयुक्त ।

पटना-15, दिनांक 19 मई, 1992

विषय :- सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं 4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया - एक स्पष्टीकरण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप संख्या-13293 दिनांक 5-10-91 द्वारा निर्गत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की नयी प्रक्रिया पर अनेक विभागों एवं जिलाधिकारियों द्वारा यह पृच्छा की जा रही है कि यदि किसी सरकारी सेवक की मृत्यु के समय उनके आश्रित (पुत्र / पुत्री आदि) नाबालिग थे और अब कई वर्षों के बाद वे बालिग हुए हों तथा नियुक्ति हेतु आवेदन दिया हो तो क्या उनके मामले पर विचार किया जा सकेगा ?

2- इस बिन्दु पर सरकार ने भलीभाँति विचार कर यह निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों में विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा ।

3- अतः ऐसे सभी मामलों को अस्वीकृत कर दिया जाय । उन्हें कार्मिक विभाग को परामर्श/मन्तव्य/निर्देश हेतु भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

विश्वासभाजन
ह०/- हर्ष वर्धन
सरकार के अपर सचिव ।

[29]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या-3/सी2-2067/90 का० 13293 पटना-15, दिनांक 5 अक्तूबर, 1991

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष /
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- **सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं 4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया ।**

निदेशानुसार कहना है कि अब तक सेवा काल में किसी सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत सभी अनुदेशों को अवक्रमित करते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रियाओं को इस प्रकार सरल एवं प्रभावकारी बनाया जाय कि सरकारी सेवक के मृत्योपरान्त उसके आश्रित को बिना विलम्ब के वर्ग-3 के कतिपय पदों अथवा वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति मिल सके । इस उद्देश्य से सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है :-

(1) किनका चयन हो सकता है :

(क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ वैसे मृत सरकारी सेवक के एक ही आश्रित को अनुमान्य होगा जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हुई है ।

(ख) इस हेतु सरकारी सेवक उसे ही माना जायेगा जिसकी नियुक्ति, स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत की गई हो ।

(ग) सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है । आश्रित के अन्तर्गत केवल पुत्र, अविवाहित पुत्री तथा पुत्र की विधवा पत्नी सम्मिलित रहेगी । दत्तक पुत्र, दामाद, भतीजा आदि को आश्रित नहीं माना जायेगा ।

(घ) अनुकम्पा के आधार पर निम्नलिखित प्राथमिकताओं के अनुसार उनके आश्रित की नियुक्ति की जायेगी :-

(i) मृत सेवक की पत्नी ।
(ii) पुत्र ।
(iii) अविवाहित पुत्री ।
(iv) पुत्र की विधवा पत्नी ।

(ङ) यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो और किसी एक की मृत्यु हो जाय तो वैसी स्थिति में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ उनके परिवार के किसी आश्रित को नहीं मिलेगा।

(च) यदि कोई महिला सरकारी सेवा में हो और उनके पति किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हो तो महिला सरकारी सेवक की मृत्यु उपरान्त उनके पति को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ प्राप्त हो सकेगा ।

(2) किनका चयन नहीं हो सकता है :-

निम्नांकित कोटियों में से किसी भी कोटि में आने वाले व्यक्ति का आवेदन प्रारम्भिक तौर पर ही अस्वीकृत कर दिया जायेगा, यदि खंड "ख" और "ग" के संबंध में कोई प्रतिकूल शपथ-पत्र नहीं दिया गया हो ।

(क) यदि आवेदक के प्रस्तावित पद हेतु सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता प्राप्त नहीं हो । परन्तु महिला के मामले में साईकिल चलाने की अर्हता को क्षांत समझा जायेगा ।

(ख) यदि आवेदक को किसी संज्ञेय अपराध के अपराधी के रूप में न्यूनतम 6 माह के कारावास का दण्ड हुआ है ।

(ग) यदि आवेदक पर ऐसा मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन हो जिसमें उन्हें मृत्युदण्ड अथवा सात वर्ष से अधिक के कारावास की सजा दिये जाने की सम्भावना हो, अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक को 6 माह अथवा उससे अधिक का दण्ड दिया जाय ।

(3) आवेदन की समय - सीमा : -

आवेदन देने की कोई समय सीमा नहीं होगी । लेकिन नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता का कड़ाई से पालन किया जायेगा ।

(4) आवेदन पत्र का समर्पण और संलग्न किये जाने वाले कागजात :-

आवेदन हेतु निम्नांकित कागजात उसी कार्यालय में जहाँ मृत सरकारी सेवक अंतिम समय में कार्यरत थे, दाखिल करने होंगे ।

(क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में जिसका नमूना अनुलग्नक -I में उपलब्ध है ।

(ख) आवेदन पत्र के खण्ड-2 में उल्लेखित सभी बिन्दुओं पर अनुशंसा पदाधिकारी की अनुशंसा (नमूना अनुलग्नक-1 में) ।

(ग) मृत्यु प्रमाण पत्र ।

(घ) शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र ।

(ङ) आयु संबंधी प्रमाण पत्र ।

(च) जाति प्रमाण पत्र (केवल आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए) ।

उपरोक्त (ग) से (घ) तक के सभी कागजातों की मूल प्रतियाँ एवं एक-एक फोटो स्टेट प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा । जहाँ पर मृत सरकारी सेवक अंतिम समय में कार्यरत थे, उस कार्यालय के प्रधान को अनुशंसा पदाधिकारी कहा जायेगा । वे ही अनुलग्नक -I (खंड-2) में विहित प्रपत्र के क्रमांक-7 को हस्ताक्षरित करेंगे ।

(5) विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त होने एवं उपर्युक्त कंडिकाओं में अन्य निर्धारित प्रमाण पत्र आदि प्राप्त होने के एक माह में उस कार्यालय / विभाग के नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे।

(6) आरक्षण नीति संबंधी निर्देश :-

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में अगर रिक्ति आरक्षित बिन्दु पर हो तो आरक्षित बिन्दु को अग्रणीत करते हुए आवेदक को नियुक्त कर लिया जायेगा ।

(7) नियुक्ति पत्र का निर्गत किया जाना :-

(क) जिस व्यक्ति की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर की जायेगी उसके नियुक्ति पत्र में निम्नांकित शर्तें अनिवार्य रूप से अभिलिखित की जायेगी :-

(i) नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा । नियुक्ति के समय नियुक्ति पदाधिकारी / कर्मचारी से निम्नलिखित घोषणा पत्र लिया जायेगा :

घोषणा-पत्र

मैं ..... पिता का नाम ....

पदनाम ..... पता ..... (जिसने अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है) घोषणा करता / करती हूँ कि मैं मृत संवक के आश्रित परिवार का भरण-पोषण करूँगी / करूँगा । मैं इस बात की भी घोषणा करता / करती हूँ कि मुझे इस बात की जानकारी है कि मृतक के आश्रित परिवार की देखभाल में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा मेरी सेवा बगैर सूचना के समाप्त कर दी जायेगी ।

दो निष्पक्ष गवाहों का हस्ताक्षर :- हस्ताक्षर -

नाम एवं पता :- नाम -

तिथि -

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो नियुक्त पदाधिकारी द्वारा कारण-पृच्छा प्राप्त कर उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी ।

(iii) गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर प्राप्त की गई नौकरी के नौकरीधारी को बाद में किसी भी समय, एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए, बर्खास्त किया जा सकेगा ।

(ख) किसी भी स्थिति में नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्ति पत्र हस्ताक्षरित किये जाने की शक्ति अधीनस्थ पदाधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं कर सकेंगे ।

(ग) नियुक्ति पत्र निर्गत करने के समय साधारण नियुक्ति में आवेदक से जो घोषणा-पत्र लिये जाते हैं, यथा--दहेज नहीं लेना एवं नहीं देना, आदि वे सभी घोषणा-पत्र अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में भी आवेदक से लिये जायेंगे ।

(8) किन पदों पर नियुक्ति की जा सकती है :-

(क) अबतक के निर्देश के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर वर्ग-4 के अतिरिक्त वर्ग-3 के वैसे ही पदों पर नियुक्ति की जा सकती थी जिसपर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग / बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद के माध्यम से नहीं होती हो ।

उपर्युक्त नियम को संशोधित करते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि निम्नलिखित पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है :

(i) वर्ग 4 के सभी पद । (ii) 1200-1800 तक के वेतनमान के वर्ग - 3 के सभी पद ।

(9) विशेष निदेश :-

(क) अनुकम्पा के आधार पर किसी पद पर नियुक्ति होने पर पुनः उसे अनुकम्पा का दोबारा लाभ देते हुये उसकी प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्त्तन नहीं किया जा सकेगा ।

(ख) इस परिपत्र का कोई लाभ अबतक नियुक्त हो चुके किसी व्यक्ति को संवर्ग / पद परिवर्तन हेतु अनुमान्य नहीं होगा ।

(ग) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति नियमित नियुक्ति मानी जायगी । नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्त व्यक्ति को उसकी नियुक्ति के संवर्ग में अन्य सरकारी सेवकों की

भाँति नियम के अनुसार पूर्व निर्धारित अवधि के लिये परीक्ष्यमान के तौर पर रखेंगे । तत्पश्चात उस पर, उसकी संपुष्टि हेतु, उक्त विभाग / संवर्ग के नियम ही पूर्णतः लागू होंगे ।

(घ) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता परिपत्र में नियुक्तियों पर जो रोक लगाई जाती है, वह अनुकम्पा के मामले में लागू नहीं समझी जायेगी ।

(ङ) सरकारी शिक्षकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों के संदर्भ में उपर्युक्त नियम पूर्णतः लागू होगा, केवल उनके प्रशिक्षण एवं उसमें सफल होने का प्रतिबन्ध संबंधी निदेश उनपर अतिरिक्त रूप में लागू माना जायगा । इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति से मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा उनके परिपत्र संख्या 839 दिनांक 25.6.90 में निदेश दिया गया है ।

(च) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए जो नियम उपबन्ध निर्धारित किये गये हैं उनको शिथिल करने अथवा उसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण निर्गत करने की शक्ति केवल कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में निहित होगी ।

(छ) अनुकम्पा के आधार पर किसी विधवा की नियुक्ति होती है तो पुनः शादी होने के बाद भी वह सेवा में रहेगी, बशर्ते कि मृत सेवक के आश्रित परिवार का भरण-पोषण के दायित्व का निर्वाह सफलतापूर्वक करती हो ।

(ज) सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति में अगर किसी सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा ।

(10) इस परिपत्र के प्रावधान निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे । पूर्व में हुई मृत्यु के मामलों पर इस परिपत्र के प्रावधानों के आधार पर विचार / पुनर्विचार नहीं किया जा सकेगा ।

(11) इस परिपत्र की प्रभाव-सीमा :- यह परिपत्र राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी लोक उपक्रमों, स्वशासी निकायों, प्राधिकारों, निगमों, पर्षदों तथा राज्य सम्पोषित संस्थाओं पर भी पूर्णरूप से लागू समझा जायगा ।

(12) नोट :- इस परिपत्र में अंकित "आवेदक" शब्द जहाँ-जहाँ भी दिये गये हैं उनका अर्थ, यथा आवश्यक, "आवेदक" अथवा "आवेदिका" समझा जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- हेम नारायण कंठ
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-3/सी2-2067/90 का० 13293
पटना-15, दिनांक 5 अक्टूबर, 1991

प्रतिलिपि :- निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, विधान सभा / विधान परिषद को सूचनार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि वे उच्च न्यायालय एवं विधान मण्डल के अधीन के वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति हेतु इसी आशय का आदेश निर्गत करने पर विचार करें ।

ह०/- हेम नारायण कंठ
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक - 1

सेवारत अवस्था में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को सरकारी सेवा में नियोजन संबंधी अनुशंसा के लिये प्रपत्र

खण्ड - 1

1. (क) मृत सरकारी सेवक का नाम -

   (ख) उनका पदनाम, वेतनमान, प्राप्त वेतन तथा स्थापना जहाँ मृत्यु के पहले सेवारत थे । -

   (ग) मृत्यु की तिथि एवं मृत्यु का कारण -

   (घ) प्रदत्त सेवा की कुल अवधि -

   (ङ) स्थायी थे या अस्थायी -

2. (क) सेवा में नियुक्ति के लिये उम्मीदवार का नाम -

   (ख) उनका मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध -

   (ग) जन्म - तिथि -

   (घ) शैक्षणिक योग्यता -

   (ङ) क्या मृत सरकारी सेवक के कोई अन्य आश्रित की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर पहले हुई है, यदि हाँ तो पूर्ण ब्योरा दें । -

   (च) विवाहित अथवा अविवाहित -

   (छ) विवाह की तिथि (तिथि स्मरण न हो तो माह एवं वर्ष) -

   (ज) यदि विवाहित हैं तो क्या विवाह में दहेज का लेन-देन हुआ था अथवा उसका आश्वासन हुआ था । -

3. मृत सरकारी सेवक की कुल सम्पत्ति का विवरण निम्नांकित मदों की राशि सहित -

   (क) पारिवारिक पेंशन -

   (ख) डी०सी०आर० ग्रेच्युटी -

   (ग) सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि -

   (घ) जीवन बीमा पालिसी -

   (ङ) चल एवं अचल सम्पत्ति एवं उनके परिवार की वार्षिक आय -

4. देन पावना के संबंध में संक्षिप्त विवरण (यदि हो तो) ।

5. मृत सरकारी सेवक के आश्रितों का पूर्ण विवरण –
(यदि किन्हीं को पहले से नियोजन प्राप्त है तो उनका विवरण एवं उनकी आय) ।

क्रम संख्या एवं पदनाम	मृत सरकारी सेवक के साथ संबंध एवं आयु ।	सेवारत हैं या नहीं, सेवा का पूर्ण विवरण एवं कुल उपलब्धियाँ ।
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

6. आवेदक का पूरा स्थायी पता –

7. आवेदक का पूरा वर्त्तमान पता –

8. क्या आवेदक के विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है, अथवा किसी मुकदमे में उसे सजा हुई है ?
यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें –

घोषणा-पत्र

मैं यह प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उपुर्यक्त तथ्य पूर्णतः सही हैं । यदि उपर्युक्त कोई भी तथ्य भविष्य में गलत या झूठा पाया जायगा, तो मेरी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जा सकेगी । इसके अतिरिक्त मेरे विरुद्ध ऐसी कार्रवाई भी की जा सकेगी, जो उचित और अपेक्षित हो ।

दो निष्पक्ष गवाह का हस्ताक्षर, नाम एवं पता

(1) .....

(2) .....

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर एवं तारीख)

पूरा पता :-

खण्ड -2

1. (क) नियुक्ति के लिये उम्मीदवार का नाम -

   (ख) मृत सरकारी सेवक से उसका संबंध -

   (ग) शैक्षिणक योग्यता, उम्र (जन्म-तिथि) एवं अनुभव, यदि हो तो । -

   (घ) पद जिस पर नियुक्ति के लिये प्रस्ताव किया जा रहा है । -

   (ङ) क्या प्रस्तावित पद पर सीधी नियुक्ति दी जा सकती है ? -

   (च) क्या उम्मीदवार पद के लिये विहित अर्हता (उम्र संबंधी अर्हता सहित) धारण करता है -

   (छ) नियोजनालय की प्रक्रिया के शिथिलीकरण करने के अलावे क्या अन्य कोई शिथिलीकरण भी अपेक्षित है ? यदि हाँ, तो विवरण दें -

2. क्या खण्ड - I में उल्लिखित तथ्यों की कार्यालय / विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से जाँच कर ली गई है ? -

3. क्या मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति, नियुक्ति की विहित प्रक्रिया का तथा आरक्षण नीति का अनुपालन करते हुए रोस्टर बिन्दु के अनुसार की गई थी ? -

4. क्या आवेदक विवाहित हैं ? यदि हाँ तो विवाह के समय उनकी उम्र क्या थी ? -

5. क्या आवेदक की दो पत्नियाँ / पति जीवित हैं ? -

6. क्या आवेदक ने विवाह में दहेज लेने / देने का कार्य किया था अथवा उसका आश्वासन लिया / दिया था ? -

7. मृत सरकारी सेवक जहाँ अंतिम समय में कार्यरत थे, के कार्यालय प्रधान का पूर्ण हस्ताक्षर, तिथि एवं कार्यालय की मुहर -

8. नियंत्रण पदाधिकारी / विभागाध्यक्ष (यदि वे कार्यालय-प्रधान से वरीय पदाधिकारी हों) की अनुशंसाएँ -

---

अनुलग्नक -2

विभागीय अनुकम्पा समिति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत सदस्यों की सूची ।

क्र०सं०	विभाग का नाम	कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य
1.	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	वित्त विभाग के वरीयतम अपर सचिव/संयुक्त सचिव ।
2.	गृह विभाग	
3.	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	
4.	राजभाषा विभाग	
5.	संसदीय कार्य विभाग	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव ।
6.	वित्त विभाग	
7.	योजना एवं विकास विभाग	
8.	ग्रमीण विकास विभाग	
५.	नगर विकास विभाग	
10.	कल्याण विभाग	ग्रामीण विकांस विभाग के वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव ।
11.	स्वास्थ्य विभाग	
12.	शिक्षा विभाग	
13.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	
14.	औद्योगिक विकास विभाग	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव ।
15.	ईख विभाग	
16.	खान एवं भूतत्व विभाग	
17.	वन एवं पर्यावरण विभाग	
18.	कृषि विभाग	मानव संसाधन विकास विभाग के वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव ।
19.	सहकारिता विभाग	
20.	पशु एवं मत्स्य पालन विभाग	
21.	ऊर्जा विभाग	
22.	लघु सिंचाई विभाग	उद्योग विभाग के वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव ।
23.	सिंचाई विभाग	
24.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	
25.	पथ निर्माण विभाग	

क्र०सं०	विभाग का नाम	कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य
26.	परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग	जल संसाधन विभाग के वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव ।
27.	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	
28.	पर्यटन विभाग	
29.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
30.	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव ।
31.	साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग	
32.	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	
33.	खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	
34.	विधि विभाग	खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग के वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव ।
35.	भवन एवं आवास विभाग	
36.	युवा कार्यक्रम, खेल एवं संस्कृति विभाग	
37.	चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।	
38.	जल स्रोत एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	कल्याण विभाग के वरीयतम अपर सचिव / संयुक्त सचिव ।
39.	परियोजना एवं सांस्थिक वित्त विभाग	
40.	20 सूत्री कार्यक्रम विभाग	
41.	लघु उद्योग विभाग	

---

[48]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या-3/सी 1-2030/80 का०-6817 , पटना-15, दिनांक 25 मई, 1989
4 ज्येष्ठ, 1911, (श०)

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला दंडाधिकारी ।

विषय :- **सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया ।**

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं०-12754 दिनांक 12-7-77 में सरकार द्वारा सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के किसी एक आश्रित को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है । इस परिपत्र की कंडिका-4 में इस सहूलियत का लाभ सरकारी सेवक की मृत्यु के दो वर्षों के अन्दर तक निर्धारित की गई है ।

2. बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ तथा शिक्षक कर्मचारी पदाधिकारी समन्वय समिति के द्वारा माँग की गई थी कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने की निर्धारित समय सीमा दो वर्ष को बढ़ाकर 5 (पाँच) वर्ष किया जाय । इस संबंध में उक्त समन्वय समिति एवं राज्य सरकार के बीच दिनांक 19-11-88 एवं 20-11-88 को हुए समझौते के कार्यान्वयन के सिलसिले में सरकार ने इसकी सांगोपांग समीक्षा की और महसूस किया कि उक्त परिपत्र की कंडिका-4 को संशोधित करना उचित होगा ।

3. इस परिप्रेक्ष्य में उक्त परिपत्र की कंडिका-4 को सरकार द्वारा निम्नरूप से संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

"मृत सरकारी सेवक के आश्रित द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने की अवधि सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 5 (पाँच) वर्ष रहेगी और यह समय-सीमा बढ़ाई नहीं जायगी ।"

उपर्युक्त निर्णय सभी प्रकार के अनुकम्पा के आधार पर होने वाली नियुक्तियों पर तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

अतः इस निर्णय के आलोक में समय सीमा क्षान्त करने का प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय-सीमा किसी भी परिस्थिति में 5 (पाँच) वर्षों से अधिक नहीं होगी ।

ह०/- एम०एल० मजुमदार
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-3/सी 1-2030/88 का० 6817 पटना-15, दिनांक 25 मई, 1989
4 ज्येष्ठ, 1911 (श०)

प्रतिलिपि :- निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- एम०एल० मजुमदार
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या 3/आर 1-304/73 कि०-12754
बिहार सरकार
कार्मिक विभाग

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना, दिनांक 12 जुलाई, 1973 ।

विषय :- सेवाकाल में सरकारी सेवकों की असामयिक मृत्यु के चलते उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य सरकार के अधीन वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता ।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि सेवाकाल में सरकारी सेवकों की असामयिक मृत्यु के चलते बहुतेरे मामले में उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है । ऐसी विपत्ति के समय संबंधित सरकारी सेवक के परिवार को साहाय्य देने के प्रश्न पर शासन कुछ समय से विचार कर रहा था । इस संबंध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे सरकारी सेवकों के परिवार के किसी एक सदस्य को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर, जहाँ लोक सेवा आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है, नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाय । उक्त प्राथमिकता के लिये निम्नलिखित शर्तें एवं तथ्य अनिवार्य होंगे :-

(1) मृत सरकारी सेवक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न हो, अर्थात उस परिवार का कोई भी सदस्य किसी प्रकार का जीविकोपार्जन का कार्य न करता हो और यदि करता भी हो तो उसकी आमदनी पूरे परिवार के साधारण भरण-पोषण के लिये अपर्याप्त हो एवं उसकी सम्पत्ति और देनदारी को देखते हुए इस प्रकार की सहूलियत देना जायज हो ।

(2) उपर्युक्त कोटि के सरकारी सेवक के परिवार के सदस्य को पद विशेष के लिये निर्धारित अर्हतायें उपलब्ध हों तथा उनकी उम्र विहित आयु-सीमा के अन्दर हो । विशेष परिस्थिति में सेवा-संहिता के नियम 54 के अधीन आयु सीमा में छूट दी जा सकती है ।

(3) नियुक्ति विभाग द्वारा निर्गत सरकारी आदेश संख्या 8167 दि० दिनांक 21 जून, 1966 के अनुसार राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों को नियोजनालय में नामांकन कराना आवश्यक है किन्तु उक्त सरकारी सेवक के परिवार के सदस्य को इस आदेश से मुक्ति दी जाती है । साथ ही संबंधित व्यक्ति पद विशेष पर नियुक्ति के पात्र हैं या नहीं इसका निर्णय नियुक्ति पदाधिकारी स्वयं करेंगे ।

(4) इस सहूलियत का लाभ सामान्यतया सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से तीन वर्षों तक प्राप्त रहेगा ।

(5) नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी एवं तदर्थ आधार पर होगी और संवर्गीय वरीयता के लिये इसको मान्यता नहीं दी जायगी । विहित प्रक्रिया के पालन के बाद ही उनको नियुक्ति नियमित की जा सकेगी ।

(6) इस आदेश में उल्लिखित "परिवार" से सामान्य तात्पर्य है, पत्नी, पुत्र एवं अविवाहित पुत्रियाँ।

(7) मृत सरकारी सेवक के परिवार के सदस्य की नियुक्ति के लिये आवेदन देते समय अनिवार्य रूप से अनुलग्न सूचनायें भी देनी होंगी ।

2. नियुक्ति प्राधिकारी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिये दिये गये आवेदन की तथ्यात्मक जाँच स्वतंत्र रूप से करने के बाद सम्बद्ध विभाग का आदेश प्राप्त करेगा और आदेश देने के पूर्व विभाग हर मामले में कार्मिक विभाग का परामर्श लेगा ।

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी संबंधित विभाग अपने अधीनस्थ सार्वजनिक प्रतिष्ठान, स्वायत्तशासी निकाय एवं स्थानीय संस्थायें तथा नगरपालिकाओं आदि में उपर्युक्त सुविधायें प्रदान करने के निमित्त निर्देश करें ।

ह०/- सच्चिदानन्द सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप संख्या 3/आर 1-304/73 का० 12754 पटना, दिनांक 12 जुलाई, 1977 ।

प्रतिलिपि :- निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, विधान सभा / विधान परिषद को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे उच्च न्यायालय एवं विधान मण्डल के अधीन वर्ग 3 तथा 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु इसी आशय का आदेश निर्गत करने पर विचार करें ।

ह०/- सच्चिदानन्द सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवारत अवस्था में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की सरकारी सेवा में नियोजन संबंधी अनुशंसा के लिय प्रपत्र ।

खण्ड - 1

1. (क) मृत सरकारी सेवक का नाम :-
   (ख) उनका पदनाम, वेतनमान, प्राप्त वेतन तथा स्थापना जहाँ मृत्यु के पहले संवारत थे :-
   (ग) मृत्यु की तिथि एवं मृत्यु का कारण :-
   (घ) प्रदत्त सेवा की कुल अवधि :-
   (ङ) स्थायी थे या अस्थायी :-
   (च) क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे :-
2. (क) सेवा में नियुक्ति के लिये उम्मीदवार का नाम :-
   (ख) उनका मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध :-
   (ग) जन्मतिथि :-
   (घ) शैक्षणिक योग्यता :-
   (ङ) क्या मृत सरकारी सेवक के कोई अन्य आश्रित की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर पहले हुई है ? यदि हाँ तो पूर्ण ब्योरा दें । :-
3. मृत सरकारी सेवक की कुल सम्पत्ति का विवरण निम्नांकित मदों की राशि सहित —
   (क) पारिवारिक पेंशन :-
   (ख) डी०सी०आर० ग्रेच्युटी :-
   (ग) सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि :-
   (घ) जीवन बीमा पालिसी :-
   (ङ) चल एवं अचल सम्पत्ति एवं उनके परिवार की वार्षिक आय :-
4. देना पावना के संबंध में संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो :-

खण्ड–3

अध्याय–8
(राजभाषा)

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

कार्यालय आदेश

का0 आ0 सं0–9 / स्था0विविध–08 / 2018 का0..... / राँची, दिनांक.....2018

झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में पदस्थापित उपायुक्त एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के उप सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारियों को कार्य निष्पादन के लिए निम्नांकित शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती है:–

क्र0 सं0	विषय / कार्य	संबंधित प्रशाखा	वर्त्तमान स्तर	शक्ति प्रत्यायोजन हेतु प्रस्तावित स्तर
1.	क्षेत्रीय राजभाषा के कर्मियों के जिलान्तर्गत स्थानान्तरण तथा उनके उपार्जित अवकाश की स्वीकृति	राजभाषा प्रभाग	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	उपायुक्त
2.	अनुवाद अग्रसारण	राजभाषा प्रभाग	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव(वरीय प्रभारी)
3.	भाषा विधिक्षा अग्रसारण	राजभाषा प्रभाग	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
4.	आशुलिपिक / लिपिक पद पर सेवा संपुष्टि	प्रशाखा– 12	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
5.	पासपोर्ट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र	संबंधित प्रशाखा	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
6.	सम्मन तामिला	संबंधित प्रशाखा	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
7.	अध्ययन एवं परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति	संबंधित प्रशाखा	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
8.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित संचिकाओं को राज्य स्तरीय चिकित्सा पर्षद / स्वास्थ्य निदेशालय पृष्टांकित करने की शक्ति	संबंधित प्रशाखा	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
9.	15 दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति	प्रशाखा– 9	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
10.	विभाग के अन्तर्गत लिपिकों, डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों, अनुसेवकों का कार्य आवंटन / पदस्थापन संबंधी कार्य	प्रशाखा– 9	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
11.	विभिन्न प्रति0 परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु–विभाग में पदस्थापित पदाधिकारियों कोNOC प्रदान करने की शक्ति	प्रशाखा– 9	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
12.	वेतन निर्धारण तथा वेतन सत्यापन हेतु योजना–सह–वित्त विभाग को संचिका पृष्टांकित करने की शक्ति	संबंधित प्रशाखा	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
13.	प्रतिपादित नीति के अधीन संवीक्षा से संबंधित रोस्टर के मामले	प्रशाखा– 14	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
14.	विशेष वेतन वृद्धि (झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली के नियम 7(a) एवं 7(b) के अन्तर्गत तथा LLM की उपाधि पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि)	प्रशाखा– 13	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
15.	अधिवक्ता के रूप में कार्यावधि को पेंशन के लिए जोड़ने का विषय (झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा के नियमावली के नियम 8(a) के अन्तर्गत)	प्रशाखा– 13	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
16.	झा0प्र0से0 के पदाधिकारियों का निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र की माँग एवं संधारण	प्रशाखा–3 एवं 4	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
17.	झा0प्र0से0 के पदाधिकारियों का PAR प्रमाण–पत्र निर्गमन (तीन माह से कम अवधि के मामले)	प्रशाखा– 6	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
18.	माननीय उच्च न्यायालय में दायर वैसे वाद, जिसमें मुख्य प्रतिवादी अन्य विभाग / प्राधिकार हों और कार्मिक विभाग मात्र औपचारिक पक्ष हो, से संबंधित संचिकाएँ।	संबंधित प्रशाखा	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)

19.	त्रुटियों का निराकरण (लिपिकीय भूल)	संबंधित प्रशाखा	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
20.	सिविल सूची का साधारण	प्रशाखा–3 एवं 4	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
21.	भा.प्र.से. के पदाधिकारियों की स्वच्छता प्रमाण पत्र की माँग एवं संधारण	प्रशाखा– 1 एवं 2	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
22.	भा.प्र.से. के पदाधिकारियों की गोपनीय चारित्री अग्रसारण से संबंधित कार्य	प्रशाखा– 1 एवं 2	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
23.	झा0प्र0से0 के पदाधिकारियों का सेवा विनियमन (60 दिनों की अवधि अन्तर्गत)	प्रशाखा–3 एवं 4	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
24.	बिना नाम पता का परिवाद जिसमें आरोप विशिष्ट प्रकृति का ना हो	संबंधित प्रशाखा	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
25.	झा0प्र0से0 के पदाधिकारियों का उपार्जित अवकाश (सचिव की शक्ति का प्रत्यायोजन)	संबंधित प्रशाखा	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
26.	साक्ष्य रहित परिवाद के मामले में साक्ष्य माँगने हेतु	संबंधित प्रशाखा	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
27.	झा.स. सेवा के पदाधिकारियों के निगरानी स्वच्छता प्रमाण–पत्र की माँग	प्रशाखा– 7	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
28.	झा.स. सेवा के पदधारकों को सेवा विनियमन (60 दिनों की अवधि अन्तर्गत)	प्रशाखा– 7	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)
29.	विभिन्न श्रोतों से प्राप्त शिकायत (अन्य विभागों से संबंधित) का हस्तांतरण	प्रशाखा– 16	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	संयुक्त सचिव / उप सचिव (वरीय प्रभारी)

2. यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।

ह0 / –

(के0के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:–9 / स्था0विविध–08 / 2018 का0..... / राँची, दिनांक.....2018

प्रतिलिपि :–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:–9 / स्था0विविध–08 / 2018 का0..... / राँची, दिनांक.....2018

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची / सभी उपायुक्त / कोषागार पदाधिकार, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अपर मुख्य संचिव

ज्ञापांक:–9 / स्था0विविध–08 / 2018 का0 152 / राँची, दिनांक 20/08/ 2018

प्रतिलिपि :–विभाग के सभी पदाधिकारी / कर्मचारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषय : राजभाषा विभाग के अधीन सरकारी सेवकों के स्थानांतरण/पदस्थापन के संबंध में नीति एवं प्रक्रिया के निर्धारण में संशोधन।

राजभाषा विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 317/रा०, दिनांक 28.04.1998 द्वारा राजभाषा विभाग के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों के स्थानांतरण/पदस्थापन के लिये मार्गदर्शन निर्धारित किये गये हैं, जो झारखंड राज्य में भी यथावत् लागू हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त संकल्प की कंडिका–2 (ख) एवं कंडिका–3 में अंकित प्रावधानों को सम्यक् विचारोपरान्त विलोपित करते हुये उसके स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाते हैं–

2 (ख) : विभागान्तर्गत अराजपत्रित सरकारी कर्मियों की सेवा, विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा पर जिलों में सौंप दी जायेगी, जिसके आधार पर संबंधित जिले के उपायुक्तों द्वारा जिला स्थापना समिति की अनुशंसा से जिलान्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानांतरित/पदस्थापित किया जा सकेगा।

3 : सभी स्थानांतरण/पदस्थापन वर्ष में एक बार अर्थात् सामान्यतया मई–जून माह में किये जा सकेंगे।

उक्त संकल्प के अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति राज्यपाल के सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलायुक्त/सभी उपायुक्त/सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(एन० एन० सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या 8/रा०–28/2012 /राँची, दिनांक अक्टूबर, 2012

प्रति, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखंड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि उक्त संकल्प की 500 मुद्रित प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को अविलंब उपलब्ध करायें।

ह०/–

(एन० एन० सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या 8/रा०–28/2012 239/राँची, दिनांक 05- अक्टूबर, 2012

प्रति, सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त एवं प्रमंडलीय राजभाषा उपनिदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/10/2012

(एन० एन० सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव

अध्याय–14

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 778

4 अग्रहायण 1933 शकाब्द

राँची, शुक्रवार 25 नवम्बर, 2011

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

18 नवम्बर, 2011

संख्या एल०जी०–20/2011–203/लेज०.–झारखण्ड विधान मण्डल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 14 नवम्बर, 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

[झारखण्ड अधिनियम संख्या 29, 2011]

अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2011

झारखंड राज्य के विशिष्ट क्षेत्रों में कतिपय राजकीय प्रयोजनार्थ उर्दू के अतिरिक्त संथाली, बंगला, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुड़ुख (उरौंव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया तथा उड़िया भाषा को द्वितीय राजकीय भाषा की मान्यता देने के लिए अंगीकृत बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 को संशोधित करने हेतु अधिनियम :–

भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो –

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :**

(i) यह अधिनियम "अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2011" कहलायेगा।

(ii) इसका विस्तार राज्य के उन क्षेत्रों में होगा तथा यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **अंगीकृत बिहार अधिनियम–37, 1950 की धारा–3 में उपधारा–3 (क) के रूप में निम्नलिखित उपधारा का जोड़ा जाना–**

बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 की धारा–3 में उपधारा–3 (क) के रूप में जोड़ी जायेगी–

"अन्य द्वितीय राजभाषा : राज्य सरकार समय–समय पर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर निर्देश देगी कि उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र में निर्धारित अवधि के लिए

राज्य के भाषा–भाषियों के हित में संथाली, बंगला, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुड़ुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया तथा उडिया भाषा निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ द्वितीय राजभाषा उर्दू के अतिरिक्त प्रयोग की जायेगी।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पंकज श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 778--150+600 ।

पत्र संख्या–8/रा०–39/2008 का० 191

झारखंड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक :

आर० एस० शर्मा
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में :

सभी उपायुक्त,
सभी उप विकास आयुक्त,
झारखंड।

राँची, दिनांक 20 अगस्त, 2008

विषय : उर्दू कर्मियों से लेखा/वित्त संबंधी कार्य नहीं लेने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उर्दू कार्यक्रम के अधीन नियुक्त एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित उर्दू कर्मियों (उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक, हिन्दी/उर्दू टंकक) से अपने कार्यालय में लेखा/वित्त संबंधी कार्य नहीं लिया जाय तथा अधीनस्थ कार्यालयों को भी यह निदेशित किया जाय कि इन उर्दू कर्मियों को किसी भी परिस्थिति में रोकड़ से संबंधित कार्य न दिया जाय, अन्यथा कोई गड़बड़ी होने पर इस तरह का प्रभार दिलानेवाले पदाधिकारी भी समान रूप से दोषी माने जायेंगे।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

(आर० एस० शर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

संख्या–8 / रा०–20 / 2004 का०– **6807** / रांची, दिनांक 16 अक्टूबर, 2007

बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 (यथा संशोधित) की धारा–3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन अधिसूचना संख्या–652 / रा0, दिनांक 07.04.1981, अधिसूचना दिनांक 29.06.1989 तथा अधिसूचना ज्ञापांक 1440 / रा0, दिनांक 16.08.1989 के द्वारा वर्तमान झारखण्ड राज्य के (1) धनबाद, (2) गोड्डा, (3) देवघर, (4) साहेबगंज, (5) गिरिडीह, (6) लोहरदगा, (7) हजारीबाग, (8) गुमला, (9) पलामू, (10) रांची, (11) दुमका तथा (12) सिंहभूम जिलों में उर्दू भाषियों के हित में राजभाषा हिन्दी के अतिरिक्त उर्दू का प्रयोग द्वितीय राजभाषा के रूप में विनिर्दिष्ट राजकीय प्रयोजनों के लिए किया गया है।

2. बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के नियम–84 के आलोक में चूंकि नियम–85 के अन्तर्गत कोई संशोधन, कोई अनुकूलन तथा उपांतरण चाहे वह निरसन के रूप में हो या संशोधन के रूप में हो, झारखण्ड राज्य के सृजन के पश्चात् दो वर्षों की अवधि में नहीं किया गया है। अतः उपर्युक्त जिलों में उर्दू का प्रयोग पूर्ववत् द्वितीय राजभाषा के रूप में विनिर्दिष्ट राजकीय प्रयोजनों के लिए 15.11.2000 से ही इस राज्य में प्रभावी है। निम्नांकित जिले उपर्युक्त अंकित जिलों से झारखण्ड सृजन के पूर्व एवं बाद में ही अलग होकर बने हैं :– (1) सिमडेगा (2) सरायकेला–खरसावां (3) लातेहार (4) गढ़वा (5) चतरा (6) कोडरमा (7) बोकारो (8) जामताड़ा (9) पाकुड़ (10) पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) (11) रामगढ़ एवं (12) खूंटी।

चूंकि कंडिका–2 में अंकित उपर्युक्त जिले कंडिका–1 में अंकित जिलों से अलग होकर सृजित हुए हैं, इसलिए उपर्युक्त अधिसूचनाओं के तहत उपर्युक्त कंडिका–2 में अंकित जिलों में भी उर्दू द्वितीय राजभाषा के रूप में दिनांक 15.11.2000 से ही प्रभावी माना जायेगा। अतः बिहार राजभाषा अधिनियम 1950 (यथा संशोधित) की धारा–3 के तहत उपर्युक्त कंडिका–2 में अंकित जिलों में 15.11.2000 के प्रभाव से ही उर्दू भाषियों के हित में राजभाषा हिन्दी के अतिरिक्त उर्दू का प्रयोग द्वितीय राजभाषा के रूप में निम्नलिखित राजकीय प्रयोजनों के लिए किया जायेगा :–

(1) उर्दू में अर्जियों और आवेदन पत्रों की प्राप्ति और उर्दू में उनका उत्तर
(2) उर्दू में लिखित दस्तावेजों का निबंधन कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जाना
(3) महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उर्दू में भी प्रकाशन
(4) सार्वजनिक महत्व के सरकारी आदेशों और परिपत्रों का उर्दू में जारी किया जाना
(5) महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में भी प्रकाशन
(6) जिला गजट के उर्दू रूपांतरण का भी प्रकाशन
(7) महत्वपूर्ण संकेत–पट्टों का उर्दू में भी प्रकाशन।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(संतोष कुमार शतपथी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–8 / रा॰–20 / 2004 का॰– **6807** /रांची, दिनांक 16 अक्टूबर, 2007

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित तथा अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को उपलब्ध कराई जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–8 / रा॰–20 / 2004 का॰– **6807** /रांची, दिनांक 16 अक्टूबर, 2007

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / सभी विभागीय सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, झारखण्ड / सचिव, विधान सभा / सभी प्रमंडलायुक्त / सभी उपायुक्त / प्रमंडलीय राजभाषा उपनिदेशक / सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

पत्रांक-8/सo-12-2001का0-...101...../

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

प्रेषक,

श्री मुख्तयार सिंह,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/ सभी सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलायुक्त/ सभी उपायुक्त ।

राँची, दिनांक-28 जून, 2003 ई0 ।

विषय : सरकारी कार्यालयों के काम-काज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्र संख्या-28, दिनांक-11 जून, 2001 का कृपया स्मरण किया जाए । इस प्रसंग में पुनः सूचित करना है कि राज्य सरकार की भाषा नीति के अनुसार सरकारी कार्यालयों के काम-काज में शत-प्रतिशत हिन्दी का प्रयोग किया जाना है । यदि कार्यालयों के निम्नलिखित कार्यों में अभी भी अंग्रेजी का व्यवहार हो रहा है तो इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि यह सरकार की भाषा नीति के सर्वथा प्रतिकूल है :-

1. कर्मचारी उपस्थिति-पंजी एवं भरपाई-बही में अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते है ।
2. कार्यालय में मुहर अंग्रेजी में है ।
3. आवक-जावक विपत्र अंग्रेजी में प्रस्तुत किये जाते है ।
4. रोकड़ बही अंग्रेजी में लिखी जाती है ।
5. कोषागार बही में अंग्रेजी का प्रयोग होता है ।
6. कार्यालय को आदेश पुस्तिका में पदाधिकारी अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते है ।
7. सेवा पुस्त में अंग्रेजी का व्यवहार होता है ।
8. कार्यालय में प्रतिवेदन अंग्रेजी में लिखे जाते है ।
9. कार्यालय के विपत्रों में प्रविष्टियाँ अंग्रेजी में की जाती है ।
10. नामपट्ट द्विभाषिक रूप (अंग्रेजी एवं हिन्दी) में पाए जाते है ।

11. कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा अंग्रेजी में आवेदन पत्र दिए जाते है ।

12. पत्र प्राप्ति पंजी में अंग्रेजी का व्यवहार होता है ।

सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सरकारी कार्यालय में इस प्रकार का अंग्रेजी प्रयोग वस्तुतः चिन्तनीय है । सरकार की भाषा नीति का यथावत पालन हो इसके लिए कृपया निम्नांकित कार्रवाई की जाए :-

1. सरकारी सेवकों से अंग्रेजी में प्राप्त आवेदनों पर सामान्य रूप से कोई कार्रवाई न की जाए । अंग्रेजी में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए उनसे स्पष्टी करण मांगा जाए ।
2. जो भी सरकारी सेवक अंग्रेजी में काम करते या हस्ताक्षर करते पाए जाए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए ।
3. जिस कार्यालय मे अंग्रेजी में अभी बनी मुहर और अंग्रेजी में नाम-पट्ट पाए जाए उनके प्रधान को इसके लिए जिम्मेवार मानते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए ।
4. अंग्रेजी में बने विपत्रों के लिए विपत्र बनाने वाले कर्मचारी के साथ-साथ निकासी और व्ययन पदाधिकारी को भी इसके लिए जिम्मेवार माना जाए ।
5. अंग्रेजी मे बने यात्रा-भत्ता विपत्र पारित नही किये जाएँ ।
6. जो सरकारी सेवक भरपाई चही मे अंग्रेजी में हस्ताक्षर करें उनका भुगतान नही किया जाए ।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को उक्त निर्णय की जानकारी कराते हुए उल्लिखित आदेश का पालन कराने के लिए आदेश देने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

(मुख्तयार सिंह)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्रांक-19/2001का0-.....99...../

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

प्रेषक,

श्री मुख्तयार सिंह,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव, सचिव/ विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त,
झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक 27 जून, 2003 ई०

विषय :- राजभाषा हिन्दी के माध्यम से सभी सरकारी कामकाज करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 19, दिनांक- 21/04/2001 का स्मरण कृपया किया जाए । उक्त प्रसंग में पुनः कहना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345, 347 एवं 348 के उपबंधों के अध्यधीन राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी अपनाई गई है । इसके तहत सम्पूर्ण राज्य में राज्य सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी में कार्य करना अनिवार्य माना गया है । तदनुरूप राज्य सरकार द्वारा कठोरता से हिन्दी के प्रयोग के संबंध में अविभाजित सरकार द्वारा पूर्व में आदेश, निर्देश एवं परिपत्र निर्गत किए गए हैं । झारखंड नवगठित राज्य है और हिन्दी प्रधान प्रदेश है तथा यहां की राजभाषा हिन्दी है ।

इस परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । फिर भी सरकार के कतिपय विभागों/कार्यालयों में अभी भी कुछ काम अंग्रेजी माध्यम से हो रहा है, जो सरकार की भाषा नीति की स्पष्ट अवहेलना है । अभी भी कई विभागों में अधिनियम विधेयक, अध्यादेश, नियमावली, विनियम, अधिसूचना, आदेश, प्रतिवेदन आदि का प्रारूप मूलतः अंग्रेजी में तैयार किया जा रहा है और उसे हिन्दी अनुवाद के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेज दिया जाता है, यद्यपि विभिन्न विभागों को हिन्दी में काम

करने का यथेष्ट अभ्यास है । अतः यह समीचीन प्रतीत नहीं होता कि अभी भी प्रारूप अंग्रेजी में तैयार किए जाएं तथा अनुवाद के लिए विभिन्न विभाग कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग पर निर्भर रहें । यह स्थिति राजभाषा अधिनियम में अन्तर्निहित भावनाओं के अनुरूप नहीं है ।

इस दृष्टि से सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सम्बद्ध विभागों द्वारा ऐसे प्रारूप हिन्दी में तैयार किए जाएं । यदि अभी भी इसमें कठिनाई का अनुभव हो तो कम से कम अंग्रेजी प्रारूप का हिन्दी अनुवाद सम्बद्ध विभागों द्वारा ही किया जाए और भाषा की दृष्टि से उसका पुनरीक्षण राजभाषा विभाग द्वारा और विधि की दृष्टि से विधि विभाग द्वारा करा लिया जाए ।

अतः अनुरोध है कि कृपया अंग्रेजी में तैयार की गई सामग्री अनुवाद के लिए इस विभाग को नहीं भेजें । प्रारूप मूलतः हिन्दी में तैयार होना चाहिए, जिसे कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को पुनरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है । यदि अपवाद स्वरूप कोई प्रारूप मूलतः अंग्रेजी में तैयार किया जाता है तो अंग्रेजी मूल के साथ-साथ हिन्दी अनुवाद पुनरीक्षण के लिए भेजा जाए ।

विश्वासभाजन,

(मुख्त्यार सिंह)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या–8/रा0–01/2002का0 41 /

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

प्रेषक,

श्री पंकज कुमार मिश्र,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त
सभी अनुमंडल पदाधिकारी
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ।

रांची, दिनांक– 8 फरवरी, 2002

विषय:– उर्दू कार्यक्रम के अधीन राजभाषा विभाग द्वारा पदस्थापित उर्दू अनुवादकों/ स0 उर्दू अनुवादकों/ हिन्दी–उर्दू टंककों से केवल उर्दू संबंधी कार्य लेने तथा उनका स्थानान्तरण/ पदस्थापन प्रतिनियुक्ति आदि प्रमण्डल/ जिला / अनुमंडल स्तर से नहीं करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा निर्गत सभी अधिनियम, नियम, नियमावली, परिपत्र इत्यादि झारखंड राज्य में भी लागू है । अतः राजभाषा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 35/उ0नि0, दिनांक 16.01.1996 में दिया गया आदेश झारखंड राज्य में भी तब तक लागू रहेगा जब तक उसे संशोधित नहीं कर लिया जाता। तदनुरूप उर्दू कार्यक्रम के अधीन सृजित पदों के विरुद्ध पदस्थापित कर्मचारियों से निर्दिष्ट कार्यक्रम से भिन्न किसी प्रकार के कार्य नहीं किए जाएं ।

प्रायः यह सूचना भी विभाग को प्राप्त हो रही है कि कतिपय जिला/ अनुमंडलों/ प्रखंडों में पदस्थापित इन कर्मियों का स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना किया जा रहा है । कृपया इस प्रकृति का परित्याग किया जाए । विशेष परिस्थिति में स्थानान्तरण आदि की आवश्यकता हो तो समुचित अनुशंसा सक्षम पदाधिकारी को करने का कष्ट करें ।

कृपया इस आदेश का अनुपालन किया जाए ।

विश्वासभाजन,

(पंकज कुमार मिश्र)
सरकार के उप सचिव ।

सं. सा.प्र.-ख/राभ-12/2001 (पा.) 28 /

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग

प्रेषक,

श्री सुशील कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव / सभी सचिव /
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलायुक्त/सभी उपायुक्त ।

रांची, दिनांक- 11 जून, 2001

विषयः - सरकारी कार्यालयों के कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग ।

महोदय/महोदया,

निदेशानुसार सूचित करना है कि राज्य सरकार की भाषा-नीति के अनुसार सरकारी कार्यालयों के काम-काज में शतप्रतिशत हिन्दी का प्रयोग किया जाना है । यदि कार्यालयों में निम्नलिखित कार्यों में अभी भी अंग्रेजी का व्यवहार हो रहा है, तो ये सरकार की भाषा-नीति के सर्वथा प्रतिकूल है :-

1. कर्मचारी उपस्थिति-पंजी एवं तनख्वाह-बही में अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं ।
2. कार्यालयों में मुहर अंग्रेजी में है ।
3. यात्रा-भत्ता विपत्र अंग्रेजी में प्रस्तुत किये जाते हैं ।
4. रोजनामचा बही अंग्रेजी में लिखी जाती है ।
5. भोकागार बही में अंग्रेजी का प्रयोग होता है ।
6. कार्यालयों की आदेश पुस्तिका में पदाधिकारी अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं ।
7. सेवा पुस्त में अंग्रेजी का व्यवहार होता है ;
8. कार्यालयों में प्रतिवेदन अंग्रेजी में लिखे जाते है ।
9. कार्यालयों में विपत्रों में प्रविष्टियाँ अंग्रेजी में की जाती है ।
10. नामपट्ट द्विभाषिक रूप (अंग्रेजी एवं हिन्दी) में पाये जाते है ।
11. कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा अंग्रेजी में आवेदन पत्र दिये जाते हैं ।
12. पत्र प्राप्ति पंजी में अंग्रेजी का व्यवहार होता है ।

.....2/-

सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत स्पष्ट निदेशों के बावजूद सरकारी कार्यालयों में इस प्रकार का अंग्रेजी प्रयोग वस्तुतः चिन्तनीय है । सरकार की भाषा-नीति का यथावत् पालन हो इसके लिए कृपया निम्नांकित कार्रवाई की जाय :--

1. सरकारी सेवकों से अंग्रेजी में प्राप्त आवेदनों पर सामान्य रूप से कोई कार्रवाई न की जाय और अंग्रेजी में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए उन्हें स्पष्टीकरण माँगा जाय ।
2. जो भी सरकारी सेवक अंग्रेजी में काम करते या हस्ताक्षर करते पाये जायें उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय ।
3. जिस कार्यालय में अंग्रेजी में अर्जी बनी मुहर और अंग्रेजी में नामपट्ट पाया जाय उसके प्रधान को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाय ।
4. अंग्रेजी में बने विपत्रों के लिए विपत्र बनाने वाले कर्मधारी के साथ- साथ निकासी और भुगतान पदाधिकारी को भी इसके लिए जिम्मेवार माना जाय ।
5. अंग्रेजी में प्रस्तुत यात्रा भत्ता विपत्र पारित नहीं किया जाय ।
6. जो सरकारी सेवक मरपाई वही में अंग्रेजी में हस्ताक्षर करें उनका भुगतान नहीं किया जाय ।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों / कर्मचारियों को उक्त निर्णय की जानकारी कराते हुए उल्लिखित आदेश का पालन कराने के लिए आदेश देने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

उदय/
0860l

सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची
द्वारा मुद्रित ।

Printed By
Jharkhand Government Press, Ranchi.

© Copyright 2022 Finance Department, Government of Jharkhand.